पंचम माला, खंड 24, अंक 15 — शुक्रवार, 9 मार्च 1973/18 फाल्गुन, 1894 (शक)

Fifth Series, Vol. XXIV No. 15 — Friday, March 9, 1973/Phalguna 18, 1894 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र / Seventh Session]

[खंड 24 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. XXIV contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

71 (23)
24.7.73

विषय सूची/CONTENTS

अंक 15, शुक्रवार, 9 मार्च, 1973/18 फाल्गुन, 1894 (शक)

No. 15, *Friday, March* 9, 1973/*Phalguna* 18, 1894 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता०प्र०संख्या. *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
261	लीड बैंक योजना के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा की गई प्रगति	Progress made by Nationalised Banks in regard to Lead Bank Seheme . . .	1–4
263	छोटे कर दाताओं से आयकर वसूल करने पर व्यय	Expenditure on Collection of Income-Tax from Small Tax Payers . . .	4–6
266	मार्केट यार्ड स्कीम के लिये विश्व बैंक से सहायता	Assistance from World Bank for Market Yard Scheme .	6–8
267	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात किये जाने के कारण विदेशी मुद्रा की आय में कमी	Decline in Foreign Exchange Due to Canalisation of Exports through STC . . .	8–10
268	जापान के सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा भारत के मालवाही पोत से पकड़ी गयी अफीम	Opium seized from Indian Freighter by the Officials of Japanese Customs Department	10–11
269	[भा]रत के मन्दिरों में रखे स्वर्ण तथा आभूषणों का मूल्यांकन	Assessment of Gold and other Jewellery in possession of Temples in India .	11–13
271	महाराष्ट्र में पायलट्स कोआपरेटिव सोसाइटी को विमानों के आयात के लिये लाइसेंस	Licence for Import of Aircraft to Pilots Cooperative Society in Maharashtra . .	13–14
273	गत तीन महीनों में अन्य देशों के साथ किये गये व्यापारिक करार	Trade agreement with other countries entered into during last 3 months . . .	14–15

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न का सभा म उस सदस्य ने वास्तव [में पू]छा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—2 LSS(CD)/73

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
262	केन्द्रीय सरकार के विभागों में मितव्ययता अभियान	Economy drive in Central Government Departments .	15–16
264	खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग की लोक वस्त्र उत्पादन सम्बन्धी योजना	Plan for Production of Lok Vastra by KVIC . .	16
265	केन्द्रीय सरकार के पेंशन प्राप्त लोगों को दी जाने वाली पेंशन की राशि का पुर्ननिर्धारण	Revision in Pension Amount of Central Government Pensioners	16–17
270	इण्डियन एयर लाइंस द्वारा बोईंग 737 विमानों के बारे में निर्णय	Decision Regarding Boeings-737 by Indian Airlines . .	17
272	सूखा राहत कार्यों के लिये हरियाणा को विशेष सहायता	Special Assistance to Haryana for Drought Relief . .	17–18
274	केरल में कन्नानोर जिले में हथकरघा उद्योग की गम्भीर स्थिति	Grave Situation of Handloom Industry Cannaore District, Kerala	18
275	फ्रांस से वित्तीय सहायता	Financial Assistance from France . . .	18–19
276	भारतीय सामान्य बीमा निगम में फसल, मवेशी और बीमारी का बीमा करने के सम्बन्ध में पायलट योजनाएं	Pilot Schemes in regard to Crop, Cattle and Sickness insurance in General Insurance Corporation of India . . .	19
277	नेपाल को वस्तुओं की तस्करी	Smuggling of Goods into Nepal .	19–20
278	एशियाई पूंजी निवेश केन्द्र	Asian Investment Centre .	21
279	दिल्ली में मारे गये छापों के दौरान जाली विदेशी मुद्रा और तस्करी की वस्तुओं का पकड़ा जाना	Siezure of Counterfeit Foreign Currencies and Smuggled Goods during raids in Delhi.	21
280	विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आरम्भ की गई योजनाओं के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सहायता	Assistance by Nationalised Banks for Schemes undertaken by various State Governments .	21–22

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
2590	भारत के दौरों पर आये व्यापार शिष्टमंडल	Trade Delegations visiting India	22
2591	नियन्त्रित मूल्य के कपड़े की कीमतें	Prices of controlled Cloth .	22
2592	भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा अमरीकी और ब्रिटिश फिल्मों का आयात	Import of American and British Films through IMPEC . .	22–23

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2593	प्रचलन में करेंसी नोट	Circulation of Currency Notes	23
2594	इजराइल से आयात की गई वस्तुएं तथा उनका मूल्य	Items imported from Israel and their value	23-24
2595	आस्ट्रेलिया से आयात किया गया सामान और उसकी कीमत	Items imported from Australia and their value . . .	24
2596	कनाडा से आयात किया गया सामान और उसका मूल्य	Items Imported from Canada and their value . . .	24-25
2597	सिलिगुड़ी में थल सीमाशुल्क अधिकारियों और तस्करों के बीच सांठ-गांठ	Complicity between Land Customs Officials and Smugglers in Silliguri	25
2598	बेतराशे हीरों का आयात	Import of Raw Diamonds .	25-26
2599	कृषि पुनर्वित निगम के अध्यक्ष द्वारा किये गये विदेशों के दौरे	Foreign tours undertaken by Chairman of Agricultural Refinance Corporation . .	26
2600	1972 में कोचीन में हुई ऐवरों दुर्घटना की जांच	Enquiry into Avro Accident at Cochin in 1972 . . .	26
2602	भारत और रूमानिया के बीच व्यापार करार	Trade Agreement between India and Romania . . .	26-27
2603	दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय जूट एजेंसी की स्थापना	Setting up of an International Jute Agency in Delhi . .	27
2604	लीड बैंक स्कीम के अन्तर्गत राज्यों का सर्वेक्षण	Survey of States under Lead Bank Scheme . . .	27-29
2605	भारतीय चाय के समर्थन मूल्य में कमी	Decline in Support Price of Indian Tea	29-30
2606	विदेशी पर्यटकों द्वारा विदेशी मुद्रा में होटल बिल की अदायगी करने के बारे में नियम लागू करने के लिये उपाय	Steps to Enforce the Rule Regarding Payment of Hotel Bills in Foreign Exchange by Foreign Tourists . . .	30
2607	एन्ड्रयू, यूल एण्ड कम्पनी	Andrew Yule and Company .	30-31
2608	पटसन खरीदने के लिये धन	Funds for Purchase of Jute .	31
2609	अभ्रक का व्यापार करने के लिए एक नये निगम की स्थापना	Setting up of a New Corporation for Mica Trading .	32
2610	भूतपूर्व संसद् सदस्यों और मंत्रियों की सरकारी निगमों के चेयरमैन के रूप में नियुक्ति	Former M. Ps. and Ministers appointed as Chairman of Public Sector Corporations. . .	32-33

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2611	कलकत्ता में श्री भट्टचार्य के निवास स्थान से बड़ी संख्या में डालर बिलों और मुद्रा का जब्त किया जाना	Seizure of huge quantities of Dollar Bills and Currency from the Residence of Shri Bhattacharyya in Calcutta .	33-34
2612	भारत और श्रीलंका के अधिकारियों के बीच तस्करी की समस्या पर बात-चीत	Talks between Officials of India and Shri Lanka on Smuggling Problem	34
2613	उड़ीसा के लौह अयस्क के व्यापार में संकट	Crisis in Orissa Iron Ore Trade	34
2614	जाली नोटों का परिचालन	Circulation of Fake Currency	35
2615	त्रिपुरा में रबड़ बागान के अन्तर्गत क्षेत्र	Area under Rubber Plantation in Tripura	35
2616	विदेशों में खरीददारों को घटिया मछली की सप्लाई	Supply of Substandard Fish to buyers in Foreign Countries	35-36
2617	कृषि पुनर्वित्त निगम के अधीन छोटे बागानों के लिये योजना	Scheme for Small Plantation Farmers under Agricultural Refinance Corporation .	36
2618	बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ का विकेन्द्री-करण	Decentralisation of Bihar Khadi Gramodyog Sangh . .	36-37
2619	राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा दिया गया सुझाव	Suggestion made by National Council of Applied Economic Research	37
2620	आर्थिक अपराधों को रोकने के लिये कार्यवाही करना	Steps to check Economic Offen-ces	37
2621	बिहार तथा अन्य राज्यों में पटसन मिलों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Jute Mills in Bihar and other States . .	38
2622	कान्डला मुक्त व्यापार क्षेत्र	Kandla Free Trade Zone .	38
2623	1970-71 तथा 1971-72 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को हुआ लाभ	Profit earned by KVIC during 1970-71 and 1971-72 .	38
2624	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हुआ घाटा	Losses suffered by Public Sector Undertakings . .	38-39
2625	खनिज विकास परियोजनाओं के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता	Assistance from United Nations Development programme for Mineral Development Projects	39-40
2626	तमिलनाडु में खनिज विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता	Assistance from United Nations Development programme for Mineral Development in Tamil Nadu . . .	40-41

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2627	पटसन के निर्यात में कमी	Decline in the Export of Jute Trade	41
2628	आर्थिक अपराधों की दोषी फर्मों अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें	Prosecution of Firms or Individuals for committing Economic Offences	42
2629	भारत सहित आठ विकासशील देशों के बीच टरिफ रियायत का पारस्पारिक आदान प्रदान	Mutual Exchange of Tariff Concessions amongst eight Developing Countries including India	42–43
2630	भारत में उद्योग स्थापित करने के लिये विदेशों में भारतीय उद्यमकर्ताओं, इंजीनियरों और तकनीशनों को प्रोत्साहन देना	Incentives to Indian Enterpreneurs, Engineers and Technicians Abroad to set up industries in India	43
2631	भारत और सूडान के बीच व्यापार करार	Trade Agreement between India and Sudan	44
2632	पालिसी होल्डरों को दावों के भुगतान में विलम्ब	Delay in Payment of Claims to Policy Holders	44–45
2633	आय में असमानता में प्रस्तावित कमी	Proposed Reduction in Income Disparity	45
2634	दिल्ली में हुए अखिल भारतीय प्रबन्ध सम्मेलन में की गई सिफारिशें	Recommendations of Management Convention held in Delhi	45–46
2635	जापान से वित्तीय सहायता	Financial Assistance from Japan	46
2636	सभी राज्यों की राजधानियों में मौसम सम्बन्धी केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up Meteorological Centres in All State Capitals	47–48
2637	बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीयकृत संस्थाएं	Number of Institutions Nationalised after Bank Nationalisation	48
2638	विदेशों को माल का निर्यात	Export of Goods to other countries	48
2639	पश्चिम जर्मनी पुनर्निर्माण निगम के अध्यक्ष के साथ वार्ता	Talks with Chairman of West German Reconstruction Corporation	48–49
2640	बाजार से नए ऋण लेना	Raising of Fresh Market Borrowings	49
2641	भारत और हंगरी के बीच व्यापार करार	Trade Agreement Between India and Hungary	49–50
2642	जाली डालर और 100 रुपये के जाली नोट छापने सम्बन्धी मामले में व्यक्तियों की गिरफ्तारी	Arrest of persons involved in printing fake dollar and 100 rupee currency notes	50
2643	केरल की निर्यात क्षमता सम्बन्धी सर्वेक्षण	Export Potential Survey of Kerala	50

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2644	टायर निर्माताओं के लिए रबड़	Rubber for tyre manufacturers	50–51
2645	खाड़ी के देशों के साथ विमान सेवा का करार	Air Pact with Gulf States .	51
2646	व्यापार सम्बन्धी सलाहकार परिषद् की बैठक	Meeting of the Advisory Council on trade . . .	51–52
2647	लीड बैंकों द्वारा गठित जिला स्तरीय सलाहकार समितियों का कार्यकरण	Functioning of District level Consultative Committee constituted by Lead Banks . .	52
2648	रिजर्व बैंक द्वारा ऋण लेखे अन्तरिण करने पर प्रतिबन्ध	Reserve Bank's freeze on transfer of loan accounts . .	52
2649	गोवा का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने के लिये कार्यवाही	Steps to Develop Goa for Tourist Attraction . . .	53
2650	कपड़ा मिलों को दिय गये अग्रिम धन की इक्वीटी शेयरों में परिवर्तित करना	Changing of Advances made to Textile Mills into Equity Shares	53
2651	जूट से बने कपड़े का व्यापार	Trade in Jute Fabrics . .	53–54
2652	पटसन उत्पादकों को प्रोत्साहन	Incentive to Jute Growers .	54
2653	सामान्य बीमा व्यापार अधिनियम, 1972 के प्रावधानों का क्रियान्वित किया जाना	Implemtation of Provisions of General Insurance Business Act, 1972	54–55
2654	कपास के मल्य में तेजी से वद्धि	Sharp rise in the price of raw cotton	55
2655	भारत द्वारा रूई के लिये अमरीका और चीन से बड़ा सौदा किया जाना	Big Cotton deal by India with USA and China . . .	55
2656	नियंत्रित कपड़े की उच्च दरों पर बिक्री	Sale of controlled cloth at high rate	56
2657	राजस्थान टैक्सटाइल हैण्ड प्रोसेसर्स एसोसिएशन द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum from Rajasthan Textile Hand Processors Association	56
2658	उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में पर्यटन विकास के लिये योजना	Scheme for Development of tourism in various districts of Uttaraknand . . .	56
2659	देश में पर्यटकों के लिये सस्ते आवास की व्यवस्था में सुधार करना	Steps to improve the provision of cheap accommodation for Tourists in tne country. .	57
2660	इंडियन एयर लाइन्स द्वारा एवरो विमानों का उपयोग	Use of Avros in Indian Airlines	57
2661	न्यू विक्टोरिया मिल्स लिमिटेड, कानपुर के मजदूरों के लिये उपदान की बकाया राशि	Arrears of gratuity for workers of New Victoria Mills Ltd., Kanpur	57

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2662	चाय तथा पटसन व्यापार को नियंत्रण में लेना	Taking over of Tea and Jute Trade	57–58
2663	इलाहाबाद बक के क्षेत्रीय कार्यालय की पटना में स्थापना	Setting up of Regional Office of Allahabad Bank, Patna .	58
2664	जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित आन्दोलन	Proposed agitation by employees of LIC	58
2665	सुरक्षा लेखा नियंत्रक, पटना के कार्यालय में यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते आदि पर हुआ व्यय	Expenditure incurred on T.A. and D.A. etc. in the Office of Controller of Defence Accounts Patna . . .	59
2666	चाय और कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण	Modernisation of Tea and Textile Industry . . .	59
2667	वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये परियोजना	Project for promoting Wild Life Tourism	60
2668	समाचार पत्रों के लिये मुद्रण मशीनों के आयात हेतु करार	Agreement for Import of Printing Machinery for Newspapers	60
2669	देश में स्थापित पर्यटक यात्रा एजेंसियों के कार्यों को नियमित करने के लिय कार्यवाही	Steps to regulate the working of Tourist Travel Agencies set up in the Country .	60–61
2670	देश के बड़े होटलों में मद्य निषेध सम्बन्धी निगमों में ढील देने का प्रस्ताव	Proposal to relax Prohibition rules in Big Hotels in the Country	61
2671	जाली विदेशी करेंसी नोटों का प्रचलन	Circulation of counterfeit Foreign Currency Notes . . .	61
2672	पांचवी योजना के दौरान इंडियन एयर लाइन्स के विस्तार की योजना	Expansion Plan of Indian Airlines during Fifth Plan . .	62
2673	राष्ट्रीय कृत बैंकों के निदेशकों के नये बोर्डों के अधिकार	Powers of new Boards of Directors of Nationalised Banks .	62–63
2674	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण देने की धीमी गति	Stackening growth in Advances made by Nationalised Banks to Priority Sectors . . .	63
2675	आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग	Misuse of Import Licences .	64
2676	इंडियन एयर लाइंस के अधिकारियों तथा कर्मचारियों से समुद्र पार उड़ानों के पासों के लिये विमानों के किराये की कुछ प्रतिशतता वसूल करना	Officers and Staff of Indian Airlines required to pay some percentage of air fare for over seas flight passes . . .	64–65
2677	उत्पादन शुल्क का ढांचा	Structure of Excise Duty . .	65

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2678	पालम हवाई अड्डे पर, प्रिसीजन एप्रोच राडार का न होना	Palam Airport not equipped with precision approach radar	65–66
2679	युगोस्लाविया को सप्लाई किये गये वैगनों के मूल्य में वृद्धि	Price escalation of wagons supplied to Yugoslavia . .	66
2680	श्रीलंका से नारियल के गोलों का आयात	Import of coconut from Ceylon	66–67
2681	विमान यात्रियों के सामान को ढोना	Handling of luggage of Air Passengers . . .	67
2682	शराब का आयात	Import of Liquor . .	67
2683	देसूरी तहसील (राजस्थान) में गणकपुर मन्दिर का पर्यटन के दष्टिकोण से विकास करना	Steps to develop Ranakpur Temple in Desuri Tensil (Rajasthan) from tourism point of view . . .	68
2684	विमान दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु के मुआवजे की दर में वृद्धि	Increase in the rate of compensation for air fatalities . .	68
2685	तंजानिया को ऋण देने के लिये करार	Agreement for loan to Tanzania	69
2686	अर्धपरिष्कृत भेड़ की खालों के निर्यात पर रोक	Restriction on the export of semi-tanned sheep skins . .	69
2687	कांकार्ड सूपरसोनिक विमान खरीदने का प्रस्ताव	Proposal to buy concorde supersonic aircraft . . .	69
2688	जापान से नकली रेशम के कपड़ों की तस्करी	Smuggling of art silk fabrics from Japan	70
2689	हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलना	Opening of new branches of Nationalised banks in Himachal Pradesh . . .	70–71
2690	हिमाचल प्रदेश मे तम्बाकू को उत्पादन शुल्क से मुक्त करना	Exemption of Exise Duty on Tobacco in Himachal Pradesh	71
2691	1970 की हड़ताल को बढावा देने वाले जिन विमान चालकों पर मुकदमा चलाया गया उनके नाम	Names of Pilots prosecuted for furthering the cause of strike in 1970	72
2692	राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों का सामाजिक उद्देश प्राप्त करने मे असफल रहना	Failure to achieve Social Objectives by Banks after Nationalisation	72
2693	मैसूर के रेशम के कपड़ों की किस्म को सुधारना और उनका उत्पादन बढ़ाना	Increase in the quality and quantity of Mysore Silk Fabrics	72
2694	भारत से फिल्मों को चोरी छिपे बाहर भेजा जाना	Smuggling of films out of India	72–73

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2695	गुजरात में शक्ति चालित करघे	Powerlooms in Gujarat . .	73
2696	सामान्य बीमा कम्पनियों द्वारा अंशधारियों को क्षतिपूर्ति की अदायगी	Compensation paid by General Insurance Companies to share holders	73
2697	केन्द्रीय पर्यटक केन्द्रों की सूची में पश्चिम बंगाल के दिघा समुद्र विश्राम स्थल (सी रिजार्ट) को शामिल करना	Inclusion of Digha Sea Resort in West Bengal in the List of Central Tourist Centres .	74
2698	सरकार ी पूंजी निवेश और उपयोग नीतियों के बारे में राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् की रिपोर्ट का प्रकाशन	Publication of Report of NCAER on Investment and Consumption Policies of Government	74–75
2699	छोटी बचत योजनाओं के अन्तर्गत जमा न	Mobilisation of deposits under Small Savings Scheme .	76–77
2700	कोचीन के निकट एक नागरिक हवाई अड्डे की स्थापना के लिय प्रस्ताविक स्थल के बारे में रिपोर्ट	Report of proposed site near Cochin for establishing a Civil Aerodrome . . .	77
2701	केरल सरकार द्वारा काजू के बन्द कारखाने को नियंत्रण में लेने के लिय 150 लाख के ऋण की मांग	Demand by Kerala Government for a loan of Rs. 150 lakh for taking over closed cashew factories . . .	77
2702	केरल की योजनाओं को विपणन विकास निधि से सहायता प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिये अनुदान संहिता में परिवर्तन करने का प्रस्ताव	Proposal to modify Code of Grants to enable schemes in Kerala to get assistance from the Marketing Development Fund	78
2703	फिनलैंड को निर्यात किए गए हथकरघा कपड़े के लिये टैक्सटाइल आयुक्त द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र	Certificate given by Textile Commissioner on Handloom Fabrics Exported in Finland	78
2704	धागे के अधिक मूल्य के बारे में केरल हथकरघा निर्यात संगठन का ज्ञापन	Memorandum from Kerala Handloom Export Organisation re: High Price of Yarn.	78–79
2705	रोहतास उद्योग को वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण	Loan received by Rohtas Industries from Financial Institutions	79–80
2706	विदेशी फिल्मों का आयात	Import of Foreign Films . .	80
2708	नियन्त्रित कपड़े का उत्पादन और वितरण	Production and Distribution of Controlled Cloth . .	80–81
2710	सरकारी कम्पनियों में आम जनता को शेयर देना	Giving Shares in Government owned Companies to General Public	81
2711.	भारत में मुद्रा स्फीति	Infilation in India . . .	81

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2713	डालर के अवमूल्यन का अमरीकी पर्यटकों के भारत आने पर पड़ने वाला प्रभाव	Effect of Dollar Devaluation on the flow of American Tourism to India	82
2714	पांचवीं योजना के दौरान समुद्र के किनारे विश्राम स्थलों (सी-साइड रिजार्टस) का विकास	Development of Sea Side Resorts during Fifth Plan .	82
2715	काण्डला निबधि व्यापार जोन से निर्यात में कमी	Decline in Exports from the Kandla Free Trade Zone .	82
2716	देश में आलीशान होटलों के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Construction of Posh Hotels in the Country	82–83
2717	हीरा मिल लिमिटेड, उज्जैन में कार्डिग और फ्रेम सैक्शनों में लगी आग से हुई हानि	Loss by Fire in Carding and Frame Section of Hira Mill Ltd., Ujjain . . .	83
2718	कुछ बीमा कम्पनियों द्वारा शोषण	Exploitation by certain insurance companies . . .	83–84
2719	दिल्ली में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे मारना	Raids by Income-tax Authorities in Delhi . . .	84
2720	भारत को मिले विदेशी ऋणों पर विदेशी मुद्राओं के मूल्यों में परिवर्तन का प्रभाव	Impact of change in values of International Currencies on India's Foreign Debt . .	85
2721	देश के बेरोजगार विमान चालकों को रोजगार देने हेतु कार्यवाही	Steps to provide Employment to unemployed pilots in the country	85–86
2722	विदेशों की यात्रा पर गये प्रतिनिधि मंडल	Delegations to Foreign countries	86
2723	निषिद्ध वस्तुओं की बरामदगी	Seizure of Contraband Goods	86
2724	भारत में 75 सर्वाधिक समृद्ध परिवारों की सम्पत्ति का मूल्यांकन	Assessment of Wealth of Top 75 Families in India . .	86
2725	भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाये जाने वाले होटलों में 1972 के दौरान हुआ लाभ/हानि	Profit/Loss on Hotels run by ITDC during 1972 . .	86–87
2726	अभ्रक के निर्यात के लिये गिरिडीह और मद्रास स्थित खनिज तथा धातुओं व्यापार निगम के कार्यालयों द्वारा प्राप्त किये गये आदेश	Value of Orders received by MMTC Offices in Giridih and Madras for Export of Mica .	87
2727	इण्डियन आक्सीजन लि० द्वारा शेयरों का जारी किया जाना	Issue of shares by Indian Oxygen Ltd.	88

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2728	स्टेट बैंक आफ इंडिया, युनाइटिड कमर्शियल बैंक, युनाइटिड बैंक आफ इण्डिया तथा बैंक आफ इंडिया द्वारा उड़ीसा में छोटे कृषकों और व्यापारियों को दिया गया ऋण	Loan advanced by State Bank of India, United Commercial Bank, United Bank of India and Bank of India to Small Agriculturists and Businessmen in Orissa . . .	88
2729	यू फोम के निर्माण के लिये मशीनों का आयात	Import of Machinery for Manufacture of U-Foam . .	89
2730	पांचवीं योजना के दौरान विकसित करने हेतु उड़ीसा में चुने गये पर्यटन स्थल	Tourist spots in Orissa selected for development during Fifth Plan	90
2731	भारत द्वारा अफ्रीकी और एशियामें देशों को किये जाने वाले निर्यात में कमी	Decline in India's exports to African and Asian Countries	90
2732	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को कार खरीदने के लिये ऋण	Grant of Loans to Central Government employees for purchase of cars . . .	90
2733	रिजर्व बैंक आफ इंडिया में नये कर्मचारियों की भर्ती	Recruitment of fresh employees in R.B.I., New Delhi . .	91
2734	भारतीय रिजर्व बैंक में उच्च श्रेणी लिपिकों, निम्न श्रेणी लिपिकों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या	Strength of UDC's, LDC's and Class IV employees in RBI, New Delhi . . .	91
2735	क्लियरिंग हाउसेज की स्थापना	Setting up of Clearing Houses	92
2736	राष्ट्रीयकृत बैंकों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मकान बनाने हेतु मंजूर किया गया ऋण	Loans sanctioned to Class IV Employees of Nationalised Banks for building Houses .	92
2737	रिजर्व बैंक आफ इंडिया आफिसर कैडर रिव्यू कमेटी की स्थापना	Setting up of Reserve Bank of India Officer Cadre Review Committee . . .	92
2738	बंगलौर से दिल्ली तक की उड़ान के समय में परिवर्तन करने का प्रस्ताव	Proposal to change the timings of Bangalore flight to Delhi .	92–93
2739	कम्पनियों को अपनी पूंजी में वृद्धि करने की अनुमति देना	According of consent to companies to raise capital . .	93
2740	पर्यटन केन्द्रों और आकर्षणों से सम्बद्ध ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध करवाने वाले साहित्य का अभाव	Lack of Tourist Literature with Historical background of Tourist spots and Objects .	93–94
2741	विदेशी सहायता	Foreign Aid	94
2742	भारत और चेकोस्लोवाकिया के बीच व्यापार करार	Trade Agreement between India and Czechoslovakia . .	95

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2743	प्रथम ग्रेड के एरोड्रोम आपरेटरों (सलेक्शन ग्रेड) को स्थाई करना	Confirmation of Aerodrome operators Grade I (Selection Grade)	95
2744	चौथी योजना में छोटी बचतों के लक्ष्य	Targets of Small Savings in Fourth Plan . . .	96
2745	गैर पारम्परिक वस्तुओं का निर्यात	Export of non traditional items	96–97
2746	योरुपीयन एयर बस के निर्माताओं द्वारा अपने विमानों की बिक्री के लिये पेशकश	Offer from manufacturers of European Airbus for sale of their Planes . . .	97
2747	चाय बोर्ड द्वारा चाय की नीलामी	Auction of Tea by Tea Board	98
2748	सरकारी उपक्रमों के अंशकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति	Appointment of Part time Chairmen of Public Sector Undertakngs	98
2749	सरकारी उद्यम ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा दौरों पर किया जाने वाला व्यय	Expenditure on tours undertaken by Officers of Bureau of Public Enterprises . .	98–99
2750	अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जूट उद्योग के अस्तित्व को कृत्रिम धागों के प्रयोग के कारण खतरा	Danger to Survival of Jute Industry in International Market due to Synthetics . .	99
2751	बड़े व्यापार गृहों के प्रतिनिधियों द्वारा अमरीका और स्विटजरलैंड की यात्रा	Visits by Representatives of Big Industrial Houses to USA and Switzerland . . .	99–100
2752	भारतीय पंखों के निर्यात व्यापार में गिरावट	Decline in Export Trade of Indian Fans . . .	100
2753	चोरी छिपे लाये गये माल का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Goods .	100–101
2754	बंगलादेश को बीड़ियों का निर्यात	Export of Beedi to Bangladesh	101
2755	भारत में विदेशी कम्पनियों द्वारा धन का विदेशों में भेजा जाना	Remittances by Foreign Companies in India . . .	101
2756	हस्तकला और हथकरघा उद्योग कि वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के लिये अनुदान संहिता में परिवर्तन करना	Modifying the Code of Grants to Suit the Promotion of Handicrafts and Handloom Items	101
2758	ग्रामीण और नागरीय क्षेत्र में बैंकों की नई शाखायें खोलने का अनुपात और गांवों तथा शहरों में बैंकों में नियुक्ति के लिये अधिकारियों के उचित प्रशिक्षण की योजना	Ratio Adopted to Operate New Branches of Banks in Rural and Urban Areas and Plan for Proper Training of Officers to Man Rural and Urban Banks . : . .	102
2759	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा हथकरघा बुनकरों को अधिकतम ऋण दिया जाना	Grant of Maximum Loans for Handloom Weavers by Nationalised Banks . . .	102

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2760	1960 के बाद सेवानिवृत्ति प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को पारिवारिक पेंशन	Family Pension to Pensioners who Retired after 1960 . .	102
2761	फटे पुराने कपड़ों का आयात	Import of Shoddy Clothes .	103
2762	शाडी पुलर्स (रद्दी ऊन का धागा बनाने वालों) को कच्चा माल	Raw Material for Shoddy Pullers	103
2763	भारत बंगालदेश के बीच रुपयों में व्यापार	Indo Bangla Rupee Trade .	103
2764	निर्यात वृद्धि के लिये निर्यात अनिवार्यता	Compulsion to boost Export	104
2765	गिनी के साथ संयुक्त उपक्रम	Joint Ventures with Guinea	104
2766	पटसन की अर्थ नीति से सम्बन्धित समस्याएं . . .	Problems of Jute Economy	104
2767	पश्चिम बंगाल को संकट ग्रस्त तथा बन्द पड़े चाय बागानों के लिये वित्तीय सहायता . . .	Financial Assistance to West Bengal for taking over sick and closed Tea Plantations .	105
2768	कलकत्ता हवाई अड्डे पर इन्टरनेशनल एयर टर्मिनल बिल्डिंग का कम उपयोग	Under utilisation of International Air Terminal Building at Calcutta Air Port . .	105
2769	भविष्य निधि की राशि को डाक घर सावधि जमा खातों में रखने के लिये अनुरोध	Requests for Investment of Provident Fund Amount in Post Office Time Deposits . .	105
2770	महाराष्ट्र में पोषक विमान सेवायें	Feeder Air Services in Maharashtra	105–106
2771	दार्जिलिंग चाय के उत्पादन में कमी	Decline in the Production of Darjeeling Tea . . .	106
2772	विमानों से यात्रा करने के हकदार केन्द्रीय सरकार के अधिकारी	Entitlement of Central Government Officers to travel by Air	106–107
2773	आर्थिक शक्ति का एकीकरण रोकने के लिये उठाये गए कदम	Steps taken to check concentration of Economic Power .	107–108
2774	विश्व बैंक से ऋण तथा इस वर्ष इसका राज्यों के बीच नियतन	Loan from World Bank and its Allocation to States during this year	108–109
2775	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में हिन्दी अधिकारियों का चयन	Selection of Hindi Officers in Department of Central Excise	109
2776	सरकारी क्षेत्र में स्वदेशी पूंजी और औद्योगिक उत्पादन	Domestic Investment and Industrial Production in Public Sector	109–110

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2777	करेंसी नोटों के लिये प्रयुक्त कागज की किस्म	Quality of Paper used in Currency Notes . . .	110
2778	भारत में आने वाले पर्यटकों को स्थिति में अन्तर	Change in the pattern of Tourists Visiting India . . .	110-111
2779	हिन्दुस्तान केमिकल्स लिमिटेड हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाईटस और लुब्रिजोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा मंजूरी में वृद्धि के लिये श्रमिक संघों के साथ किये गये समझौते	Arrangements entered into by Hindustan Chemicals Limited Hindustan Insecticides and Lubrizol India Limited with Trade Unions regarding Wage increase	111
2780	दोषी करदाताओं के लिये ठीक विवरणीयों के भेजने की योजना	Scheme for correct submission of returns by erring tax payers	111-112
2781	इंडियन एयरलाइंस के एक विमान (बोइंग 737) के 3 फरवरी, 1973 को दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति के बारे में जांच	Enquiry into the Accident involving an Aeroplane (Boeing 737) of Indian Airlines on 3-2-1973	112
2782	भारत और नेपाल के बीच व्यापार सम्बन्ध	Trade relations between India and Nepal	112-113
2783	एशिया 72 की समाप्ति के पश्चात् उसे इण्डिया फेस्टिवल में बदला जाना	Asia 72 after Termination converted into India Festival	113
2784	इलेक्ट्रोनिक्स में एक निर्यात प्रोसेसिंग जोन की स्थापना	Setting up of an Export processing Zone in Electronics . .	113
2785	रूई के उत्पादन में कमी	Decrease in the production of Cotton . . .	114
2786	निर्यात विकास योजनाएं तैयार करना	Formulation of Export Development Plans . . .	114
2787	सूती कपड़ा उद्योग के लिये एक नए वित्त संगठन की स्थापना	Setting up of a New Financial Organisation for the Cotton Textile Industry . . .	114
2788	दिल्ली में आयकर और धनकर से प्राप्त राजस्व	Revenue from Income Tax and Wealth tax in Delhi . .	114-115
2789	संश्लिष्ट और मिश्रित कपड़े को मूल्य नियंत्रण प्रणाली के अधीन लाने का प्रस्ताव	Proposal to bring synthetic and mixed fabrics under Price Control System . . .	115
	अविलम्बनिय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	हथकरघा और विद्युत करघाउद्योग में संकट का समाचार	Reported Crisis in Handloom and Powerloom industries	

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री के० एस० चावड़ा	Shri K. S. Chavda . .	115
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D. P. Chattopadhaya	115–122
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	122–127
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee . .	127
29 वां प्रतिवेदन	Twenty-ninth Report . .	127
सभा का कार्य	Business of the House . .	127–128
एयर इंडिया में हड़ताल के बारे में वक्तव्य	Statement re. Strike in Air India	
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh . .	129–130
रेलवे बजट, 1973-74—सामान्य चर्चा	Railway Budget, 1973-74—General Discussion	
श्री महेन्द्र सिंह गिल	Shri Mohinder Singh Gill .	130
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	130
श्री एस० एम० सिद्दैय्या	Shri S. M. Siddayya . .	131–132
श्री ए० पी० शर्मा	Shri A. P. Sharma . .	132
श्री पट्टाभिरामाराव	Shri Pattabhi Rama Rao .	132–133
श्री प्रसन्नभाई मेहता	Shri P. M. Mehta . .	133
प्रो० नारायण चन्द्र पारासर	Prof. Narain Chand Parashar	133–134
श्री गेंदा सिंह	Shri Genda Singh . .	134
श्री राम भगत पासवान	Shri Ram Bhagat Paswan .	134–135
श्री धामनकर	Shri Dhamankar . .	135
श्री नवल किशोर सिन्हा	Shri Nawal Kishore Sinha .	135–136
श्री अम्बेश	Shri Ambesh . .	136–137
श्री पन्नालाल बारूपाल	Shri Pannalal Barupal . .	137
श्री उमेद सिंह राठिया	Shri Umed Singh Rathia .	137
श्री साधू राम	Shri Sadhu Ram . .	138
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar .	138
श्री आर० एन० बर्मन	Shri R. N. Barman . .	138
श्री ललित नारायण मिश्र	Shri L. N. Mishra . .	138

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
संविधान (संशोधन) विधेयक—श्री ए० के० गोपालन का (अनुच्छेद 19, 22 आदि का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Articles 19, 22 etc.) by Shri A. K. Gopalan	
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	139
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary	139–141
मृत्यु दंड उत्सादन विधेयक—श्री नरेंद्र कुमार सांघी का	Abolition of Capital Publishment bill by Shri N. K. Sanghi	
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी	Shri N. K. Sanghi .	141
श्री एस० पी० भट्टाचार्य	Shri S. P. Bhattacharyya	144
श्री राम रतन शर्मा	Shri R. R. Sharma .	144
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga . .	144
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe	144
श्री ई० आर० कृष्णन्	Shri E. R. Krishnan . .	145
श्री सी० एच० मोहम्मद कोया	Shri C. H. Mohamed Koya .	145
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	145–146
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	146
श्री अमर नाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidyalankar .	147
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary . .	147
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen . .	147–148
श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र	Shri Teja Singh Swatantra .	148
श्री रामजी राम	Shri Ramji Ram . .	148
श्री बी० के० दास चौधरी	Shri B. K. Das Chowdhury .	148–149
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha .	149
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour discussion .	149
हरियाणा के मुख्य मंत्री पर आरोप	Charges against Haryana Chief Minister	
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	149–150
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha .	151–152

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 9 मार्च, 1973/18 फाल्गुन 1894 शक
Friday, March 9, 1973/*Phalguna* 18, 1894 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

लीड बैंक योजना के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा की गई प्रगति

*261. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रारम्भ की गई लीड बैंक योजना के बारे में सन्तोषजनक प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त योजना के कार्य में तीव्र गति से प्रगति करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

लीड बैंक योजना में यह परिकल्पना की गयी है कि एक वाणिज्यिक बैंक, उस जिले में, जो उसे दिया गया हो अपनी प्रशिक्षित जनशक्ति, व्यापार क्षमता तथा उपलब्ध आधारभूत ढांचे की सीमाओं के अन्तर्गत बैंक सुविधाएं प्रदान करने में नेतृत्व करते हुए, अपने नेतृत्व सम्बन्धी उत्तरदायित्व निभाएगा । यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह वाणिज्यिक बैंकों को जो भूतकाल में विकास के लिये बड़े पैमाने पर उधार देने के अभ्यस्त नहीं है, सौंपा गया नया उत्तरदायित्व है, यह कहना ठीक न होगा कि यह योजना सन्तोषजनक रूप से नहीं चल रही है ।

2—2 LLS(ND)/73

अधिकांश बैंकों ने उन जिलों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है, जो उन्हें आबंटित किये गये थे, और 302 मामलों में रिपोर्टें उपलब्ध हैं। बैंकों ने 223 जिलों में सलाहकार समिति स्थापित की है हैं और वे जमा की रकमें जुटाने तथा अब तक उपेक्षित क्षेत्रों में ऋण सुविधाओं का विस्तार करने के लिये उपाय कर रहे हैं। इनके कार्य की भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार दोनों के द्वारा समय समय पर जांच की जाती है।

Shri K. M, Madhukar: The nationalized banks have prepared a Lead Bank Scheme for improving the conditions of the farmers and it is said that a survey has been conducted in this direction. So far as I know the farmers have not been benefitted by this lead bank scheme in Champaran, Muzaffarnagar and Darbangha Districts. I want to know whether the Government have made a review in this regard to know the progress made under this scheme so far. I also want to know the reasons why people are not being benefitted by this scheme and the action Government intend to take in this connection?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे उन जिलों के बारे में जानकारी नहीं है जिनके बारे में माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है.. (**अन्तर्बाधाएं**) मेरे विचार से यह प्रश्न लीड बैंक योजना के कार्यों को जानने और समस्त देश में इसके विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है।

लीड बैंक योजना की प्रगति बहुत धीमी है। मैं इस बात से आप से सहमत हूं क्योंकि केवल दो मामलों में उक्त योजना ने प्रगति की है। वह है सम्बद्ध जिले में प्रभावकारी सर्वेक्षण की तैयारी करना। मेरे विचार से इस प्रभावकारी सर्वेक्षण का मुख्य अभिप्राय बैंकों की शाखाओं की स्थापना के लिये विकास केन्द्रों का पता लगाना था। लेकिन मैं लीड बैंक योजना को तभी सफल समझूंगा जब वे जिले के लिये कुछ विकासशील योजना तैयार करने में समर्थ हों और स्थानीय विकासशील एजेंसियों से समन्वय स्थापित करें और उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से, यदि वे जिले में सब अन्य वित्तीय संस्थानों की गतिविधियों से सहयोग और समन्वय करते हैं और इसको आगे बढ़ाने की व्यवस्था करते हैं तो लीड बैंक योजना सफल समझी जायेगी। मैं यह नहीं कहूंगा कि यह योजना अब इस अवस्था में पहुंच गई है। निश्चित रूप से वे उन क्षेत्रों में जा रहे हैं और वे उन क्षेत्रों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं जिनमें वे इस कार्य को आरम्भ कर सकते है। अतः उन्होंने यह प्रारम्भिक कार्य पुरा कर लिया है। यदि इस सम्बन्ध में कोई विशेष समस्याएं अथवा कठिनाइयां होंगी तो मैं निश्चित रूप से उनकी जांच करूंगा। मैं इस बात से इंकार नही करता। आप चम्पारन आदि स्थानों के बारे में मुझे बताये। मैं इस बारे में जांच करूंगा।

Shri K. M, Madhukar : I am thankful to the Minister for admiting that there is slow progress. I want to know what co-ordinated efforts have been made in this regard?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस प्रकार का सहयोग प्राप्त करते के लिये उन्वोंने 200 जिलों में समन्वय समितियां स्थापित की हैं। उनका बैंकों और सहकारी समितियों आदि से सम्पर्क रही है। इन समन्वय समितियों का जिले में राज्य सरकारों की विकास एजेंसियों से सम्पर्क रहता है। हमने उन्हें ये निदेश जारी किये हैं कि वे ऐसा करना जारी रखें। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये मेरी विभिन्न क्षेत्रों में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई है। मेरी पूर्व क्षेत्र के अतिरिक्त सब राज्यों के प्रातनिधियों से बातचीत हुई है। मैं शीत ऋतु आदि के आरम्भ पूर्वी क्षेत्र में नहीं जा सका हूं। लेकिन यदि इस बजट सत्र के दौरान मुझे कुछ समय मिलेगा तो मेरा वहां चर्चा के लिये जाने का विचार है। इस बातचीत के दौरान हमने यह निर्णय किया है कि जिला स्तर पर समन्वित एजेंसी की स्थापना पर्याप्त नहीं है लेकिन राज्य सरकारों के स्तर पर इस बारे में निदेश जारी किये जाने चाहिये और इसके लिये हमें राज्य स्तर पर एक प्रकार की परिषद् अथवा समन्वित ग्रुप की स्थापना करनी होगी जो इस मामले में निदेश दे सकें। इस सम्बन्ध में हमने कुछ कार्यवाही की है।

Shri Nar Singh Narain Pandey : I want to know whether the Government will consider to associate the MPs and MLAs in the 223 District Consultative Committees they have formed so that the daily requirements of the people may be met. Secondly, I want to know whether the Government is aware of the fact that one crore weavers who work with powerlooms and regarding whom survey has been made in North Bihar, Punjab, Haryana, Andhra and Madhya Pradesh, could not be helped because these lead banks have less staff in all those regions. Gorakhpur, Faizabad, Azamgarh and Haryana are in the same position. I want to know whether the hon. Minister will make some such arrangements so that the Reserve Bank staff may be posted in this Districts to help them.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने दो मामलों उठाये हैं। मैं उनके बारे में उत्तर दूंगा। उनका पहला प्रश्न संसद सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों को स्थानीय मंत्रणा समिति से सम्बद्ध करने की है। यदि यह अनौपचारिक है, तो मुझे इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है। निश्चित रूप से मैं इस अनौपचारिकता को पसन्द करूंगा। परन्तु यदि यह औपचारिक हो जाता है तो मेरे लिये कुछ कहना कठिन होगा। यदि आप अनौपचारिक रूप से भाग लेंगे तो मैं हर प्रकार की सहायता देने के लिये तैयार हूं।

जहां तक बुनकरों का सम्बन्ध हैं, केवल बैंकिंग प्रणाली पर बहुत अधिक निर्भर करने से समस्या हल नहीं होगी। मैंने इन समस्याओं का अध्ययन किया है। मैंने उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों का दौरा किया है और मुझे अपने राज्य में बुनकरों की समस्या की कुछ जानकारी है। उनको ऋण देना महत्वपूर्ण है लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण उन्हें उचित समय पर उचित सूत की सप्लाई करना है। दूसरा पहलू, जो बहुत आवश्यक है वह है विपणन। केवल बैंकिंग प्रणाली से इन समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता। मैंने इस बारे में राज्य सरकारों से पत्र-व्यवहार किया था। मैंने कुछ मुख्य मंत्रियों को लिखा था कि वे इन दो महत्वपूर्ण पहलुओं —सूत की सप्लाई और उत्पादों की बिक्री के लिय मंडी की व्यवस्था करें और मैं इस बात को देखने के लिये तैयार हूँ कि बैंकों द्वारा क्या प्रभावकारी योगदान दिया जा सकता है। यदि आप इस सम्बन्ध में पूर्णतया बैंकिंग प्रणाली पर ही निर्भर करेंगे तो ऐसा करना बैंकिंग प्रणाली से बहुत अधिक आशा रखना होगा।

श्री जगन्नाथ राव : उड़ीसा में स्टेट बैंक आफ़ इंडिया इस मामले में अगुआ बनने सफल नहीं हुआ हैं। वह कोई शाखाएं नहीं खोल रही है जबकि आंध्र बैंक जो एक गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक है, अगुआ बन गया है। क्या रिजर्व बैंक द्वारा स्टेट बक को धीमे काम करने के कोई निदेश जारी किये गये हैं अथवा ऐसा इसलिये हुआ है कि एजेंट इस मामले में पहल नहीं कर रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह काफी कठिन प्रश्न है। मैं यह नहीं मानता कि स्टेट बैंक आफ इंडिया इस सम्बन्ध में रूचि नहीं ले रहा है। लेकिन उड़ीसा का बैंकिंग सम्बन्धी मामलों में उड़ीसा के बारे में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हाल ही में हमने अतिरिक्त सचिव को अधिक विस्तार से चर्चा करने के लिये वहां भेजा था और इस बारे में कुछ कार्यक्रम भी तैयार किये गया हैं।

श्री आर० आर० शर्मा : मूल प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा था कि लीड बैंकों की प्रगति की गति धीमी है लेकिन विवरण में यह कहा गया है कि "यह निरन्तर प्रक्रिया है और यह कहना ठीक नहीं होगा कि लीड बैंकों ने संतोषजनक प्रगति नहीं की है"। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि क्या वह "कोई प्रगति न होने" "संतोषजनक प्रगति होने" और "धीमी प्रगति" में अन्तर नहीं समझते हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं निश्चित रूप से इनमें कुछ अन्तर देखता हूं। यदि माननीय मंत्री को इसमें कोई अन्तर नज़र नहीं आता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री भागवत झा आजाद : लीड बैंकों की विचारधारा का स्वागत करते हुए, चूंकि यह अभी प्रारम्भिक अवस्था में है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इसके लिये कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये है और यह योजना प्रारम्भिक अवस्था को कब तक पार कर लेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मैं यह कहूंगा कि कुछ जिलों में उक्त योजना को सफलता मिली है लेकिन कुछ जिलों में उक्त योजना को अधिक सफलता नहीं मिली है। यह देखना ही आवश्यक नहीं है कि हम विकास क्षेत्रों का ही पता लगाये और वहाँ शाखाएं खोलें लेकिन यह अच्छा होगा कि हम उनके लिये कार्यवाही का कार्यक्रम तैयार करें। कुछ जिलों में प्रयास किये गये हैं और कुछ जिलों में उन्हें सफलता मिल सकती है। लेकिन मैं ऐसा सब जिलों के बारे में नहीं कह सकता।

छोटे करदाताओं से आयकर वसूल करने पर व्यय

*263. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में किये गये अध्ययन से पता लगा है कि कुल राजस्व में उच्च आय वाले वर्ग की तुलना में निम्न आय वाले वर्ग से प्राप्त होने वाले आयकर की वसूली की लागत की प्रतिशतता बहुत अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के सही निष्कर्ष क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) तथा (ख) सन् 1970 में एक आजमाइशी अध्ययन किया गया था। अध्ययन के विषय-क्षेत्र और निष्कर्षों के बारे में एक विवरण-पत्र सदन-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1970 में, लोक लेखा समिति (चौथी लोक सभा) की 117 वीं रिपोर्ट के पराग्राफ 1.10 के आधार पर एक अध्ययन किया गया था। यह अध्ययन पश्चिम बंगाल, बम्बई नगर, गुजरात, दिल्ली और मद्रास कार्य-क्षत्रों के दो प्रतिनिधि रेंजों/सर्किलों के बारे में किया गया था, जिनमें से एक रेंज में 15,000 रु० और उससे ऊपर की व्यापारिक आय के अपेक्षाकृत बड़े मामले थे और दूसरे रेंज में शेष साधारण मामले थे, अर्थात् 15,000 रु० से कम की व्यापारिक आय के मामले और वापसी के मामले आदि। इन दो प्रकार के मामलों को "बड़ी आय वाले मामले" और "छोटी आय वाले मामले" की संज्ञा दी गयी। वर्ष 1968-69 और 1969-70 के सम्बन्ध में किए गए इस आजमाईशी अध्ययन मे एकत्रित आंकडे नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष और मामलों की किस्म	मामलों की संख्या	जारी की गई मांग (हजार रु० में)	वसूली का खर्च (हजार रु० में)	प्रति मामला व्यय (रु०)	जारी की गई मांग का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1968–69					
(i) बड़ी आय वाले मामले .	117,231	38,46,62	33,03	191.63	0.86
(ii) छोटी आय वाले मामले .	1,96,521	4,62,32	25,77	13.11	5.57
1969–70					
(i) बड़ी आय वाले मामले .	21,676	48,14,34	37,39	172.41	0.78
(ii) छोटी आय वाले मामले .	2,12,508	5,30.32	28,71	13.51	5.41

वसूली का खर्च निकालने में कार्यालय के स्थान, इमारतों के रख-रखाव, फर्नीचर, आनुपातिक पर्यक्षण व्ययों आदि पर किया गया खर्च हिसाब में नहीं लगाया गया है, क्योंकि इन खर्च को अलग-अलग निर्धारित करने में व्यावहारिक कठिनाइयां थीं।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : भूतलिंगम आयोग ने कर ढांचे के युक्तिकरण के बारे में यह सुझाव दिया था कि न्यूनतम कर निर्धारण स्तर को बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया जाना चाहिए। इस तर्क के आधार पर कि करों को वसूल करने में 5,000 से 7,500 रुपये खर्च होते हैं और यह खर्च अधिक आय वर्ग की आय निर्धारण करने पर खर्च की जाने वाली राशि से बहुत अधिक है.............इस भारी अन्तर को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार सदन को यह सूचित करेगी कि 5,000 रुपये से 7,500 रुपये की आय वाले वर्ग को आय निर्धारित करने और उनसे आयकर वसूल करने पर वास्तव में कितनी धनराशि खच होती है। भूतलिंगम समिति और सरकार के बीच 5,000 से 7,500 रुपये आय वाले वर्ग के बीच मतभेद है। क्या सरकार इस वर्ग के बारे में तत्संबंधी आंकड़े दे सकती है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य का प्रश्न किये गये सर्वेक्षण के बारे में था। मैं कर निर्धारण सर्वेक्षण के बारे में पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ। 5,000 और 7,500 रुपये के बीच के आय वर्ग के बारे में हमे कोई जानकारी नहीं है।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : उनके बीच चर्चा का विषय केवल यह वर्ग था। 7,500 रुपये से अधिक आय वाले वर्ग के बारे में कोई मतभेद नहीं था।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : भूतलिंगम समिति के प्रतिवेदन के कारण इस बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। वास्तव में प्रयोगात्मक योजना इसलिए आरम्भ की गई थी क्योंकि लोक लेखा समिति कर निर्धारण करना चाहती थी। लोक लेखा समिति की सिफारिश के परिणाम-स्वरुप ही उक्त अध्ययन आरम्भ किया गया था और इस बारे में लोक लेखा समिति को सूचित कर दिया गया था।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह तथ्य स्वीकार कर लिया गया है कि रुपये की क्रयशक्ति लगातार कम होती जा रही है, क्या सरकार यह बतायेंगी कि 1955 में इन 5,000 रुपये का मूल्य क्या था?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह एक उलझाने वाला तर्क है। यदि वह यह कहते कि रुपये का मूल्य कम हो गया है जो तथ्य है तो उसी अनुपात में कर की रुपये की कीमत भी कम हुई है।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : वह अभी भी हमें इस संबंध में आकंड़े दे सकते हैं।

श्री पी० के० देव : केबिनेट स्तर के मंत्रियों के वर्तमान कर मूल वेतन और भत्ते और परिलब्धियां 70,920 रुपये है जो 12,00,977 रुपये की कर योग्य आय के बराबर है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार केबिनट स्तर के मंत्रियों के वेतन और परिलब्धियों को कर योग्य बनाने के प्रश्न पर विचार करगी?

अध्यक्ष महोदय : यह मूल प्रश्न से संबंधित प्रश्न नहीं है?

Shri Atal Bihari Vajpayee : The hon. Minister has just stated that the study was made as a result of the recommendations of the Public Accounts Committee. The Public Accounts Committee was of the view that if more time, money and efforts are made to collect incometax from higher income groups than from lower income groups, the collections may be much more. I want to know what are Government's reaction in this regard?

Shri Yeswantrao Chavan : As a result of it summary assessment is made for the person in lower income group. It has been done by statutory amendment which was supported by all of you. The Government have started work on those lines. The idea behind it, is that with the help of summary assessment the officers may be able to make the assessment of the people in smaller income group in less time and with less expenditure and the time saved in this way might be used for making assessment of the people in bigger income group.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं। अगला प्रश्न श्री ओंकार लाल बेरवा। वह भी अनुपस्थित है। श्री एस० एन० मिश्र, वह भी अनुपस्थित है।

एक माननीय सदस्य : कौन से एस० एन० मिश्र। दोनोंही अनुपस्थित है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एक मारुति मामले वाले तथा दूसरे बालयोगेश्वर मामले वाले।

अध्यक्ष महोदय : जब मिश्रा अनुपस्थित होते हैं तो मुझे खुशी होती है।

मार्केट यार्ड स्कीम के लिए विश्व बैंक से सहायता

*266. **श्री वयालार रवि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन ने भारत में मार्केट यार्ड स्कीम के लिए कोई सहायता देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो यह पेशकश किन शर्तों के अन्तर्गत की गई है; और

(ग) क्या इस पेशकश के बारे में सरकार ने अन्तिम निर्णय ले लिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) बिहार कृषि मंडी परियोजना के लिए मार्च 1972 में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 140 लाख डालर के एक ऋण-करार पर हस्ताक्षर किये गये थे। हाल ही में मैसूर कृषि मंडी परियोजना के लिए 80 लाख डालर के एक ऋण के संबंध में करार किया गया है। उत्तर प्रदेश कृषि मंडी परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण प्राप्त करने के प्रस्ताव पर विचार करने के सिलसिलें में काफ़ी प्रगति हो चुकी है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर कोई व्याज नहीं लगता लकिन 1 प्रतिशत के 3/4 की दर से सेवा-प्रभार देना पड़ता है। ये ऋण 10 वर्ष की रियायती अवधि सहित 50 वर्षों में चुकाये जाने हैं। प्रस्ताविक ऋण कृषि पुर्नवित्त निगम को उधार दिये जायेंगे जो इन ऋणों का उपयोग वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अन्तिम लाभ-भोगियों को दिये जाने वाले ऋणों के पुर्नवित्त पोषण के लिए करेगा। कृषि पुर्नवित्त निगम पुर्नवित्त व्यवस्था करते समय यह तसल्ली कर लेगा जैसाकि यह अपने द्वारा अनुमोदित प्रत्येक परियोजना के मामले में करता है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जिन-जिन मंत्रियों के लिए ऋण प्रदान किये गये ह वे वित्तीय रूप से सक्षम हैं और मंडी-समितियां, मंडी मुल्कों की सहायता से ऋण चुकाने में समर्थ होंगी।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में जो कुछ कहा है उसे देखते हुए यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री वयालर रवि : क्या इस परियोजना के शुरु होने तथा इसका मूल्यांकन होने और उस इस पर चर्चा किए जाने के बाद विश्व बैंक ने सरकार द्वारा खाद्यान्नों का सरकारीकरण करने के बारे में कोई चिन्ता व्यक्त की है। क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के सभापति ने विश्व बैंक को निजी रुप से यह आश्वासन दिया है कि इस नीति का योजना की क्रियान्विती पर प्रभाव नही पड़ेगा ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी नहीं। मेरे विचार में चेयरमन ने कोई आश्वासन नहीं दिया था। वस्तुतः मैंने जांच कराई थी क्योंकि इसके बारे में लोगों ने बहुत आलोचना की थी। यह बिल्कुल निराधार है।

श्री एस० एम० बनर्जी : ब्लिटज में एक लेख छपा था।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वह भी निराधार है। जहाँ तक नीति का संबंध है हमारी चिन्ता का विषय है न कि दूसरों का। स्वभावतः उन्होंने केवल यह जानना चाहा था कि क्या नीति में परिवर्तन होने से योजना के ढाँचे में कोई परिवर्तन होगा और किस प्रकार का विनियोजन आवश्यक होगा तथा योजना विकासक्षम होगी या नहीं। यह पूछताछ केवल प्रासंगिक थी। उन्हें हमारे नीति संबंधी मामलों से कोई सरोकार नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि वे ऐसी कोई जाँच नही कराएँगे और अगर करायेंगे तो भी हम उस पर ध्यान नही देंगे ।

श्री वयालर रवि : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। दिसम्बर में रिपोर्ट आने के बाद इस वर्ष के प्रारम्भ में ही बैठक हुई थी और सरकार ने आपकी नीति की घोषणा कर दी थी लेकिन सभापति को विश्व बैंक में सचिव पद देने की पेशकश की गई थी और वह नियुक्ति की शर्तों को तय करने के लिए सरकारी खर्चे पर वाशिंग्टन गए थे। क्या सरकार ने इसके लिए अनुमति दी थी?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उनके वाशिंग्टन जाने का प्रश्न एक अलग विषय है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या वह सरकारी खर्चे पर गए थे?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी नहीं। वे दिसम्बर में इन्टरव्यू देने के लिए गए थे। वह बैंक के खर्चे पर गए थे। आम तौर पर हम विश्व की सभी सरकारों की भांति यह चाहते है कि हमारे राष्ट्रिक किसी न किसी विश्व संस्था में काम करें। साधारणतः ऐसा राष्ट्र हित में होता है इस मामले में इन्हें इन्टरव्यू के लिए बुलाया गया था और सरकार ने खर्चा नहीं दिया था।

श्री सी० के० चंद्रप्पन : क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने योजना की विकासक्षमता के नाम पर किसी स्तर पर प्रशासनिक सुधार आयोग पर यह दबाव डाला हो कि वह छोटे किसानों की सहायता करने की अपेक्षा बड़े किसानों को सहायता दे और निगम के सभापति जिसको अब विश्व बैंक ने नौकरी देने की पेशकश की है, इसे स्वीकार करने के लिए सहमत हुए हो। 'फ्री प्रेस जर्नल' में ऐसा आरोप प्रकाशित हुआ था ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस विषय का विश्व बैंक में नौकरी देने के विषय के साथ कोई संबंध नहीं है। विशिष्ट ऋण का आश्वासन देने और नौकरी देने की बीच मूलतः कोई संबंध नही है। मैं आपको इस बारे में आश्वासन देता हूं।

श्री सी० के० चंद्रप्पन : क्या ऐसा कोई आश्वासन है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : नहीं, नहीं।

श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा : अनाज के सरकारीकरण के बाद विश्व बैंक ने सहायता देने के लिए कहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग प्रश्न है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार में विश्व बैंक को सहायता देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग प्रश्न है।

श्री बी० वी० नायक : तुंगभद्रा परियोजना को ध्यान में रखते हुए जिससे 5 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की जाएगी और जहां कि विपणन की कोई सुविधा नहीं है मैं यह जानना चाहता हूँ क्या अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से मिल रहे व्याजमुक्त ऋण की सुविधा मार्किट समितियों को दी जाएगी। दुसरे शब्दों में क्या मार्किट समितियों को ब्याज मुक्त-ऋण दकर इनको आत्म-निर्भर बनाने के सिद्धान्त को स्वीकार किया जाएगा ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह बहुत कठिन मामला है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात किए जाने के कारण विदेशी मुद्रा की आय में कमी

*267. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात किये जाने के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की आय में कमी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री गिरिधर गोमांगो : क्या यह आशंका की जा रही है कि इससे निर्यात व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा क्योंकि इस व्यापार में गैर-सरकारी निर्यातक बिना काम के रह जाएंगे और यदि हां तो क्या इस आशंका को दूर करने के लिए राज्य व्यापार निर्यात, आयात के ढाँचे के अन्तर्गत इन व्यक्तियों की सुझबूझ का लाभ उठाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है और यदि हाँ, तो उनकी सेवाएँ किस सीमा तक प्रयोग में लाई जायेंगी।

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : जैसा कि मैंने पहले कहाँ है कि राज्य व्यापार निगम के व्यापार कार्यों में प्रगति हो रही है, 1968 से इनका व्यापार 18-95 करोड़ रुपए से बढ़कर 1972-73 में 50-65 करोड़ रुपए हो गया था। अत: यह सोचना कि राज्य व्यापार निगम सौंपे गए काम को निभाने में सफल नहीं रहा है ठीक नहीं है। इसके विपरित राज्य व्यापार निगम ने निर्यात व्यापार में महत्वपूर्ण कार्य किया है।

श्री गिरिधर गोमांगो : क्या राज्य व्यापार निगम के माध्यम से व्यापार करने का अर्थ इस क्षेत्र से नीजी व्यापारियों को बाहर निकालना है।

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात निर्यात इसलिए किया जाता है ताकि निर्यात के मामले में उद्योग सुचारू ढंग से चलें और उद्योग को बेहतर व्यापार शक्ति मिले और निर्यात के मामले में दीर्घावधि नीति बनाई जा सके। इस निगम के माध्यम से व्यापार करने का अर्थ गैर सरकारी व्यापारियों को बेकार बनाना नहीं है लेकिन संयोगवश ऐसा हो सकता है और होता है।

श्री माधुर्य हाल्दर : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि व्यापार की मात्रा बढ़ गई है और निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जा रहा है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा की आय में भी उसी अनुपात में वृद्धि हुई है अथवा नहीं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : आय में वृद्धि हुई है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कुछ और मदों के निर्यात की भी संभावना है और यदि हां, तो वह मदें कौन सी हैं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जैसा कि मैंने पहले कहा है यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था व्यापार, वाणिज्य और विक्रय एजेंसियों के विस्तार के हित में है।

Shri B. P. Maurya : Will the hon. Minister be pleased to state that whether there has been a decline in the export of certain items in the year 1972-73 as compared to the year 1967 and what are those items?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जी हाँ, कुछ मदों जैसे जूते, सूखी मछली, मानव बाल आदि के निर्यात में थोड़ी कमी आई है किन्तु इसके लिए कुछ विशेष कारण उत्तरदायी हैं ?

श्री रामसहाय पांडे : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ऐसी मदों के निर्यात करने पर विचार कर रही जो कि अभी तक निर्यात नहीं की गई है । उनमें विदेशी मुद्रा कमाने की पर्याप्त क्षमता है । क्या सरकार ऐसी मदों के सर्वेक्षण के लिए समिति बनाएगी जिसके द्वारा हम अधिक विदेशी मुद्रा कमा सके ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : माननीय सदस्य का प्रश्न है कि क्या हम संभाव्य मदों के निर्यात के प्रश्न पर उचित रूप से विचार कर रहे हैं । मेरा उत्तर है, जी हाँ हम, इस बारे में उचित रूप से विचार कर रहे हैं ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि इस प्रक्रिया से कुछ लोग बेरोज़गार हो जाएंगे तो क्या इन लोगों को राज्य व्यापार निगम में या कहीं अन्य काम पर लगाया जाएगा ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यदि कुछ लोगों के बेकार हो जाने की स्थिति में उनको नौकरी देने की बात की गई थी; पर यह आकस्मिक है । यह हमारा मुख्य अभिप्राय नहीं है। हमारा मुख्य अभिप्राय वाणिज्य संवर्द्धन है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has stated that the performance of the S.T.C. has gone upward. I want to know how much profit it has earned. Is it a fact that the finished goods are purchased at cheaper rate from cottage and small scale industries but are being sent abroad at higher rate but the small scale industries do not get the reasonable profit. I wish to know what step Government is taking to see that they get reasonable profit.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जैसा कि मैंने पहले कहा है राज्य व्यापार निगम के माध्यम से व्यापार करने का अर्थ लघु उद्योगों की स्थिति को मज़बूत बनाना है । साथ ही इससे उनको तथा सुगठित क्षेत्रों और बड़े निर्यातकों को इतना लाभ होगा जितना कि उनको सीधे निर्यात से नहीं होता है ।

श्री भागवत झा आजाद : मंत्री महोदय द्वारा बताई गई वृद्धि से हमें राज्य व्यापार निगम की वास्तविक प्रगति का पता नहीं चलता जब तक हमें उसकी आय की प्रतिशतता की पिछले वर्ष से तुलना न करें । क्या यह सच नहीं है कि उनकी आय में पिछले वर्ष की अपेक्षा पूर्ण रूपेण वृद्धि हुई है किंतु यह राज्य व्यापार निगम की विदेशी मुद्रा से होने वाली परियोजित आय से कम है ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : समग्रतः यह वृद्धि संतोषजनक है । 1968-69 में 18.95 करोड़ रुपए से बढ़कर 1971-72 में 26.13 करोड़ रुपए, और 1972-73 में 50.65 करोड़ रुपए हो गई । परियोजित आय में भी वृद्धि हुई है । राज्य व्यापार निगम अच्छा काम कर रहा है पर फिर भी इसमें सुधार की आवश्यकता है । हम हर संभव उपाय कर रहे हैं कि इसकी कार्यक्षमता और कार्यकरण में भविष्य में और सुधार हो ।

श्री भागवत झा आजाद : फिर परियोजित आय की प्रतिशतता क्यों कम है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : प्रतिशतता अभी उपलब्ध नहीं है । कुछ क्षेत्रों द्वारा किए जाने वाले निर्यात में कमी होने के कुछ उचित कारण हैं । कमी परिवहन संबंधी कठिनाइयाँ होती हो तो कमी खाड़ीवाले क्षेत्रों में निर्यात करने में दिक्कत होती है । ऐसे क्षेत्रों में जहाँ

मछली नहीं मिलती वहाँ अपने देश में ही उसकी इतनी मांग रही है कि मछली की निर्यात पहले अनुपात में नहीं किया जा सकी । मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ कि राज्य व्यापार निगम के कार्यव्यापार में प्रगति होनी चाहिए और मुझे आशा है कि इसका कार्यकरण भविष्य में सुधरेगा ।

जापान के सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा भारत के मालवाही पोत से पकड़ी गई अफीम

*268, **श्री सरदीश राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 नवम्बर, 1972 को जापान के सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा भारत के एक मालवाही पोत से योकोहामा में पकड़ी गई 5.6 किलोग्राम कच्ची अफिम के बारे में कोई जाँच की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त मामले के तथ्य क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार द्वारा (अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस), टोकिओ सें प्राप्त सूचना के अनुसार जापान सरकार के नार्कोटिक्स तथा सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा 20 नवम्बर, 1972 को योकोहामा बन्दरगाह पर एक भारतीय जलयान से 5.99 किलोग्राम अफीम पकड़ी गई थी ।

(ख) जापान सरकार के सीमाशुल्क अधिकारियों के साथ नार्कोटिक्स नियंत्रण प्राधिकारियों ने 20 नवम्बर, 1972 को योकोहामा बन्दरगाह पर खड़े जलयान पर छापा मारा और इंजीन कक्ष में शाफ्ट के नीचे छिपे एक ब्रीफकेस को पाया जिसमें 5.99 किलोग्राम अफ़िम थी । इस संबंध में निम्नलिखित तीन भारतीय नाविकों को गिरफ्तार किया गया :—

(1) आइज़क अब्राहम रेमंड, बम्बई का निवासी ।

(2) मुखाल जोजफ बिश्वनाथ, कलकत्ता का निवासी ।

(3) उम्रीगर जोगीबाही लालूभाई, सूरत (गुजरात) का निवासी ।

गिरफ्तार किये गये तीन भारतीय नाविकों के विरुद्ध योकोहामा जिला न्यायालय में मुकदमा चलाया जा रहा है ।

(ग) उनके दोषी ठहराये जाने के विषय में सूचना प्राप्त होने पर उनके बर्खास्तगी प्रमाणपत्र की सतत संख्या (Continuous Discharge Certificate Numbers) तथा पंजीयन संख्या (Registration Numbers) को रद्द कराने के लिए समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री सरदीश राय : क्या भारतीय जलयानों से दूसरे देशों को अफ़ीम की तस्करी के संबंध में सरकार को कोई सूचना मिली है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : दूसरे देशों में भी अफ़ीम की तस्करी होती है । इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह भारत के हित में उचित नहीं है ।

श्री सरदीश राय : भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुसरण में भारत सरकार ने बहुत से कदम उठाये हैं । इनकी लम्बी सूची है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं इसे उन्हें दे सकता हूँ ।

Shri Sarjoo Pandey : There is a large scale opium smuggling in India. There are rare instances of opium smuggling in foreign countries because the prices of the opium they have fixed in their countries is very high. Opium is very cheap in India as compared to its cost in foreign countries. May I know whether, besides other measures the Government of India have considered raising the price of opium?

Mr. Speaker : There is no question of price here. Here is a point of the arrest of smugglers. Such supplementaries may lead to many more things.

Shri Atal Bihari Vajpayee: Mr. Speaker, Sir, The question is regarding the place where the opium was put in the freighter. The point is whether it was smuggled from India or was brought in the freighter from some other port of the route?

Mr. Speaker : This will be decided by Yakohama Port.

Shri Sarjoo Pandey : What about increasing the prices.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह एक सुझाव है ।

भारत के मंदिरों में रखे स्वर्ग तथा आभूषणों का मुल्यांकन

*269. **श्री भोला मांझी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के मंदिरों में रखे कुल स्वर्ण और आभूषणों का अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकलते हैं; और

(ग) क्या इस धन का उपयोग लोक हित में उत्पादन कार्यों के लिए करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : 30 जून, 1972 की स्थिति के अनुसार मंदिरों सहित धार्मिक संस्थानों द्वारा (स्वर्ण नियंत्रण) अधिनियम, 1968 की धारा 16 के अन्तर्गत सभी रूपों में 13,879 किलोग्राम सोना घोषित किया गया। इस मात्रा में वह सोना शामिल नहीं है जो इस प्रकार के किसी संस्थान द्वारा अधिनियम की धारा 16(5) में विनिर्दिष्ट छूट सीमा के भीतर रखा जा सकता है और जिसके लिए कोई घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। इस मात्रा में स्वर्ण जवाहरात भी शामिल हैं; चाहे उसपर पत्थर रत्न अथवा मोती जड़े हों अथवा नहीं। ऐसे संस्थानों के पास सोने से भिन्न रूपों के जवाहरात के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Shri Bhola Manjhi : On the one hand there is a shortage of funds and on the other there is enormous accumulation of wealth with rich people and religious institutions. May I know whether the Government consider to take that wealth to invest it in developmental works, if not the reasons therefor?

Shri Yeshwantrao Chavan : We will have to think separately regarding religious institutions and trusts. This is a question of general policy. I can not say anything about it at this stage.

Shri Shashi Bhushan : Sir, Twenty crores of people in our country live half naked and half fed. There is a huge accumulation of wealth with the Temples, Mosques, Gurdwaras, Mahants, Trusts and religions institutions. The case of Gwalior is clear to all. May I know whether Government propose to bring a legislation to utilize this wealth for ameliorating the lot of the countrymen so that the God may be relieved of all the burdens?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक न्यासों का संबंध हैं माननीय सदस्य को पता होगा कि हमने अधिनियम में कुछ संशोधन किये है। जहां तक उस सम्पति का प्रश्न है जो केवल देवस्थानों तथा मन्दिरों की है इस मामले पर सावधानी से विचार करना होगा । मैं इस सम्बन्ध में इस समय कुछ नहीं कह सकता ।

श्री के० लकप्पा : मैं ईश्वर का विरोधी नहीं हूं। मैं केवल उन लोगों का विरोधी हूं जो ईश्वर के नाम पर देश के उन लोगों का शोषण कर रहे हैं जिनके पास जीविका-उपार्जन के साधन नहीं

है तथा इन धार्मिक संस्थानों की सम्पत्ति, आभूषण सम्पदा तथा अन्य वस्तुओं से लाभ उठा रहे हैं। मैं अपने राज्य का एक उदाहरण देता हूं। दक्षिण कनारा में ईश्वर के नाम से, धर्मशाला के नाम से बहुत सी सम्पति, आभूषण, सोना चांदी एकत्र कर लिया गया है और प्रबंधक यह बात प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं कि यह निजी सम्पदा है और सभी आभूषणों, सोना चांदी आदि को जो भी इस संस्थान के अधिकार में है, हड़पना चाहते हैं।

इन संस्थानों का राष्ट्रीयकरण करने तथा ईश्वर को सभी झन्झटों से मुक्त कराने तथा देश से आमदाओं और गरीबी को दूर करने के लिए सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है? क्या वित्त मंत्रालय ने इस प्रश्न का कोई उत्तर दिया है कि ऐसे लोगों द्वारा ईश्वर के नाम में लोगों का शोषण रोकने के लिए वे क्या कदम उठा रहे हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक भगवान के नाम में लोगों का शोषण किये जाने के प्रति माननीय सदस्य की भावना का सम्बन्ध है, मैं उनके विचारों से सहमत हूं। प्रश्न यह है कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा सकती है। जहां तक ईश्वर के राष्ट्रीयकरण की बात है, ईश्वर सर्वव्यापी है। राष्ट्रीयकरण का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री के० लकप्पा : मैंने भगवान के राष्ट्रीयकरण की बात नहीं कही है। मैंने यह बात कही है कि ईश्वर के नाम में लोगों ने जो सम्पत्ति, आभूषण, सोना चांदी एकत्र कर रखी है उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह प्रश्न सही है।

अध्यक्ष महोदय : श्री एस० एम० बनर्जी।

एक माननीय सदस्य : वह ईश्वर विरोधी है।

श्री एस० एम० बनर्जी : भगवान ने ऐसे ऐसे बहुत से व्यक्ति पैदा किये हैं। मैं उनका भी विरोधी नहीं हूं।

भगवान के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न नहीं है क्योंकि वह विश्वव्यापी है.....

अध्यक्ष महोदय : वह सर्वव्यापी है।

श्री एस० एम० बनर्जी : सर्वव्यापी कहें अथवा विश्वव्यापी।

मेरा प्रश्न यह है। विभिन्न मंदिरों के अधिकार में जो बहुत बड़ी सम्पदा है वे उसमें से बड़े बड़े व्यापारियों को धनराशि देते हैं। मुझे विश्वास है कि दक्षिण में गोयन्का ग्रुप को कई करोड़ रुपये की राशि दी गई है। क्या देश के कल्याण के लिये तथा योजना को सफल बनाने के लिये मन्दिरों से धनराशि व्यय करने के लिये कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री एस० एम० बनर्जी : जी नहीं। मन्दिर बड़े व्यापारियों को रुपया देते हैं। वे राष्ट्र के उत्थान के लिये कुछ राशि व्यय क्यों न करें। सरकार को बिना डराये धमकाये मन्दिरों से देश के कल्याण के लिये कुछ राशि व्यय करने के लिये कहना चाहिये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह अनुरोध ठीक है। मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय उत्थान के लिये इस सम्पदा को उपयोग में लाया जाये।

श्री एस० एम० बनर्जी : आप इसकी एक प्रति मन्दिरों को भिजवा सकते हैं।

श्री टी० बालकृष्णैया : बहुत से सदस्यों की यह धारणा है कि तिरुपति, पलानी तथा अन्य स्थानों के मन्दिरों को जो धनराशि प्राप्त होती है वे उसका उचित उपयोग नहीं करते हैं । क्या सदस्यों को इस बात का भी पता है कि ये मन्दिर बहुत से धर्मार्थ तथा शिक्षा संस्थान चलाते हैं ? ये मन्दिर लोगों के कल्याण के लिये अस्पताल तथा पशुअस्पताल चलाते हैं । (व्यवधान) । मानवता के कल्याण के लिये देवस्थान इन संस्थानों को चलाते हैं । वे निधियों का उपयोग पूर्णरूप से न्यासधारियों के हित में नहीं करते हैं अपितु उनका उपयोग बहुत से धर्मार्थ संस्थान चलाने के लिये करते हैं ।......

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं है । आप तो सदस्यों को उत्तर दे रहे हैं । आपका प्रश्न क्या है ?

श्री टी० बालकृष्णैया : क्या मंत्री महोदय को देवस्थानों के कृत्यों का पता है और क्या वह इन कृत्यों को सदस्यों को बता सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न से बहुत अधिक सम्बद्ध नहीं है ।

अगला प्रश्न ।

महाराष्ट्र में पायलट्स कोआपरेटिव सोसाइटी को विमानों के आयात के लिए लाइसेंस

*271. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की पायलट्स को-ओपरेटिव सोसायटी ने विमान द्वारा छिड़काव करने तथा किराये पर विमान चलाने के लिये विमानों के आयात के लिये लाइसेंस मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां । कृषि मंत्रालय को विमानचालक सहकारी समिती से विमान द्वारा छिड़काव के कार्य के लिए आई० डी० ए० क्रेडिट के अंतर्गत एक 'पाइपर पौनी' विमान का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस देने के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ था ।

(ख) उक्त मंत्रालय ने समिति को सूचित किया था कि कृषि विमान के आयात के बारे में सरकारी नीति का पुनरावलोकन किया जा रहा है और इस संबंध में निर्णय हो जाने के बाद ही उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा ।

श्री जगन्नाथ मिश्र : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया है कि मंत्रालय को आवेदन प्राप्त हुआ है और उस पर विचार किया जा रहा है । इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या मैं जान सकता हूं कि आवेदन कब किया गया था और समीक्षा को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा जिससे कि विमान के लिये स्वीकृति की जा सके और सूखाग्रस्त महाराष्ट्र को राहत प्रदान हो सके ?

डा० कर्ण सिंह : यह आवेदन कृषि मंत्रालय को अक्टूबर 1972 में प्राप्त हुआ था । कृषिकार्यों के लिए विमान के समूचे प्रश्न पर विचार किया जा रहा है क्यों कि हम विभिन्न प्रकार के बहुत से विमानों का आयात करना नहीं चाहते । उसका कुछ मानक होना आवश्यक है । अतः हमारे मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय का एक संयुक्त दल इस मामले पर विचार कर रहा है और शीघ्र ही निर्णय कर लिये जाने की आशा है ।

श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या लाईसेंस देने के नियम बहुत कठोर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें सरल बनाने का विचार करेगी ताकि इस प्रयोजन के लिये राष्ट्रीय हित में लाईसेंस दिये जा सकें ?

डा० कर्ण सिंह : नागर विमानन महानिदेशक द्वारा लाईसेंस निश्चित स्पष्ट नियमों के अन्तर्गत दिये जाते हैं। जहां तक सुरक्षा से सम्बन्धित नियमों का सम्बन्ध है क्योंकि सुरक्षा नियमों को पूरा करना होता है तो मेरे विचार से माननीय सदस्य उनमें रियायत की मांग नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि सभी नियम ठीक पाये जाते हैं तो हम सद्भावनापूर्ण ढंग से मामले पर विचार करेंगे।

Shri Bibhuti Mishra : I congratulate Maharashtra for this action. In my state, paddy has been destroyed this year. Hon. Finance Minister is here. May I know whether he proposes to arrange foreign exchange for the purchase of adequate number of aircrafts to fulfill the needs of the country as a whole?

Dr. Karan Singh : I agree to it that certain things have to be done in the country. We are trying to arrange maximum foreign exchange with all the available resources for the purchase of the aircrafts so that the nation may have their benefit.

श्री वसंत साठे : इस समय देश में छिड़काव कार्य के लिये कितने विमान उपलब्ध हैं और क्या हमारे देश में छिड़काव करने वाले विमानों का निर्माण किया जा सकता है ?

डा० कर्ण सिंह : मुझे खेद है कि इस समय ऐसे विमानों की संख्या मेरे पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह कार्य कृषि मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है परन्तु मैं यह जानकारी माननीय सदस्य को दे सकता हूं।

माननीय सदस्य ने एक अच्छी बात उठायी है। हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड छिडकाव कार्य करने वाला स्वदेशी विमान निर्मित करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है और जब तक ऐसे विमान भारत में नहीं बनाये जाते तब तक हमें उसका आयात करना पड़ेगा। परन्तु मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि अन्तत: हमें इस प्रकार के विमान का निर्माण करना होना ही चाहिये।

Shri K. N. Tiwary : May I know whether you have consulted the Agriculture Ministry regarding the matter of total requirement of such aircrafts besides those available in the country at present to serve the cause of each state ?

Dr. Karan Singh : We propose to import 30 aircrafts for this purpose at present. This is the number of aircrafts required in addition to those available in the country.

Shri Hukam Chand Kachwai : The Hon. Minister says that we are required to import 30 aircrafts. I want to know the amount to be spent in this import. May I know whether the Government have constituted a committee to go into the question of indigenous manufacture of such aircrafts, and by what time we can manufacture such aircrafts in our country ?

Dr. Karan Singh : We, in co-operation with Hindustan Aeronautics, a department of Defence Production and Agriculture Ministry are considering to achieve indigenous production as early as possible. H.A.L. has submitted certain proposals which are under review. As regards expenditure we propose to invite tenders from all the manufacturing countries. I can not say at this time which make will be imported. As soon as specifications are clear we will invite global tenders.

Trade agreement with other countries entered into during last 3 months

*273. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the names of the countries with which India entered into trade agreements during the last three months; and

(b) the names of the commodities for the import and export of which trade agreements were made indicating the salient features thereof?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) स्पेन तथा यूनान।

(ख) निर्यात तथा आयात की वस्तुएं इन देशों के साथ किये गए व्यापार करारों की सूची (क) तथा (ख) और परिशिष्ट I तथा II में दर्शायी गयी है। करारों की प्रतिक्षां पहले ही संसद् पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

इन व्यापार करारों की विशेष बातें निम्नलिखित हैं :

(1) इन में मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्राओं में व्यापार करने की और धनराशियों अथवा वित्तीय लिखत-पत्रों की अदायगियों, प्रेषणों तथा अंतरणों, वाणिज्यिक स्थापनाओं के संचालन तथा पोत-लदान जैसे मामलों में परम मित्र राष्ट्र व्यवहार प्रदान करने की व्यवस्था है।

(2) इन में माल के निर्यात/आयात करने तथा मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने सामान्यत: व्यापार को बढ़ाने और नई अनुसूचियों में दिये गये उत्पादों के विशेष संदर्भ में अधिकतम संभव सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था है ;

(3) इन में दोनों सरकारों के बीच यदि कोई कठिनाइयां हो तो उन्हें दूर करने और दोनों देशों के बीच व्यापार का विस्तार करने के ठोस तरीकों का पता लगाने के लियें समय-समय पर परामर्श करने की व्यवस्था है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमन् माननीय सदस्य कोई प्रश्न नही पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या यह सच है कि हमने महिला पोशाकों के आयात के लिये कुछ पूर्व योरोपीय देशों के साथ करार किया है और यदि हां, तो क्या ऐसा करार करना आवश्यक है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जी नहीं, बल्कि हम इसका निर्यात कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

केन्द्रीय सरकार के विभागों में मितव्ययता अभियान

*262. **श्री डी० के० पंडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक विभाग में वर्ष 1971-72 और 1972-73 में चालू किये गये मितव्ययता अभियान की मुख्य बातें क्या है; और

(ख) मितव्ययता अभियान द्वारा इन दो वर्षों में प्रत्येक विभाग में कुल कितने धन की बचत की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख) : सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बचत के कई उपाय किये हैं जो मुख्यत: प्रशासनिक व्यय में कमी करने के उद्देश्य से किये गये हैं। ये उपार 1971–72 और 1972–73 में भी चालू रखे गये। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण उपाय ये है :

(i) वेतनमानों के संशोधन पर रोक;
(ii) कुछ वर्गों के पदों की भरती पर अंशिक रूप से रोक;
(iii) आयात की गयी मोटार गाड़ियों की खरीद पर प्रतिबंध ;
(iv) यात्रा भत्तों में कमी; और
(v) कर्मचारी निरीक्षण अध्ययनों में वृद्धि।

2. उपर्युक्त के अलावा, 1971–72 में बंगला देश से विपुल संख्या में शरणार्थियों के आने से और हमारी सीमाओं पर गड़बड़ी की स्थिति के कारण जो वित्तीय भार पड़ा उनके संदर्भ में व्यय में बचत करने के लिए कुछ विशेष उपाय किये गये थ। इन उपायों को 1972-73 में भी चालू रखा गया स्थूलतः ये उपाय नीचे लिखे अनुसार हैं :—

(1) गैर-योजना पक्ष में पदों के निर्माण पर रोक;

(2) आकस्मिक व्यय, यात्रा भत्ता, मनोरंजन आदि के लिये बजट व्यवस्था में कमी;

(3) कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में खाली पदों पर भरती नहीं करना;

(4) फर्नीचर तथा सजावट की वस्तुओं आदि की खरीद पर प्रतिबंध ;

(5) विदेशों में प्रतिनिधि-मंडल भेजने पर कठोरतर नियंत्रण।

3. पूर्वोक्त उपाय करने से प्रशासनिक व्यय की वृद्धि को काफी हद तक रोकने में सहायता मिली है। परंतु इन उपायों से जो बचत हुई थी वह कुछ हद तक, सरकारी कार्यक्रमों के सामान्य विस्तार, सरकारी कर्मचारीयों की अतिरिक्त अंतरिम राहत की अदायगी और रेल भाड़ा, डाक-तार आदि की दरों में वृद्धि के प्रभाव के कारण व्यय में हुई वृद्धियों के द्वारा प्रतिसंतुलित हो गई। इन परिस्थितियों में बचत के लिये किये गये विभिन्न उपायों के कारण होने वाली बचत को निश्चित शब्दों में अलग करके बताना संभव नहीं है।

खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग की लोक वस्त्र उत्पादन सम्बन्धी योजना

*264. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग ने योजना आयोग को 'लोक वस्त्र' के, जो खादी से अच्छा भी होगा और अधिक टिकाऊ भी, उत्पादन की एक योजना भेजी है;

(ख) क्या इस योजना से कपड़ा उत्पादन के अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार भी निरंतर रूप से उपलब्ध होता रहेगा ; और

(ग) क्या इसका उत्पादन विद्युत चालित चर्खों अथवा हस्तचालित चर्खों द्वारा होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने 445 ग्रामीण वस्त्र केन्द्रों में, जिनकी उत्पादन क्षमता 450 लाख मीटर कपड़ा होगी तथा जिनसे लगभग 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, स्टैण्डर्ड कोरा सूती कपड़ा (लोक वस्त्र) का उत्पादन करने की एक योजना प्रस्तुत की है। इसके लिये सूत का उत्पादन छोटे विद्युत चालित बहु-तकुआ कताई एककों द्वारा किया जायेगा और बुनाई कार्य अर्ध-स्वचालित करघों पर होगा, जो बिजली से अथवा बिना बिजली की सहायता से चलाये जाएंगे। चूंकि कपड़े का उत्पादन नियमित ग्रामीण केन्द्रों में करने का विचार है, अतः उनसे मिलने वाला रोजगार भी लगातार रहेगा।

Revision in Pension Amount of Central Government Pensioners

*265. **Shri Onkar Lal Berwa :**

Shri S. N. Misra :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state the dates on which the pensions of the retired Central Government employees were increased and by how much?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : Ad-hoc relief to pensioners has been given from time to time as indicated in the statement laid on the Table of the House.

Statement

Temporary increase with effect from 1-4-58*	Rs. P.M.	Ad-hoc increase with effect from 1-10-63**	Rs. P.M.	With effect from 1-9-69 Rs. P.M.
Pensions not exceeding Rs. 50.	10.00	Pensions up to Rs. 30	5.00	15.00
Pensions exceeding Rs. 50 but not exceeding Rs. 100 with marginal adjustments up to pension not exceeding Rs. 112.50.	12.50	Pensions above Rs. 30 but not above Rs. 75 P.M.	7.50	17.50
		Pensions above Rs. 75 but not above Rs. 200 P.M.	10.00	20.00
		Pensions above Rs. 200 such ad-hoc increase as would bring the total pension to Rs. 210 P.M-		Such ad-hoc increase as will bring the total pension to Rs. 220.

*Admissible to pensioners retired before 15-7-52.

**To all pensioners including those who are in receipt of temporary increase but *excluding* those getting the benefit of dearness pay for pension and D.C.R. gratuity, and family pension under the Family Pension Scheme, 1964.

A minimum of Rs. 40 including ad-hoc or temporary increase has been prescribed for Central Government employees for all pension and Family Pensions with effect from 1-3-1970.

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा बोइंग-737 विमानों के बारे में निर्णय

*270. **श्री पी० ए० सामिनाथन :**

श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा निर्मित बोइंग–737 विमानों को जो इण्डियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े में इस समय है, सर्वाधि लाभप्रद पाया गया है;

(ख) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने और बोइंग-737 विमान खरीदने का निर्णय किया है, और

(ग) यदि हां, तो और कितने बोइंग विमान खरीदे जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : इण्डियन एयरलाइन्स कंपनी विमान बेड़े विषयक आवश्यकताओं की अभी जांच कर रहे हैं।

सूखा राहत कार्यों के लिये हरियाणा को विशेष सहायता

*272. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने केन्द्र से सूखा राहत कार्यों के लिए विशेष सहायता की मांग की है; और

3—2 LSS(ND)/73

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

केरल में कन्नानोर जिले में हथकरघा उद्योग की गंभीर स्थिति

*274. **श्री एम० के० कृष्णन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा हाल ही में नियंत्रण में ली गई कन्नानोर स्पिनिंग मिल्स द्वारा उत्पादित सूत के मूल्य अत्यधिक बढ़ जाने के कारण, केरल में कन्नानोर जिले के हथकरधा उदयोग को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विशेषकर हथकरधा उद्योग के लिये सूत के मूल्य में कमी करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) कन्नानूर स्पिनिंग तथा वीविंग मिल्स द्वारा उत्पादित सूत की कीमतों में वृद्धि होने के बारे में एक शिकायत मिली है ।

(ख) सूत की कीमतों तथा वितरण के विषय में संपूर्ण प्रश्न पर राज्य सरकारों, उद्योग तथा व्यापार के प्रतिनिधियों की एक बैठक में 26 फरवरी, 1973 को विचार विमर्श किया गया था। इस मामले में किये गये विनिश्चयों की घोषणा शीघ्र ही की जायेगी।

फ्रांस से वित्तीय सहायता

*275. **श्री प्रभुदास पटेल :**

श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस भारत को वर्ष 1973-74 के दौरान ऋण देने के लिए सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह राशि कितनी है और तत्सम्बन्धी शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) कुल 2360 लाख फ्रांसीसी फ्रांक (33.56 करोड़ रुपये) के दो ऋण करारों पर जो 1973-74 के लिए भारत को दी जाने वाली फ्रांसीसी सहायता के द्योतक है, 7 फरवरी, 1973 को भारत सरकार और फ्रांस की सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें इन दोनों ऋणों का ब्योरा दिया गया है।

विवरण

दो ऋण-करारों पर, जो 1973-74 के लिए फ्रांस द्वारा भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के द्योतक हैं, 7 फरवरी, 1973 को फ्रांस और भारत की सरकारों द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे। प्रथम ऋण, 1800 लाख फ्रांसीसी फ्रांक (25.60 करोड़ रुपये) की राशि के लिए है जिसमें से 1150 लाख फ्रांसीसी फ्रांक (16.35 करोड़ रुपये) परियोजनागत उपयोग के लिए तथा 650 लाख फ्रांसीसी फ्रांक (9.25 करोड़ रुपये) परियोजना-भिन्न उपयोग के लिये है ।

दूसरा ऋण, जो एक विशेष ऋण है, 560 लाख फ्रांसीसी फ्रांक (7.96 करोड़ रुपये) की राशि के लिए है और वह परमाणु ऊर्जा तथा अन्तरिक्ष विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है।

ये दोनों ऋण, फ्रांसीसी राजकोष ऋण और खरीदार ऋण के मिश्रण हैं। प्रथम ऋण का मिश्रण अनुपात 50:50 तथा विशेष ऋण का मिश्रण अनुपात 44.64 : 55.36 है।

राजकोष ऋण की ये शर्तें है : यह ऋण, 25 वर्षों की अवधि में वापस किया जायेगा जिसमें $6\frac{1}{2}$ वर्षों की रियायती अवधि शामिल है और इस ऋण पर 3 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा। खरीदार ऋण की शर्तें ये हैं : यह ऋण माल के लदान के छः महीनों के बाद शुरू हो कर 10 वर्षों की अवधि में वापस किया जायगा और उस पर 7.8 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा।

भारतीय सामान्य बीमा निगम में पायलट योजनाएं

*576. श्री पी० गंगादेव :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सामान्य बीमा निगम फसल पर, मवेशी और बीमारी का बीमा करने के सम्बन्ध में पायलट योजनाओं पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजनाओं की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) योजनाएं कब शुरू की जाएगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग)

फसल का बीमा

जीवन बीमा निगम के विविध बीमा विभाग ने पहली बार सितम्बर 1971 में फसल बीमा की एक अग्रयोजना चालू की थी, जो अधिक उपज देने वाली किस्म की हाइब्रिड 4 वाणिज्यिक कपास के सम्बन्ध में थी। जीवन बीमा निगम का वह विभाग अब उन चार कम्पनियों में मिल गया है, जो भारत के विविध बीमा निगम की उपसंगी कम्पनियां हैं, इसलिये यह अग्रयोजना अब न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना का संचालन गुजरात राज्य उर्वरक निगम के सहयोग से किया जा रहा है, जो अपेक्षित अवस्थापना की व्यवस्था करता है और प्रति एकड़ 1750 रुपये का बीमा करता है, जिसमें चोरी तथा अन्य ऐसी ही विपत्तियों को छोडकर लगभग बाकी सब जोखिमों का बीमा रहता है। इस योजना को, इसी तरह से, अन्य विशिष्ट फसलों को, लागू करने के बारे में निगम द्वारा तत्परता से विचार किया जा रहा है।

मवेशी और बीमारी का बीमा

मवेशी और बीमारी का बीमा सामूहिक पालिसियों के अन्तर्गत, सीमित मात्रा में कुछ बीमा कम्पनियों द्वारा पहले ही से किया जाता रहा है। वे कम्पनियां अब भारत के विविध बीमा निगम की उपसंगी कम्पनियां हैं। इस प्रकार की बीमा योजना को अन्य क्षेत्रों को भी लागू करने के प्रश्न पर निगम द्वारा विचार किया जा रहा है।

Smuggling of Goods into Nepal

*277. **Shri Ishwar Chaudhry :**

Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether goods in large quantity are smuggled into Nepal through the Bihar borders every year resulting in loss of foreign exchange worth several lakhs of rupees; and

(b) if so, the steps being taken by Government to check the smuggling?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Several commodities including Raw Jute and Mica were smuggled into Nepal *via* Bihar border in the last few years and some of these have affected our foreign exchange earnings.

(b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The following steps have been taken by the Government to check such smuggling :—

(i) Customs Preventive Posts were set up on Indo-Nepal Border for the first time in the year 1969 and these have been augmented in 1970 and 1971. There are, at present, 32 such posts near the Indo-Nepal border and 11 in other strategic places in Bihar. 12 Superintendents and 4 Assistant Collectors of Customs are posted to supervise and guide these posts.

(ii) One post of Collector of Customs (Preventive) has been created with Headquarters at Patna for supervising the Customs work relating to Indo-Nepal trade and anti-smuggling measures on this border.

(iii) A number of jeeps have been provided to make the staff more mobile and effective.

(iv) The man-power in the Preventive parties has been increased. The staff is being armed to resist the armed smugglers operating on the Indo-Nepal border. A sizeable number of ex-army personnel have been recruited to further strengthen the Customs Posts.

(v) Close liaison is being maintained with the State authorities, the Railways, the R.P.F., the P. & T., and the State Excise Departments on the Indo-Nepal border to check smuggling of goods to Nepal.

(vi) A company of Central Reserve Police was also stationed in this area early in 1969 and continued upto June, 1972 to help the Customs formations in detecting and preventing jute smuggling and preventing attacks by the armed smugglers. This Company has been replaced in July, 1972 by a Company of Armed Homeguards sanctioned by the Bihar Government.

(vii) The provisions of Export Trade Control Order and Import Trade Control Order have also been extended to Nepal from the year 1971 with special exceptions to safeguard supply of some essential commodities required for mass consumption. The Export Trade Control restrictions apply to Raw Jute, Mica, Bristles and several other commodities which were suspected to be deflected from Nepal.

(viii) This subject is also being reviewed periodically by the Joint Review Committee comprising representatives of Governments of India and Nepal, apart from communications through Diplomatic channels. The Government of Nepal have also placed import restrictions on the flow of Raw Jute, Mica etc. from India. The reduction, by H.M.G. Nepal in the rate of Bonus for the export of Raw Jute from Nepal and other regulatory measures has also contributed to the prevention of Jute smuggling from Bihar into Nepal in this season.

(ix) The Jute Corporation of India have also stepped into purchase raw jute at Indian marketing centres, to prevent large scale flow into Nepalese markets.

From the information received so far, there has been decline in the smuggling of restricted commodities from India to Nepal, including those which were being re-exported and affecting our Foreign Exchange earnings. The particular features of Indo-Nepal relationship, trade and geography could, however, be abused by unscrupulous parties, although to a limited extent, inspite of the measures adopted so far.

एशियाई पूंजी निवेश केंद्र

*278. श्री सी० जनार्दनन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया और सूदूर पूर्व देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग की एक "एशियाई पूंजी निवेश केन्द्र" स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या भारत प्रस्तावित पूंजी निवेश केन्द्र स्थापित करने में धनराशि देगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :(क) से (ग) निवेश को बढ़ावा देने के एक प्रादेशिक केन्द्र की स्थापना करने के प्रस्ताव पर, बाद में इसका विस्तार करके प्रौद्योगिकी अन्तरण को भी इसके अन्तर्गत शामिल कर लिया गया था, पिछले कई वर्षों से एशिया और दूर पूर्व सम्बन्धी आर्थिक आयोग के मंचों पर विचार विमर्श होता रहा है। परन्तु फरवरी 1973 में बंकाक में एशिया और दूरपूर्व संबंधी आर्थिक आयोग की एशियाई औद्योगिक विकास परिषद की जो बैठक हुई थी उसमें यह महसूस किया गया था कि प्रौद्योगिकी के अन्तरण और निवेश को बढ़ावा देने के काम की देखभाल एक ही अभिकरण द्वारा किया जाना उपयुक्त नहीं होगा। परिषद का यह विचार भी था कि विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी अन्तरण अधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए यदि प्रौद्योगिकी अन्तरण के केन्द्र और निवेश को बढ़ावा देने के केन्द्र के बीच एक का चुनाव करना पड़े तो पहले को प्राथमिकता दी जाय। इस बात को ध्यान में रखते हुए, यह संभव है कि निवेश को बढ़ावा देने के प्रादेशिक केन्द्र की स्थापना की बात को फिलहाल आगे न बढाया जाय।

दिल्ली में मारे गये छापों के दौरान जाली विदेशी मुद्रा और तस्करी की वस्तुओं का पकडा जाना

*279. श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

श्री समर गुह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली में हाल ही में मारे गये एक छापे के दौरान सरकार ने अमरीकी डालर ब्रिटिश पौंड, जाली करेंसी नोट और तस्करी की वस्तुएं पकड़ी हैं;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इस बारे में सरकार ने किस प्रकार की कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(ग) क्या गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का विदेशों में कार्य कर रहे गिरोहों के साथ संबंध बताया जाता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) पश्चिम दिल्ली में दिनांक 25 जनवरी, 1973 को एक मकान की तलाशी ली गयी और 4827.15 अमरीकी डालर, 194 पौंड, 1000 इंडोनिशयाई रुपिया, 35,000 रुपये विदेशी मूल की सोने की 101 गिन्नियों तथा धडियों के पुर्जे पकड़े गये थे।

(ख) तथा (ग) : जांच-पड़ताल जारी है।

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आरम्भ की गई योजनाओं के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सहायता

*280. श्री अण्णासाहेब गोटखिंडे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिये कि राष्ट्रीयकृत बैंक देश में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई योजनाओं में किन किन तरीकों से सहायता दे सकते हैं, कोई प्रयत्न किय गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो महाराष्ट्र में ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे राज्य-सरकारों द्वारा बनाये गये आपातकालीन कृषि उत्पादन कार्यक्रमों में भाग लेकर अधिक ऋण दिये जाने का सुनिश्चय करें। बैंकों ने मुख्यत: एसे कार्यों जैसे कूये खोदने, ट्यूबवेल व पंप लगाने, बीज, उर्वरक, चारा आदि मुहैया करने के लिये ऋण देने का प्रयत्न किया है। वे योजनाएं जिनमें सरकारी क्षेत्र के बैंक भाग लेते रहे हैं या जो महाराष्ट्र सरकार के विचाराधीन है उनमें ये शामिल हैं। कूओं के निर्माण के आपात कालीन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के सूखाग्रस्त जिलों में छोटी सिंचाई के विकास के लिए वित्तपूर्ति करना कृषि-आवश्यकताओं के लिए अभावग्रस्त किसानों को ऋण देना, बीज की खरीद के लिये राज्य विपणन संघों की वित्त-पूर्ति करना, पशुओं के लिये चारा संग्रह करने के लिये दुग्ध उद्योग कर्ताओं (डेरी फार्मस) की वित्त-पूर्ति करना, अकालपीड़ित जिलों में छात्रों को उनके द्वारा अध्ययन जारी रख जाने के लिए ऋण देना। बैंक सूखा पीड़ित क्षेत्रों में ऋण कर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए वापसी अदायगी की किस्तों को विलंबित करने के बारे में भी विचार करते रहे हैं।

भारत के दौरे पर आये व्यापार शिष्टमंडल

2590. **श्री छात्रपति अम्बेश** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान कितने व्यापार शिष्टमंडलों ने भारत की यात्रा की; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय व्यापार शिष्टमंडलों ने किन किन देशों की यात्रा की ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 21 प्रतिनिधिमंडल।

(ख) सोवियत संघ, पोलेंड, रूमानिया, बल्गारिया, हंगरी, स्पेन, फ्रांस, सं० रा० अमरीका, टर्की, लेटिन अमरीकी देश, नेपाल, बंगला देश, मिस्त्र का अरब गणराज्य तथा सूडान।

नियंत्रित मूल्य के कपड़ो की कीमतें

2591. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुई की कीमत कम हो जाने के कारण नियंत्रित कपड़े पर दी जा रही 35 पैसे की राज-सहायता को कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या नियंत्रित मोटे कपड़े की कीमतों के बारे में लागत ब्यूरो ने अन्तिम रूप से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हां तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) नियंत्रित कपड़े के उत्पादन की योजना के अन्तर्गत जो 1-1-1973 से लागू हैं नियंत्रित कपड़े के उत्पादन के लिये मिलों को कोई राजसहायता नहीं दी जा रही है।

(ख) जी नहीं।

Import of American and British Films through I.M.P.E.C.

2592. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether American and British films are imported in India through the Indian Motion Pictures' Export Corporation;

(b) if so, the number of films imported from these countries separately from April, 1972 to January, 1973 ; and

(c) the foreign exchange spent thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

Circulation of Currency Notes

2593. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the number of currency notes of Rs. 1, 2, 10, 20, 100 and 1,000 denomination in circulation at present ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : The number of currency notes of these denominations in circulation as on 31st December, 1972 (latest figures available) is as follows :—

Denominations	Pieces
Re. 1	249,01,41,293
Rs. 2	32,71,94,568
Rs. 10	172,41,70,503
Rs. 20 (Old)	229
Rs. 20 (New)	4,53,59,864
Rs. 100	25,07,90,555
Rs. 1000	4,00,837

Items Imported from Israel and their value

2594. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the value (in rupees) of imports made from Israel during the financial year 1970-71 and 1971-72 ;

(b) the names of the main items imported ; and

(c) the value (in rupees) of imports proposed to be made during the year 1972-73 ;

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Value of imports from Israel during the financial years 1970-71 and 1971-72 was as follows :—

Years	Rs. lakhs
1970-71	17.12
1971-72	20.51

(b) & (c) Though it is not possible to indicate the value of imports from Israel during 1973, the main items imported from Israel during the two years are shown below :—

1970-71	1971-72
1. Organic chemicals.	1. Organic chemicals.
2. Bromine.	2. Bromine.
3. Atropine sulphate.	3. Atropine sulphate.
4. Medicaments.	4. Medicaments.
5. Chemical materials & products, n.e.s.	5. Chemical materials and products n.e.s.
6. Electrical condensers (capacitors).	6. Pearls & precious & semi-precious stones, unworked or worked.
	7. Electrical condensers (capacitors).

Items imported from Australia and their value

2595. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the value in rupees of imports made from Australia during the financial years 1970-71 and 1971-72 ;

(b) the names of the main items imported ; and

(c) the value (in rupees) of imports proposed to be made during the year 1972-73 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Rs. 36.58 crores and Rs. 29.39 crores respectively.

(b) Raw wool, non-ferrous metals, wheat, iron and steel. ores and concentrates of non-ferrous base metals, waste material from textile fabrics, machinery other than electric and transport equipment.

(c) No target is fixed.

Items imported from Canada and their value

2596. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the value (in rupees) of imports made from Canada during the financial years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 ; and

(b) the names of the main items imported ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a)

Year	Value of imports (in Rs. lakhs)
1970-71	11,723
1971-72	11,281
1972-73 (upto August 1972)	2,318

(b) Ores and concentrates of zinc, fertilizers manufactured, news-print paper, non-ferrous metals, machinery other than electric, electrical machinery, wheat, oilseeds, oil nuts and oil kernels, milk and cream, pulp and waste paper, sulphur, asbestos fibre (raw), apparatus and appliances and transport equipment.

सिलिगुड़ी में थल सीमाशुल्क अधिकारियों और तस्करों के बीच सांठ गांठ

2597. **श्री नरेन्द्र कुमार सोंधी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थल सीमाशुल्क विभाग के एक सतर्कता अनुभाग ने हाल ही में सिलिगुड़ी में तस्करी के अनेक मामलों का पता लगाया है;

(ख) क्या इन मामलों से सामान्यतः सीमावर्ती क्षेत्रों में नियुक्त थल सीमाशुल्क अधिकारियों और तस्कर व्यापारियों के गिरोहों के नेताओं के साथ कोई सांठ गांठ होने का पता चला है ;

(ग) सतर्कता अनुभाग को कितने मामलों का पता चला है और उनमें कुल कितनी धनराशि अन्तग्रस्त है ; और

(घ) क्या थल सीमाशुल्क विभाग के अधिकारी तस्कर व्यापारियों के साथ सांठ गांठ करने के दोषी पाये गये हैं और यदि हां तो उनको क्या दण्ड दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सीलीगुड़ी में एक भू-सीमाशुल्क प्रभाग है। इस अथवा अन्य भू-सीमाशुल्क प्रभाग में कोई सतकता अनुभाग नहीं है। लेकिन वहां बहुत सी सीमाशुल्क निवारक चौकियाँ तथा पार्टियाँ तस्कर व्यापार-विरोधी कार्यों में लगी हैं। विभिन्न विभिन्न निवारक पार्टियों ने तस्करी के बहुत से मामलों का पता लगाया है।

(ख) सिलीगुड़ी सीमाशुल्क प्रभाग में सीमाशुल्क निवारक पार्टियों द्वारा पता लगाये गये मामलों से भू-सीमाशुल्क कर्मचारियों की तस्कर व्यापारियों के साथ किसी भी सांठ-गांठ का पता नहीं चला है।

(ग) जनवरी 1973 को समाप्त होने वाली छः महीने की अवधि में सिलीगुड़ी भू-सीमाशुल्क प्रभाग में तस्कर-विरोधी कर्मचारियों ने 610 मामलों का पता लगाया जिनमें 6,55,729रु० के मूल्य का माल अन्तर्ग्रस्त है।

(घ) सिलीगुड़ी भू-सीमाशुल्क प्रभाग के किसी भी अधिकारी को तस्कर-व्यापारियों के साथ सांठ गांठ का दोषी नहीं पाया गया है। इसलिए दण्ड दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

Import of Raw Diamonds

2598. **Shri Rana Bahadur Singh** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the Diamond Merchants Association has submitted any memorandum to Government regarding import of raw diamonds ; and

(b) if so, the salient features thereof and the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir.

(b) The representation pertains to the increase in the percentage of compulsory issue of release orders for rough diamonds on National Minerals Development Corporation from 10% to 20% of the entitlement under the Registered Exporters Policy and giving retrospective effect to it from 1st April, 1972, irrespective of the period of export. This decision is in keeping with the general policy of progressive canalisation followed by Govt. and no change in it is contemplated for the present.

2. However, it has since been decided not to give retrospective effect to it in respect of exports made prior to 1st April, 1972.

कृषि पुनर्वित्त निगम के अध्यक्ष द्वारा किये गये विदेशों के दौरे

2599. **श्री वयालार रवि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि पुनर्वित्त निगम के वर्तमान अध्यक्ष ने कितने बार विदेशों के दौरे किए इन दौरों पर खर्च की गई कुल राशि का देशवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : कृषि पुनर्वित्त निगम के वर्तमान अध्यक्ष को विभिन्न कृषिक ऋण परियोजनाओं और बाजार विकास परियोजनाओं के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के साथ बातचीत में हिस्सा लेने के लिये भेजा गया था । इन दौरों पर कुल मिलाकर 1,01,708 रुपये की राशि खर्च हुई ।

1972 में कोचीन में हुई एवरों दुर्घटना की जांच

2600. **श्री वयालार रवि** : क्या **पर्यटन और नागरविमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष कोचीन में हुई एवरों दुर्घटना के कारणों की जांच नागर विमानन विभाग ने पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां तो इसके परिणाम क्या हैं; दुर्घटना से कुल कितना नुकसान हुआ और भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) दुर्घटना का कारण विमानचालक द्वारा विमानक्षेत्र पर कठिन व्यवहार्य न्यूनतम मौसम परिस्थितियों में अधिक उच्च एवं तीव्र अवतरण माना जाता है जिसके परिणामस्वरूप विमान धावन-पथ से आगे निकल कर विमानक्षेत्र के सीमान्त जंगले से पार निकल गया ।

विमान का 95 लाख रुपए का बीमा था । बीमा पालिसी की शर्तों के अनुसार बीमा-मूल्य का एक प्रतीशत का वहन मरम्मत प्रभार के रूप में इंडियन एयर लाइन्स द्वारा किया जाना है और शेष रकम जीवन बीमा निगम से ली जायेगी । अतः इंडियन एयरलाइन्स को 95,000 रुपये से अधिक की हानि होने का अनुमान नहीं है ।

दुर्घटनाओं की संभावना को सर्वथा समाप्त कर देना तो संभव नहीं है तथापि जब कभी कोई दुर्घटना होती है उसकी विस्तृत जाँच की जाती है और रिपोर्ट की सिफारिशों पर उचित कार्यवाही की जाती है ।

भारत और रूमानिया के बीच व्यापार करार

2602. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूमानिया को लोह-अयस्क सप्लाई करने के बारे में हाल ही में भारत और रूमानिया के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज :) (क) जी हां ।

(ख) चूंकि यह करार भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि० और रूमानिया के संबंधित फारेन ट्रेड इंटरप्राइज के बीच तय हुआ एक वाणिज्यिक ब्यौरा है अत: ऐसी जानकारी देना वांछनीय नहीं होगा ।

Setting up of an International Jute Agency in Delhi

2603. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the International Jute Conference has decided to set up an international jute agency in Delhi ;

(b) if so, the broad outlines of the decision ; and

(c) the names of the countries which will be associated with the setting up of the agencies ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) & (b) A Conference was held at Dacca under the auspices of UNDP in January 1973. The following conclusions were reached at the conference :

(i) An International Centre known as "Jute International", will be set up in India to maintain a strong and expanding demand for jute and kenaf and their manufactures to maximise their consumption.

(ii) An International Technical Centre for Research and Development of Jute would be located in Dacca.

(iii) An International Jute Board will be constituted as the controlling Board, consisting of representatives of the producing countries.

(iv) Subject to the International agencies contributing 50% of the annual budget of expenditure for a period of five years, the other 50% would be contributed by the producing countries in proportion to the value of their exports of jute and jute manufactures during the three years ending 1969-70.

These conclusions are subject to ratification by the producing countries.

(c) India, Bangladesh, Thailand and Nepal.

लीडबैंक स्कीम के अन्तर्गत राज्यों का सर्वेक्षण

2604. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**
श्री भगीरथ भंवर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा लीड बैंकों के विकास के लिए राज्यवार सर्वेक्षण किये गये हैं और उनके परिणाम प्रकाशन किये गये हैं;

(ख) यदि हाँ तो लीड बैंक के अन्तर्गत आने वाले औसत क्षेत्र और लोगों की औसत संख्या को दर्शाते हुए संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की तुलना में प्रत्येक राज्य के तुलनात्मक आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन रिपोर्टों को सभा पटल पर रखने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) लीड बैंक योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण रिपोर्टें केवल जिला-वार तैयार की जानी है, राज्य-वार नहीं ।

(ख) दिल्ली के संघीय राज्य-क्षेत्र सहित विभिन्न राज्यों में एक बैंक कार्यालय के अन्तर्गत आने वाली औसत जनसंख्या के संबंध में जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है ।

(ग) लीड बैंक योजना के अन्तर्गत तयार की गई सर्वेक्षण रिपोर्टें वित्तीय संस्थाओं के उपयोग के लिए हैं। तथापि बैंकों को सलाह दी गई है कि वे इन रिपोर्टों की प्रतियां संसद पुस्तकालय के पास भेजें ।

विवरण

जून, 1969 और दिसम्बर, 1972 के अन्त में विभिन्न राज्यों में एक बैंक कार्यालय के अन्तर्गत आने वाली जन संख्या

राज्य/संघीय राज्य क्षेत्र का नाम	प्रति बैंक कार्यालय के अन्तर्गत आने वाली जनसंख्या (हजारों में)†	
1	2	
	जून, 1969	दिसम्बर, 1972
आन्ध्र प्रदेश	75	42
असम	198	95
बिहार	207	98
गुजरात	34	21
हरियाणा	57	31
हिमाचल प्रदेश	80	28
जम्मू और कश्मीर	114	36
केरल	35	21
मध्य प्रदेश	116	57
महाराष्ट्र	44	28
मणिपुर	497	153
मेघालय	141	59
मैसूर	38	21
नागालैण्ड	205	86
उड़िसा	212	101
पंजाब	42	19
राजस्थान	70	41
तमिलनाडु	37	26

1	2	
	जून, 1969	दिसम्बर, 1972
त्रिपुरा	276	111
उत्तर प्रदेश	119	61
पश्चिम बंगाल	87	53
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	82	29
अरुणाचल प्रदेश	..	94
चण्डीगढ़	7	7
दादर और नगर हवेली	..	19
दिल्ली	10	9
गोआ, दमन और दीव	8	7
लक्षदीवी, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	..	8
मिजोरम	..	332
पाण्डीचेरी	31	19
अखिल भारत	65	37

†जून, 1969 के आंकड़े 1961 की जनगणना पर और दिसम्बर 1972 के आंकड़े 1971 की जनगणना के आधार पर हैं ।

भारतीय चाय के समर्थन मूल्य में कमी

2605. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय के निर्यात मूल्य में प्रतिवर्ष निरन्तर कमी हो रही है और उसी अवधि में विश्व भर की उपभोक्ता मंडियों में चाय की कीमत में वृद्धि होती रही है;

(ख) क्या सरकार ने, उक्त प्रवृत्ति का विश्लेषण करने का प्रयास किया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और पीछले तीन वर्षों के दौरान चाय निर्यातकों को कितना घाटा हुआ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि भारतीय निर्यातकर्ता विश्व उपभोक्ता मण्डी में मूल्य-वृद्धि में अपने उचित भाग को प्राप्त कर सकें ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) गत तीन वर्षों में भारतीय चाय की निर्यात कीमत में वृद्धि का रूख रहा है। चाय निर्यातों का एकक मूल्य 1970 में 7.35 रुपये, 1971 में 7.54 रुपये तथ 1972 में 7.55 रुपय प्रति कि०ग्रा० था।

निर्यातक देशों का आयतक देशों में उपभोक्ता कीमतों पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता। विदेशों में उपभोक्ताओं द्वारा दी जाने वाली कीमतें आयातों के एकक मूल्य आंतरिक करों, पैकिंग तथा वितरण लागतों, फुटकर विक्रेताओं के मार्जिन आदि पर निर्भर करती हैं जो कि प्रत्येक देश में भिन्न भिन्न हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र की फर्मों के माध्यम से सभी रूपों में अर्थात् पैकट चाय, चाय थैलियों, इंस्टेंट चाय आदि के रूप में चाय के निर्यात को प्रोत्साहन देकर।

विदेशी पर्यटकों द्वारा विदेशी मुद्रा में होटल बिल की अदायगी करने के बारे में नियम लागू करने के लिये उपाय

2606, श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों द्वारा विदेशी मुद्रा में होटल बिलों की अदायगी करने को अनिवार्य बनाने वाले सरकारी विनियम के कारण विदेशी पर्यटकों के आगमन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और इससे पर्यटन-व्यापार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) क्या दिल्ली के होटल मालिकों से यह कहा गया है कि अगर विदेशी पर्यटक विदेशी मुद्रा में अपने बिलों की अदायगी न करें, तो उन्हें होटलों से निष्कासित कर दें और क्या कुछ मामलों में होटल मालिकों को इस नियम को लागू करने में कठिनाई होती हैं; क्योंकि विदेशी पर्यटक द्वारा रुपये में अदायगी को कानूनी अपराध बनाया दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस आदेश के लागू होने के बाद से विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई और कितनी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आय से वंचित होना पड़ रहा है और नियम को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे विदेशी पर्यटक को अवांछित कठिनाई न हो और वे भारत आने से न कतरायें ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। 1 दिसम्बर, 1972 (जब कि यह योजना लागू हुई) के पश्चात् पर्यटक यातायात में गत वर्ष के लिये तदनुरूपी संख्या के मुकाबले 15.6% की वृद्धि हुई। दिसम्बर 1972 में वृद्धि 149.5% थी तथा जनवरी 1973 में 60.3% थी। होटलों को अनुदेश दिये गये हैं कि वे उन गैर-छूट प्राप्त वर्गों के व्यक्तियों के ब्यौरे की सूचना दे जोकि किसी भी कारण से अपने होटल बिलों का भुगतान भारतीय मुद्रा में करने का आग्रह करते हैं।

(ग) अभी से इस योजना के पूर्ण प्रभाव का मूल्यांकन करना संभव नहीं है किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस उपाय के लागू होने के पश्चात्, विदेशी मुद्रा के रूप में होटलों की आय में काफी वृद्धि हुई है।

एन्ड्रयू यूल एन्ड कम्पनी

2607. श्री सी० के० चन्द्राधन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जनवरी, 1973 के "हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया कि कुछ निहित स्वार्थ पार्टियों द्वारा एन्ड्रयू यूल एंड कम्पनी की बिक्री के लिये नए प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या इस मामले की जांच की गई है और यदि हां, तो इस जांच के निष्कर्ष क्या हैं ?

वित्त मंत्री श्री (यशवंतराव चव्हाण) :

(क) जी, हां।

(ख) सरकार को फरवरी, 1972 से जनवरी, 1973 तक की अवधि में एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (कलकत्ता शाखा) से तीन ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। इन ज्ञापनो में अन्य बातों के साथ साथ यह कहा गया है कि यूल केट्टों एंड कम्पनी लिमिटेड, लन्दन ने एंड्रयू यूल एंड कम्पनी लि० अनिवासी शेयरों (49 प्रतिशत) में से 30 प्रतिशत शेयर बेचने के लिए श्री बी० पी० पोद्दार से बातचीत की है और इस खरीद से श्री पोद्दार को एंड्रयू यूल समूह की कंपनियों में नियंत्रण प्राप्त करने के लिये पर्याप्त शेयर प्राप्त हो जायेंगे। ज्ञापन में यह सुझाव भी दिया गया है कि सरकार को इस सौदे में हस्तक्षेप करना चाहिए और कम्पनी के शेयर सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से अथवा अलग अलग खरीदे जाने चाहिए।

(ग) एण्ड्रयू यूल एंड कम्पनी में अनिवासियों (यूल केट्टो एण्ड कम्पनी) द्वारा धारित शेयर श्री बी० पी० पोद्दार को बेचने के लिये विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अनुमोदन नहीं दिया गया है। ज्ञापनों में उल्लिखित अन्य बातों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

पटसन खरीदने के लिये धन

2608. **श्री दशरथ देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के लिये भारतीय पटसन निगम को उत्पादकों से पटसन खरीदने के लिये कुल कितना धन दिया गया है;

(ख) देश के विभिन्न राज्यों को (राज्यवार) भारतीय पटसन निगम द्वारा इसमें से कितनी राशि दी गई है; और

(ग) अब तक भारतीय पटसन निगम द्वारा कितना पटसन खरीदा गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार ने पटसन निगम की अंशपूंजी में 25 लाख रु० की राशि लगाई है; जिससे कुल प्रदत्त पूंजी 100 लाख रु० की हो गई है। इसके अलावा निगम को 195 लाख रु० तक की नकद ऋण सुविधा स्टेट बैंक आफ इंडिया से मिल गई है।

(ख) विभिन्न राज्यों में पटसन की खरीदारियों के लिये निम्नोक्त राशियों को उपयोग में लाया गया :

पश्चिम बंगाल	176.73 लाख रु०
आसाम	31.90 लाख रु०
बिहार	37.56 लाख रु०
उड़िसा	7.44 लाख रु०
आन्ध्र प्रदेश	1.19 लाख रु०
त्रिपुरा	7.42 लाख रु०

(ग) 82,794 गांठें।

अभ्रक का व्यापार करने के लिये एक नये निगम ी स्थापना

2609. **कुमारी कमला कुमारी :**

श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अभ्रक का व्यापार करने के लिये एक नया निगम स्थापित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बातें क्या हैं; और

(ग) इस निगम में लगभग कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) अभ्रक के निर्यात में विशेषज्ञता प्राप्त करने तथा अभ्रक के निर्यात व्यापार में भाग लेने के लिये छोटे निर्यातकों और खान मालिकों की सहायता करने के उद्देश्य से खनिज तथा धातु व्यापार निगम के समनुषंगी निगम के रूप में अभ्रक व्यापार निगम की स्थापना करने का विनिश्चय किया गया है ।

(ग) इस समय यह बताना कठिन है कि निगम कितने व्यक्तियों को नियुक्त करेगा ।

भूतपूर्व संसद सदस्यों और मंत्रियों की सरकारी निगमों के चेयरमैन के रूप में नियुक्ति

2610. **श्री रणबहादुर सिंह :**

श्री गदाधर साहा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे भूतपूर्व संसद सदस्यों और मंत्रियों की संख्या तथा नाम क्या हैं जो सरकारी निगमों में चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं; और

(ख) इन अत्यधिक जिम्मेदारी वाले पदों के लिए अर्हताओं के संबंध में सरकार ने क्या नीति बनायी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : कोई भी भूतपूर्व संसद सदस्य और मंत्री सरकारी क्षेत्र के निगमों के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में काम नहीं कर रहे हैं । फिर भी उन व्यक्तियों के नाम जो केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों में अंशकालिक अध्यक्ष (चेयरमैन) के रूप में काम कर रहे हैं, विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के उद्यमों के अंशकालिक अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में, सरकार की नीति यह है कि सार्वजनिक जीवन से लिये गये उन व्यक्तियों पर विचार किया जाता है जो औद्योगिक, वाणिज्यिक या वित्तीय उद्यम के क्षेत्रों में या प्रशासन व्यापार अथवा संघ के कार्य में योग्य सिद्ध हो चुके हों ।

विवरण

सार्वजनिक जीवन से लिये गये अंशकालिक अध्यक्षों के नाम

क्रम संख्या	सरकारी उद्म का नाम	अंशकालिक अध्यक्ष का नाम
1.	केन्द्रीय भाण्डागार निगम	श्री जी० डब्ल्यू० मोमिन
2.	कोचीन रिफाइनरीज लि०	श्री सी० आर० पट्टाभिरामन
3.	हिन्दूस्थान साल्टस लि०	श्री पी० एन० काटजू
4.	इंडियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लि०	श्री ए० एम० तारिक
5.	इन्स्ट्रूमेंटिशन लि०	श्री व्ही० एन० काक
6.	मार्डन बेकरीज (इंडिया) लि०	श्री मूशीर अहमद खाँ
7.	नेशनल सीर्डस कार्पोरेशन लि०	श्री देव राव एस० पाटील
8.	सांभर सल्टस लि०	श्री पी० एन० काटजू
9.	स्टेट फार्मस कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	श्री एम० आग० कूभा
10.	काटन कार्पोरेशन आफ इंडिया लि०	श्री आर० एस० पंजहजारी
11.	टेनरी एण्ड फूटवियर कारर्पोरेशन आफ इंडिया लि०	श्री एस० ए० मेंहदी
12.	जूट कार्पोरेशन आफ इंडिया लि०	श्री द्वैपायन सेन

कलकत्ता में श्री भट्टाचार्य के निवास स्थान से बड़ी संख्या में डालर बिलों और मुद्रा का जब्त किया जाना

2611. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय जांच ब्यूरोने कलकत्ता में श्री भट्टाचार्य नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो अमरीकी फर्मों से जिनका पश्चिम बंगाल राज्य विजली बोर्ड के साथ अनुबन्ध है, कमीशन के रूप में बड़ी संख्या में धनराशि प्राप्त कर रहा था ;

(ख) क्या वह सम्पत्ति कर और आयकर का भुगतान नहीं कर रहा था ;

(ग) क्या उसके निवास स्थान पर छापा मारने के दौरान वहां से बड़ी संख्या में डालर विल और 30 लाख रुपये की मुद्रा जप्त की गई है; और

(घ) क्या इस कोड की जांच पूरी हो गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गयी जांच-पड़ताल से यह लगा कि कलकत्ता के किसी श्री वी० एन० भट्टाटाचार्य को, पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड से संविदा प्राप्त कराने के लिये अमरीका की कुछ फर्मों से गुप्त कमीशन प्राप्त हुआ था ।

4—2 LSS (N.D.)/73

(ख) तथा (ग) : चूंकि यह विश्वास करने का कारण था कि यह आय, आयकर के लिए घोषित नहीं की गई थी, इसलिए आयकर विभाग ने उनके यहां 19-1-1973 को तलाशी ली। तलाशी के परिणामस्वरूप, 29,28,894 रु० की भारतीय मुद्रा, 94 अमरीकी डालर तथा 3070 अमरीकी डालरों के यात्री चक पकड़ गए। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आय-कर तथा धन-कर, दोनों का अपवंचन हुआ है।

(घ) जी, नहीं। जांच-पड़ताल चल रही है।

भारत और श्रीलंका के अधिकारियों के बीच तस्करी की समस्या पर बातचीत

2612. श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और श्रीलंका के अधिकारियों की तस्करी की समस्या पर जनवारी, 1973 मे एक बैठक हुई थी;

(ख) यह बातचीत किन विषयों पर हुई थी ; और

(ग) क्या विदेशी मुद्रा संबंधी नियमों का उल्लघन, मादक द्रव्यों और अफीम के अवैध्य व्यापार पर भी बातचीत हुई थी ओर यदि हां, तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां। मद्रास मे 18 तथा 19 जानेवारी, 1973 को भारत तथा श्रीलंका के अधिकारियों के बीच एक बैठक अयोजित की गई थी।

(ख) तथा (ग) : चर्चा में, इन दो देशों के सामने उपस्थित तस्कर-व्यापार की समस्या, जिस में विदेशी मुद्रा संबंधी उल्लंघत शामिल है, मादक द्रव्यों तथा अफिम के अवैध-व्यापार की समस्याओं पर विचार किया गया। दोनो देशों के सीमाशूल्क अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने की एक योजना बनाई गई।

उड़िसा के लोह अयस्क के व्यापार में संकट

2613. श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उड़ीसा लोह अयस्क व्यापार मे संकट के बारे में समाचारपत्र के समाचारों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संकट का मुख्य कारण खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा राज्य के निर्यात कोटे में कथित कमी है; और

(ग) यदि हां, तो यह संकट दूर करने के लिये केन्द्र क्या कदम उठा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) उड़िसा राज्य में लोह आयस्क खनन को कायम रखने के लिये सभी संभव कदम उठाये जा रहे हैं।

Circulation of Fake Currency

2614. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether a large number of fake currency notes of rupees twenty/ten/five and two denominations are in circulation and the Government are making investigation into the matter ; and

(b) whether any foreign element is also involved in the circulation of these fake currency notes?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : From the number of counterfeit currency notes of these denominations recovered in circulation or seized by the police from the counterfeiters during the last three years, it appears that the magnitude of circulation of counterfeit currency can be considered to be extremely small in relation to the totality of currency in circulation. Generally, investigations into cases of counterfeit currency notes are taken bup by the concerned State Police as and when the cases are detected. Important cases are taken up for investigation by the C.B.I. also.

(b) There is no evidence to suggest that any foreign element is involved in the circulation of counterfeit currency notes in this country.

त्रिपुरा में रबड़ बागान क अन्तर्गत क्षेत्र

2615. **श्री वीरेन दत्त :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972 तक त्रिपुरा में रबड़ बागान के अन्तर्गत कितने हैक्टर भूमि थी;

(ख) 1975—76 तक रबड़ बागान के अन्तर्गत कितने हैक्टर भूमि लाई जायेगी; और

(ग) 1975—76 तक रबड़ उत्पादन कितना हो जायेगा ।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1972 तक त्रिपुरा में 190 हेक्टयर क्षेत्र पर प्रायोगिक रूप में रबड़ बोया गया था ।

(ख) ऐसा पता चला है कि 1975—76 तक लगभग 1200 हेक्टेयर के प्रस्ताविक क्षेत्र रबड़ बोये जाने का अनुमान है ।

(ग) 70 मे० टन ।

विदेशों में खरीददारों को घटिया मछली की सप्लाई

2616. **श्री के० बालद्वन्डायुतम :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही म भारत से ब्रिटेन को निर्यात की गई मछली एक खेप समुद्र में डालनी पड़ी क्योंकि स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसे मानव उपभोग के लिये अप्रयुक्त घोषित कर दिया था ;

(ख) क्या घटिया मछली की सप्लाई से विदेशी ग्राहकों का भारत द्वारा सप्लाई की गई मछली की किस्म से विश्वास उठ गया है; और

(ग) यदि हां, तो अन्य देशों में घटिया मछली भेजे जाना रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) ऐसे मामले की सूचना न तो ब्रिटन में भारतीय उच्चायुक्त द्वारा दी गई है और न ब्रिटेन सरकार द्वारा तथा नही खरीदार द्वारा दी गई है ।

(ख) तथा (ग) : मछली तथा मछली उत्पाद, निर्यात क्वालिटी नियंत्रण तथा निरी क अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत आते हैं ।

कृषि पुर्नवित्त निगम के अधीन छोटे बागानों के लिये योजना

2617. डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जब से कृषिपुर्नवित्त निगम की स्थापना हुई है, उसने अब तक चाय, काफी, रबड़ और इलायची बागानों के विकास के लिये कुल 114 योजनाएं स्वीकृत की हैं 8.13 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय हुआ और ऐसे रूणों के कुछ ही प्रस्ताव निगम के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इन ऋणों के अप्रचलन के कारणों की जांच की है और क्या इस संदर्भ में सरकार का ध्यान मामले के विश्लेषण की ओर दिलाया गया है जैसा कि 26 दिसम्बर 1972 के 'दि इकनामिक टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है ;

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में सेरकार ने क्या निर्णय किये हैं; और

(घ) योजना को प्रचलित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ न केवल बड़े बागान वालों की ही हो बल्कि छोटे बागान वालों को भी हो ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) कृषिपुर्नवित्त निगम ने अपनी स्थापना से लेकर 31 दिसंबर, 1972 तक की अवधि में, चाय, काफी, रबड़ और इलायची बागाणों के विकास के लिये 11के योजनाएँ स्वीकृत की हैं जिनका कुल परिव्यय 8.78 के करोड़ रुपए है । 31 दिसम्बर, 1972 की स्थिति के अनुसार आठ योजनाओं की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

(ख) से (घ) सरकार ने यह लेख देखा है । कृषि पुर्नवित्त निगम ने बागान योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिये कई कदम उठाएँ हैं । निगम ने बागान वालों के विभिन्न संघों की कहा है कि वे निगम को उसकी पुर्नवित्त सुविधाओं का अधिकाधिक उपयोग किये जाने के रास्ते में आने वाली समस्याओं के बारे में बतलाएँ । छोटे बागान वालों को प्रोत्साहन के रूप में , 10(प्रतिशत पुर्नवित्त सुगिधाएँ भी प्रस्तुत की गई हैं । सम्बध राज्यों को, जहां बागान विकसित किये जा सकते हैं, छोटे बागान वालों की एजेन्सियां स्थापित करने के लिये भी अनु ध किया गया है ।

वित्तीय सहायता के आवेदन फार्मों को मानक रूप दे दिया गया है और प्रस्तावों पर की जाने वाली कार्रवाई को भी बहुत कुछ विकेंद्रित कर दिया गया है ।

बिहार खादी ामोद्योग संघ का विकेंद्रीकरण

2618. श्री भोगें झा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 13 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4267 और 4268 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ को कई छोटे एककों में विकेंद्रित करने विचार है;

(ख) यदि हां, तो खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 5.46 करोड़ रुपए के ऋण की वापसी अथवा सुरक्षा को सुनिश्चित करने क लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) आयोग द्वारा दिए गए ऋणों के लिये बिहार सरकार की स्थायी गारण्टी के साथ खादी ग्रामोद्योग संघ को बिहार खादी बोर्ड में मिलाने के लिये आयोग के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और राज्य सरकारों के साथ कोई बातचीत हुई है और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ का स्टाक खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से नये संस्थानों को दिया जाएगा ताकि वे काम जारी रख सकें । बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ की स्टाक सहित चल सम्पत्ति खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के पास आडमान रूप में रखी हुई है । अचल संपत्ति के लिये न्यायोचित बंधक-पत्र निष्पादित किये जायेंगे । नये छोटे छोटे संस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा दी जाने वाली धन-राशियों के लिये उत्तरदायी होंगे । इन राशियों को सुरक्षित करने के लिये हर प्रकार की सावधानी बरती जाएगी । धन का लगभग 75 प्रतिशत इस व्यवस्था के अन्तर्गत आएगा । शेष राशि को वसूली कार्यवाही द्वारा वसूल करने के लिये कदम उठाए जायेंगे ।

(ग) जी नहीं । खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का ऐसा करने का कोई विचार नहीं है ।

राष्ट्रीय व्यावहरिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा दिया गया सुझाव

2619. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने सुझाव दिया है कि सार्वजनिक पूंजी निवेश और सार्वजनिक उपभोग के बीच बेहतर सन्तुलन के लिए कम से कम जुलाई अथवा अगस्त 1973 तक उपभोग पर कोई रोक लगानी चाहिये; और

(ख) यदि हां तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार सरकारी बचतों में वृद्धि करने तथा अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए अतिरिक्त साधन उपलब्ध करने के उद्देश्य से अपने खपत-व्यय पर कड़ा अनुशासन रखने को उच्च प्राथमिकता देती है । यद्यपि सरकार द्वारा शिक्षा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण की योजनाओं पर किये जाने वाले व्यय सरकारी खपत के अन्तर्गत आते हैं लेकिन वे विकासात्मक व्यय हैं और इस प्रकार का अधिकांश व्यय आयोजनागत व्यय का अंग होता है । इसके अलावा रक्षा सम्बन्धी मदें भी ऐसी हैं जिनके व्यय में किफायत करने की कम गुंजाइश है । इसी तरह समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों की सुरक्षा के लिए अनाजों के सम्बन्ध में देय राजसहायता जसे कुछ अन्तरण व्ययभी करने पड़ते हैं । फिर भी सरकार का प्रयास यह है कि आयोजना के अन्तर्गत सरकारी निवश के लिए निर्धारित राशि में लगातार वृद्धि की जाय ।

आर्थिक अपराधों को रोकने के लिये कार्यवाही करना

2620. **श्री शशि भूषण** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जमाखोरी, मुनाफाखोरी और चोर बाजारी जसे आर्थिक अपराधों को रोकने के लिये क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : जमाखोरों मुनाफाखोरों तथा चोर बाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में पहले ही व्यवस्था है तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को भी इस अधिनियम के अंतर्गत शक्तियां प्रदत्त की गई हैं । अतिरिक्त शक्तियां भारतीय रक्षा नियमों के अन्तर्गत भी उपलब्ध हैं ।

Nationalisation of Jute Mills in Bihar and other States

2621. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether any scheme for nationalisation of three jute mills of Bihar State located at Samastipur and Katinar is under the consideration of Government;

(b) whether jute mills in any other State are also proposed to be nationalised ; and

(c) if so, the broad outlines of the proposal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) to (c) There is no proposal to nationalise jute mills in any State. Government have, however, under consideration proposals to take-over, under the Industries (Development and Regulation) Act, certain mills in Bihar and one mill in West Bengal. No conclusions have been reached yet.

कान्डला मुक्त व्यापार क्षेत्र

2622. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :**
श्री आर० पी० उलगनम्बी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कान्डला मुक्त व्यापार क्षेत्र के उद्योगों के निकट भविष्य में बन्द होने का भय है; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Profit earned by K.V.I.C. during 1970-71 and 1971-72

2623. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the profit earned by the Khadi and Village Industries Commission during 1970-71 and 1971-72 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : The Khadi and Village Industries Commission earned/incurred the following profit/loss during the financial years 1970-71 and 1971-72 :

	1970-71	1971-72
(i) Khadi . . .	(+)57,657.92 (Net profit)	(+)6,04,100.87@ (Net profit)
(ii) Village Industries . .	(—)52,679.63 (Net loss)	(—)1,00,269.80@ (Net loss)

@Accounts for the year 1971-72 are yet to be audited by the Comptroller General of India.

Losses suffered by Public Sector Undertakings

2624. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Finance** pleased to State :

(a) the total cumulative loss suffered by Public Sector Undertakings upto 1969-70 and

(b) the name of the undertaking which suffered the maximum loss ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The total cumulative loss suffered by Central Government industrial and commercial undertakings as at the end of 1969-70 amounted to Rs. 427 crores.

(b) Of this loss, the Hindustan Steel Limited accounted for the maximum amount of Rs. 173 crores for any one company.

खनिज विकास परियोजनाओं के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता

2625. **डा० रानेन सेन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम खनिज विकास में भारत की सहायता करता रहा है;

(ख) यदि हां तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से अब तक कितनी सहायता प्राप्त हुई है और उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) किन परियोजनाओं के लिये सहायता का उपभोग किया गया है; और

(घ) इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०) भारत में खनिज विकास के लिए विशेषज्ञों की सेवाओं और उपकरणों के रूप में तथा भारतीय राष्ट्रिकों के लिए विदेशों में प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कर के तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अब तक निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए 2 496 300 डालर तक की तकनीकी सहायता मंजूर की है :—

	डालर
1. तमिलनाडु खनिज विकास (चरण I) :—	
विशेषज्ञ (233 मनुष्य-महीने)	438,700
शिक्षावृत्तियां (76 मनुष्य-महीने)	32,000
उपकरण	315,000
विविध	149,300
जोड़	1,076,600
2. तमिलनाडु खनिज विकास (चरण II)	
विशेषज्ञ (120 मनुष्य-महिने)	300,000
शिक्षावृत्तियां (60 मनुष्य-महिने)	32,000
उपकरण	68,000
उप-संविदा	161,400
विविध	41,000
उप-संविदा	141,600
जोड़	602,500

3. उत्तर प्रदेश में खनिज सर्वेक्षण :—	
विशेषज्ञ (141 मनुष्य-महीने)	303,200
शिक्षावृत्तियां (60 मनुष्य-महीने) . . .	31,000
उपकरण	132,700
उपसंविदा	125,000
विविध	91,800
जोड़ .	683,700
4. खनिज विकास निगम लिमिटेड को एक खनन इंजीनियर और खनन भूविज्ञानी की 24 मनुष्य महीने की सेवाएं उपलब्ध करके दी गयी सहायता . .	डालर 4800
5. हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड को एक खनन इंजीनियर की 36 मनुष्य-महीने की सेवाएं उपलब्ध करके दी गयी सहायता	85,500

(घ) तमिलनाडु खनिज विकास परियोजना (चरण I) को जिसे 1967 के मध्य में शुरू किया गया था 1972 के आरम्भ में पूरा कर दिया गया। इस परियोजना के अन्तर्गत तमिलनाडु राज्य के 13 000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में चुम्बकीय दृश्यांशी रेडियोधर्मी खनिज पदार्थों को पूर्णतः तालिकागत करने का काम हाथ में लिया गया। इस कार्य के परिणामस्वरूप तिरुवेन्नमलाई जिला में 1,500 लाख टन घटिया किस्म के पटिटत चुम्बकीय खनिज का और कुछ तांबा, सीसा, जिंक, मेलिवडिनम खनिजों का पता लगाया गया था हालांकि इन अप-धातुओं का तालिकागत कार्य काफी सीमित रहा। इस परियोजना के अन्तर्गत शुरू किए गए कार्यकलापों को सफल बनाने तथा अपधातुओं के संभावित क्षेत्रों का विस्तार करने के उद्देश्य से इन परियोजना के चरण II के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से और सहायता ली गयी है। इस परियोजना का चरण II जिसकी अवधि 2-1/2 वर्ष की है अप्रैल 1972 से शुरू किया गया था।

उत्तर प्रदेश की खनिज सर्वेक्षण परियोजना जिसकी अवधि 2-1/2 वर्षों की है, अगस्त 1971 में चालू की गई थी और उसका काम अभी चल रहा हैं।

दो विशेषज्ञों अर्थात् एक खनन इंजीनियर और एक खनन भू विज्ञानी की सेवाएं अक्टूबर, नवम्बर 1970 से एक एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को उपलब्ध की गयी थीं और ये दोनों विशेषज्ञ अपना कार्यकाल पूरा करके भारत से चले गए।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के लिए एक खनन इंजीनियर की सेवा उपलब्ध की गयी हैं जिसका कार्यकाल अप्रैल 1972 से शुरू होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए है। यह विशेषज्ञ अभी काम कर रहा है।

तमिलनाडु में खनिज विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता

2626. डा० एम० कल्याण सुन्दरम : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने तामिल नाडु में खनिज विकास के दूसरे चरण के लिये 602500 डालर की सहायता देने की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो इस सहायता से कौन-कौन सी योजनाएँ क्रियान्वित की गई है;

(ग) उपरोक्त राज्य में खनिज विकास कार्यक्रम के पहले चरण के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने कितनी सहायता दी थी; और

(घ) कार्यक्रम के पहले चरण में क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के दूसरे चरण के अन्तर्गत दी गई सहायता का उपयोग इस परियोजना के पहले चरण के अन्तर्गत आरम्भ किय गये क्रियाकलापों को पूरा करने के लिये करने की मंजूरी दे दी गई है अधिकृत अर्थात् तमिलनाडु राज्य के लगभग 13,000 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में व्यापक और गहन अन्वेषण तथा तांबे, सीसे, जस्ते और रजतवत् श्वेतधातु जैसी बुनियादी (वेस) धातुओं के अन्वेषण के क्षेत्र का विस्तार । इस परियोजना के अन्तर्गत, तिरुवन्न-मलाई खनिज भंडारों की विकास क्षमता का और अधिक गहन अध्ययन करने का काम भी हाथ में लिया जायगा ।

(ग) 1076600 डालर ।

(घ) तमिलनाडु की खनिज विकास परियोजना (चरणI) के अन्तर्गत, 1967 से 1971 तक के वर्षों में तमिलनाडु राज्य के 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में चुम्बकीय और अंशदर्शी (आउट-क्रापिंग) रेडियोधर्मी खनिजों के भंडार का व्यापक अनुमान लगाने का कार्य भी शुरू किया। इस कार्य के परिणामस्वरूप तिरुवन्नमलाई जिले में लगभग निम्न ग्रेड बेण्ड की 1500 लाख टन मग्नेटाइट धातु का पता लगाया गया । थोड़ी सी मात्रा में तांबे, सीसे, जस्ते और रजतवत श्वेतधातु का भी पता लगा है यद्यपि उन अप धातुओं के भंडारों का अनुमान लगाने का काम काफी सीमित है ।

पटसन के निर्यात में कमी

2627. श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के वर्षों में पटसन के निर्यात में कमी की प्रवृत्ति रही है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) निर्यात में कमी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पटसन माल के निर्यातों में 1971 में वृद्धि हुई थी परन्तु 1972 में मात्रा की दृष्टि से कुछ गिरावट आई । तथापि, निर्यातों के मूल्य में वृद्धि हुई है ।

(ख) 1972 में निर्यातों के परिणाम में गिरावट के मुख्य कारण हैं, (क) संश्लिष्टों से प्रतियोगिता तथा बंगला देश के पटसन उद्योग का पुनः उभरना, और (ख) कच्चे माल का अभाव

(ग) गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) 1 नवम्बर, 1972 से प्रति वर्ग गज 9 औंस अथवा अधिक वजन वाले प्राइमरी कालीन अस्तर वस्त्र पर निर्यात शुल्क को 700 रु० से घटा कर 300रु० प्रति मैं० टन कर दिया गया है ताकि इसे संश्लिष्टों से और अधिक प्रतियोगी बनाया जा सके ।

(2) एक सामान्य पटसन नीति तैयार करने के लिये एक संयुक्त भारत-बंगला देश अध्ययन दल स्थापित किया गया है ।

(3) वर्तमान अभाव को पूरा करने के लिये कच्चे पटसन के समुचित आयात की व्यवस्था की जा रही है ।

(4) पटसन मील मशीनरी के आधुनिकीकरण में भारत के औद्योगिक वित्त निगम से ऋणों के जरिए सहायता दी जा रही है ।

(5) उत्पादन के विविधीकरण हेतु इंडियन जूट मिल्स एसोसियेशन द्वारा निरन्तर गवषण की जा रही है ।

आर्थिक अपराधों की दोषी फर्मों अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें

2628. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972–73 में कर अपबंधन, विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने और अन्य आर्थिक अपराधों के लिये दोषी किसी व्यक्ति अथवा फर्म पर मुकदमा चलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों और फर्मों के नाम क्या हैं और उन के विरुद्ध क्या विशेष आरोप लगाये गये और प्रत्येक मामले में कितना धन अन्तर्ग्रस्त था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है। प्रश्न में उल्लिखित मामलों की संख्या बहुत ज्यादा है, इस कारण पूरी सूचना एकत्र करने में काफी समय लगेगा। लेकिन, सीमाशुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, प्रत्यक्ष–कर कानून तथा विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के जिन मामलों में 50,000/– रुपये से अधिक की रकमें ग्रस्त थीं, उनमें 1972–73 की प्रथम तीन तिमाहीयों में जिन व्यक्तियों और फर्मों के खिलाफ इस्तगासे की कार्यवाही की गई, उनके बारे में विवरण सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

भारत सहित आठ विकासशील देशों के बीच टैरिफ रियायत का पारस्परिक आदान-प्रदान

2629. **श्री हरी प्रसाद शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सहित आठ विकासशील देशों के बीच टरिफ रियायत के पारस्परिक आदान-प्रदान संबंधी करार को हाल में लागू किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां तो इस की मुख्य बातें क्या हैं और विभिन्न देशों की किस प्रकार की पारस्परिक रियायत दी जायेंगी ; और

(ग) इस प्रबन्ध द्वारा भारत के व्यापार तथा उद्योग और देश के आर्थिक हितों को कितना लाभ होने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : गाट व्यापार वार्ता समिति के तत्वावधान में, भारत तथा 15 अन्य विकासशील देशों† ने इन देशों के बीच विनिमय वाले विनिर्दिष्ट उत्पादों पर टेरिफ अधिमानों के आदान प्रदान के लिए फरवरी 1972 में एक संलेख पर हस्ताक्षर किए। इस संलेख की शर्तों के अनुसार, इस संलख की आधे देश स्वीकार (अनुसमर्थित) कर देंगे ; उस के बाद तीसवें दिन यह लागू हो जायेगा और उस प्रत्येक देश के लिए, जो तत्पश्चात् इसे स्वीकार करता है, ऐसी स्वीकृति के तीसवें दिन यह लागू होना था। निम्नोक्त आठ देशों ने इस संलख को 12 जनवरी 1973 तक स्वीकार कर लिया था और अतः यह उनके बीच 11 फरवरी, 1973 से प्रभावी हो गया है :—

भारत, ब्राजील, इसरालय, कोरिया गणराज्य (दक्षिणी कोरिया), पाकिस्तान, स्पेन, तुर्की, तथा यूगोस्लोवेकिया। ट्यूनीसिया ने इस संलेख को 5 फरवरी 1973 को स्वीकार किया और अतः उस देश के लिए यह 7 मार्च 1973 से प्रभावी हो गया।

भारत ने उसके द्वारा दिये जाने वाले अधिमानों से पाकिस्तान तथा इसराइल को निकाल दिया है और इसी प्रकार भारत को इन दोनों दशों में अधिमानी व्यवहार नहीं मिलेगा।

† ब्राजील, चिली, मिश्र, यूनान, इसरायल, कोरिया गणराज्य, मक्सिको, पाकिस्तान, पेरू, फिलीपीन, स्पेन ट्यूनीसिया, तुर्की, उइग्व, तथा यूगोस्लोविकिया।

संलेख के अंतर्गत भारत जिन वस्तुओं के लिए विभिन्न देशों में जो टैरिफ रियायतें प्राप्त करेगा वे इस प्रकार हैं : ब्राजील में वेल्स, स्टीम टर्बाइनों, जनरेटरों, सार्वजनिक टेलीफोन सैट आदि के लिए कोरिया गणराज्य में, तम्बाकू, हाइड्रोलिक सीमेंट, कुछ औषधियों आदि के लिए, स्पेन में, चीनी की मिठाइयों, बिस्कुट, इत्र आदि के लिए तुर्की में, रबड़ टायरों, तारों, केवलों, बिजली के कुछ सहसाधनों आदि के लिए, यूगोस्लोवाकिया में इस्पात की कुछ मदें, रिफ्रीजेटरों, संगणक मशीनें (कश रजिस्टस) औषधियां तथा दंत संबंधी उपस्करों ।आदि के लिए, ट्यूनीशिया में विटामिनों, एंटीबायोटिक, उर्वरकों, जनरेटरों, ट्रान्सफार्मरों, बिजली की मोटरों आदि के लिए।

भारत जिन वस्तुओं के लिए टैरिफ रियायतें प्रदान करेगा वे हैं : जैतून का तेल, कुछ रसायन एल्यूमिनियम की छड़ें, चादरें आदि, औजार, स्टीम बायलर, औद्योगिक सिलाई मशीनें, आदि।

(ग) इन अन्य विकासशील देशों में भारत द्वारा प्राप्त रियायतों से भारत के निर्यातों को विकसित देशों के सप्लायरों और उन अन्य विकासशील देशों के सप्लायरों जिन्होंने इन वार्ताओं में भाग नहीं लिया, की तुलना में टैरिफ संबंधी लाभ प्राप्त होगा। भारत द्वारा दी गई रियायतों से भारत में इन मदों के आयातों के स्वरुप पर किसी महत्वपूर्ण सीमा तक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

भारत में उद्योग स्थापित करने के लिये विदेशों में भारतीय उद्यमकर्ताओं, इंजीनियरों और तकनिशनो को प्रोत्साहन देना

2630. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**
श्री आर० के० सिन्हा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में रहने वाले भारतीय उद्यमकर्ताओं, इंजीनियरों और तकनीशनों को मशीनें और कच्चा माल अथवा आयात करने की सुविधाएं दे कर भारत में उद्योग स्थापित करने के लिये, आकर्षित करने हेतु कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या है और उन को क्या प्रोत्साहन देने की पेशकश की गई है ; और

(ग) औद्योगिक विकास के किन विशिष्ट क्षेत्रों में इस प्रकार का प्रोत्साहन मांगा गया है और इस योजना के अन्तर्गत प्रत्यक उद्योग में कितनी अतिरिक्त क्षमता पैदा की जायगी।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) तथा (ख) : वर्ष 1972-73 की आयात नीति में ऐसे भारतीयों के लिए, जो विदेशों से लौट रहे हों, वहां रहते हों, और भारत में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक हों, विशेष सुविधाओं की व्यवस्था है। इस योजना के ब्यौरे, सार्वजनिक सूचना सं० 182-आई० टी० सी० (पी० एन०)। 72, दिनांक 14 दिसम्बर, 1972 द्वारा संशोधित रूप में वर्ष 1972-73 की आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड-बुक - खण्ड 1) में दिये गये हैं।

(ग) यह योजना किसी उद्योग विशेष के लिए सीमित नहीं है। योजना के परिणामों का अभी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। योजना के फलस्वरुप अतिरिक्त उत्पादन क्षमता स्थापित किये जाने वाले एककों पर निर्भर करेगी।

भारत और सूडान के बीच व्यापार करार

2631. **श्री गिरिधर गोमांगो :**

श्री पी० एस० सामिनाथन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सूडान ने वर्ष 1973 के लिये एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस करार की मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1965 से भारत और सूडान के बीच एक व्यापार करार विद्यमान है। इस करार के उपबंधों के अंतर्गत विशिष्ट अवधियों के लिए वैध व्यापार प्रबंध समय समय पर तैयार किए जाते हैं। अंतिम व्यापार प्रबंध 1 जुलाई, 1971 से 31 दिसम्बर, 1972 तक की अवधि के लिए वैध था। नया व्यापार प्रबंध 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 1973 तक की अवधि के लिए है जिस पर 7 जनवरी, 1973 को खारतूम में हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) नये व्यापार प्रबंध में यह व्यवस्था है कि भारत से 2.35 करोड़ पौंड मूल्य के निर्यात किए जाएंगे जब कि सूडान से कुल 2.65 करोड़ पौंड के आयात किए जाएंगे। इन दोनों आंकड़ों के बीच 31 लाख पौंड का जो अंतर है, वह अंतिम व्यापार प्रबंध से हुई कमी को दर्शाता है। इस व्यापार प्रबंध के अंतर्गत, भारत सूडानी रुई और कुछ थोड़ी मात्रा में गम अरेबिक तथा कच्ची चमड़ियों तथा खालों के बदले मुख्यतः चाय, पटसन से बने माल वस्त्र और इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात करेगा।

पालिसी होल्डरों को दावों के भुगतान में विलम्ब

2632. **श्री गिरिधर गोमांगो :**

श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जीवन बीमा निगम, पालिसी होल्डरों को उनकी पालिसी की अवधि समाप्त हो जाने के बाद दावों के भुगतान में विलम्ब करता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विलम्ब की अवधि के लिये ब्याज नहीं दिया जाता है ; और

(ग) वर्ष 1973 में कितनी पालिसियों की अवधि समाप्त हुई थी और कितने मामलों मे भुगतान किया गया है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जीवन बीमा निगम द्वारा पूरी कोशिश की जाती है कि पालिसी की पूर्णता पर पालिसीधारियों को भुगतान–तिथि को ही भुगतान मिल जाय। परन्तु जिन मामलों में पालिसीधारियों, पालिसी संबंधी दस्तावेज तथा अन्य कागज पूरे कर के समय पर वापिस नहीं भेजते अथवा जिन मामलों में पालिसी-धारियों के वर्तमान पते मालूम नहीं होते हैं, उनमें दावों को निपटाने में विलम्ब हो ही जाता है।

(ख) जिन परिपक्व दावों का भुगतान करने में विलम्ब हो जाता है, उनमें परिपक्वता तिथि तथा भुगतान तिथि के बीच तीस दिनों से अधिक समय का अन्तर होने पर, जीवन बीमा निगम

6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज की अनुग्रह पूर्ण अदायगी करता है। तीस दिन की इस अवधि की गणना में से दावेदारों द्वारा अपेक्षाओं की पूर्ति में वस्तुतः लगाया गया समय घटा दिया जाता है।

(ग) वित्तीय वर्ष 1971-72 में 2,71,982 परिपक्व दावों की सूचना मिली। इनमें से लगभग 88 प्रतिशत दावे उसी वर्ष में निपटा दिये गये थे। इस वर्ष में 2,73,406 परिपक्व दावों का भुगतान किया गया और इस संख्या में पिछले वर्षों के बकाया दावे भी शामिल है।

वर्ष 1973 में परिपक्व हुई पालिसियों की संख्या अभी उपलब्ध नहीं है।

आय में असमानता में प्रस्तावित कमी

2633. **श्री भोला मांझी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आय में वर्तमान असमानता में कमी करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का उक्त लक्ष्य कैसे प्राप्त करने का विचार है ;

(ग) क्या आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य रुपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) (क) से (घ) : यद्यपि, आय पर औपचारिक रूप से कोई उच्चतम सीमा लागू करने का प्रस्ताव नहीं है, फिर भी, सरकार विभिन्न राजस्व और राजस्व भिन्न उपायों के जरिए आय में विद्यमान असमानताओं को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इन उपायों में उत्तरोत्तर ऊँची दरों पर आयकर तथा धन कर लगाया जाना, कृषि सम्पत्ति पर धन-कर लागू करना, शहरी भूमि तथा इमारतो के संबंध में प्रस्तावित उच्चतम सीमा निर्धारित करना तथा कृषि जोतों पर लागू की गयी उच्चतम सीमाओं को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए राज्यों द्वारा किये जा रहे उपाय शामिल हैं। इस समय सदन के सम्मुख रखे गये, प्रत्यक्ष-करों से संबद्ध बजट प्रस्तावों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिनमें कृषि-भिन्न उस आय पर जो छूट की सीमा से अधिक हो, आयकर की दरें निर्धारित करने के प्रयोजन से कृषि और कृषि भिन्न दोनों आय को एक साथ मिला देने की तथा इस समय अविभाजित हिन्दू परिवारों पर लागू कराधान प्रणाली की वर्तमान त्रुटियों को दूर करने के उपाय शामिल हैं। करों की चोरी की रोकथाम करने और इस तरह कर ढांचे को अपेक्षाकृत अधिक समतापूर्ण बनाने के उद्देश्य से सरकार वांचू समिति द्वारा की गयी उन सिफारिशों को लागू करना चाहती है जो सरकार को स्वीकार्य हैं। रोजगार संबंधी कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त राशियों की व्यवस्था करना तथा समाज कल्याण की चुनी हुई योजनाओं पर लगातार जोर देते रहना, आय और उपभोग संबंधी मौजुदा असमानताओं को कम करने की दिशा में किये जा रहे प्रयास के ही अंग हैं।

दिल्ली में हुए अखिल भारतीय प्रबन्ध सम्मेलन में की गई सिफारिश

2634. **श्री पी० ए० सामिनाथन :**
श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में 4 फरवरी 1973 को तीन दिन का एक अखिल भारतीय प्रबन्ध सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उस में किन किन विषयों पर चर्चा की गई और उक्त सम्मेलन में क्या सिफारिशें की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) संभवत: सम्मानित सदस्य प्रबंध अध्ययन संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय के तत्वावधान में नई दिल्ली में 2 से 4 फरवरी 1973 तक आयोजित तीन दिवसीय अखिल भारतीय प्रबंध सम्मेलन का उल्लेख कर रहे हैं।

(ख) सम्मेलन का विषय औद्योगिक विकास के लिए निगम-नीति पर चर्चा करना था। उसमें निकाले गए कुछ मुख्य निष्कर्ष ये थे : -

(i) सरकार और व्यापार के बीच पारस्परिक विश्वास की आवश्यकता ;

(ii) देशी प्रोद्योगिकी (टैक्नालाजी) का विकास;

(iii) वर्तमान साधनों के पूर्णतर उपयोग के लिए राजस्व संबंधी और प्रशासनिक उपाय ;

(iv) एक उचित निर्यात-नीति का विकास ; और

(v) प्रबंधक वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच संबंधों को मजबूत करना।

जापान से वित्तिय सहायता

2635. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**

श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान सरकार ने भारत को 60 करोड़ रुपये का ऋण देने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) : जी हां। 1972-73 के लिए भारत को जापान द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता के संबंध में, 2 फरवरी 1973 को भारत सरकार और जापान के निर्यात-आयात बैंक द्वारा 2500 करोड़ येन (60 करोड़ रुपये) के दो ऋण-करारों पर हस्ताक्षर किये गये थे।

पहला ऋण, जिसका नाम 12 वां येन ऋण है, 1322.6 करोड़ यन (31.74 करोड़ रुपये) का है और इसमें से 300 करोड़ येन (7.2 करोड़ रुपये) की राशि परस्पर-सम्मत परियोजनाओं के लिए है और 1022.6 करोड़ यन (24.54 करोड़ रुपये) का राशि परियोजना-भिन्न प्रयोजनों जैसे इस्पात, रसायनों, उर्वरकों, कच्चे माल आदि जैसी वस्तुओं की खरीद के लिए है। यह ऋण 25 वर्ष की अवधि में, जिसमें 7 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है, येन में चुकाया जाना है और इसके व्याज की दर 4.5 प्रतिशत वार्षिक है।

दूसरा ऋण 1177.47 येन (28.26 करोड़ रुपये) की राशि का है और यह जापान से इससे पहले प्राप्त उन येन-ऋणों के मूलधन की वापसी-अदायगी के कार्यक्रम के पुनर्निर्धारण के प्रयोजन के लिए है, जो 10 अगस्त, 1972 से 31 मार्च, 1973 तक की अवधि में दय हैं। यह ऋण 10 वर्ष की रियायती अवधि-सहित 25 वर्षों में चुकाया जाना है और इस पर 4 प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज लगेगा।

सभी राज्यों की राजधानियों में मौसम संबंधी केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव

2636. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी राज्यों की राजधानियों में मौसम संबंधी केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो वे राज्यवार कहां कहां पर, स्थापित किये जायेंगे और इस प्रस्ताव को अन्तिम रुप कब तक दे दिया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) : (क) सभी बड़े बड़े राज्यों की राजधानियों में मौसम कन्द्र स्थापित करने की स्कीम का भारत मौसम विमान विभाग द्वारा क्रमिक रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(ख) अब तक निम्नलिखित केन्द्र स्थापित किये जा चूके है :—

केन्द्र का स्थान	संबधित राज्य
गौहाटी . . .	आसाम, मेघालय, मणिपर, नागालैण्ड, त्रिपूरा तथा केन्द्र शासित प्रदश अरुणाचल व मिज़ोराम
जयपुर	राजस्थान
त्रिवेन्द्रम	केरल
लखनऊ	उत्तर प्रदेश
हैदराबाद	आंन्ध्र प्रदेश
बंगलौर	मैसूर

चौथी योजनावधि के अन्त तक निम्नलिखित राज्यों की राजधानियों में भी मौसम केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है:—

भुबनेश्वर	उड़ीसा
श्रीनगर	जम्मू व कश्मिर
पटना	बिहार
अहमदाबाद	गुजरात

बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, तथा नई दिल्ली में पहले से विद्यमान प्रादशिक मौसम कार्यालय महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल व तमिल नाडू राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली के संबंध में मौसम केन्द्रों के रूप में भी कार्य कर रहे हैं।

चंडीगढ़, शिमला तथा भोपाल में इसी प्रकार के केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न पर पांचवीं योजनावधि के दौरान विचार किया जाएगा ।

Number of Institutions Nationalised after Bank Nationalisation

2637. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of institutions nationalised so far since the nationalisation of banks ;

(b) the value of the machines and material obtained by Government as a result of nationalisation thereof; and

(c) the total amount paid to the owners of these establishments in the form of compensation ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Export of Goods to other countries

2638. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the countries to which India exported goods during 1971-72, 1972-73 (till 31st December, 1972) and the names of the goods exported alongwith the quantity thereof ; and

(b) the foreign exchange earned by India against the goods exported during the said period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) & (b) The required information for 1971-72 and 1972-73 (April—August, which is the latest is available in the published source *viz.*, "Monthly Statistics of Foreign Trade of India" Vol. 1—Exports and re-exports, the March and August issues of 1972 published by Director-General, Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta.

पश्चिम जर्मनी पुनर्निर्माण निगम के अध्यक्ष के साथ वार्ता

2639. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भारत की विदेशी सहयोग तथा पूंजी निवेश नीति के बारे में पश्चिम जर्मनी पुनर्निर्माण निगम के अध्यक्ष के साथ वार्ता की है ; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर वार्ता हुई और उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) : जी हां। पश्चिम जर्मनी के पुनर्निर्माण निगम के अध्यक्ष डा० हरमैन एब्स ने अपनी हाल की यात्रा के दौरान वित्त मंत्री और आर्थिक कार्य विभाग के सचिव से मुलाकात की थी ।

(ख) मुख्यत:, भारत के आर्थिक विकास में विदेशी पूंजी-निवेश की भूमिका के बारे में बातचीत हुई थी। वित्त मंत्री ने कहा था कि भारत में देशी प्रौद्योगिकी का विकास हो जाने से विदेशी निवेश के संबंध में भारत की नीति चयनात्मक हो गयी है और भारत इस बात को तरजीह

देगा कि भारत में प्रोद्योगिकी का अन्तरण विदेशी पूंजी–निवेश के माध्यम से किये जाने के स्थान पर रायल्टी और तकनीकी शुल्क की अदायगी के जरिए हो, हालांकि विदेशी निवेश का उपयोग उन तकनीकी क्षेत्रों में प्रोद्योगिकी के अन्तरण के साधन के रूप में किया जा सकता है जहां उद्यमों की सफलता के लिए विदेशी सहयोग का जारी रहना जरुरी समझा जाता हो।

कम्पनी अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तनों पर भी विचार-विमर्श किया गया था। यह स्पष्ट किया गया कि विदेशी मुद्रा विनियमन संबंधी नये विधेयक का उद्देश्य मुख्यत: विदेशी मुद्रा की चोरी को रोकना है। विधेयक में, उन मौजूदा कम्पनियों के कार्यचालन की समीक्षा करने की भी परिकल्पना की गयी है जिनकी शेयर-पूंजी में 40 प्रतिशत या इससे अधिक विदेशी निवेश हो। कुछ क्षेत्रों में, इन फर्मों को प्राप्त विशिष्ट ज्ञान का उपयोग निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है।

बाजार से नये ऋण लेना

2640. श्री पी० गंगादेव :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाजार से नए ऋण लेने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना ऋण लिया जायगा?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण): (क) केन्द्रीय सरकार का 1972–73 के वर्ष में नये बाजार ऋण जारी करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भारत और हंगेरी के बीच व्यापार करार

2641. श्री पी० गंगादेव :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और हंगेरी ने वर्ष 1973 के लिये एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस करार के अन्तर्गत कितना व्यापार होने का अनुमान है ; और

(ग) किन वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा और हंगरी से किन वस्तुओं का आयात किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : जी हां, व्यापार संलेख के अन्तर्गत 1973 के दौरान 58.50 करोड़ रु० का कुल व्यापार किये जाने की व्यवस्था है।

5—2 LSS N.D.)/73

(ग) भारत से निर्यात की जाने वाली मुख्य मदों में मूंगफली की तेल रहित खली, लौह, अयस्क, चाय, काफी, पटसनत तथा पटसन से बने माल जैसी परम्परागत मदों के अलावा रेल के माल डिब्बे, वस्त्र, मशीनें, विभिन्न प्रकार का इंजीनियरी माल, प्रसाधन सामग्री, रासायनिक उत्पाद तथा भेषजीय उत्पाद शामिल है हंगेरी से आयात कि जाने वाली मुख्य मदे स्टील तथा स्टील उत्पाद रासायनिक पदार्थ, इलक्ट्रानिक्स तथा दूरसंचार उद्योग के लिए पूंजीगत माल तथा मशीनरी, कच्चा सल आदि, फोटोग्राफी की फिल्में और एरियल रोडवेज उपस्कर आदि हैं।

Arrest of persons involved in printing fake dollar and 100-Rupee Currency Notes

2642. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the police has arrested some persons allegedly involved in printing fake dollar and 100-rupee currency notes in a raid on a firm at Phagwara in February, 1973 ;

(b) if so, the number of persons arrested in this connection ; and

(c) the action taken by Government against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Yes, Sir.

(b) Twelve.

(c) The criminal cases instituted against them are still under investigation. In course of investigation, various incriminating materials consisting of ink dyes, printing papers, blocks & instruments for counterfeiting currency notes etc. have been seized by the Police. The Interpol has also been alerted as the investigations reveal that a few persons living in England and Canada may be involved in this racket.

केरल की निर्यात क्षमता सम्बन्धी सर्वेक्षण

2643. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने केरल की निर्यात संबंधी क्षमता सर्वेक्षण के बारे में अपने प्रतिवेदन में निर्यात–प्रधान एककों की स्थापना करने का और राज्य में निर्यात-फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिये भूमि के उपयोग के ढाँचे में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सुझावों को क्रियान्वित करने में सहायता देने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) जब कभी भी कोई विशिष्ट प्रस्थापना प्राप्त होगी, केन्द्रीय सरकार का संबंधित विभाग राज्य सरकार के सहायता संबंधी अनुरोध पर विचार करेगा।

टायर निर्माताओं के लिये रबड़

2644. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नें टायर निर्माताओं को निदेश दिय है कि वे लघू रबड़ उत्पादको को सहायता देने के प्रतिमास 750 से 1000 टन ग्रेड रबड़ खरीदें; और

(ख) यदि हां, तो क्या टायर निर्माताओ नें सरकार के निदेशानुसार ग्रेड रबड़ कि खरिद आरम्भ कर दी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० के स्टाकों में आर० एम० ए०–5 ग्रेड रबड़ के संचयन को देखते हुए नवम्बर, 1972 में टायर विनिर्माताओं की एक बैठक बुलाई गई जिसमें वे इस बात पर राजी हो गए कि वे दिसम्बर, 1972 से शुरु होने वाली तीन मास की अवधि में राज्य व्यापार निगम के स्टाकों से प्रतिमास आर० एम० ए०–5 की 700 मे० टन मात्रा उठायेंगे। परन्तु, टायर विनिर्माताओं द्वारा की गई खरीदारियां उस स्तर तक नहीं थी जिसके लिए वे सहमत हुए थे। कम खरीदारी का एक कारण पावर की कमी बताया गया है।

खाड़ी के देशों के साथ विमान सेवा का करार

2645. श्री बीरेंद्र सिंह राव :

श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हाल ही में खाड़ी के देशों अर्थात् बहरीन, कातार, संयुक्त अरब गणराज्य और ओमान के साथ विमान सेवाएं आरम्भ करने के संबंध में करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसके परिणामस्वरुप प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : भारत सरकार तथा कातार, बहरीन, संयुक्त अरब अमीर शासित राज्यों व ओमन सल्तनत की सरकारों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच द्विपक्षीय विमान सेवा करार सम्पन्न करने के लिए 6 व 7 फरवरी, 1973 को बहरीन में वार्ता हुई। करारों के समान पाठ तैयार किए गए तथा उन पर अद्याक्षर किये गए।

इन बैठकों में मार्ग अनुसूची तथा यातायात अधिकारों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस संबंध में निर्णय पारस्पारिक सहमति से तय की गई किसी तारीख को एक और बैठक में किया जाएगा। इस बीच, यह तय हुआ कि 31 मार्च, 1973 तक समस्त अधिकारों पर यथा-पूर्व स्थिति बनी रहेगी।

जब तक मार्ग अनुसूचियों तथा आवृत्तियों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता तब तक संभावित आय का अनुमान लगाना संभव नहीं होगा।

व्यापार सम्बन्धी सलाहकार पारषद की बैठक

2646. श्री बीरेंद्र सिंह राव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार संबंधी सलाहकार परिषद् की बैठक नई दिल्ली में फरवरी, 1973 के दूसरे सप्ताह में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा की गई निर्यात प्रोत्साहन कार्यवाही पर इस बैठक में चर्चा की गई थी ; और

(ग) उक्त बैठक में अन्य किन किन विषयों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय लिये गये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। व्यापार संबंधी सलाहकार परिषद् की बैठक नई दिल्ली में 18 फरवरी, 1973 को हुई थी।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न का यह भाग कुछ अस्पष्ट है क्योंकि इसमें विश्व की गतिविधियों के संदभ में जानकारी मांगी गई है जिनको स्पष्ट नहीं किया गया है। तथापि, बैठक में विचार विमर्श परिषद् के कानूनी कार्यों के बारे में ही केन्द्रीत रहा उदाहरणार्थ वाणिज्यिक दृष्टि से देश की अर्थ व्यवस्था के निष्पादन का पुनरीक्षण किया गया तथा निर्यातों के विस्तार, आयातों के विनियमन, आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रणों का क्रियान्वयन, निर्यात विपणन तथा निर्यात सहायता के विशेष संदर्भ में वाणिज्यिक सेवाओं के कार्यकरण तथा साथ ही अर्थ व्यवस्था के निर्यात क्षेत्र के संगठन तथा विस्तार से संबंधित समस्याओं पर विचार किया गया।

जैसा कि नाम से स्पष्ट है, परिषद् पूर्णतः एक सलाहकार निकाय है और इस लिए परिषद की बैठक में कोई विनिश्चय नहीं किये गये हैं। तथापि बैठक में दिये गये सुझाओं को संबद्ध सरकारी विभागों/कार्यालयों को उनके विचारार्थ भेज दिया गया है।

लीड बैंकों द्वारा गठित जिला स्तरीय सलाहकार समितियों का कार्यकरण

2647. **श्री अण्णा साहिब गोटखिण्ड** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लीड़ बैंकों द्वारा गठित जिला स्तरीय सलाहकार समितियां प्रभावशाली ढंग से काम नहीं कर रही हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो जिला स्तर पर वित्तीय संस्थाओं के कार्यों में उचित समन्वय लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) : जिला स्तरीय सलाहकार समितियों की स्थापना एक नया काम है जिसका उद्देश्य जिलों में कार्य कर रही ऋण दाता संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना है। ऐसी समितियां 223 जिलों में काम कर रही हैं और इस समय उनकी प्रभावकारिता की जाँच करना कुछ हद तक समयपूर्व होगा। सभी बैंकों को कहा जा रहा है कि वे बाकी लीड जिलों में ऐसी समितियां गठित करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रभावकारी समन्वय के लिए उनकी बैठक नियमित रुप से हुआ करे।

रिजर्व बैंक द्वारा ऋण लेखे अन्तरिम करने पर प्रतिबन्ध

2648. **श्री बालदन्डायुतम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक द्वारा 25 लाख तथा उससे अधिक रुपयों की राशि के ऋण लेखों के अन्तरण पर लगाई गयी रोक के कारण बैंको द्वारा इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि ऋणों पर न्यूनतम व्याज दर निर्धारित की जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) : रिजर्व बैंक ने 13 जनवरी, 1973 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नाम इस आशय के निदेश जारी किये थे कि कोई भी बैंक उस बैंक के साथ, जिसमें पार्टी का वर्तमान खाता है, पहले परामर्श किये बिना और रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के विना, 25 लाख रुपये या उससे अधिक राशि की ऋण-सीमाएं या सावधिक ऋण नहीं ले सकता। ये निदेश अप्रैल 1973 के अन्त तक लागू रहेंगे। इसी बीच रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली के व्याज-दर ढांचे का पूर्णतर अध्ययन शुरू किया है जिसका उद्देश्य बड़े खातों के सम्बन्ध में बैंकों के बीच पाई जाने वाली अस्वस्थ प्रतियोगिता को रोकने के लिये मार्गदर्शक निदेश तैयार करना है।

गोवा का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने के लिए कार्यवाही

2649. **श्री पुरूषोत्तम काकोडकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्यूरो आफ इकानामिक्स ने 'गोवा में पर्यटन की संभावनाएं'' शीर्षक से एक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की है और यदि हां, तो उसमें क्या सुझाव दिये गये हैं; और

(ख) गोवा का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी, हां । सर्वेक्षण गोवा दमन तथा दीव की सरकार के अर्थतंत्र, सांख्यिकी तथा मल्यांकन ब्यूरो द्वारा किया गया था। सर्वेक्षण के उद्देश्य थे : पर्यटकों की रुपरेखा का निर्धारण करना, गोवा में उनके द्वारा किया गया व्यय, गोवा में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के प्रति उन की प्रतिक्रिया तथा गोवा में विभिन्न पर्यटकीय आकर्षणों के अपेक्षाकृत महत्व का मूल्यांकन करना । सर्वेक्षण में गोवा में पर्यटन का और आगे विकास करने के सम्बध में कोई विशिष्ट सुझाव नहीं है ।

गोवा में आयोजित किये जाने वाले पर्यटन साधनों के विकास की प्रकृति एवं क्षेत्रविस्तार का निर्धारण करने के लिए पर्यटन विभाग ने यू० एन० डी० पी० की सहायता से एक विशेषज्ञ दल द्वारा एक सर्वेक्षण प्रारंभ करवाया है । सर्वेक्षणदल की रिपोर्ट जुलाई 1973 में मिलने की संभावना है, जिस के पश्चात् गोवा की पर्यटन संभाव्यताओं का विकास करने के लिये विस्तृत योजनाएं तैयार कीं जाएंगी जो कि कई वर्षों की अवधि में प्रसारित होंगी ।

कपड़ा मिलों को दिए गए अग्रिम धन को इक्वीटी शेयरों में परिवर्तित करना

2650. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 15 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4573 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र हो चुकी है; यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) जिन वित्त संस्थाओं द्वारा कपड़ा मिलों को दिये गये अग्रिम धन को क्या इक्वीटी शेयरों में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है; यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पहले ही सरकार के नियंत्रणाधीन मिलों को और अभी तक निजी नियंत्रण में चल रही मिलों को पब्लिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई कुल उधार राशियों के संबंध में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जूट से बने कपडे का व्यापार

2651. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल, बंगलादेश तथा थाईलंड जैसे पटसन पैदा करने वाले देशों के परामर्श से जूट से बने कपड़े से सम्बन्धित कोई साझा नीति निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) तथा (ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तत्वावधान में जनवरी, 1973 में ढाका में हुए एक सम्मेलन के परिणामस्वरूप निम्नलिखित निश्चय किये गए हैं :

(1) 'जूट इन्टरनेशनल' नाम से भारत में एक अन्तराष्ट्रीय केन्द्र स्थापित किया जायेगा जो कि पटसन तथा केनाफ तथा उन से बनी वस्तुओं की खपत अधिक से अधिक बढ़ाने के लिये उनकी मांग की स्थिति मजबूत और वर्धमान बनाये रखेगा।

(2) पटसन के संबंध में गवेषणा तथा विकास करने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी केन्द्र ढाका में स्थापित किया जायेगा।

(3) नियंत्रक बोर्ड के रूप में एक अन्तर्राष्ट्रीय पटसन बोर्ड का गठन किया जायेगा जिसमें उत्पादक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(4) 5 वर्ष की अवधि तक के व्यय के वार्षिक बजट में यदि अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा 50 प्रतिशत अंशदान किया जायगा तो उत्पादक देश बाकी 50 प्रतिशत भाग वर्ष 1969–70 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान पटसन तथा पटसन की वस्तुओं के अपने अपने निर्यातों के मूल्य के अनुपात में देंगे।

ये निश्चय उत्पादक देशों अर्थात् भारत, बंगला देश, थाईलैंड तथा नेपाल द्वारा अनुसमर्थन किये जाने की शर्त के अधीन होंगे।

पटसन उत्पादकों को प्रोत्साहन

2652. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

पटसन और पटसन की वस्तुओं के उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि करने के लिए पटसन उत्पादकों और मजदूरों को प्रोत्साहन देने के लिये क्या विशिष्ट कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : पटसन के विकास के लिए, केन्द्रीय रूप से प्रायोजित अनेक योजनाएं अर्थात् सघन पटसन/मैस्टा जिला कार्यक्रम, पटसन तथा मैस्टा पर विशेष पैकेज कार्यक्रम, प्रमाणित सुधरे हुए पटसन बीजों का रियायती दर पर वितरण, क्वालिटी सुधार कार्यक्रम, तमिलनाडू में गवेषणा संबंधी परीक्षण, पटसन/मैस्टा उगाने वाले विभिन्न राज्यों में चालू हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत, भारत सरकार अनुदान के रूप में जिन चीजों के लिये प्रोन्साहन देती है वे हैं : पटसन बीज तथा उर्वरक, उर्वरकों का परिवहन, पौधा संरक्षण उपस्कर, यूरिया छिडकने संबंधी कार्य पर होने वाले प्रभार, पटसन गलाने के हौजों का निर्माण। इन उपायों का उद्देश्य प्रति इकाई उपज बढाना और पटसन रेशे की कवालिटी में सुधार करना है।

मई 1972 में हुए मजूरी समझौते के परिणामस्वरूप, 15 अप्रैल, 1972 से पटसन मिलों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की मजूरियां बढ़ा दी गई हैं।

सामान्य बीमा व्यापार अधिनियम, 1972 के प्रावधानों का क्रियान्वित किया जाना

2653. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री 24 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1756 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सामान्य बीमा निगम बनाने तथा चार कम्पनियां बनाने के उद्देश्य से योजनाएं बनाने के संबंध में सामान्य बीमा व्यापार अधिनियम, 1972 के प्रावधानों को क्रियान्वित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस क्रियान्विति का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) भारत का विविध बीमा निगम 22 नवम्बर, 72 को सरकारी कम्पनी के रूप में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तगत पंजीकृत किया गया ।

विविध बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम की धारा 5 के अनुसरण में भारतीय बीमा कम्पनीयों से भिन्न वर्तमान बीमा कम्पनियों का कारोबार 1 जनवरी, 1973 से निम्नलिखित चार भारतीय बीमा कम्पनियों को अन्तरित तथा निहीत हो गया है :

(1) यूनाइटेड इण्डिया फायर एण्ड जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी लि० ।

(2) न्यू इण्डिया इन्शोरेन्स कम्पनी लि० ।

(3) ऑरिएन्टल फायर एण्ड जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी लि० ।

(4) नेशनल इन्शोरन्स कम्पनी लि० ।

अधिनियम की धारा 16 में तथा परिकल्पित भारतीय बीमा कम्पनियों के विलय की योजना बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है, जिससे अन्ततोगत्वा (निगम के अलावा) केवल चार कम्पनियां कायम रह जाये ।

कपास के मूल्य में तेजी से वृद्धि

2654. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि गत छः महीनों के दौरान कपास के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कपास के मूल्य कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

भारत द्वारा रुई के लिए अमरीका और चीन से बडा सौदा किया जाना

2655. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष में सरकार ने रुई के लिए अमरीका तथा चीन से एक बड़ा सौदा किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन देशों के साथ कुल कितना रुई व्यापार हुआ ; और

(ग) इसका भारतीय कपड़ा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

नियंत्रित कपड़े की उच्च दरों पर बिक्री

2656. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चलाई जाने वाली मिलों सहित सभी मिलों द्वारा नियंत्रित कपड़े को बहुत ऊंची दरों पर बेचा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है कि ऐसा कपड़ा नियंत्रित मूल्यों पर बेचा जाये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1-11-1972 से शुरू की गई नियंत्रित कपड़े के वितरण की नई योजना के अन्तर्गत नियंत्रित कपड़े के समस्त उत्पादन के वितरण का कार्य सामान्य व्यापार माध्यमों से हटा लिया गया है तथा वस्त्र आयुक्त की कड़ी निगरानी में किया जा रहा है। इसलिए मिलों द्वारा नियंत्रित कपड़े के निर्धारित कीमतों से ऊंची कीमतों पर बेचे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Memorandum from Rajasthan Textile Hand Processors Association

2657. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have received a memorandum from 'Rajasthan Textile Hand Processors Association', Pali, Rajasthan ;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Yes, Sir.

(b) The Association has requested for removal of excise duty on cotton fabrics processed with the aid of machines operated manually on the grounds that the hand-processing industry is in the small-scale sector, and is labour-oriented. The imposition of excise duty on such hand-processed cotton fabric is stated to have retarded the development of the industry, which is processing cheaper varieties of cloth, consumed by the poor and middle classes.

(c) The representation of the Association is under examination.

Scheme for development of tourism in various districts of Uttarakhand

2658. **Shri Narendra Singh Bisht :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have chalked out a scheme for the development of tourism for only five Districts of Uttarakhand *i.e.* Almorah, Nainital, Dehradun, Garhwal and Tehni-Garhwal out of the eight Districts of Uttarakhand;

(b) if so, the broad outlines thereof and the works proposed to be carried out under this scheme and the expenditure likely to be incurred thereon and the amount of income likely to accrue therefrom and the number of persons who would get employment as a result thereof;

(c) whether no scheme has been chalked out for the remaining three districts of Uttarakhand *i.e.* Uttarkashi, Chamoli and Pithoragarh in this regard ; and

(d) if so, the action taken or proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (d) : The Planning Commission has set up a Working Group to formulate proposals for the development of tourism in U.P. hill areas covering all the 8 districts. It will be possible to formulate schemes only after the request is finalised, depending on resources available.

देश में पर्यटकों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था में सुधार करना

2659. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**
श्री सरजू पांडे :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटकों के लिये सस्ते आवास की व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (**डा० कर्ण सिंह**) : (क) और (ख) जी, हां । पर्यटन विभाग देश में वन्यजीव शरणस्थलों में विश्राम गृहों, पर्यटक बंगलों, स्वागतकेन्द्रों व मोटलों तथा कई स्थानों पर युवा होस्टलों के रूप में मध्यम एवं निम्न आय वर्ग के पर्यटकों के लिये अनुपूरक आवास की कई प्रायोजनाओं पर कार्य कर रहा है । भारत पर्यटन विकास निगम की भी, जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है अपनी वर्तमान यात्री लाजों में से कुछ का विस्तार करने के अतिरिक्त, पर्यटक रूचि के कुछ स्थानों पर मोटलों के निर्माण की योजनाए हैं ।

इंडियन एयर लाईन्स द्वारा एवरो विमानों का उपयोग

2660. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स ने एवरो 748 के असन्तोषपूर्ण कार्य के कारण उसका उपयोग न करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो एवरो विमानों को अच्छे विमानों से बदलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (**डा० कर्ण सिंह**) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विक्टोरिया मिल्स लिमिटेड, कानपूर के मजदुरों के लिए उपदान को बकाया राशी

2661. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू विक्टोरिया मिल्स लिमिटेड, कानपुर को उन मजदूरों को दिए जाने वाले उपदान की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए, जिनकी मिल की सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने से पूर्व छंटनी की गई थी, कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो 1971 और 1972 में कितनी राशि दी गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (**श्री ए० सी० जार्ज**) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चाय तथा पटसन व्यापार को नियंत्रण में लेना

2662. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय और पटसन व्यापार को अपने नियंत्रण में लने के बारे में सरकार ने अन्तिम रुप में कोई निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : देश में चाय व्यापार को नियंत्रण में लेने की इस समय कोई प्रस्थापना नहीं है। पटसन व्यापार के संबंध में ऐसा ख्याल है कि कुछ वर्षों के भीतर भारतीय पटसन निगम कच्चे पटसन के समस्त व्यापार को अपने नियंत्रण में ले लेगा।

Setting up of Regional Office of Allahabad Bank, Patna

2663. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether all the nationalised banks, except Allahabad Bank, have set up their regional offices in Patna town ;

(b) whether the regional office of Allahabad Bank has not been set up so far in spite of a decision having been taken to this effect in July, 1972; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) to (c) : Five nationalised banks have their Regional/Divisional/Area Offices at Patna. Allahabad Bank has decided to set up a full-fledged regional office at Patna. Lack of adequate trained manpower has delayed the implementation of this Plan. However, pending the setting up of such an office, Allahabad Bank has posted an Officer on Special Duty (Bihar) at Patna, with authority to look after branch expansion, advances to priority and neglected sectors, provision of staff and other associated matters.

Proposed agitation by employees of L.I.C.

2664. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the employees working in the Life Insurance Corporation have decided to launch an agitation in support of their demands ;

(b) if so, the broad outlines of the demands ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) A section of employees represented by the All India LIC Employees' Federation, which is a newly formed Union, has passed resolutions expressing employees' determination to launch an agitation in support of their demands.

(b) The main demands raised by the Federation are :

(i) Bonus equivalent to 25% of the annual gross wages for the year 1972-73.

(ii) Restoration of D. A. cut.

(iii) Interest-free housing loans.

(c) Bonus is already covered by a settlement with the employees which would be in force up to 31-3-73.

The dispute relating to Dearness Allowance turns on the interpretation of the relevant provisions in the settlement and by Government order dated 28-12-1972, the question has been referred to the Industrial Tribunal at Bombay.

The LIC has informed the employees' unions that even a pre ent housing loans are being granted to the employees at concessional rate of interest and it is not possible to reduce the rate further.

रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना के कार्यालय में यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते आदि पर हुआ व्यय

2665. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना के कार्यालय में यात्रा-भत्ता, दैनिक भत्ता, आकस्मिक व्यय तथा समयोपरि भत्ते के रुप में कितना व्यय किया गया; और

(ख) यदि व्यय में कोई वृद्धि हुई है तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) पूर्ववर्ती तीन वर्षों में निम्नलिखे अनुसार व्यय हुआ --

	1969–70	1970–71	1971–72
	रु०	रु०	रु०
यात्रा-भत्ता/दैनिक भत्ता	3,62,676	4,16,653	5,06,126
आकस्मिक व्यय	3,65,179	4,93,578	4,44,137
समयोपरि भत्ता	1,915	7,727	17,538

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जायगी।

चाय और कपडा उद्योग का आधुनिकीकरण

2666. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री वसन्त साठे :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कपड़ा और चाय उद्योग को आधुनिक बनाने के बारे में योजनाएं बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। कुछ स्कीमें इस समय क्रियान्वित हो रही है और योजना आयोग द्वारा स्थापित वस्त्र उद्योगों संबंधी कृतिम दल द्वारा विभिन्न सम्भाव्यताओं की गहराई से जांच की जा रही है ।

जो स्कीमें क्रियान्वित हो रही है उनमें एक स्कीम के अन्तर्गत आधुनिकीकरण के प्रयोजनों हेतु उन वस्त्र एककों को रियायती दरों पर वित्त प्रदान करने की व्यवस्था है जो पिछले दो वर्षों के दौरान अपने उत्पादन का 15 प्रतिशत से अधिक निर्यात करते रहे हों। एक प्रथम स्कीम के अन्तर्गत, 10 प्रतिशत से अधिक के निर्यात निष्पादन वाले प्राथमिकता प्राप्त निर्यातक एककों को आधुनिकीकरण हेतु उपस्कर की उन आधुनिक मदों के आयात की अनुमति दी गई है जो देश में उपलब्ध नहीं है। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध करा दी गई है।

आय उद्योग के सम्बन्ध में चाय मशीनरी तथा सिंचाई उपस्कर किराया-खरीद स्कीम 1960 से ही लागू है। इस स्कीम का उद्देश्य चाय के बेहतर उत्पादन और चाय बनाने के लिये अनिवार्य तौर पर अपेक्षित चाय मशीनरी, सिंचाई उपस्कर, ट्रैक्टर तथा गाड़ियां किराया खरीद आधार पर सप्लाई करना है ।

वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये परियोजना

2667. **श्री पी० के० देव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये समुद्री, रेगिस्तानी तथा पर्वतीय स्थलों के विकास के लिए भारत सरकार की कोई परियोजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) और (ख): जी, हां । ब्यौरे तैयार किए जा रहे है, तथा उनका अंतिम स्वरुप पांचवी योजना में निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

समाचार पत्रों के लिये मुद्रण मशीनों के आयात हेतु करार

2668. **श्री पी० के० देव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय फर्मों ने समाचार पत्रों के लिये मुद्रण मशीनों के आयात हेतु हाल ही में रुस के साथ करारों पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) करारों की मुख्य बातें क्या हैं और रुस से उक्त मशीने किस आधार पर आयात करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

देश में स्थापित पर्यटक यात्रा एजेंसियों के कार्यों को नियमित करने के लिये कार्यवाही

2669. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में पर्यटक यात्रा ऐजेसियां स्थापित की गई हैं, जो संबद्ध नियमों के प्रतिकूल हैं, अवैध ढंग से अपना कार्य कर रही हैं ;

(ख) क्या ऐसी यात्रा ऐजेसियों को आबंटित कारों का उपयोग वस्तुत: पर्यटकों के लिये नहीं किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो पर्यटक यात्रा ऐजेसियों के कार्य को नियमित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) देश में कई यात्रा अभिकरण विद्यमान हैं। इन अधिकरणों के परिचालन को अधिनियंत्रित करने के लिये कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। तथापि, पर्यटन विभाग उन्हीं अभिकरणों को मान्यता प्रदान करने द्वारा जो विभाग द्वारा निर्धारित मानदंड पूरा करते हैं इनके कार्यचालन को विनियमित करने में समर्थ हुआ है । उनके कार्यचालन पर नियंत्रण का समन्वयन करने की दृष्टि से, यह निर्णय किया गया है कि भारतीय यात्रा अधिकरणों को मान्यता अब से एक केन्द्रीय समन्वय समिति द्वारा प्रदान की जाएगी जोकि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा, जिनमें से प्रत्येक का यात्रा अभिकरणों को मान्यता प्रदान करने का अपना-अपना तरीका है, अपनाई गयी क्रियाविधियों की बहुविधता को समाप्त करेगी । यह आशा की जाती है कि नयी प्रणाली, क्रियाविधियों को सरल करने के अलावा, उस यात्री जनता का धोखाधड़ी से रक्षा का कार्य भी करेगी जोकि यात्रा अभिकरणों की सेवाओं का उपयोग करती है ।

(ख) विभाग के अनुमोदित यात्रा अभिकरणों को कारों का आवंटन पर्यटन प्रयोजनों संबंधी कड़ी विनियामक शर्तों के अंतर्गत किया जाता है। शर्तों का पार्टियों द्वारा कानूनी जमानत बंधपत्र के अंतर्गत विधिवत् निष्पादन किया जाता है तथा यात्रा अधिकरणों के कार्यनिष्पादन की जांच उन्हें पर्यटन विभाग द्वारा इस प्रकार आवंटित करों से विदेशी मुद्रा के अर्जन आदि को दर्शाने वाले आवधिक विवरणों से की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

देश के बड़े होटलों में मद्य निषेध सम्बन्धी नियमों में ढील देने का प्रस्ताव

2670. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के बड़े होटलों में उन का कारोबार बढ़ाने हेतु उन में मद्य निषेध सम्बन्धी नियमों में ढील देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां तो इस मामले में अन्तिम निर्णय कब लिया जायगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :(क) और (ख) : मद्य निषेध राज्यों की विषयसूची में आता है अतः इस प्रकार की छूट के बारे में विचार करना राज्य सरकारों का विषय है।

जाली विदेशी करसी नोटों का प्रचलन

2671. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारी विदेशी मुद्रा का अवैध प्रचलन है जिसका भारतीय मुद्रा और देश की अर्थ व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) क्या अवैध प्रचलन के लिये देश में जाली विदेशी मुद्रा का उत्पादन हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो देश में जाली विदेशी करेंसी नोटों के उत्पादन और उन के प्रचलन पर रोक लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) गैर-कानूनी रुप से लायी गयी विदेशी मुद्रा का चलन मुक्त रुप से नहीं होता बल्कि इसका उपयोग अनधिकृत और गैर-कानूनी लेनदेनों के लिए किया जाता है। विदेशी मुद्रा का यह चलन सीमांतिक है और उसका भारतीय मुद्रा और देश की अर्थ व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं है ।

(ख) देश में जाली विदेशी मुद्रा तैयार किए जाने के कुछ मामलों का पता चला है।

(ग) विदेशी करेंसी नोटों सहित जाली करेंसी नोट बनाने का अपराध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आता है जिसमें पहले ही इतना कड़ा दण्ड दिए जाने की व्यवस्था है जिससे फिर कोई ऐसा काम करने की हिम्मत न कर सके। नकली मुद्रा तैयार करने और जालसाजी के अपराधों के बारे में राज्यों के पुलिस अधिकारी कार्रवाई करते हैं, जो इस संबंध में बराबर नजर रखते हैं और किसी भी व्यक्ति द्वारा जाली मुद्रा तैयार किए जाने के बारेमें सूचना मिलते ही छापे मारते हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो, जाली मुद्रा तयार करने वालों द्वारा अपनायी गयी तकनीकों का रिकार्ड रख कर तथा समय-समय पर जाली करेंसी के प्रकट होने पर उसकी समीक्षा करके करेंसी की जालसाजी की समस्या का बराबर अध्ययन करता रहता है। उसने अपनी आर्थिक अपराध प्रशाखा में एक कक्ष की भी स्थापन की है जिससे जाली करेंसी तैयार किए जाने के गंभीर अपराधों की चांच के संबंध में कार्रवाई की जाती है और विभिन्न राज्यों में किए गए जांच कार्यों में तालमेल बिठाने का कार्य किया जाता है।

पांचवी योजना के दौरान इंडियन एयर लाइन्स के विस्तार ी योजना

2672. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकरण के बाद इंडियन एयरलाइन्स ने केवल दस नई हवाई अड्डे खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो इस के विस्तार की धीमी गति ही एक ऐसा मुख्य कारण है जिसका कुप्रभाव इंडियन एयरलाइन्स के विकास पर पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो पांचवी योजना के दौरान इस के विस्तार की योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

प र्टन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा जिन स्टेशनों पर सेवाएं परिचालित की जा रही हैं राष्ट्रीयकरण के समय से उनकी संख्या में 11 स्टेशनों की वृद्धि हुई है ।

(ख) जी नहीं; यातायात में काफ़ी वृद्धि हुई है ।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स यातायात संभावनाओं विमानों की उपलब्धता तथा विमान क्षेत्र सुविधाओं के विकास की लागत को दृष्टि में रखते हुए पांचवीं योजना क़ी अवधि में अपनी विस्तार योजनाओं की जांच कर रही है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों के नये बो ों के अधिकार

2673. **श्री पीलू मोदी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 दिसम्बर 1972 के 'दि इकनामिक टाइम्स' में "बैंक बोर्ड आफ मियर शो-पीस" (बैंकों के बोर्ड केवल दिखाने के लिये) शीर्षक से प्रकाशित इस समाचार की ओर दिखाया गया है कि हाल ही में गठित राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों के नए बोर्डों के पास कोई प्रभावी अधिकार नहीं होंगे;

(ख) क्या इन बोर्डों के पास बैंकों द्वारा विभिन्न उपक्रमियों और व्यापारियों को दिये जाने वाले ऋण के संबंध में अधिकार भी नहीं होगी; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) जी, हां। चूंकि समाचार-पत्रों में व्यक्त किये गये विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों के बोर्ड की भूमिका के सम्बन्ध में गलत धारणा पर आधारित थे, इस लिये स्थिति का स्पष्टीकरण जन-सम्पर्क निदेशक वित्त मंत्रालय द्वारा इकोनोमिक-टाइम्स बम्बई के सम्पादक को लिखे गये 30 दिसम्बर, 1972 के पत्र में दे दिया गया था । इस पत्र की एक प्रतिलिपि, जो 3 जनवरी, 1973 के इकोनोमिक टाइम्स में भी प्रकाशित हुई है, साथ लगा दी गयी है (अनुबन्ध) । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4441/73]**

(ख) और (ग) : बैंककारी कम्पनीज (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 7(2) की शर्तों के अनुसार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के कार्य और कारोबार का सामान्य अधीक्षण, निदेशन और प्रबन्ध उस बैंक के निदेशक बोर्ड मे निहित है । इसी प्रकार जैसा कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध तथा विविध उपबन्ध) योजना, 1970 के खण्ड 13(3) में बताया गया है प्रबन्ध समिति केवल उन्ही अधिकारों का प्रयोग कर सकती है जो उसे निदेशक बोर्ड द्वारा दिये गये हैं । इसलिये प्रबन्ध समिति द्वारा बोर्डों को उनके अधिकारों से वंचित किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। बैंक द्वारा विभिन्न

क्षेत्रों को दिये जाने वाले अग्रिमों और व्याज के सम्बन्ध में स्थूल नीति बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाती है जबकि प्रबन्ध समिति इसको बोर्ड द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रार्थना-पत्रों की जांच करती है और बोर्ड द्वारा निर्धारित नीति के ढांचे के अन्दर-अन्दर अग्रिम मंजूर करती है। इस प्रकार का प्रबन्ध ही कार्य के विभाजन के लिये किया गया केवल सुविधाजनक प्रबन्ध है क्योंकि यह स्पष्ट है कि बोर्ड ज़ोकि एक बड़ा निकाय है, उसकी बार बार बैठकें नहीं बुलाई जा सकती हैं और प्रबन्ध समिति जो एक छोटी संस्था है बार-बार बैठकें कर सकती है और अग्रिम के लिये प्राप्त अलग-अलग प्रस्तावों को, जिन्हें पूरे बोर्ड की बैठक होने तक के लम्बे समय तक के लिये स्थगित नहीं रखा जा सकता है निपटा सकती है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को राष्ट्रीयकृत बैं ों से ऋण देने की धीमी गति

2674. **श्री पीलू मोदी :**

श्री महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 दिसम्बर 1972 के 'हिंदू' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण देने की धीमी गति से वृद्धि के बारे में सरकार को भारी चिंता है;

(ख) प्राथमिकता–प्राप्त क्षत्रों को 1969–70, 1970–71 और 1971–72 के अन्त में वर्ष वार दिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की धीमी गति से वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) सरकार ने रिपोर्ट देखी है।

(ख) सूचना नीचे दी गई सारणी में दी गई है :

	निस्नलिखित महीनों के अंत खातों की संख्या (हजारों में)			निम्नलिखित महीने के अंत बकाया राशि (करोड़ रुपयों में)		
	मार्च 1970	मार्च 1971	मार्च 1972	मार्च 1970	मार्च 1971	मार्च 1972
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र के बकों द्वारा दिया गया ऋण	760	1170	1366	678.0	897.0	1000.0

(ग) निरपेक्ष आंकड़ों के हिसाब से घातों की संख्या तथा बकाया राशि दोनों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती है। किन्तु वृद्धि की दर के हिसाब से 1972 मे मुख्यत; निम्नलिख्रित कारणों से कुछ शिथिलता रही।

(1) पहले के वर्षों मे वृद्धि की उंची दर संकड़े आधार पर प्राप्त की गई थी। जब आधार विस्तृत हुआ तो विस्तृत आधार की प्रतिशतता के रूप में अभिव्यक्त वृद्धि की दर में गिरावट दिखाई दी।

(2) 1971–72 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में कुछ शिथिलता थी। जिससे लधु क्षेत्र का उत्पादन भी प्रभावित हुआ। अतः इस क्षेत्र में ऋण की मांग में गिरावट आई।

(3) संगठनात्मक कठिनाईयां भी इस शिथिलता के लिए अंशतः जिम्मेदार ठहराई जा सकती हैं।

आयात लाईसेंसों का दुरुपयोग

2675. **श्री एस० सी० सामन्त :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात लाइसेंसों और लाइसेंस धारियों द्वारा आयात किये गये माल का दुरुपयोग रोकने के लिय कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या इस प्रकार के दु रुपयोग के कोई मामले प्रकाश में आयें है और यदि हां, तो इस प्रकार का कदाचार करने वाले लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) अभिकथित दुरुपयोग के कई मामलों की सूचना आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक को दी जाती है और उन पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है, और जहां कहीं आवश्यक होता है इसके अन्तर्गत आदेश जारी किए जाते हैं। जांच पड़ताल करने के पश्चात् उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत जिन फर्मों के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है उन के नाम 'वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसज, इम्पोर्ट लाइसेंसज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसज' में प्रकाशित किए जाते है, जिसकी प्रतियां लोक सभा के पुस्तकालय में रखी जाती है।

इंडियन एयर लाइंस के अधिकारियों तथा कर्मचारियों से समुद्र-पार उड़ानों के पासों के लिये विमानों के किराये कि कुछ प्रतिशतता वसूल करना

2676. **श्री ए० सी० सामन्त :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स के अधिकारीयों तथा कर्मचारियों को समुद्र-पार उडानों के लिए पासों, जो कि उनको प्रतिवर्ष निःशुल्क दिये जाते हैं, के लिये विमान किराये की कुछ प्रतिशतता देनी पडती है ;

(ख) क्या एयर इण्डिया के कर्मचारियों के लिये यह प्रतिबन्ध नहीं है और यदि हां तो इसके कारण क्या है; और

(ग) क्या इंडियन एयर लाइन्स के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अनुरोध किया है कि इन प्रतिबन्धों को वापस लिया जाय और यदी हां तो इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) से (ग) : 1971 के जिस अधिनियम (नंबर 2) के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिये यात्रियों द्वारा निम्नलिखित दरों पर विदेशयात्रा कर देय है :

प्रथम श्रेणी . .	15%
मितव्ययिता श्रेणी . .	10%

एयर लाइंस के अमले को निम्नलिखित शर्तों के सापेक्ष इस कर के भुगतान मे मुक्त किया गया है :—

(i) नियोक्त द्वारा निःशुल्क टिकट जारी किया जाना चाहिये ; तथा

(ii) कर्मचारी अपने सेवा विनियमों के कारण इस प्रकार निशुल्क यात्रा के हकदार होने चाहिए।

तदनुसार, जब इण्डियन एयरलाइंस के कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों के एक भाग के रुप में इण्डियन एयरलाइंस द्वारा उन्हें जारी किये गये निशुल्क टिकटों पर इण्डियन एयरलाइंस के मार्गों पर विदेशी स्टेशनों को जाते तथा वहां से आते हैं तो वे विदेश-यात्रा कर के भुगतान से मुक्त होते हैं ।

इण्डियन एयरलाइंस के कर्मचारियों को पारस्परिक प्रबंध व्यवस्था के अन्तर्गत अन्य एयरलाइनों की सेवाओं पर यात्रा करने के लिये निशुल्क/छूट प्राप्त परिवहन सुविधा भी प्रदान की जाती है । क्योंकि ऐसी परिवहन सुविधा सेवा-शर्तों के एक भाग के रुप में नियोक्त द्वारा नहीं दी जाती बल्कि अन्य एयर-लाइनों द्वारा प्रदान को जाती है, अतः वे कर के भुगतान से मुक्त नहीं हैं । एयर इण्डिया के कर्मचारियों को एयर इण्डिया के मार्गों पर विदेश-यात्रा कर के भुगतान से छुट प्राप्त होती है क्योंकि उन्हें उनकी सेवा शर्तों के एक भाग के रूप में नियुक्ता द्वारा निशुल्क टिकट जारी किये जाते हैं ।

इण्डियन एयर लाइंस ने सरकार को प्रतिवेदन दिया था कि अन्तर-एयरलाइन प्रबंध व्यवस्था के अन्तर्गत अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वाहकों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किय गये निशुल्ल/छुट प्राप्त टिकटों पर उन्हें विदेश-यात्रा कर के भुगतान से छूट प्राप्त होनी चाहिए । प्रतिवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया किन्तु उसे स्वीकार नही किया जा सका ।

उत्पादन-शुल्ल का ढांचा

2677. **श्री राम भगत पस्वान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 जनवरी, 1973 के 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' में 'एक्साईज स्ट्रक्चर फेवरज ओनली लार्ज मिल्ज' (उत्पादन शुल्क ढांचा केवल बडे मिलों के पक्ष में) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि उत्पादन शुल्क की संरचना मानवचालित वस्त्र उद्योग की तुलना में सूती वस्त्र को बड़ी मिलों का पक्ष लेता है । फिर भी, उक्त समाचार में उठाये गय कुछ प्रश्नों के संबंध में 1973-74 के बजट प्रस्ताओं में कुछ उपचारात्मक उपाय सुझाय गय है ।

पालम हवाई अड्डे पर प्रिसीजन एप्रोच राडार कर न होना

2678. **श्री डी० बी० चंद्रगौडा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम हवाई अड्डे में अभी भी प्रिसीजन एप्रोच राडार नहीं लगाया गया है हालाकि बंबई में सान्ताक्रुज और कलकत्ता में डमडम हवाई अड्डे पर यह उपकरण उपलब्ध है;

(ख) क्या दिल्ली का हवाई अड्डा ही एक ऐसा हवाई अड्डा है जहां पर इस अमूल्य उपकरण से लाभ नहीं उठाया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार प्रबन्ध तथा रखरखाव की बेहतर प्रणाली बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का है जिससे यह हर समय दक्षतापूर्वक कार्य कर सके ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां । उपकरण अवतरण प्रणाली (आई० एल० एस०) के मुकाबले में प्रिसीजन एप्रोच राडार (पी० ए० आर०) की निम्नलिखित त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने और अधिक पी० ए० आर० खरीदने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है :

(i) पी० ए० आर० की समग्र यथार्थता आई० एल० एस० से कम है;

(ii) पी० ए० आर० के मामले में विमानचालक को आंकड़ों का 'तात्क्षणिक प्रस्तुतीकरण' उपलब्ध नहीं होता;

(iii) भू-नियंत्रक द्वारा उड़ान में विमानचालक को दिये गये अनुदेशों तथा भूमि के निकट उड़ान की नाजुक अवस्थाओं के दौरान विमानचालक की प्रतिक्रिया के बीच पी० ए० आर० में अंतर्निहित समय व्यवधान;

(vi) विमान के हवाई अड्डे पर पहुंचने की प्रक्रिया को स्वंचालित बनाने के लिये विमान के साथ आइ० एल० एस० को जोड़ने की संभाव्यता ;

(v) आई० एल० एस० के मुकाबले में पी० ए० आर० के लिए उच्च प्रारंभिक पूंजीविनियोजन तथा परिचालन लागत;

परन्तु बम्बई तथा कलकत्ता के पी० ए० आरों का, जो कि कुछ वर्ष पूर्व संस्थापित किये गये थे, जब तक व्यवहार्य लगा, परिचालन जारी रखा जायेगा ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

यूगोस्लाविया को सप्लाई किये गये वैगनों के मूल्यों में वृद्धि

2879. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाव कम्युनिटी आफ रेलवे 'टेक्समको' 'जेस्प्स' और 'ब्रेथवेशियन' नामक तीन भारतीय वेगन निर्माता फर्मों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले वैगनों के मूल्य में कोई वृद्धि करने के पक्ष में नहीं है;

(ख) क्या यूगोस्लाव रेलवे वैगनों की सप्लाई सम्बन्धी कार्यक्रम में परिवर्तन करने पर सहमत हो गयी है; और

(ग) क्या तीन वैगन निर्माताओं को मुआवजा देने का प्रश्न मुख्यत: इसलिये पैदा हुआ है क्योंकि "रूडनैव" ने भारतीय फर्मों के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया है कि "रूडनैव" की किसी असफलता के लिये उनको जिम्मेदार न ठहराया जाये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) यूगोस्लाव कम्युनिटी आफ रेलवे मूल्य वृद्धि करने के लिए सहमत नहीं हुई है ।

(ख) जी हां ।

(ग) वैगन निर्माता द्वारा दिए गए तर्क को रूडनैप द्वारा स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप संविदा के पूरे होने में विलम्ब हुआ है । रूडनैप ने इस बीच स्वीकृत शर्तों पर संयोजन संविदा पर हस्ताक्षर कर दिए है ।

Import of coconut from Ceylon

2680. **Shri Nawal Kishore Sharma :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government of Ceylon have stopped the export of coconuts to India ;

(b) if so, the measures being taken by the Government of India to meet the requirement of coconuts in the country; and

(c) whether this restriction is temporary and if so, the date from which its export would be resumed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) & (c) According to available information, the Government of Sri Lanka has banned exports of copra upto August 1973 due to shortfall in coconut production last year, and depletion of stocks.

(b) During the Fouth Plan period, a large number of short-term and long-term production programmes have been implemented with a view to achieving an additional production of 1000 million nuts from the base level production of 5546 million nuts, by the terminal year of the plan period. Under the short-term measures, the major schemes implemented were establishment of demonstration plots, expansion of irrigation facilities and plant protection measures. All these schemes were taken up in the State Sector and are now under different stages of implementation. Under the Centrally sponsored Sector, the notable achievements have been the production and distribution of hybrid planting material organised in the States of Kerala, Mysore, Tamil Nadu and Andhra Pradesh ; the establishment of a 40 hectare elite seed farm for the production of TXT progenies in the Mysore State, and the subsidised supply of quality planting material in the State of Gujarat. In addition to the above schemes, two Centrally Sponsored Scheme *i.e.*, "Package Programme on Coconut" and "Pilot Project for the Rejuvenation of diseased Coconut plantations in Kerala" have also been sanctioned for 1973-74.

Handling of luggage of air passengers

2681. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether aerodrome employees who carry the luggage of the passengers at aerodromes are paid for that work ;

(b) whether these employees handle the luggage in such a careless manner that the luggage including articles packed in boxes is often damaged ; and

(c) if so, the remedial action proposed ?

The Minister of Tourism & Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Contractors have been appointed by the International Airports Authority of India for handling the baggage of passengers travelling by international flight from the kerb-side to the airline counters and vice-versa at the four international airports at Delhi, Bombay, Calcutta and Madras. Contractors pay wages to the loaders so hired by them and charge Re. 1 per piece of luggage weighing upto 20 Kg. For domestic flights, however, Indian Airlines provide free porterage at all airports by employing their own loaders.

(b) No Sir, although sometimes an individual package does get damaged.

(c) Every care is taken to ensure safe handling.

Import of Liquor

2682. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the time by which Government will stop import of liquor from abroad and if not, the reasons therefor ;

(b) the names of the countries from which liquor is imported along with the purpose for which it is imported and the value of the liquor imported last year ; and

(c) whether the quantum of liquor imported from foreign countries is increasing every year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Import of liquor on commercial account is being progressively reduced from year to year.

(b) & (c) A statement indicating the import of liquors into India from different countries during the last three years is placed on the Table of the House. [**Placed in the Library. See No. L.T. 4442/73.**] The imports include those on commercial account and by foreigners and foreign missions in India for their own use.

Steps to develop Ranakpur Temple in Desuri Tehsil (Rajasthan) from Tourism point of view

2683. **Shri M C. Daga :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation visited Ranakpur temple in Desuri Tehsil in Rajasthan last year and after visiting it has taken some steps to develop this place from the point of view of tourism ; and

(b) if so, the nature of steps taken and the time by which these steps would be translated into action ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes Sir,

(b) The electrification of Ranakpur has been included in the Tourism Schemes to be taken up by the Department of Tourism during the current financial year. The work is expected to be completed shortly.

विमान दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु के मुआवजे की दर में वृद्धि

2684. **श्री एम० एस० संजीवी राव :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमान दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु के मुआवजे की दर को बढ़ाने का निणय किया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्रति यात्री कितना मुआवजा दिया जाता था और पुनरीक्षित मुआवजे की दर क्या होगी; और

(ग) गत दो वर्षों में, एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स के विमानों की दुर्घटनाओं में मरे लोगों को सरकार ने कितना मुआवजा दिया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी हां। 1955 के हेग प्रोटोकोल, जिसे "करेज बाई एयर एक्ट, 1972" द्वारा लागू किया गया है, के अनुसार प्रत्येक यात्री के लिए विमान द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वहन के संबंध में वाहक (विमान कम्पनी) के दायित्व की सीमा 1,25,000 स्वर्ण फ्रैंक से बढ़ा कर 2,50,000 स्वर्ण फ्रैंक कर दी गयी है। उक्त एक्ट के लागू होने की तिथि शीघ्र ही अधिसूचित कर दी जायेगी।

अन्तर्देशीय वहन के संबंध में प्रत्येक यात्री के लिए वाहक का दायित्व 42,000 रुपये से बढ़ा कर 1,00,000 रुपये कर दिया गया है तथा यदि यात्री 12 वर्ष की आयु से कम हो तो दायित्व 21,000 रुपये की बजाय 50,000 रुपये होगा। इसे 1 अप्रैल, 1973 से लागू किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान एयर इंडिया किसी ऐसी दुर्घटना में ग्रस्त नहीं हुआ जिस में किसी मृतक यात्री के लिये भुगतान करना पड़ा हो।

जहां तक इंडियन एयरलाइंस का संबंध है, गत दो वर्षों के दौरान उसकी विमान दुर्घटनाओं में कुल 31 यात्री मारे गये थे। 8 यात्रियों के लिए 3,36,000 रुपये का मुआवजा दिया गया है; शेष 23 यात्रियों से सम्बन्धित दावों का कानूनी औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण अभी निपटान नहीं हुआ है।

तंजानिया को ऋण देने के लिए करार

2685. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तंजानिया सरकार ने 5 करोड़ रुपये के भारतीय ऋण के लिए भारत सरकार के साथ कोई करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आने वाले देशों के अतिरिक्त अन्य कौन से ऐसे देश है जिनके साथ 1972 में भारतीय ऋण के लिए करार किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां । 6 दिसम्बर, 1972 को ।

(ख) कोलम्बो आयोजना के सदस्य-देशों से भिन्न देशों में मारीशस ही ऐसा देश है, जिसके साथ भारत सरकार ने 1972 में भारतीय ऋण प्रदान करने के बारे में करार किया है ।

अर्ध परिस्कृत भेड़ की खालों के निर्यात पर रोक

2686. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्ध-परिस्कृत भेड़ की खालों के निर्यात के कारण देश में चमड़ा उद्योग को कच्चे माल की कमी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस कमी को दूर करने के लिए सरकार का विचार अर्ध-परिस्कृत चमड़े के निर्यात पर रोक लगाने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) भेड़ की खालों सहित अर्ध कमायी हुई चमड़ियों तथा खालों का अधिक मात्रा में निर्यात हो जाने से चमड़े के कच्चे माल की कमी हो गई है ।

(ख) जी हां । 20-1-73 से कच्ची चमड़ियों तथा खालों (मैंमने की फर वाली खाल, कच्ची तथा नमक लगी को छोड़कर) के निर्यातों पर रोक है । 14-12-1972 से क्रस्ट लेदर सहित अर्ध कमायी हुई चमड़ियों तथा खालों के निर्यात राज्य व्यापार निगम के राजस्व में मार्गीकृत है । इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल, 1973 से कोटा, प्रणाली लागू कर दी जाएगी । ब्यौरे सरकार के विचाराधीन है ।

कांकार्ड सुपरसोनिक विमान खरीदने का प्रस्ताव

2687. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एयर इंडिया द्वारा उपयोग किये जाने के लिए कांकार्ड सुपरसोनिक विमान खरीदने का है; और

(ख) यदि हां, तो कितने विमान खरीदे जायेंगे तथा उनका मूल्य क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) यद्यपि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, एयर इंडिया के पास अभी भी दो विमान खरीदने का विकल्प है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जापान से नकली रेशम के कपड़ों की तस्करी

2688. **श्री हरि किशोर सिंह :**

श्री एम० वी० कृष्णप्पा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान से देश में चोरी छिपे लाये गये नकली रेशम के कपड़ों के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) इन कपड़ों की तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) और (ख) देश में जापान से कृत्रिम रेशमी कपड़ों के किये गय तस्कर-आयात की मात्रा का विश्वसनीय अनुमान तैयार करना व्यावहारिक नहीं है। तथापि, सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा 1970 में 302 लाख रु०, 1971 में 447 लाख रु० तथा 1972 में 861 लाख रु० के (भारतीय बाजार दर पर) मूल्य के संश्लिष्ट कपड़े पकड़े गये थे।

(ग) माल के तस्कर-व्यापार को रोकने के लिए जिसमें संश्लिष्ट कपड़ों का तस्कर-व्यापार भी शामिल है, सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गय है :–

व्यवस्थित ढंग से सूचना एकत्र करना तथा उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों पर तस्कर व्यापार करने का सन्देह हो उन पर निगरानी रखना, जिन जलयानों अथवा वायुयानों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना, समुद्र-तट एवं भूसीमाओं आदि पर सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों पर निगरानी रखना। प्रभावी रूप से मार्ग में रोकने तथा रोक-थाम करने आदि के लिए समय-समय पर अतिरिक्त मोटर-नौकाएँ तथा वाहन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। पश्चिमी तट पर बेतार का जाल बिछाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। सीमाशुल्क के समाहर्ता, सीमाशुल्क के अपर समाहर्ता तथा सीमाशुल्क के सहायक समाहर्ता के ओहदे के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को अनन्य रूप से तस्कर आयात-निर्यात विरोधी कार्य की देखभाल करने के लिए, सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों में तैनात किया गया है। कुछ वस्तुओं के अवैध आयात और निर्यात को रोकने तथा उनका पता लगाने के कार्य को सुगम बनाने के निमित्त विशेष उपाय करने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन करके अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गयी है। तस्करी के अपराधों के लिए अधिक कठोर सजा देने के निमित्त और वर्तमान खामियों को दूर करने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 62 में और आगे संशोधन करने के लिए संसद में एक विधयक भी पेश किया गया है। इस स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलना

2689. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश के चम्बा, कांगड़ा, मण्डी, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस विचार से किन-किन स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है और किन बैंकों ने इन स्थानों का सर्वेक्षण किया है और अपनी शाखाएं खोलने का निर्णय किया है।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) :(क) और (ख) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है ।

विवरण

जिले का नाम	लीड बैंक	वे केन्द्र जहां सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने कार्यालय खोलने के लायसेन्स दे दिये गये है और अब उनके पास पड़े है	लाइसेंस धारक बैंक का नाम
कांगड़ा	पंजाब नेशनल बैंक	कोटली रानीताल बनखण्डी भटोला जयसिंहपुर	स्टेट बैंक आफ इण्डिया
		सिराज लुभ राजा का तालाब	पंजाब नेशनल बैंक ।
मण्डी	पंजाब नेशनल बैंक	वरसर वग्गी मण्डी	सेण्ट्रल बैंक आफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक यूनियन बैंक आफ इण्डिया
हमीरपुर	पंजाब नेशनल बैंक	..	..
बिलासपुर	युनाइटेड कर्मशियल बैंक	झुखाला	युनाइटेड कर्मशियल बैंक
चम्बा	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	उदयपुर	स्टेट बैंक आफ इण्डिया
उना	पंजाब नेशनल बैंक	पांगी (किलई)	पंजाब नेशनल बैंक

हिमाचल प्रदेश में तम्बाकू को उत्पादशुल्क से मुक्त करना

2690. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के किन क्षेत्रों को तम्बाकू से केन्द्रीय उत्पादशुल्क से मुक्त किया गया है; और

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश के कुछ नए क्षेत्रों को इस उद्देश्य से छूट देने का भी प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) हिमाचल प्रदेश के चम्बा, कांगड़ा मंडी, कुल्लू, लाहौल और स्पिति जिलों के अन्तर्गत आने वाले सभी गांवों को 10 एकड़ तक की तम्बाकू की खेती तथा 60 किलोग्राम तक की तम्बाकू की पैदावार के लिये छूट दी गई है ।

(ख) जी, हां । उना जिले के कोटला, अजनोली, पण्डोजा, तिउरी, पल्कवा गांवों तथा शिमला जिले के मलोया, दबोता, रतौन, दोलान तथा माजरा गांवों को भी छूट देने का प्रशन विचाराधीन है ।

1970 की हड़ताल को बढ़ावा देने वाले जिन विमान चालकों पर मुकदमा चलाया गया उनके नाम

2691. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के भूत-पूर्व उड़ान प्रबन्धक को दिसम्बर, 1970 की हड़ताल को बढ़ावा देने के लिए 6 महीने की कैद की सजा हुई थी; और

(ख) इसी तरह के कार्यों के लिए कितने अन्य विमान चालकों पर मुकदमे चलाये गये ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एक भूतपूर्व उप परिचालन-प्रबंधक को आवश्यक सेवा संधारण अधिनियम की धारा 4 व 5 के अन्तर्गत अदालत द्वारा 6 मास की कड़ी कैद की सज़ा दी गयी है ।

(ख) एक ।

राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों का सामाजिक उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रहना

2692. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक, विशेषकर राष्ट्रीयकरण के बाद सामाजिक उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी, नहीं । सरकारी क्षेत्र के बैंक राष्ट्रीयकरण के समय निर्धारित सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये हर कोशिश करते रहे हैं ।

मैसूर में रेशम के कपड़ों की किस्म को सुधारना और उनका उत्पादन बढ़ाना

2693. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मैसूर के सुविख्यात रेशम के कपड़ों की किस्म को सुधारने और उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना बनाने का है? और

(ख) यदि हां, तो उसकी विशेष बातें क्या हैं और केन्द्र ने इस उद्देश्य से कितनी सहायता दी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रत से फिल्मों को चोरी छिपे बाहर भेजा जाना

2694. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में बहुत से भारतीय चलचित्रों को सीमाशुल्क का भुगतान किये बिना देश से चोरी छिपे बाहर भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आये हैं; और

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई है; और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 1970, 1971 तथा 1972 में 52 भारतीय फिल्मों को, जिनमें 736 रीलें थीं और जिनका मूल्य लगभग 10.4 लाख रुपये था, उस समय पकड़ा गया था जब उनका देश से बाहर तस्कर-निर्यात किए जाने का प्रयास किया जा रहा था। फिल्मों के निर्यात पर कोई सीमाशुल्क नहीं है किन्तु निर्यात, विनिर्धारित विनियमों के अनुरूप होना चाहिए जिससे विदेशी-मुद्रा की प्राप्ति का सुनिश्चय हो सके।

(ग) तस्कर-व्यापार के प्रत्येक मामले की सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा जांच की जाती है और अपराधियों तथा पकड़ी गई फिल्मों के खिलाफ दण्ड लगाने संबंधी कार्यवाही की जाती है।

गुजरात में शक्ति चालित करघे

2695. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने शक्तिचालित करघे हैं और कितने चालू स्थिति में हैं तथा कितने बेकार पड़े हैं; और

(ख) क्या राज्य सरकार को बुनकरों को शक्तिचालित करघे आबंटित करने पर रोक लगा दी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 57,743 शक्तिचालित करघे हैं। तमाम गुजरात राज्य में बेकार पड़े तथा चालू स्थिति में शक्तिचालित करघों की स्थिति के संबंध में जानकारी एकत्र करने में जितना प्रयास करना पड़ेगा, उसके अनुरूप परिणाम नहीं निकलेंगे।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सामान्य बीमा कम्पनियों द्वारा अंशधारियों को क्षतिपूर्ति की अदायगी

2696. **डा० रानेन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत सामान्य बीमा कम्पनियों ने अपने अंशधारियों को अब तक कितनी क्षतिपूर्ति अदा की है;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों द्वारा अदा की जाने वाली कुल क्षतिपूर्ति को देखते हुए अंशधारियों द्वारा डिस्चार्ज और शेयर सर्टिफिकेटस को क्षतिपूर्ति वारण्ट-चैकों में बदलने की गती बहुत धीमी रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) शेयर होल्डरों को, 1 जनवरी 1973 को, 65 लाख 39 हजार शेयरों के सम्बन्ध में 16 करोड़ 21 लाख रुपये दिये जाने थे, जिनमें से 45 लाख 45 हजार शेयरों के सम्बन्ध में कुल 10 करोड़ 93 लाख रुपये अदा किये जा चुके हैं। शेयरों की विशाल राशि को तथा देय रकमों के दो तिहाई भाग की दो महीनों में की गयी अदायगी को देखते हुए, अदायगी की गति संतोषजनक है।

केन्द्रीय पर्यटक केन्द्रों की सूची में पश्चिम बंगाल के दिधा समुद्र विश्राम स्थल (सी रिजार्ट) को शामिल करना

2697. **श्री समर गुह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में उन पर्यटक केन्द्रों के नाम क्या हैं जो पर्यटक केन्द्रों की केन्द्रीय सूची में शामिल किये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार पर्यटक केन्द्रों की केन्द्रीय सूची में पश्चिम बंगाल के दिधा समुद्र विश्राम स्थल को शामिल करने के प्रश्न पर पुर्नविचार करने का है;

(ग) क्या केन्द्रीय पर्यटक केन्द्र सूची में अतिरिक्त स्थानों को शामिल करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या रुख रहा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में अब तक शान्ति निकेतन और राज्य सरकार के साथ मिल कर माल्दा, दार्जिलिंग, डायमेण्ड हार्बर, गौड़ एवं पाण्डुआ में पर्यटन सुविधायें प्रदान की गयी हैं।

(ख) जी, नहीं। क्योंकि दिधा को पश्चिम बंगाल ने पहले ही अपनी चौथी योजना की पर्यटन योजनाओं में सम्मिलित कर लिया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार से विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार द्वारा चौथी योजना के दौरान जिन स्थानों पर पर्यटन योजनाओं को हाथ में लेने का प्रस्ताव है वे ये हैं: दार्जिलिंग, जाल्दापाड़ा, मुरगुमन बांध स्थल, कुरसियांग, सिंगला, कलिम्पौन्ग और फरक्का।

सरकार की पुंजी निवेश और उपयोग नीतियों के बारे में राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् की रिपोर्ट का प्रकाशन

2698. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उसकी पूंजी निवेश और उपभोग नीतियों एवं राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास की दर और मूल्यों पर उसके प्रभाव के बारे में अभी हाल में राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा, प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा क्या क्या मुख्य बातें कहीं गई हैं;

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने फरवरी, 1973 में प्रकाशित अपने विशेषांक में "भारतीय अर्थ-व्यवस्था : 1972-73 (दि इंडियन इकानामी : 1972-73)" शीर्षक के अन्तर्गत भारतीय अर्थ-व्यवस्था की स्थिति और क्रिया कलाप में बारे में कुछ विचार प्रकट किए हैं।

(ख) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने उक्त लेख में जो मुख्य बातें कहीं हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(1) चूंकि इस बात की संभावना है कि सरकार के पास जो संकट-निरोधक भंडार हैं वह गेहूं की वसूली शुरु होने से पहले ही समाप्त हो जायगा, इसलिए इस बात का प्रबन्ध किया जाना

चाहिए कि आयात किया जाने वाला अनाज देश में ठीक समय पर पहुंच जाय ताकि इन चिन्ताजनक महीनों में स्थिति पर काबू पाया जा सके ।

(2) वर्षा की अनिश्चतता के परिणामस्वरूप अनाज के उत्पादन में होने वाली घटबढ़ पर काबू पाने के लिए परिषद ने सुझाव दिया है कि सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि की जाय, पानी की पूर्ति के बेहतर विनियमन की सुनिश्चित व्यवस्था करके सिंचाई के स्तर में सुधार किया जाय और ऐसे इलाकों में उत्पादन के उन्नत तरीकों का प्रसार किया जाय ।

(3) पटसन के निर्यात की मंडियों को बनाये रखने और उनका विकास करने के लिए परिषद ने सिफारिश की है कि हमारे देश और बंगलादेश के बीच एक सामान्य समझौता होना चाहिये ताकि विदेशी मंडियों में उपयुक्त रूप से स्थिर मूल्यों पर पर्याप्त माल की पूर्ति की व्यवस्था हो सके और इस प्रकार स्थानापन्न वस्तुओं का मुकाबला करने के लिए प्रतियोगी क्षमता में वृद्धि हो ।

(4) परिषद ने सिफारिश की है कि घाटे पर चलने वाली केवल उन कपड़ा मिलों को हाथ में लिया जाय, जिनके कार्यचालन को ठीक किया जा सकता हो और बाकी मिलों का विघटन कर दिया जाय वर्ना इन मिलों को हाथ में लेने से देश के सीमित साधनों पर भारी दबाव पड़ेगा ।

(5) परिषद ने चीनी के उत्पादन में होने वाले उतार-चढ़ावों को दूर करने के उद्देश्य से चीनी का उत्पादन करने के लिए चुकन्दर जैसे वैकल्पिक साधनों का उपयोग शुरू करने का सुझाव दिया है ।

(6) तेलहनों की कमी को दूर करने के लिए, परिषद ने और अधिक अनुसंधान करने और अनुसंधान के परिणामों का उपयोग, तेलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए करने का सुझाव दिया है ।

(7) जहां तक औद्योगिक उत्पादन का संबंध हैं, परिषद ने कहा है कि यद्यपि उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का कार्यपालन अपेक्षाकृत बेहतर रहा है, लेकिन पूंजीगत वस्तु उद्योगों के कार्य निष्पादन की गति सुस्त रही है । इसने अनुमान लगाया है कि 1972 में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर 7 प्रतिशत के स्थान पर लगभग 6 प्रतिशत रही है ।

(8) इसने यह मत व्यक्त किया है कि मुद्रा-उपलब्धि में वृद्धि, सरकारी कार्रवाई के कारण हुई है और यह सुझाव दिया है कि सरकार को चाहिए कि जो वृद्धि अर्थ-व्यवस्थाओं के जरुरतों के अनुरूप न हो उस पर रोक लगायी जाय ।

(9) परिषद का विचार है कि केन्द्रीय सरकार का वास्तविक घाटा इतना अधिक नहीं होगा जितना कि मुद्रा-संबंधी आंकड़ों से संकेत मिलता है ।

(10) यह अनुमान है कि 1972-73 में निर्यात में उससे पिछले वर्ष की अपेक्षा केवल 5–6 प्रतिशत वृद्धि हो ।

(ग) 1972-73 की आर्थिक स्थिति और 1973-74 की आर्थिक संभावनाओं के बारे में सरकार के मूल्यांकन का उल्लेख 'आर्थिक समीक्षा' में किया गया है । 1973-74 के बजट में उन अन्य विभिन्न उपायों का उल्लेख किया गया है जो सरकार अगले वर्ष अर्थ-व्यवस्था के कार्य-निष्पादन में और आगे सुधार करने के लिए करना चाहती है ।

छोटी बचत योजनाओं के अन्तर्गत जमा धन

2699. **श्री समर गुह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970-73 वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों और संसंघ राज्य क्षेत्रों द्वारा छोटी बचत योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त राशियों का अलग अलग ब्यौरा क्या है; और

(ख) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इस अवधि के दौरान विकास तथा अन्य सम्बद्ध कार्यों पर छोटी बचतों में से कितनी राशि का व्यय किया गया ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को उनके अपने अपने क्षेत्रों में संगृहीत अल्प बचतों की शुद्ध राशियों के आधार पर 1970-71, 1971-72 और 1972-73 (अब तक) में दिये गये ऋणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपयों में)

राज्य	1970–71	1971–72	1972–73
1. आन्ध्र प्रदेश . . .	2,72	1,63	3,82
2. असम	3,54	5,34	3,48
3. बिहार.	5,59	12,96	14,90
4. गुजरात	8,48	8,57	7,93
5. हरियाणा	7,71	17,51	. .
6. हिमाचल प्रदेश	. .	2,14	1,82
7. जम्मू और कश्मीर . . .	53	68	2,00
8. केरल	1,95	6	1,94
9. मध्यप्रदेश	6,45	4,55	8,31
10. महाराष्ट्र	22,47	42,96	32,19
11. मणिपुर	. .	. .	18
12. मैसूर	3,45	4,94	5,76
13. उड़ीसा	1,84	4,27	3,86
14. पंजाब	3,78	5,37	4,34
15. राजस्थान	1,68	2,99	2,54
16 तमिलनाडु	2,97	4,70	10,91
17. त्रिपुरा	. .	. .	28
18. उत्तर प्रदेश	16,84	17,81	25,66
19. पश्चिम बंगाल	8,83	14,81	30,08

जहां तक संघीय राज्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है, उन्हें ऐसे कोई ऋण नहीं दिये जाते। लेकिन अल्प बचतों का अधिक से अधिक संग्रह करने के लिए प्रोत्साहन देने के प्रयोजन से किसी संघीय राज्य क्षेत्र में, 1968-69 के वर्ष में, जिसे आधार वर्ष माना जाता है, हुए संग्रह की तुलना में किसी वर्ष अल्प बचतों के शुद्ध संग्रह में हुई वृद्धि के दो-तिहाई भाग के बराबर की राशि की, उस संघीय राज्य क्षेत्र को आयोजना के लिए अतिरिक्त आबंटन कर दिया जाता है।

(क) राज्य सरकारों को अल्पबचत संग्रह के एवज में जो ऋण प्राप्त होते हैं वे राज्य सरकारों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किये जाने के लिए उपलब्ध साधनों का भाग बन जाते हैं। भारत सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि 1970-73 की अवधि में, राज्य सरकारों ने अल्प बचत संग्रह के एवज में प्राप्त ऋणों की राशि में से विकास-कार्यों और अन्य सम्बद्ध कार्यों के लिए कितनी राशि खर्च की।

कोचीन के निकट एक नागरिक हवाई अड्डे की स्थापना के लिये प्रस्तावित स्थल के बारे में रिपोर्ट

2700. **श्री ए० के० गोपालन :**
श्री वयालार रवि :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन के निकट एक नागरिक हवाई अड्डे की स्थापना के लिये स्थल बोर्ड ने अपना प्रतिवेदन हाल ही में प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या बोर्ड ने एर्नाकुलम के निकट किसी अन्य वैकल्पिक स्थल का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या बोर्ड के सुझाव के आधार पर कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) स्थल चयन बोर्ड ने कोकीन में हवाई अड्डे के संभावित विकास के लिए अर्नाकुलम् से 12 मील की दूरी पर पूथोट्टा में एक स्थान का सुझाव दिया है। राज्य सरकार से विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति की प्रतीक्षा की जा रही है।

केरल सरकार द्वारा काजू के बन्द कारखाने को नियंत्रण में लेने के लिए 150 लाख के ऋण की मांग

2701. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने काजू के बन्द कारखानों को केरल राहत उपक्रम (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन नियंत्रण में लेने के लिए केन्द्र से 150 लाख रुपये के अनुदान और इतनी ही राशि के ऋण की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार को 20 लाख रु० का ऋण दिया गया है ताकि केरल राज्य काजू विकास निगम बंद पेड़ काजू प्रोसेसिंग एककों को अपने अधिकार में ले सके।

केरल की योजनाओं को विपणन विकास निधि से सहायता प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए अनुदान संहिता में परिवर्तन करने का प्रस्ताव

2702. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुदान संहिता में परिवर्तन करने का है जिससे केरल की योजनाओं को विपणन विकास निधी से सहायता प्राप्त हो सके; और यदि हां तो कब; और

(ख) क्या केरल सरकार ने सरकार से इस संबंध में कोई अनुरोध किया है और यदि हां तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) तथा (ख) केरल सरकार ने यह अनुरोध किया है कि विपणन विकास निधि वित्तीय सहायता राज्य सरकार के उपक्रमों को भी दी जाए। मामला विचाराधीन है।

फिनलैंड को निर्यात किये गये हथकरघा कपड़े के लिए टैक्सटाइल आयुक्त द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र

2703. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि फिनलैंड को निर्यात किए गए हथकरघा कपड़ों के लिए टैक्सटाइल आयुक्त द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र को फिनलैंण्ड सरकार ने मान्यता नहीं दी है; और

(ख) यदि हां, तो टैक्सटाइल आयुक्त द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र की मान्यता के संबंध में सरकारने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) तथा (ख) फिनलैंण्ड को हथकरघा वस्त्रों के निर्यातों के बारे में वस्त्र आयुक्त द्वारा उद्‌भव प्रमाण–पत्रों को मान्यता न दिए जाने के संबंध में भारत सरकार को कोई सूचना नहीं मिली है। तथापि, हमें ऐसा पता चला है कि फिनलण्ड के सीमा शुल्क विभाग द्वारा परिक्षण होने वाली कुछ खेपों के बारे में यह समझ लिया गया था कि ये हथकरघा वस्त्र नहीं होंगे तथा फिनलैंण्ड का सीमाशुल्क विभाग वस्त्र आयुक्त द्वारा दिए गए उद्‌भव प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं कर रहा था। वस्त्र आयुक्त द्वारा कतिपय नमूनों का सत्यापन किये जाने के बाद इस मामले को हमारे मिशन के माध्यम से फिनलैंण्ड की सरकार के सामने उठाया गया है ताकि ये कठिनाइयाँ हल की जा सकें।

धागे के अधिक मूल्य के बारे में केरल हथकरघा निर्यात संगठन का ज्ञापन

2704. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को धागे के अधिक मूल्य के बारे में केरल हथकरघा निर्यात संगठन से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कुल कितना कपड़ा निर्यात किया गया और विशेष प्रकार का कपड़ा, जिसे क्रेप कहा जाता है, के निर्यात का कितना मूल्य है;

(ग) केन्नानूर स्पिनिंग मिल्ज, केन्नानुर केरल में उत्पादित धागे के प्रत्येक बंडल में, गत छः महीनों की अवधि के अंदर, मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ; और

(घ) इस वृद्धि का क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क), (ग) तथा (घ) : एक विवरण संलग्न है।

(ख) इस फैब्रिक के पृथक निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

केरल हथकरघा निर्यात संगठन से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। उसमें दिए गए मुद्दे निम्नोक्त थे :—

(1) कन्नानूर स्पिनिंग एण्ड वीवींग मिल्स, जिसे राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है और जो उसके द्वारा चलाई जा रही है, ने अपने द्वारा उत्पादित धागे की कीमतें असमान्यरुप से बढ़ा दी हैं।

(2) 1-11-72 से 29-1-1973 तक कीमतों में 8 रुपये प्रति बंडल की वृद्धि हुई है।

(3) कीमत वृद्धि से आसपास के क्षेत्र में हथकरघा उद्योग को उत्पादन में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा ; तथा

(4) सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और मिल को गैर–न्यायोचित कीमत वृद्धि की नीति न अपनाने के लिए निदेश देना चाहिए।

2. मिल द्वारा उत्पादित विभिन्न काऊंटों के धागों में कीमत बढ़ौतरी निम्नोक्त प्रकार थी:—

काउंट	नवम्बर, 1972 में कीमतें रुपये	जनवरी, 1973 में कीमतें रुपये	फरवरी, 1973 में कीमते रुपये
20एस साधारण	42	44	बिक्री नहीं हुई
20एस० विशेष	51	55	58
2/20	47	49	49

3. यह पता चला है कि कीमत में वृद्धि मुख्यतः इस कारण हुई (1) रुई की कीमत में वृद्धि तथा (2) मिल के मजुरी बिल में वृद्धि।

रोहतास उद्योग को वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण

2705. कुमारी कमला कुमारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोहतास इण्डस्ट्री, देहरी-आन-सोन, को वर्ष 1972 तक भारत सरकार के विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से कुल कितनी राशि के ऋण मिले;

(ख) बिहार में देहरी-आन-सोन स्थित उक्त उद्योग में कुल कितनी पूंजी लगी है; और

(ग) क्या सारा ऋण सरकारी संस्थाओं को लौटाया जा चुका है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र की दीर्घावधिक वित्त देने वाली अखिल भारतीय संस्थाओं में से, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने ही मैसर्स रोहतास इण्डस्टीज लिमिटेड, देहरी-आन-सोन, बिहार को, कागज और गत्ते की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये उसकी विस्तार योजना के संबंध में, जिसकी पूंजीगत लागत अनुमानत: 300.00 लाख रुपये थी, 90.00 लाख रुपये और 10.00 लाख रुपये के दो ऋण क्रमश: दिनांक 22-5-1954 और 15-10-1955 को मंजूर किये थे। पूंजीगत लागत का शेष 200 लाख रुपये का भाग स्वयं कम्पनी द्वारा उसकी आन्तरिक रूप से अर्जित निधियों और अन्य स्रोतों से पूरा किया गया था। कम्पनी ने मई 1970 तक इन ऋणों को पूरी तरह चुकता कर दिया था।

Import of foreign films

2706. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of foreign films imported during 1971-72; and

(b) whether Government are taking steps to reduce the import of foreign films and if so, the nature thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Information is not available as statistics are maintained in terms of quantity and value of films imported and not according to the names of the films.

(b) Import of films has been canalised through State Trading Corporation with effect from 3-8-72 and only high quality films will be imported by that agency.

नियंत्रित कपड़े का उत्पादन और वितरण

2708. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** :
श्री ई० वी० विखे पाटिल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रित कपड़े के उत्पादन, मूल्य निर्धारण और वितरण के संबंध में हाल ही में एक नई प्रक्रिया लागू की गई है और यदि हां, तो उसकी विशेषता क्या है;

(ख) क्या इस नई प्रक्रिया के बावजूद गरीब लोगों, विशेष रूप से ग्रामीणों को अपनी जरूरत का कपड़ा नियंत्रित मूल्यों पर नहीं मिलता; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) 1 जनवरी, 1973 से नियंत्रित कपड़े के उत्पादन की एक नई योजना भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ ने प्रत्येक मिली जुली मिल पर 3.44 वर्ग मीटर ति करघा आठ घंटों की पारी की दर से या 1971 के दौरान वर्ग मीटरों में कुल पैक्ड उत्पादन के 12 प्रतिशत की दर से नियंत्रित कपड़े के अनिवार्य रूप से उत्पादन का दायित्व लगाया है। जो मिलें स्वय नियंत्रित कपड़े का उत्पादन नहीं करनीं वे अप ी ओर से अन्य मिलों से इसका उत्पादन करा सकती हैं। दायित्व पूरा न करने पर जितनी कमी होगी उस पर 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर का दण्ड लगता है।

मई, 1968 से नियंत्रित कपड़े की कारखाने पर की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तथापि 1-11-72 से कारखाने पर की कीमतों पर लाभ 20 प्रतिशत से घटाकर $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर दिया गया है।

1-11-72 से नियंत्रित कपड़े के वितरण की एक नई योजना चालू की गई है। इस योजना के अंतर्गत नियंत्रित कपड़े के समस्त उत्पादन की बिक्री इनके माध्यम से की जाती है :—

1. मिलों की अपनी फुटकर दुकानें।
2. सहकारिता क्षेत्र में सुपर बाजार।
3. नेशनल को-आपरेटिव कंज्यूमर्स फैडरेशन तथा उनसे संबद्ध अनेक सहकारी संस्थान।
4. राज्य सरकारों के तत्वावधान में चलाई जा रही उचित कीमत दुकानें तथा
5. संबद्ध राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट सहकारिता क्षेत्र में कोई अन्य अभिकरण।

(ख) तथा (ग) सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नियंत्रित कपड़े की बिक्री के लिए व्यवस्था करना राज्य सरकारों का कार्य है।

सरकारी कम्पनियों में आम जनता को शेयर देना

2710. श्री डी० पी० जदेजा :
श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के अध्यक्ष द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि अधिक लाभ वाली सरकारी कम्पनियों के कुछ प्रतिशत शेयर जन साधारण को दिये जायें; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सम्भवतः माननीय सदस्यों का इशारा मद्रास में हुए शैयरहोल्डरों के सम्मेलन में यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के अध्यक्ष द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर है। यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के अध्यक्ष ने यह वक्तव्य अपनी व्यक्तिगत हैसियत से दिया था, इससे सरकार के विचार व्यक्त नहीं होते।

भारत में मुद्रा स्फीति

2711. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एक संसद सदस्य ने उनको अपने एक पत्र में लिखा था कि भारत में वर्तमान मुद्रा स्फीति ऋण विस्तार का स्वाभाविक परिणाम है और सुझाव दिया था कि रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये और सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए परामर्श पर विचार करने के लिए एक जाँच समिति का गठन किया जाए; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) कुछ बठकों में हुई चर्चाओं के दौरान, रिजर्व बैंक के कार्यचालन की जाँच करने के बारे में हाल ही में कुछ सुझाव दिए गए हैं। सरकार ऐसी कोई जाँच समिति बैठाने की आवश्यकता नहीं समझती।

डालर के अवमूल्यन का अमरीकी पर्यटकों के भारत आने पर पड़ने वाला प्रभाव

2713. श्री सरजू पांडे : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के डालर के दस प्रतिशत अवमूल्यन से अमरीकी पर्यटकों के भारत आने पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) इस समय कोई सही मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है ।

पांचवीं योजना के दौरान समुद्र के किनारे विमान स्थलों (सी-साइड रिजार्टस) का विकास

2714. श्री सरजू पांडे : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं योजना के दौरान समुद्र के किनारे विश्राम स्थलों के रूप में कितने स्थानों का विकास किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :यह पांचवीं योजना में पर्यटन स्कीमों के लिये कितना परिव्यय अनुमोदित किया जाता है इस बात पर निर्भर करेगा । फिलहाल गोवा, महाबलिपुरम्, तथा कोवालम का समुद्र तटीय विहार स्थलों के रूप में विकास करने का विचार है ।

काण्डला निर्बाध व्यापार जोन से निर्यात में कमी

2715. श्री सरजू पांडे : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काण्डला निर्यात व्यापार जोन से संभावित निर्यात से बहुत कम निर्यात होता है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्बाध व्यापार जोन से निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) काण्डला निर्बाध व्यापार जोन निरन्तर प्रगति कर रहा है । जोन से होने वाले निर्यात 1966-67 में 7.48 लाख रुपये से बढ़कर जनवरी, 1973 के अंत तक 120 लाख रुपये के हो गए हैं जबकि मार्च, 1973 के अंत तक 130 लाख रुपये का लक्ष्य है । ऐसे संकेत हैं कि इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा ।

(ग) जोन के निर्यात निष्पादन में सुधार लाने के लिए एक उच्च स्तरीय संचालन बोर्ड स्थापित करने का विचार है ।

देश में आलीशान होटलों के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता

2716. श्री सरजू पांडे :

श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पर्यटन विकास के लिये आलीशान होटलों के निर्माण हेतु निजी पार्टियों को अब तक कुल कितनी सहायता हो गई है; और

(ख) प्रत्येक होटल, जिसके लिए सहायता दी गई है, पर अनुमानतः कितना व्यय किया जायेगा और इन होटलों का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) तीन से पाँच स्टार वर्गों की 31 होटल परियोजनाओं के लिये अब तक 12.34 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किये गये हैं जिनमे से 13 परियोजनाओं को अब तक 5.04 करोड़ रुपये का ऋण दिया जा चुका है।

(ख) 31 परियोजनाओं के कुल अनुमानित व्यय और उनके संभवतया पूरा होने के वर्ष ो दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। **(ग्रंथालय मे रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 4446/73)**

Loss by Fire in Carding and Frame Section of Hira Mill Ltd., Ujjain

2717. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5408 dated the 22nd December 1971 and state :

(a) whether a Report has since been received by Government in regard to the exten of loss suffered as a result of fire which broke out in the Carding and Frame Sections of the Spinning Department of the Hira Mill Ltd., Ujjain; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir.

(b) The broad outlines of the enquiry report are as under :—

(i) The fire broke out as a result of some accident, most probably due to sparkings in the electric line when the light was put on for cleaning purposes.

(ii) the actual verification revealed that the original estimated loss of Rs. one lakh being on very rough basis, happened to be on the higher side. The claim of Rs. 36,400 accepted by the Insurance Company appeared to be reasonable.

कुछ बीमा कंपनियों द्वारा शोषण

2718. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन मामलों की ओर दिलाया गया जिनके अनुसार वर्ष 1972 के दौरान कुछ बीमा कंपनियां, जिनका अभी तक राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है, आम जनता का शोषण कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो शोषण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) शोषण को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) जिन बीमा कंपनियों का विविध बीमा का ोबार करने का रजिस्ट्रेशन 13 नवम्बर, 1970 को अथवा उससे पहले निरस्त हो चुका था, उनको राष्ट्रीयकरण अधिनियम के दायरे में नहीं लिया गया है। उन कंपनियों में से कोई भी 1971 और 1972 में कुछ भी नया कारोबार नहीं कर सकती थी और न उन्होंने किया है। ऐसी कंपनियों में से तीन के खिलाफ, पहले जारी की गई पालिसियों के अंतर्गत दावों का निपटान करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं और इन शिकायतों की बीमा नियंत्रक द्वारा जांच की गई है। इन बीमा कंपनियों में से एक के मामले में नियंत्रक ने, बीमा अधिनियम 1938 की धारा 34सी० द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित कंपनी के बोर्ड में एक अतिरिक्त निदेशक, कंपनी के मामलों पर निगरानी रखने के लिए नियक्त किया है।

कलकत्ता हास्पिटल तथा नर्सिंग होम बेनिफिट ऐसोसिएशन लिमिटेड ही एक ऐसी बीमा कम्पनी है, जिसको विविध बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 के द्वारा, राष्ट्रीयकरण के बाद नया कारोबार करने की इजाजत दी गयी है । यह बीमा कंपनी बिना लाभ के आधार पर चिकित्सा बीमा का कारोबार करती है और इसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

Raids by Income-tax Authorities in Delhi

2719. **Shri Chhatrapati Ambesh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Income-tax authorities conducted raids on firms in Delhi on the 2nd February, 1973 in order to unearth black money as reported in 'Nav Bharat times' dated the 3rd February, 1973 ;

(b) if so, the names of such firms and the amount of black money recovered from each of them, separately ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Yes, Sir.

(b) (i) *M/s Sahib Singh (Agencies) (P) Ltd., New Delhi.*—Books of accounts hundi, promissory notes and other incriminating documents were seized.

(ii) *M/s Sahib Singh Manufacturing Co. (P), Ltd, New Delhi.*—Books of accounts, documents, and files were seized.

(iii) *M/s Cosmetic stores, New Delhi.*—Nothing was seized.

(iv) *M/s Sahib Singh & Sons, New Delhi.*—Books of accounts were seized.

(v) *Mrs. Shamsher Singh.*—The following jewellery, gold sovereigns and cash were found in the bank lockers which were not declared to the department earlier.

	Rs.
(a) Jewellery	1,37,497
(b) Gold sovereigns	(157 pieces) 32,970
(c) Cash	37,935

The lockers have been sealed.

(vi) *Smt. Amrit Kaur and S. Dilsher Singh.*—The following jewellery, gold sovereigns were found in the bank lockers which were not declared.

	Rs.
(a) Jewellery	17,570
(b) Gold Sovereigns	(171 pieces) 35,910

The lockers have been sealed.

(vii) *Residence of S. Shamsher Singh, New Delhi :*

	Rs.
(a) Cash seized	2,358

(b) Jewellery worth Rs. 91,714 has been seized.

(c) Books, files, etc. were seized.

(viii) *Shri H. S. Duggal, Manager, New Delhi,*—Books of accounts and documents were seized.

Impact of change in values of International Currencies on India's Foreign Debt

2720. Shri Shrikrishna Agrawal : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether instability is being experienced by India in regard to the repayment of international loans as a result of Britain's entry in the Common Market and change in the values of international currencies from time to time ;

(b) if so, Government's reaction thereto; and

(c) the measures being taken by Government to bring regularity in the repayment of loans ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) Britain's entry into the European Common Market is not expected to result in any instability in regard to India's repayment of debt. Changes in currencies of major creditor countries affect the debt problems of developing countries like India, only in terms of change in the rupee equivalent of the loans.

(*b*) The entire question of International Monetary reform is currently being considered by the Group of Twenty in the International Monetary Fund and India as a member of of this Group, along with other developing countries, is trying to ensure that proposals of monetary reform to safeguard the interests of the developing countries including India.

(*c*) Government of India is making repayment of its external debt obligation regularly in accordance with the terms of the various agreements.

देश के बेरोजगार विमान चालकों को रोजगार देने हेतु कार्यवाही

2721. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देशमेंल कितने विमान चालक बेरोजगार हैं;

(ख) क्या उन्हें रोजगार देने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) यद्यपि इस संबंध में पूरी-पूरी सही सूचना उपलब्ध नहीं है, तथापि 31 जनवरी, 1973 को 1268 विमानचालकों के पास व्यावसायिक वर्ग के विमानचालक लाइसेंस थे, जिनमें से 894 रोजगार पर लगे बताए जाते हैं ।

(ख) और (ग) वाणिज्यिक विमानचालकों में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) नागर विमानन विभाग में सहायक विमानक्षेत्र अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए नियमों में संशोधन कर के उनमें वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस को एक स्वीकार्य योग्यता के रूप में सम्मिलित किया गया। पिछली भर्ती में, संघ लोक सेवा आयोग ने सहायक विमानक्षेत्र अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिये 82 अभ्यर्थियों की सिफारिश की, जिनमें से 61 वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंसधारी थे ।

(ii) इस मंत्रालय के अनुरोध पर, कृषि मंत्रालय बरोजगार वाणिज्यिक विमानचालकों को फसल पर छिड़काव करने संबंधी परिचालनों के लिये संपरिवर्तन प्रशिक्षण (कन्वर्शन ट्रेनिंग) प्रदान करने के लिये विचार करने पर सहमत हो गया है ।

(iii) इण्डियन एयरलाइंस तथा एयर इण्डिया को परामर्श दिया गया है कि वे जहाँ संभव हो ग्राउंड ड्यटी पर बेरोजगार विमानचालकों की सेवाओं का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष एक विज्ञापन के आधार पर इण्डियन एयरलाइंस ने कारपोरेशन में नियुक्ति के लिये 55 उम्मीदवारों का चयन किया। उनमें से 28 अप्रेंटिस विमानचालकों के प्रथम बैच की नियुक्ति की जा चुकी है तथा शेष 27 को वर्ष की अवधि के दौरान नियुक्ति के लिये बुला लिया जायेगा।

Delegations to Foreign Countries

2722. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of official delegations that visited foreign countries during 1971-72 alonng with the names of the countries visited by them; and

(b) the expenditure incurred on each delegation?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Seizure of Contraband Goods

2723. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state

(a) whether contraband gold worth Rs. 85,000 was seized from a public conveyanace at Bombay airport on the 28th January, 1973;

(b) whether Government have not been able to apprehend the alleged smugglers of the said gold ; and

(c) if so, the reasons therefor.

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) On 28-1-1973 gold worth Rs. 1.85 lakhs approximately at the local market rate was seized from a flush tank in the ladies cloak room at Santacruz Airport.

(b) & (c) No arrests have been made so far. The gold was found from a place used by passengers, crew members and airport staff. The investigations are still in progress.

Assessment of Wealth of Top 75 families in India

2724. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have assessed the wealth of the top 75 families in India; and

(b) if so, their names and the value of the wealth possessed by each one of them during the last three years, separately ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) Yes Sir. The names of the top 75 Wealth-tax assessees and particulars of their returned or assessed net wealth in each of the last three years are furnished in the annexed statement. **[Placed in Library, See No. L.T. 4443/73]**

Profit/Loss on Hotels run by I.T.D.C. during 1972

2725. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the names and location of hotels being run by India Tourism Development Corporation in the country ; and

(b) the profit earned or loss suffered by the Corporation on these hotels during 1972?

The Minister of Tourism & Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b)

Name of the Hotel	Location	Profit(+)/ Loss(—)during 1971-72 (Rs. in lakhs)	
Ashoka Hotel	New Delhi	(+)	18.68
Akbar Hotel	Do.	(—)	13.77
Janpath Hotel	Do.	(+)	10.64
Ranjit Hotel	Do.	(—)	4.36
Lodhi Hotel	Do.	(—)	2.48
Ashoka Hotel	Bangalore	(—)	12.12
Aurangabad Hotel	Aurangabad	(—)	1.02*

*The financial working results are for the period from 1-10-72 to 31-12-1972 and are subject to audit.

Value of Orders received by MMTC offices in Giridih and Madras for Export of Mica.

2726. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state : (a) the steps taken by Government during the last three months in regard to export of mica; and

(b) the value of orders received by the offices of MMTC in Giridih and Madras during the last three months ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Some of the major steps taken by Government during the last three months in regard to export of mica are as under :—

(i) Effective from 1st January, 1973 export duty on higher grades of mica was reduced from 40% to 30% *ad valorem* of medium grades from 40% to 20% *ad valorem* and of lower grades of loose splittings from 20% to 15% *ad valorem*.

(ii) Floor prices of mica were raised with effect from 1st January, 1973, with a view to boosting production and consequently export of mica ;

(iii) Assistance was provided to the mica industry to increase the production of fabricated and manufactured mica products and their export.

(iv) It has been decided to set up Mica Trading Corporation as a Subsidiary to the Minerals and Metals Trading Corporation to procure, process and export mica.

(v) M.M.T.C. has laid down procedures for export of mica in 1973 which will assit the weaker section of mica trade to participate in exports of mica to foreign countries.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

इण्डियन आक्सीजन लि० द्वारा शेयरों का जारी किया जाना

2727. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड को वर्तमान अभिदत्त शेयरों के अलावा नये शेयर जारी करने अथवा बोनस शेयर जारी करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो नये शेयर जारी करने के बाद, भारत में वर्तमान शयर होल्डरों, गैर-निवासियों, निगमों और वित्तीय संस्थाओं के पास शेयरों का क्या अनुपात होगा; और

(ग) क्या सरकार का विचार नये जारी किए गए शेयरों का अधिग्रहण करने और कम्पनी के निदेशक मण्डल में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) पूंजी निर्गम नियंत्रक के 14 नवम्बर, 1972 को पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, के अन्तर्गत इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड को 3 सामान्य शेयरों के लिए 1 बोनस शेयर, के अनुपात में 1,54,00,000 रुपये के 15,00,000 बोनस शेयर जारी करने की स्वीकृति दी थी।

(ख) उपर्युक्त बोनस निर्गम के मामले में कम्पनी के आवेदन पत्र से जो सूचना प्राप्त हुई है उस के अनुसार प्रस्तावित बोनस निर्गम के बाद सामान्य शेयरों की धारिता का स्वरूप इस प्रकार होगा :—

(1)	विदेशी कम्पनी या कम्पनियां जिनके पास संयुक्त रूप से या पृथक रूप से अधिकांश शेयर हों	66.06 प्रतिशत
(2)	उपर्युक्त (1) के अलावा, अनिवासी शेयर धारी . .	0.16 प्रतिशत
(3)	निदेशक	0.05 प्रतिशत
(4)	बीमा कम्पनियों तथा बैंकों सहित वित्तीय संस्थायें . .	7.71 प्रतिशत
(5)	कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियाँ . .	0.51 प्रतिशत
(6)	अन्य . . .	25.51 प्रतिशत
		100.00 प्रतिशत

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया, युनाइटिड कर्मशियल बैंक, युनियन बैंक आफ इण्डिया तथा बैंक आफ इण्डिया द्वारा उड़ीसा में छोटे कृषकों और व्यापारियों को दिया गया ऋण

2728. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया, युनाइटेड कर्मशियल बैंक, युनियन बैंक आफ इण्डिया तथा बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं ने बालासौर जिले में सबडिवीजन वार जनवरी, 1971 से दिसम्बर, 1972 के अंत तक छोटे कृषकों और छोटे व्यापारियों को कितना ऋण दिया ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : युनाइटेड कर्मशियल बैंक, युनाइटेड बैंक आफ इंडिया और बैंक आफ इंडिया के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4444/73**]

स्टेट बैंक आफ इंडिया के संबंध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है, वह संभव सीमा तक इकट्ठी करके सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

'यू-फोम' के निर्माण के लिए मशीनों का आयात

2729. श्री अर्जुन सेठी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कतिपय फर्मों को 'यू-फोम' के निर्माण के लिए विदेशों से मशीनों का आयात करने की अनुमति दी है, यदि हां, तो किन-किन फर्मों को;

(ख) क्या यह उद्योग प्रारंभ करने के लिए इन मशीनों का आबंटन किसी बेरोजगार तकनीशियन अथवा स्नातकों को दिया गया है;

(ग) क्या सरकार के विचाराधीन उपरोक्त उद्योग की मशीनों का आयात करने की अनुमति देने के लिए कोई आवेदन-पत्र पड़ा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें इन मशीनों का आयात करने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां । उन फर्मों के नाम, जिन्हें पोलियूरेथेन फोम उत्पाद विनिर्मित करने के लिए मशीनों के आयात हेतु लाइसेंस दिए गए हैं, नीचे दिये जाते हैं :—

1. मैसर्स भारत फोम इंडस्ट्रीज, बम्बई ।
2. मैसर्स आइडियल फोम (प्रा०) लि०, बड़ौदा ।
3. मैसर्स कनुमाना एन्टरप्राइसिस, बम्बई ।
4. मैसर्स के० वी० प्लास्टिक फोम इंडस्ट्रिज, विल्लारी (मैसूर) ।
5. मैसर्स जे० जे० फोम, जयपुर ।
6. मैसर्स गोआ फोम (प्रा०) लि०, गोआ ।
7. मैसर्स इंडियन फोम इंडस्ट्रीज, हैदराबाद ।
8. मैसर्स जैन इंडस्ट्रीज, हैदराबाद ।
9. मैसर्स भारत पैट्रो-कैमिकल, दिल्ली ।
10. मैसर्स यू० फोम, हैदराबाद ।
11. मसर्स हिन्दुस्तान फोम इंडस्ट्रीज, भोपाल ।
12. मैसर्स (श्रीमती) शीला गौतम, मेरठ ।
13. मैसर्स राजेश्वर पटेल, पटना ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी हां । ऐसे 20 आवदन पत्र लंबित हैं । चूंकि, पोलियूरेथेन फोम उत्पादों के विनिर्माण हेतु मुख्य कच्ची सामग्री अर्थात् टी० डी० आई० (टोल्यून-डाइ-आइसोसियानेट) भारी मात्रा में आयात करना पड़ती है जो कि मशीनों के मूल्य के अनुपात में नहीं होती इसलिए सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि इस मद के विनिर्माण हेतु नये एककों की स्थापना 1974 तक अगले कुछ वर्षों में क्रमबद्ध रूप से होनी चाहिये जबकि टी० डी० आई० का स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होने की आशा है ।

पांचवीं योजना के दौरान विकसित करने हेतु उड़ीसा में चुने गये पर्यटन स्थल

2730. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के उन पर्यटन स्थलों के नाम क्या हैं जिन्हें पांचवीं योजना के दौरान विकसित करने हेतु चुना गया है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में विकास कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

पयटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) पांचवीं योजना की स्कीमें तैयार की जा रही हैं तथा अभी उन्हें अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

भारत द्वारा अफ्रीका और एशियाई देशों को किए जाने वाले निर्यात में कमी

2731. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीकी तथा एशियाई देशों को किए जाने वाले निर्यात में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1970–71 की तुलना में 1971–72 में मामूली गिरावट आई लेकिन 1972–73 के पहले पांच महीनों के आंकड़े 1971–72 में उसी अवधि के आंकड़ों की अपेक्षा मामूली सी वृद्धि दर्शाते हैं।

(ख) संगत आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	अफ्रीकी देश	एशिया, ओसिनिया देश
1970–71 . . .	139.29	487.51
1971–72 . . .	132.06	448.51
1971 (अप्रैल-अगस्त) . .	46.49	184.67
1972 (अप्रैल-अगस्त) . .	47.78	219.87

Grant of Loans to Central Government Employees for Purchase of Cars

2732. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are considering the question of increasing the amount of loan given to their employees for the purchase of cars in view of the increase in the price thereof; and

(b) if so, by how much ?

The Minister of State in the ministry of Finance (Shri K R Ganesh) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया में नये कर्मचारियों की भर्ती

2733. **श्री हरी सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नयी दिल्ली के रिजर्व बैंक आफ इण्डिया में वर्ष 1971–72 में सभी वर्गों में नये कर्मचारियों की कोई भर्ती की गयी थी ; और

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों की भर्ती की गयी थी और चुने गये अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि अधिकारी-ग्रेड की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है ; अतः नई दिल्ली कार्यालय के बारे में सूचना अलग से नहीं रखी जाती। जहाँ तक लिपिक वर्गीय और अधीनस्थ कर्मचारियों का संबंध है, जिनमें आंशकालिक झाडूकश (स्वीपर) भी शामिल हैं, 1 अप्रैल, 1971 से 31 मार्च 1972 तक की अवधि में भर्ती किए गए अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की संख्या और कुल कर्मचारियोंकी संख्याके प्रति उनकी प्रतिशतता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

कर्मचारियों की श्रेणी	भर्ती किए गए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या	कुल भर्ती किए गए कर्मचारियों के प्रति स्तंभ 2 की प्रतिशतता
श्रेणी III . . .	14	7.82%
श्रेणी IV . .	15	22.4%

भारतीय रिजर्व बैंक में उच्च श्रेणी लिपिकों, निम्न श्रेणी लिपिकों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या

2734. **श्री हरी सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्ष 1972 के अन्त तक भारतीय रिजर्व बैंक, नयी दिल्ली में काम कर रहे अवर श्रेणी एवं निम्न श्रेणी लिपिकों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : 1972 के अन्त में, भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली कार्यालय में के लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुल स्वीकृत संख्या इस प्रकार थी :

लिपिक ग्रेड I	311
लिपिक ग्रेड II	392
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	540
दैनिक मजदूरी वाले/अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी . .	16
	1,259

'क्लियरिंग हाउसेज' की स्थापना

2735. श्री हरी सिंह : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बैंक प्रबन्धक संस्थान के तत्वावधान में दिसम्बर, 1969 में हुई वर्कशाप की एक सिफारिश यह थी कि जनसंख्या के आधार पर 'क्लियरिंग हाउसेज' खोले जाएं; और

(ख) यदि हां, तो नवीनतम जनगणना के आधार पर 'क्लियरिंग हाउसेज' स्थापित करने के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हाँ। राष्ट्रीय बैंक प्रबन्धक संस्थान के तत्वावधान में दिसम्बर 1969 में मद्रास में 'कस्टमर सर्विस' (ग्राहक सेवा) पर हुई वर्कशाप का मुख्य सुझाव यह था कि ऐसे सभी संस्थानों में समाशोधन गृह (क्लीयरिंग हाउस) खोले जाएं जहाँ की जनसंख्या 50,000 या उससे अधिक है और जहाँ 3 या उससे अधिक बैंक कार्य कर रहे हैं ।

(ख) फरवरी 1970 में, (1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार) ऐसे 132 केन्द्र थे। रिजर्व बैंक ने 1971 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार इन केन्द्रों की सूचि को अद्यतन बना दिया है जिसमें ऐसे केन्द्रो की संख्या 156 है। नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, इनमें से 66 केन्द्रों में समाशोधनगृह स्थापित किए जा चुके हैं। रिजर्व बैंक अन्य केन्द्रों में समाशोधनगृह स्थापित करने के मामले को वाणिज्यिक बैंकों के साथ आगे बढ़ा रहा है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मकान बनाने हेतु मंजूर किया गया ऋण

2736. श्री हरी सिंह : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में 1971-72 में 'एम्पलाइज हाउसिंग लोन स्कीम' के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए ऋण की मंजूरी दी गयी ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सूचना इकट्ठी ी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया आफिसर कैडर रिव्यू कमेटी की स्थापना

2737. श्री हरी सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने रिजर्व बैंक आफ इण्डिया आफिसर कैडर रिव्यू कमेटी' की स्थापना की है, और

(ख) यदि हां, तो क्या कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट दी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा गठित रिजर्व बैंक आफ इंडिया आफिसर कैडर रिव्यू कमेटी ने 11 अक्टूबर 1972 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है।

बेंगलौर से दिल्ली तक की उड़ान के समय में परिवर्तन करने का प्रस्ताव

2738. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेंगलौर से दिल्ली की उड़ान का समय दिल्ली हवाई अड्डे पर रात्रि के 10.30 बजे अथवा कभी कभी 11.30 बजे पहुंचने का है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस उड़ान के समय में परिवर्तन करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) दिल्ली विमानक्षेत्र पर बेंगलौर-हैदराबाद-दिल्ली उड़ान का अनुसूचित आगमन समय 22.00 बजे है।

(ख) विमानों को अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्थानों के बीच एक दिन में कई उड़ाने परिचालित करनी पड़ती हैं ।

कम्पनियों को अपनी पून्जी में वृद्धि करने की अनुमति देना

2739. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 कम्पनियों को अपनी पूंजी में 2.80 करोड़ रुपये तक की वृद्धि करने की अनुमति दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका सारांश क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) पूंजी निर्गम नियंत्रक के कार्यालय द्वारा 30 दिसम्बर, 1972 को समाचारपत्रों के नाम जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, निम्न 6 कम्पनियों को पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत 280.45 लाख रुपये की पूंजी जुटाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

कम्पनी का नाम	स्वीकृत राशि
	लाख रुपये
1. श्री वल्लभ ग्लास वर्क्स लिमिटेड . . .	40.34
2. वालेस फ्लोर मिल्स कम्पनी लि० . .	22.50
3. बड़ौदा रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड . .	1.00
4. ग्वालियर लैम्प ऐण्ड इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड . .	30.00
5. बिटकार्प प्राइवेट लिमिटेड	36.61
6. सिरपुर पेपर मिल्स लिमिटेड . . .	150.00
जोड़ .	280.45

पर्यटन केन्द्रों और आकर्षणों से सम्बद्ध ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध करवाने वाले साहित्य का अभाव

2740. श्री राजदेव सिंह :
श्री श्यामनन्दन मिश्र :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 फरवरी 1973 के 'करण्ट' में 'इज़ इट हाउ वी प्रमोट टूरिज्म?' अर्थात 'क्या इसी तरह पर्यटन का विकास किया जाता है?' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित होने वाले समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह राज्य सरकार का मामला है तथा हमने राज्य सरकार का ध्यान इस रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया है।

विदेशी सहायता

2741. **श्री राजदेव सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972–73 के अन्तिम वर्षार्ध में 227.26 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता के करारों पर हस्ताक्षर किए गए ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान सम्भावित विदेशी सहायता में कितनी कमी होने की आशा है ; और

(ग) क्या सरकार विदेशी सहायता बिल्कुल न लेने तथा अपने संसाधनों से ही काम चलाने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) 1972–73 में हस्ताक्षरित सहायता करारों का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) सरकार आयात प्रतिस्थापन और निर्यात संवर्धन के जरिये आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर बराबर बल दे रही है। जैसाकि 'पांचवी पंचवर्षीय आयोजना के प्रति दृष्टिकोण' में बताया गया है हमारा उद्देश्य पांचवीं आयोजना की अवधि के अन्त तक **शून्य शुद्ध सहायता** का लक्ष्य प्राप्त करना है।

1972-73 में हस्ताक्षरित सहायता-करारों के मूल्य का विवरण

देश	लाख अमरीकी डालर राशि
1. आस्ट्रिया	24.0
2. बेल्जियम	50.0
3. कनाडा	674.4
4. डेनमार्क	57.0
5. फ्रांस	907.0
6. पश्चिम जर्मनी	869.5
7. जापान	811.7
8. नीदरलैंड	217.1
9. स्वीडन	636.1
10. ब्रिटेन	1404.0
11. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	2740.0
कुल जोड़ .	8390.8
(करोड़ रुपयों में)	610.79

भारत और चैकोस्लोवाकिया के बीच व्यापार करार

2742. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **वाणिज्य** मं ी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी सरकार ने चैकोस्लोवाकिया के साथ वर्ष 1973 में दोनों देशों के बीच 130 करोड़ रुपये वाले एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1973 में किये जाने वाला व्यापार वर्ष 1972 में किये गये व्यापार की तुलना में अधिक होगा ; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1972 की तुलना में वर्ष 1973 में व्यापार में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख तथा (ग) : अभी यह बताना कठिन है कि इससे 1972 के अनुमानित स्तर की तुलना में कितनी वृद्धि होगी। तथापि, यह संभावना है कि यह वृद्धि 20% या अधिक होगी।

प्रथम ग्रेड के एरोड्रोम आपरेटरों (सलैक्शन ग्रेड) को स्थाई करना

2743. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग न लेने वाले प्रथम ग्रेड के एरोड्रोम आपरेटरों (सलैक्शन ग्रेड) में से कुछ को नवम्बर, 1969 में स्थाई कर दिया गया था और जिन व्यक्तियों ने हड़ताल में भाग लिया था उन्हें उस विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा स्थाई नहीं बनाया गया था और न ही उनके लिये कोई स्थान सुरक्षित।रिक्त रखे गये थे ; और यदि हां, तो क्या हड़ताल करने वालों को स्थाई कर दिया गया है और यदि हां, तो किस तारीख से ; और

(ख) क्या बाद में स्थाई किये गये प्रथम ग्रेड एरोड्रोम आपरेटरों को वरीयता क्रम मे 1969 में स्थाई किये गये आपरेटरों से आगे रखा जायेगा और यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) उन व्यक्तियों को छोड़ कर जिन्होंने सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लिया था, ग्रेड I (सिलेक्शन ग्रड) के विमानवत्र परिचालकों को नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा 19-11-1969 से स्थायी कर दिया गया। सरकार ने हड़ताल में भाग लेने वालों को स्थायी करने के बारे में गृह मंत्रालय के का० ज्ञा० सं० 13/9/(एस)/68-स्था०(ख), दिनांक 3-3-1970 के अन्तर्गत कुछ अनुदेश जारी किए थे। इन अनुदेशों के आधार पर नागर विमानन के महानिदेशक ने ग्रेड I (सिलेक्शन ग्रेड) के उन विमानवेत्र परिचालकों के मामलों पर, जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया था, विचार किया तथा उन्हें गत काल अर्थात् दिनांक 19-11-1969 से ही स्थायी कर दिया, क्योंकि उसी तारीख से रिक्तियाँ उपलब्ध थीं।

(ख) क्योंकि इन दोनों डी वर्गों के कर्मचारियों को एक ही तारीख अर्थात् 19-11-69 स्थायी किया गया है अतः उनके मल पारस्परिक प्रवरता क्रम में कोई परिवर्तन नहीं सें हुआ है।

चौथी योजना में छोटी बचतों के लक्ष्य

2744. **श्री झारखण्डे राय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में छोटी बचतों के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या था ;

(ख) अब तक कुल कितने धन का संग्रह किया जा चुका है ; और

(ग) क्या यह लक्ष्य प्राप्त हो जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) चौथी आयोजना की अवधि में अल्प बचतों के कुछ संग्रह का लक्ष्य मूलतः 769 करोड़ रुपये रखा गया था। आयोजना के मध्यावधिक मूल्यांकन के दौरान इसे बढ़ा कर 1,000 करोड़ रुपये कर दिया गया।

(ख) अब तक संगृहीत कुल राशि इस प्रकार है :

	करोड़ रुपये
1969—70	129.82
1970—71	183.78
1971—72	228.01
1972—73 . . . . (जनवरी, 1973 तक)	207.00
जोड़ .	748.61

(ग) आशा है कि चौथी आयोजना की अवधि में अल्प बचतों के संग्रह का संशोधीत लक्ष्य न केवल प्राप्त हो जायेगा, बल्कि लक्ष्य से अधिक राशि संगृहित होगी।

गैर-पारस्पारिक वस्तुओं का निर्यात

2745. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में गैर-पारस्परिक वस्तुओं के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) गैर-पारस्परिक वस्तुओं में निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं क्या हैं ; और

(ग) इन गैर-पारस्परिक वस्तुओं की मुख्य विदेशी मंडियां कौन सी हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) मोटे तौर पर वर्गीकरण के आधार पर अपरम्परागत मदों के निर्यात 1971—72 में 531 करोड़ रुपये के हुए जो कि 1968—69 में निर्यातों की तुलना में 126 रुपये अधिक थे।

(ख) निर्यातित मुख्य अपरम्परागत मद ये हैं :

1. इंजीनियरी सामान
2. रसायन तथा संबद्ध उत्पाद
3. रबड़ उत्पाद

4. कागज तथा गत्ते
5. फैरो मैंगनीज तथा फैरो मिश्रधातु
6. सूती परिधान
7. कृत्रिम रेशम तथा संश्लिष्ट रेशम और रुपन ग्लास के वस्त्र
8. डिब्बा बंद तथा जमाई हुई मच्छली ।
9. हस्तशिल्प की वस्तुएं ।
10. चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित वस्तुएं (खालों तथा कच्ची चमड़ियों को छोड़कर) जिसमें चमड़ तथा कैनवास के जूते
11. प्लास्टिक तथा प्लास्टिक निर्मित माल
12. रेशम वस्त्र ।

(ग) महत्वपूर्ण अपरम्परागत माल के संबंध में मुख्य बाजार निम्नलिखित हैं :--

मदें	मुख्य बाजार
1. इंजीनियरी माल . .	मिस्र का अरब गणराज्य, ईरान, सूडान, नाइजीरिया, श्रीलंका, सोवियत संघ, मलयेशिया, ब्रिटेन, कुवेत, सं० रा० अमरीका ।
2. डिब्बा बंद तथा जमाई मच्छली .	सं० रा० अमरीका, ब्रिटेन, श्रीलंका, जापान तथा आस्ट्रेलिया ।
3. हस्तशिल्प की वस्तुएं . .	सं० रा० अमरीका, बेल्जियम, प० जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, हांगकांग ।
4. रसायन तथा संबद्ध उत्पाद .	ब्रिटेन, सं० रा० अमरीका, सोवियत संघ, नेपाल, मिस्र का अरब गणराज्य ।
5. चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित वस्तुएं .	ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, इटली, युगोस्लाविया तथा जापान ।

योरुपीयन 'एयर बस' के निर्माताओं द्वारा उनके विमानों की बिक्री के लिये पेशकश

2746. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **पर्यटन** और **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योरुपियन 'एयर बस' के निर्माताओं 'एयर बस' उद्योग ने भारत को अपने विमान बेचने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो निर्माताओं द्वारा प्रस्तुत की गई शर्तें क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस पेशकश पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। इंडियन एयर लाइन्स को।

(ख) और (ग) अन्य विमान निर्माताओं के प्रस्ताओं के साथ-साथ उक्त प्रस्ताव भी इंडियन एयरलाइन्स के विचाराधीन है ।

चाय बोर्ड द्वारा की नीलामी

2747. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय का निर्यात तो बढ़ गया है परन्तु भारत की विदेशी मुद्रा आय में तुलनात्मक वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि चाय बोर्ड के कुछ सदस्य स्वयं ही क्रेता हैं अथवा उनका चाय खरीदने वाली किसी फर्म में हित है जिससे कीमतें बहुत ही कम मिलती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) चाय के निर्यातों के परिमाण तथा इकाई मुल्य दोनों बढ़े हैं जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :—

वर्ष	मात्रा (लाख कि० ग्रा०)	मुल्य (करोड़ रुपये)	इकाई मुल्य (रुपये/कि०ग्रा०)
1970 . .	2020.2	148.75	7.36
1971 .	2060.7	155.34	7.54
1972 . . .	2074.4	156.59	7.55

ततः चुकाई जाने वाली चाय की कीमतों से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय नीलामियों में बोली देने वाले सभी खरीदारों की मांग तथा प्रचलित विश्व कीमतों पर निर्भर करती है ।

(ख) श्न नहीं उठता ।

सरकारी उपक्रमों के अंशकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति

2748. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने सरकारी उपक्रमों के लिए कितने अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, सरकार ने केन्द्रीय सरकार के वाणिज्यिक और औद्योगिक उपक्रमों के लिए 51 व्यक्तियों को अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है ।

सरकारी उद्यम ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा दौरों पर किया जाने वाला व्यय

2749. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, 1970–71, 1971–72 और 1972–73 (अब तक) के दौरान सरकारी उद्यम ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा यात्रा भत्ते तथा महंगाई भत्ते के रूप में कुल कितना व्यय किया गया ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए बजट (1973–74) में कितनी राशि की व्यवस्था की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : सूचना नीचे दी जा रही है :—

वर्ष			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वर्ष के लिए वास्तविक व्यय
			रु०	रु०	रु०
1970–71	.	.	1,75,000	1,75,000	1,34,000
1971–72	.	.	1,50,000	1,85,000	1,37,000
1972–73	.	.	3,00,000*	3,00,000*	2,36,000*
1973–74	.	.	3,00,000*	..	....†

*इस राशि में सरकारी उद्यमों संबंधी कार्रवाई समिति, तालिका नियंत्रण समिति और कार्रवाई समिति के कार्यकारी दलों के यात्रा भत्ते दैनिक भत्ते का व्यय शामिल है।

†27-2-1973 तक ।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जूट उद्योग के अस्तित्व को कृत्रिम धागों के प्रयोग के कारण खतरा

2750. **श्री फतेहसिंह राव गायकवाड** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई देशों द्वारा संश्लिष्टों के बढते हुए प्रयोग के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे जूटे उद्योग के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है ;

(ख) इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या सरकार ने बंगला देश, नेपाल और थाइलैंड जैसे जूट उत्पादक देशों के सहयोग से जूट नीति बनाने की संभावना पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या निश्चित कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : जी हां।

(ग) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तत्वावधान में ढाका में आयोजित सम्मेलन के परिणाम स्वरुप गवेषणा, विकास तथा संवर्धन के क्षेत्रों में पटसन अर्थव्यवस्था की समस्याओं का हल निकालने के लिये कुछ निष्कर्ष निकले हैं इन निष्कर्षों का भारत, बंगलादेश, नेपाल तथा थाईलैंड की सरकारों द्वारा अनुसमर्थन किया जाना है ।

बड़े व्यापार गृहों के प्रतिनिधियों द्वारा अमरीका और स्विटजरलैंड की यात्रा

2751. **श्री सरोज मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री 20 बड़े व्यापार गृहों के प्रतिनिधियों द्वारा 1972 में अमरीका तथा स्विटजरलैंड की यात्रा के बारे में 22 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5433 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांगी गई जानकारी एकत्रित कर ली गई है और यदि हां, तो क्या उसे सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(ख) उक्त प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कुल कितनी विदेशी मुद्रा रिलीज की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) इस समय विदेशी यात्राओं से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यात्रा के प्रयोजनों के अनुसार रखे जाते हैं, अलग-अलग कम्पनियों के अनुसार नहीं। बड़े बड़े व्यापारिक गृहों से संबंधित आंकड़े सभी अनुमोदित आवेदन पत्रों की जांच करके इकट्ठे किए जाते हैं। रिजर्व बैंक उन 1000 से अधिक कम्पनियों के आंकड़े ईकट्ठे कर रहा है जो 20 बड़े व्यापारिक गृहों के अन्तर्गत आती है और यह सूचना यथा संभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायगी।

भारतीय पंखों के निर्यात व्यापार में गिरावट

2752. **श्री सरोज मुकर्जी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पंखा निर्माता संघ ने उनको इस आशय का कोई अभ्यावेदन दिया है कि पंखों के उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चे माल (पुर्जे) की कमी है;

(ख) क्या भारतीय पंखों के निर्यात व्यापार में कच्चे माल (पुर्जों) की कमी और भारतीय पंखों की अधिक उत्पादन लागत, विशेष रूप से कतिपय कच्चे माल पर भारी उत्पादन शुल्क और लैवी, के कारण विश्व बाजार में जापान और चीन के साथ कड़ी स्पर्धा के कारण सतत गिरावट आ रही है; और

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने और भारतीय पंखों के निर्यात में गिरावट को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पंखा निर्माता संघ के रजत जयंती अधिवेशन की कार्यवाही में इस संबंध में उल्लेख किया गया था।

(ख) तथा (ग) : विगत 3 वर्षों के दौरान बिजली के पंखों तथा संघटकों के निर्यात बढ़ते रहे हैं जैसा कि निम्नोक्त आंकड़ों से देखा जा सकता है :

वर्ष	मूल्य
1970—71	1.438 करोड़ रुपये
1971—72	1.565 ,, ,,
1972—73 (अप्रैल 72 से जनवरी 73 तक)	1.570 ,, ,,

निर्यात के लिए पंखों के उत्पादन में लगने वाले कच्चे माल तथा संघटकों पर लगे उत्पादन तथा सीमा शुल्कों को वापिस कर दिया जाता है। अतः इस कारण से पंखों की प्रतियोगी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

निर्यात के लिए पंखों के उत्पादन में काम आने वाले दुर्लभ कच्चे माल के आयातों की अनुमति दी जाती है। जिस अभिकरण के माध्यम से कच्चे माल के आयात मार्गीकृत हैं, वह निर्यात वाले उत्पादन के लिये नियमित पूर्तियां सुनिश्चित करेगा।

चोरी-छिपे लाये गये माल का पकड़ा जाना

2753. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1972 में देश में विभिन्न हवाई अड्डों और समुद्री बन्दरगाहों पर तट कर अधिकारियों ने कितने मूल्य का माल पकड़ा ; और

(ख) इस सम्बन्ध में कितने तस्कर व्यापारी पकड़े गये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्ष 1972 में सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न हवाई अड्डों तथा बन्दरगाहों पर पकड़े गए माल का कुल मूल्य लगभग 856 लाख रुपये था।

(ख) 243.

बंगला देश को बीड़ियों का निर्यात

2754. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि बंगला देश को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में बीड़िओं को भी शामिल किया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) किसी भी देश को, जिसमें बंगला देश भी शामिल है, बीड़ियों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। शायद माननीय सदस्य के मन में बीड़ियों को सीमित भुगतान व्यवस्था की सची के अंतर्गत शामिल करने की बात है। बीडियों को इस व्यवस्था के अंतर्गत शामिल करने की कोई प्रस्थापना नहीं है।

भारत में विदेशी कम्पनियों द्वारा धन का विदेशों में भेजा जाना

2755. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में कितनी विदेशी कम्पनियों को 1971–72 में लाभ और रायलटियों को विदेशों में भेजने की अनुमति दी गई और प्रत्येक कम्पनी द्वारा इस प्रकार विदेशों में भेजा गया धन कितना था और वह किन देशों में भेजा गया था ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है, जिसमें विदेशी बैंकों की शाखाओं सहित विदेशी कम्पनियों की शाखाओं द्वारा 1971–72 में लाभों की विदेशों को भेजी गई रकमों का ब्यौरा दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4445/73]**

उस वर्ष, ई० आई० डी०—पैरी ही एक ऐसी विदेशी निगमित कम्पनी थी जिसने रायल्टी के रूप में 18,516 रुपये की राशि बाहर भेजी थी।

हस्तकला और हथकरघा उद्योग की वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के लिए अनदान संहिता में परिवर्तन करना

2756. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने, केरल हस्तकला और हथकरधा उद्योग की वस्तुओं के निर्माता को प्रोत्साहन देने के लिए, विपणन विकास निधि के अन्तर्गत अनुदान संहिता में परिवर्तन करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है,

(ख) यदि हां, तो इस की मोटी रूपरेखा क्या है, और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) जी हां। केरल सरकार ने अनुरोध किया कि विपणन विकास निधि वित्तीय सहायता राज्य उपक्रमों को भी दी जाये। मामला विचाराधीन है।

ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में बैंकों की नई शाखायें खोलने का अनुपात और गांवों तथा शहरों में बैंकों में नियुक्ति के लिए अधिकारियों के उचित प्रशिक्षण की योजना

2758. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों तथा शहरों में बैंकों की नई शाखाये खोलने के लिए इस समय सरकार द्वारा क्या अनुपात रखा गया है ;

(ख) क्या सरकार ने गांवों तथा शहरों के बैंकों में नियुक्ति के लिए अधिकारियों के उचित प्रशिक्षण के लिए किसी तीन-वर्षीय योजना की रूपरेखा तयार की है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ।

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) बैंकिंग सुविधाओं, व्यावसायिक संभावनाओं और प्रशिक्षित कार्मिकों की उपलब्धता की जांच करने के बाद नई शाखाएं खोली जाती हैं। 'ग्रामीण तथा अर्ध शहरी' और शहरी क्षेत्रों के बीच शाखा-बिवरण का अनुपात आमतौर पर 2 : 2 है सिवाय उन बैंकों के जिनकी 60 प्रतिशत से कम शाखाएं ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में हैं जहां अनपात 3 : 2 है ।

(ख) और (ग) अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए बैंक अभी तक अपनी आयोजनाएं तैयार कर रहे हैं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा हथकरघा बुनकरों को अधिकतम ऋण दिया जाना

2759. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां तक मैसूर राज्य का सम्बन्ध है सरकार ने पिछले दो वर्षों में यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंक हथकरधा बुनकरों को अधिकतम ऋण दे ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : हथकरधा उद्योगों को कुटीर और लघु उद्योगों में शामिल किया गया है। जहां कहीं सक्षम योजनाएं तैयार की जाती है और बैंक ऋण मांग जाते है, वहां बकों द्वारा सम्यक छानबिन के बाद अपेक्षित धनराशियां सामान्यत: उपलब्ध कर दी जाती हैं ।

1960 के बाद सेवानिवृत्ति प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को पारिवारिक पेंशन

2760. **श्री श्याम नन्दन मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960 के बाद सेवानिवृत्ति प्राप्त करने वाले पेन्शन भोगियों को पारिवारिक पेंशन दी जाती हैं; और

(ख) क्या 1960 से पहले सेवानिवृत्ति प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों की विधवायें भी पेन्शन प्राप्त कर सकती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) परिवार पेंशन का लाभ सरकारी कर्मचारियों को, सबसे पहले, 17 अप्रैल 1950 से लागू किये गये उदार पेंशन नियमों के उपबन्धों के अधीन दिया गया था, और इन व्यवस्थाओं के स्थान पर 1 जनवरी 1964 से परिवार पेंशन योजना, 1964 लागू की गई। 1 जनवरी 1964 से पूर्व सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को, परिवार पेंशन के सम्बन्ध में, उन कर्मचारियों के सेवा निवृत्त होने के समय प्रवर्तमान लागू नियम लागू होते हैं ।

फटे पुराने कपड़ों का आयात

2761. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फटे-पुराने कपड़ों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) ये कपड़े किस आधार पर देश में प्राप्त किए जा रहे हैं; और

(ग) इनके आयात पर कितना व्यय होता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) तथा (ख) सम्भवतः माननीय सदस्य चीथड़ों की आयात नीति के बारे में जानकारी चाहते हैं। 12-5-1972 से, शाडी क्षेत्र को शाडी कम्बलों के निर्यात के आधार के सिवाय आर० इ० पी० में चीथड़ों के आयात के लिए अनुमति देना समाप्त कर दिया गया है। चीथड़े शाडी क्षेत्र के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किये जात हैं।

शाडी पुलर्स (रद्दी ऊन का धागा बनाने वालों) को कच्चा माल

2762. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रद्दी ऊन से धागा बनाने वालों (शाडी पुलर्स) को गत 10 वर्षों से 1968 तक कच्चा माल मिल रहा था ;

(ख) क्या सरकार ने शाह समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली है कि 'शाडी पुलर्स' को कताई का कार्य आरम्भ कर देना चाहिए;

(ग) यदि हां, तो उन्हें कच्चा माल देने के लिए क्या सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) वे कब तक कताई करघे लगा लेंगे?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) कोई नहीं।

(घ) उनसे यह अपेक्षा थी कि वे उचित समय के अन्दर कताई क्षमता संस्थापित कर लेंगे।

भारत-बंगला देश के बीच रुपयों में व्यापार

2763. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जनवरी, 1973 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में "इंडो-बंगला रुपी ट्रेड डिसएपाइन्टस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सरकार ने प्रश्नाधीन प्रेस समाचार को देख लिया है। यह पूर्वानुमान लगाना कठिन है कि चालू वर्ष की समाप्ति तक सीमित भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत वास्तविक आयात तथा निर्यात कितने होंग।

व्यापार प्रवाह का निरन्तर पुनर्विलोकन किया जाता है और बंगला देश प्राधिकारियों से परामर्श करके सुधार लाने के लिए प्रयास किये जाते है।

निर्यात वृद्धि के लिए निर्यात अनिवार्यता

2764. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में समन्वित निर्यात नीति की रूपरेखा बताते हुए निर्यात वृद्धि को अनिवार्य निर्यात की आवश्यकता पर बल दिया था, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए आयात नीति के अंतर्गत अनिवार्य निर्यात दायित्व की एक योजना पहल से ही चालू है । इस योजना के क्षेत्र को बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

गिनी के साथ संयुक्त उपक्रम

2765. **श्री आर० आर० सिंह देव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और गिनी कई उद्योगों की स्थापना संयुक्त उपक्रम के रूप में करने में सहमत हो गए हैं और यदि हां तो उसकी मुख्य बात क्या है,

(ख) क्या यह प्रस्तावित संयुक्त उपक्रम सरकारी क्षेत्र में स्थापित होगा अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में, और

(ग) इससे देश को कितना लाभ होगा ।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) नवम्बर, 1972 में गिनी गणराज्य से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया तथा गिनी की विभिन्न विकासात्मक योजनायों में भारत के आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग की सम्भावनाओं पर विचार-विमर्श किया । दोनों पक्ष गिनी की ठीक-ठीक आवश्यकताओं तथा साथ ही विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में उन आवश्यकताओं को पूरा करने में भारत की क्षमता का भी मूल्यांकन करने के लिए सहमत हुए । दोनों सरकारें, ऐसे अध्ययनों के आधार पर संभव सहयोग के सही रूप का और आगे पता लगाएंगे ।

गिनी में कोई उद्योग स्थापित करने के लिये कोई ठोस प्रस्थापना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

पटसन की अर्थ नीति से सम्बन्धित समस्याएं

2766. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन की अर्थनीति से सम्बन्धित समस्याओं को हल करने के लिए पटसन के उत्पादक देश एक साथ मिलकर प्रयास करेंगे और;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देश कौन से हैं और नई योजना कब से क्रियान्वित की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तत्वावधान में ढ़ाका में आयोजित सम्मेलन, जिसमें भारत, बंगलादेश, नेपाल तथा थाइलैण्ड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, के परिणाम स्वरूप गवेषणा, विकास तथा संवर्धन के क्षेत्रों में पटसन अर्थव्यवस्था की समस्याओं का हल निकालनें के लिये कुछ निष्कर्ष निकले हैं । जैसे ही इन निष्कर्षों की पुष्टि इन चारों सरकारों द्वारा कर दी जाएगी वैसे ही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा आगे कार्यवाही की जाएगी ।

पश्चिम बंगाल की संकटग्रस्त तथा बन्द पड़े चाय बागानों के लिए वित्तीय सहायता

2767. श्री त्रिदिब चौधरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से कोई ऐसा अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें 47 संकटग्रस्त तथा बन्द पड़े चाय बागानों के अधिग्रहण के लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है और इस प्रयोजन के लिए सरकारी क्षेत्र में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले एक निगम के गठण के लिए अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता मांगी गयी है और उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से वित्तीय सहायता हेतु कोई विशिष्ट प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है ।

कलकत्ता हवाई अड्डे पर इन्टरनेशनल एयर टर्मिनल बिल्डिंग का कम उपयोग

2768. श्री त्रिदिब चौधरी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता हवाई अड्डे पर बनी इन्टरनेशनल एयर टर्मिनल बिल्डिंग की अन्तर्राष्ट्रीय विमान यातायात के लिये जितनी स्थापित क्षमता है, इस समय उसका कितने प्रतिशत उपयोग में लाया जा रहा है; और

(ख) इस का कम उपयोग किये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) कलकत्ता विमानक्षेत्र पर कुल संस्थापित धारिता का जिस अंश तक उपयोग किया जा रहा है उस के अनुपात की मात्रा का सही सही मूल्यांकन करना संभव नहीं है । अल्प उपयोग का कारण कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिचालकों द्वारा कलकत्ता से होकर अपने परिचालन बन्द कर देना है ।

भविष्य निधि की राशि को डाक घर सावधि जमा खातों में रखने का अनुरोध

2769. श्री ई० वी० विखे पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नगर निगम, नगरपालिकाओं और जिला परिषदों की पंजीकृत भविष्य निधियों के इस अनुरोध पर कोई निर्णय किया है कि उनकी भविष्य निधि की राशि को डाकघर सावधि जमाखातों में रखने की स्वीकृति दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं । मामला अभी विचाराधीन है ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

महाराष्ट्र में पोषक विमान सेवायें

2770. श्री ई० वी० विखे पाटिल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह महाराष्ट्र के कुछ नगरों तक या तो पोषक विमान सेवा आरम्भ करे अथवा निजी विमान कम्पनियों को अपनी विमान सेवायें आरम्भ करने की अनुमति दे ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :(क) महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन निदेशक ने महाराष्ट्र में पर्यटक रुचि के स्थानों को विमानटैक्सी/हेलिकॉप्टर सेवाओं से जोड़ने तथा निजी परिचालकों को अनसूचित विमान सेवाएं चलाने की अनुमति प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

(ख) मामले की जांच की जा रही है ।

दार्जिलिंग चाय के उत्पादन में कमी

2771. **श्री विश्व नारायण शास्त्री** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग चाय के उत्पादन में निरंतर कमी होती जा रही है और उस जिले के चाय बागानों के बन्ध हो जाने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो चाय के निर्यात और रोजगार की स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पडेगा; और

(ग) स्थिति को और अधिक बिगड़ने से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1969 से 1971 के दौरान दार्जिलिंग के चाय के उत्पादन के निम्नलिखित आंकड़ों से यह पता चलेगा कि उत्पादन में गिरावट नहीं आई है :

1969	9530 हजार कि ग्रा
1970	10058 ,,
1971	10155 ,,

दार्जिलिंग में कुछ चाय बागानों को छोड़कर जिनके बारे में यह बताया गया है कि वे बंद पड़े हुए है उनमें से कुछ तो एक दशाब्दी से अधिक समय से बंद पड़े हुए है सामान्यत: उनके बंद हो जाने की आशंका नहीं है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

विमानों से यात्रा करने के हकदार केन्द्रीय सरकार के अधिकारी

2772. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में उपसचिवों तथा इससे ऊंचे स्तर के अधिकारियों को सरकारी दौरों पर विमानों से जाने का हक है, यदि हां, तो वर्ष 1972 के दौरान ऐसे कितने व्यक्तियों ने विमानों से यात्रा की;

(ख) क्या बहुत से कनिष्ठ अधिकारियों में विशेष स्वीकृति तथा नियमों में रियायत प्राप्त करके विमानों से यात्रा करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और प्राय: प्रत्येक मामले में किसी भेदभाव के बिना ऐसी रियायतें दी जा रही है, यदि हां तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित कराने के लिए कोई कसौटी बनाई है कि विमान यात्रा के लिए दी जाने वाली रियायतों का कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग न किया जाय; और

(ग) यह सुनिश्चित कराने के लिए क्या कदम उठाये गये है कि दौरे सुनियोजित हों जिससे आरक्षणों का रद्द किया जाना तथा इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों में स्थानों के लिए प्रतीक्षा करनेवालों की असुविधा को दूर किया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :(क) केन्द्रीय सरकार के उप सचिव और उससे ऊपर स्तर के वे अधिकारी सरकारी दौरों पर अपने निर्णय के अनुसार हवाई जहाज से यात्रा करने के हकदार है जिनको 1800.00 रुपये और उससे अधिक वेतन मिलता है। ऐसे जिन अधिकारियों ने वर्ष 1972 में हवाई जहाज से यात्रा की थी उनकी संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन पटल पर रख दी जायगी।

(ख) जो अधिकारी अपने निर्णय पर हवाई जहाज से यात्रा करने के हकदार नहीं है उनके मामले में नियमों में व्यवस्था है कि उनको नितान्त जरूरी और अनिवार्य मामलों में ही हवाई जहाज से यात्रा करने के की अनुमति दी जानी चाहिये। सभी मंत्रालयों / विभागों को हिदायतें जारी की गई हैं कि वे यह ध्यान रखें कि वास्तव में जरूरी और अनिवार्य स्थितियों में ही इस प्रकार की अनुमति दी जाय और इसका निर्णय उच्च स्तर पर किया जाय जो सचिवालय में काम करनेवाले अधिकारियों के मामले में, यथासम्भव, सचिवों द्वारा किया जाय और सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में काम करनेवाले अधिकारियों के मामले में सयुक्त सचिव के पद से नीचे के अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाय नियमों की कठोर अपेक्षाओं को देखते हुए हवाई जहाज से यात्रा करने की सुविधा का कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किये जाने की अधिक गुंजाइश नहीं है।

(ग) सरकारी दौरे यथासम्भव समय-पूर्व ही आयोजित किये जाते है। हवाई जहाज के आरक्षणों को रद्द करवाने में वायुयान प्राधिकारियों द्वारा यात्रा रद करने का प्रभार वसूल किया जाता है। नियमों में व्यवस्था है कि इस प्रभार की प्रतिपूर्ति सरकार केवल उन मामलों में करती है, जिनमें यात्रा अनिवार्य और सरकारी अधिकारी के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों में रद्द की गई हो, और यात्राओं को अनावश्यक रूप से रद्द करने के विरुद्ध यह व्यवस्था पर्याप्त रूप से निवारक है।

आर्थिक शक्ति का एकीकरण रोकने के लिए उठाये गए कदम

2773. श्री पी० वेंकटसुब्बया :

श्री बनमाली पटनायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आर्थिक शक्ति का एकीकरण रोकने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाये गए है;

(ख) उनसे अब तक कितनी सफलता मिली है; और

(ग) इस दिशा में आगे और क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) देश में आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण को रोकने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न राजस्व संबंधी और राजस्व-भिन्न उपाय करती रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यक्तिगत आमदनियों और सम्पत्ति पर करों की दरों में और वृद्धि हुई है। आयकर की अधिकतम सीमा तक दर दो लाख रुपये से ऊपर के निर्धारित आय खण्ड पर अब 97.75 प्रतिशत है और साधारण तथा अतिरिक्त धन कर की संयुक्त न्यूनतम दर 15 प्रतिशत बैठती है। 1973-74 के बजट प्रस्तावों के जरिये कृषि भिन्न आय पर आयकर की दरों का निर्धारण करने के लिए, करदाता की आय के कृषि और कृषि भिन्न दोनों हिस्सों को जोड़ने का प्रस्ताव करके और हिन्दू अविभाजित परिवारों पर कर लगाने की वर्तमान प्रणाली की कमियों को दूर करने का प्रस्ताव कर के, इस प्रक्रिया को और आग ले जाया गया है। कर की चोरी को रोकने और इस प्रकार कर संबंधी ढांचे को और अधिक समतापूर्ण बनाने के लिए सरकार का एक व्यापक कानून बनाने का भी विचार है ताकि वांचू समिति की स्वीकार्य सिफारिशों को लागू किया जा सके। शहरी सम्पत्ति पर प्रस्तावित उच्चतम सीमा, और कृषि जोतों पर लगी उच्चतम सीमा को अधिक जोरदार कारगर ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकारों के नाम जारी किए गए मार्गदर्शक निदेश, ऐसे अन्य रचनात्मक कदम है जो सरकार ने आमदनी और सम्पत्ति के संकेन्द्रण की रोकथाम करने के लिए उठाये गए है।

1 जून, 1970 से एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार पद्धति अधिनियम लाग कर दिया गया है जिसके उपबन्धों का उद्देश्य एकाधिकारवादी शक्ति के दुरूपयोग को रोकना और इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करना है कि आर्थिक तंत्र का संचालन इस ढंग से हो जिसके परिणाम-स्वरुप आर्थिक शक्ति का अनुचित संकेद्रण न हो। औद्योगिक लाइसेंस नीति में फरवरी 1970 में जो संशोधन किये गये थे उनके अन्तर्गत यद्यपि नय उद्यमकर्ताओं को तरजीह दी गयी थी और छोटे पैमाने के औद्योगिक क्षेत्र को व्यापक बनाया गया था लेकिन उसका उद्देश्य भी आर्थिक शक्ति के अनुचित संकेंद्रण को रोकना था। फरवरी 1973 में जो और संशोधन किये गये उनके जरिये औद्योगिक लाइसेंस देने के प्रयोजन से अपेक्षाकृत बड़े औद्योगिक गृहों की परिभाषा को, एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार पद्धति अधिनियम में दी गयी परिभाषा के अनुरूप बना कर और कड़ा बना दिया गया है।

सरकारी वित्तीय संस्थाओं को, जिनमें वाणिज्यिक बैंक भी शामिल है नीतियों में इस प्रकार नयी दिशा दी गयी है जिसका उद्देश्य यह है कि उपलब्ध वित्तीय साधनों का आवश्यकता से अधिक भाग अपेक्षाकृत अधिक बड़े औद्योगिक गृहों को प्राप्त न हो। आर्थिक शक्ति के सकेंद्रण को कम करने और एकाधिकारों को समाप्त करने के मुख्य साधन के रूप में सरकारी क्षेत्र के आकार और क्षेत्र में लगातार विस्तार किया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों में सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है और सरकार ने कोयला खानें, इंडियन व्यापार को और इंडियन आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी के प्रबन्ध को अपने हाथ में ले लिया है। सरकारी अभिकरणों के माध्यम से किये जाने वाले आयात और निर्यात के क्षेत्र में विस्तार किया गया है और गेहूं और चावल के थोक व्यापार को हाथ में लेने के निश्चय से अर्थ व्यवस्था के नियंत्रण और प्रबन्ध में सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों की भूमिका में और वृद्धि हो जायगी।

उपर्युक्त उपायों से इस बात की सम्भावना है कि आर्थिक शक्ति के सकेन्द्रण को रोकने में अनुकुल प्रभाव पड़ेगा। "पांचवीं आयोजना के प्रति दृष्टिकोण" नामक पुस्तिका में अन्य बातों के साथ-साथ आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण को रोकने और आय और सम्पत्ति में असमानताओं में कमी करने की दिशा की और बढ़ने के उद्देश्य को फिर से दोहराया गया है।

Loan from World Bank and its Allocation to States during this year

2774. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether a limit has been prescribed on the amount of annual loans being given to India by the World Bank and if so, the amount of annual loan now proposed to be given to India ;

(b) the names of the States to which the Central Government propose to advance the money as loan out of the World Bank loan during the current year alongwith the amount thereof and the names of the projects for which it would be given to the States ;

(c) whetherloan given to India by the World Bank is allocated to the States by the Government of India or by the World Bank itself and the criteria for allocation of money out of this loan to the States ; and

(d) the amount out of the said loan proposed to be allocated to Madhya Pradesh this year ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) No specific limit has been prescribed but the convention is that given the burden of external debt on India the bulk of the resources required by India from the World Bank group should come from the soft window, namely, the International Development Association rather than from the World Bank itself which charges 7½% interest on its loans. The IDA resources are limited and in view of the claims of several developing countries, India normally receives about 40% of the resources available to IDA. It is expected that for the year 1972-73 about 350-400 million dollars would be available from the IDA and about 60 million dollars from the World Bank.

(b) The assistance available for agricultural projects are routed through the Agricultural Refinance Corporation to the Land Development Banks and Commercial Banks, which advance loans directly to the beneficiaries. In the case of irrigation and power transmission projects, they are part of the State plans. The International Development Association has extended assistance to two, Kadana and Pochampad, Irrigation projects in Gujarat and Andhra Pradesh respectively. The assistance for power transmission projects is available for the programme in all the states.

Central assistance is provided to the States in the shape of loans and grants in accordance with the formula approved by the National Development Council, is part of Central assistance to State plans.

(c) The projects for which assistance is sought from the World Bank group are decided by the Government of India; and only those projects are posed to the World Bank group which are part of the Five Year Plan of the States and for which adequate funding and implementation arrangements are assured by the States.

(d) Only a power transmission programme in Madhya Pradesh has so far been included in the projects for which World Bank group assistance has been secured and central assistance has been provided as part of the annual plan assistance. In addition, assistance for an agricultural credit project is likely to be negotiated in the near future.

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में हिन्दी अधिकारियों का चयन

2775. श्री मूल चन्द डागा : क्या वित्त मंत्री उत्पादनशुल्क विभाग में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में 26 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न सं० 7648 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार का केन्द्रीय उत्पादनशुल्क विभाग में हिन्दी अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन पद्धति का पुर्नविलोकन करने का विचार है जिससे ऐसे ही पदों के लिए चयन करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया अपनायी जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : हिन्दी अधिकारियों के पदों के लिए वर्तमान भर्ती पूर्णतः तदर्थ और अनन्तिम आधार पर की गई है तथा भर्ती नियमों में किये जाने वाले उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए इन नियुक्तियों की समीक्षा की जानी है। इन भर्ती नियमों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है।

सरकारी क्षेत्र में स्वदेशी पंजी और औद्योगिक उत्पादन

2776. श्री ई० बी० विखे पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में स्वदेशी पूंजी और औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यीक उद्यमों में घरेलू निवेश सरकारी निधियों और उद्यमों द्वारा स्वयं जनित आन्तरिक साधनों में से किया जाता है। "पंचम आयोजना के सम्बध में दृष्टिकोण" में सरकारी उद्यमों में सरकारी निवेश काफी अधिक बढ़ने की परिकल्पना की गयी है। सरकारी क्षेत्र में निवेश के लिए कराधान, बचतों आदि के रूप मे साधनों को जुटाने के सामान्य उपायों के आलावा सरकारी उद्यमों के कार्य चालन संबंधी वित्तीय परिणामों में सुधार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गये है ताकि वे सरकारी क्षेत्र में निवेश के लिए वित्त व्यवस्था करने के सम्बन्ध में अधिकाधिक अंशदान दे सकें। इन उपायों में उत्पादन में विविधता लाने, उपकरणों के बन्द पड़े रहने के समय

में मी करने के लिए बढ़िया अनुरक्षण अधिक निर्यात सम्बन्धी प्रयास, जहां जहां आवश्यक हो मशीनों के हिस्सों और सामग्री का आयात, सुधरे हुए श्रमिक सम्बन्ध और प्रबंधकीय कार्य निष्पादन आदि शामिल है। आन्तरिक साधनों के फिर से निवेश किये जाने को प्रोत्साहन देने के लिए यह भी निर्धारित किया गया है कि सरकारी उद्यम पहले की हानियों, प्रारम्भिक खर्चों आदि को पूरा करने के बाद सभी नकद अधिशेष रकमों को पूंजीगत व्यय की स्वीकृत योजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए उपलब्ध करें और लाभांश घोषित करने से पूर्व अपनी आन्तरिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर लें।

करेंसी नोटों के लिये प्रयुक्त कागज की किस्म

2777. **श्री फत्तेसिंह राव गायकवाड** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान करेंसी नोटों के लिए घटिया किस्म के कागज़ के उपयोग में लाये जा जाने की और दिलाया गया है जिसके परिणामस्वरुप यह बहुत जल्दी फट जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किए गये अथवा किए जाने वाले उपचारी उपाय क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) करेंसी नोट और बैंक नोट छापने के लिए होशंगाबाद के प्रतिभूति कागज कारखाने में जो कागज तैयार किया जाता है उसकी किस्म बराबर उतनी ही अच्छी रही है, जितनी 1967–68 से पहले उपयोग में लाये जाने वाले आयातित कागज की थी। करेंसी और बैंक नोटों के बहुत शीघ्र खराब होने का मुख्य कारण उनका जल्दी–जल्दी एक हाथ से दुसरे हाथ में पहुंचना तथा उनका तेजी से प्रचलित होना है। चूंकि भारत प्रतिभूति मुद्रणालय करेंसी नोटों और बैंक नोटों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में असमर्थ है, अत: रिजर्व बैंक को ये नोट दोबारा लम्बी अवधि के लिए परिचालित करने पड़ते हैं और परिणामस्वरुप प्रचलन में बहुतसे नोट गंदे और फटे–पुराने दिखाई देते हैं। सम्भवत: इससे यह धारणा हो सकती है कि उपयोग में लाये गये कागज़ की किस्म घटिया है। किन्तु यह धारणा गलत है ।

(ख) प्रतिभूति कागज कारखाने में तैयार किए जाने वाले कागज में तत्वपदार्थ की मात्रा 70/71 जी० एस० एम० से बढ़ाकर 80/82 जी० एस० एम० तक करके कागज की दोहरी तक की शक्ति में वृद्धि करने के प्रश्न पर, जिससे उलट–पुलट चलन से नोट खराब न हो सकें और सभी मुल्यों के नोटों पर मेलामाइन प्रक्रिया करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है, जिससे कागज गीला होने की स्थिति में उसकी शक्ति में वृद्धि की जा सके। छपाई के बाद कागज पर वार्निश का विशेष लेप करने के प्रश्न की भी जांच की जा रही है ताकि वह आसानी से गंदा न हो सके। नासिक मुद्रणालय में अतिरिक्त कर्मचारियों को काम में लगाकर और आधुनिक मशीनों को स्थापीत करके मुद्रण क्षमता में वृद्धि करने के लिए भी उपाय किये गये हैं। इस वर्ष के अन्त तक देवास में नया बैंक नोट प्रेस चालू हो जाने पर गंदे नोटों की समस्या पर्याप्त रूप से हल हो जायगी।

भारत में आने वाले पर्यटकों की स्थिति में अन्तर

2778. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों में भारत आने वाले पर्यटकों की स्थिति में परिवर्तन हुआ है और धनी पर्यटकों के स्थान पर निर्धन पर्यटक अधिकाधिक भारत में आ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस प्रवृत्ति का देश के पर्यटन व्यापार और होटल उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) तरुणतर आयु वर्ग के विदेशी पर्यटकों की संख्या के अनुपात में वृद्धि हुई है। पर्यटन विभाग द्वारा हाल में प्रवर्तित किये गये विदेशी पर्यटक व्यय सर्वेक्षण से भी खर्च करने के बदलते हुए ढांचों पर प्रकाश पड़ने की संभावना है।

Agreements entered into by Hindustan Chemicals Limited, Hindustan Insecticides and Lubrizol India Limited with Trade Unions regarding Wage Increase

2779. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Bureau of Public Enterprises has sent a letter to the various industrial undertakings in the public sector to the effect that sanction of wage increase of any kind should not be granted ;

(b) whether the managements of three public sector undertakings —Hindustan Organic Chemicals Ltd., Hindustan Insecticides and Lubrizol India Ltd., have entered into new agreements with the Trade Union ; and

(c) if so, the salient features of theagreements and the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) In the context of the inflationary pressures that developed in 1971, further accentuated by drought, floods, etc. in some parts of the country during 1972. Government had decided that all proposals for any general wage revision in Central Government industrial and commercial enterprises should be viewed in the broader context of their repercussions on the economy as a whole. For this purpose they have laid down that such revision should be done in consultation with the Central Government. This does not however preclude negotiations on wage increases or consideration of proposals arising out of such negotiations and their acceptance, wherever fully justified.

(b) & (c) Some proposals for wage agreements between workers' unions and managements in Hindustan Organic Chemicals Limited and Hindustan Insecticides Limited have been received by Government and are under consideration; there is no Employees' Trade Union in Lubrizol India Limited.

दोषी कर दाताओं के लिये ठिक विवरणियों को भेजने की योजना

2780. **श्री वनमाली पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसी योजना बनाई गई है जिससे करदाता अपनी विवरणियों को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकें।

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) कम आयवर्ग के ऐसे करदातों की सहायता की दृष्टि से, जो कानून की अज्ञानता के कारण अपनी आय विवरणी दाखिल करने की अपेक्षाओं का पालन न कर सकें हों, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक योजना तैयार की थी ताकि कम आय-वर्ग के निर्धारितियों को स्वेच्छा से अपनी आय विवरणी दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

(ख) योजना की मुख्य मुख्य शर्तें ये थीं कि केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड ने इस आशय के आदेश जारी किये थे कि यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हों तो समय पर आय विवरणी दाखिल न कर सकने अथवा स्वेच्छा से अग्रिम कर अदा कर न सकने पर कोई दांडिक कार्यवाही शुरु नहीं की जाएगी —

(i) करदाता के मामले में 1—9—1972 से पूर्व किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए कोई कर—निर्धारण नहीं किया गया है ;

(ii) करदाता ने आयकर अधिकारी द्वारा आय विवरणी की मांग करने के आदेश जारी किये जाने से पूर्व, संबंधित निर्धारण वर्ष की विवरणी दाखिल कर ली हो ;

(iii) आय की विवरणी में घोषित आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं हो ;

(iv) धारा 143 के अधीन निर्धारित आय 15,000 रु० से अधिक न हो।

जिन करदाताओं ने उपर्युक्त शर्तें पूरी नहीं की वे दण्ड समाप्त कराने अथवा कम कराने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 271 (4ए) के उपबंधों का लाभ उठा सकते थे।

यह योजना 1—9—1972 से लागू थी और 28—2—1973 को समाप्त हो गई।

(ग) उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत, आयकर अधिकारियों ने विशेष रूप से चुने गये क्षेत्रों का दौरा किया ताकि इस योजना के अन्तर्गत आने वाले करदाताओं की आयकर विवरणियां दाखिल कराने में सहायता की जा सके और कर निर्धारणों को यथासंभव मौके पर ही पूरा किया जा सके। योजना के लागू रहने के दौरान, पूरे देश में आयकर कार्यालय में विशेष जन-सम्पर्क सेल स्थापित किये गये जिससे कि नये तथा विद्यमान करदाताओं की आय की विवरणी दाखिल कराने में सहायता की जा सके और उनकी कर-निर्धारण, वापसी, वसूली, समायोजन, आदि से संबंधित कठिनाइयां दूर की जा सकें।

Enquiry into the Accident involving an Aeroplane (Boeing 737) of Indian Airlines on 3-2-1973.

2781. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state : (a) whether an aeroplane (Boeing 737) of Indian Airlines narrowly averted an accident on the 3rd February, 1973 ;

(b) whether Control Room at Santa Cruz Airport had warned the pilot of bad weather and had advised him not to land the plane ; and

(c) whether Government have held any inquiry into the said incident and if so, the outcome thereof and the action taken against the persons found guilty ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) (a) and (b) The Captain of Boeing 737 aircraft VT-EAK belonging to Indian Airlines and operating scheduled flight IC-182 from Delhi to Bombay on 3rd February, 1973, was informed of the then existing weather conditions at Santa Cruz Airport and the aircraft had been cleared for an ILS approach. It landed safely but it was reported that the landing was somewhat heavy. The pilot could not taxi his aircraft after landing because of the poor visibility.

(c) The incident is being investigated by Indian Airlines and their report is awaited.

Trade relations between India and Nepal

2782. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) Whether there has been improvement in trade in 1972 between India and Nepal as compared to the position prevailing earlier; and

(b) if so, the extent of improvement ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) & (b) During April-August 1972, India's total trade with Nepal was of the order of Rs. 19.51 crores. It was Rs. 14.09 crores during the corresponding period of 1971. Statistics beyond August 1972 are not yet available.

एशिया 72 को समाप्ति के पश्चात उसे इंडिया फेस्टिवल में बदला जाना

2783. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एशिया 72" को समाप्ति के पश्चात् उसे इण्डिया फेस्टिवल के रुप से जनवरी, 1973 के अन्त तक जारी रखा गया था;

(ख) क्या एशिया 72 को इण्डिया फेस्टिवल में बदलने के बारे में कोई परामर्श भारतीय भाग लेने वालों के साथ किया गया था; और

(ग) मेले को जनवरी 1973 तक जारी रखने के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) एशिया '72 के बंद होने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले को राष्ट्रीय उधोग मेले के रुप से परिवर्तित कर दिया गया था।

(ख) जी हा ।

(ग) वे एशिया '72 के बाद अपने मंडपों को बनाए रखने के लिए सहमत थे।

इलेक्ट्रोनिक्स में एक निर्यात "प्रोसेसिंग" जोन की स्थापना

2784. **श्री एस० एम० पाटील :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई में सान्ताक्रुज हवाई अड्डे के निकट एक निर्यात "प्रोसेसिंग" जोन की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके परिणामस्वरुप कितनी विदेश मुद्रा के अर्जित होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) इलेक्ट्रोनिक उपस्करों तथा संघटनों के लिए एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है। इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं ये होंगी :—

(i) यह जोन बम्बई में शांताक्रूज अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 7 कि० मीटर पर 100 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने भूमि पहले ही सुरक्षित रख दी है।

(ii) परियोजना पूर्णरूप से निर्यातोन्मुखी है। जोन में लिये गये एककों को अपने उत्पादन का शत प्रतिशत निर्यात करना होगा अर्थात् शेष भारत में इन उत्पादों का प्रवेश निषिध्द होगा।

(iii) जोन में एककों को कुछ सुविधाएं तथा रियायतें देने का विचार है, जैसे कि कच्चे माल, संघटकों, पूंजीगत उपस्करों आदि के आयात के मामले में ।

(ग) इस अवस्था में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के बारे में कोई ठीक अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन आशा है कि यह जोन भारत से विद्युत उपस्करों तथा संघटकों के निर्यात पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने मे सहायक होगा ।

9—2 LSS(ND)/73

रुइ के उत्पादन मे कमी

2785. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में रूई का उत्पादन कम होने की सम्भावना है और यदि हां, तो किस हद तक;

(ख) रूई के उत्पादन मे अपेक्षित कमी को पूरा करने के लिए रूई के आयात की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो किन साधनों से और इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि रखी गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) उत्पादन में बहुत ही मोटे तौर पर 12 प्रतिशत तक की कमी होने का अनुमान है ।

(ख) तथा (ग) सूडान तथा मिस्र के अरब गणराज्य के साथ द्विपक्षीय व्यापार करारों के अन्तर्गत इन दोनों देशों से क्रमश: लगभग 56 करोड़ रुपये की 4.1 लाख गांठों तथा लगभग 38 करोड़ रुपये की 1.4 लाख गांठों के आयात की व्यवस्था की गई है ।

निर्यात विकास योजनाएं तैयार करना

2786. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने हेतु निर्यात विकास योजनाएं तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या उनकी योजनाएं केन्द्रीय सरकार की सलाह से तैयार की गई है और यदि नहीं, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारतीय विदेश व्ययापार संस्थान ने कुछ राज्यों में निर्यात संभाव्यता सर्वेक्षण किए हैं लेकिन सरकार को राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई किन्हीं विशिष्ट निर्यात विकास योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

सूती कपडा उद्योग के लिए एक नए वित्त संगठन की स्थापना

2787. **श्री अरविंद पटेल**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूती कपड़ा उद्योग के लिए एक नए वित्त संगठन की स्थापना करना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और किन विकल्पों का सुझाव दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में आयकर और धनकर से प्राप्त राजस्व

2788. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73 में अब तक दिल्ली में वसूल किये गये आयकर और धनकर की कुल राशि कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : आयकर आयुक्तों के कार्यक्षेत्र के संबंध में जनके प्रधान कार्यालय दिल्ली में स्थित हैं, 1 अप्रैल 1972 से 28 फरवरी 1973 तक आयकर और धन कर की कुल वसूली इस प्रकार है :—

आयकर	80,05,54,000 रु०
धन-कर	1,47,31,000 रु०

संश्लिष्ट और मिश्रित कपड़े को मूल्य नियंत्रण प्रणाली के अधीन लाने का प्रस्ताव

2789. **श्री धर्मराव अफजपुरकर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार संश्लिष्ट और मिश्रित कपड़े को मूल्य नियंत्रण प्रणाली के अन्तर्गत लाने का है और यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : जी नहीं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 682 दिनांक 23 फरवरी, 1973 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण
Statement correcting reply to unstarred Question No. 682 dated 23-2-73

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : शुक्रवार 23 फरवरी 1973 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 682 के भाग (ख), (ग) और (घ) के उत्तर में यह बताया गया था कि :—

"केन्द्रीय दल ने 1973-74 के वित्तीय वर्ष के लिए 7.25 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा की सिफ़ारिश की है" जबकि सही स्थिति इस प्रकार है कि :—

"केन्द्रीय दल ने चालू वर्ष के लिए 7.25 करोड़ रुपये की और 1973-74 के वित्तीय वर्ष के लिए 7.00 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा की सिफारिश की है"।

टाइप की अशुद्धि के लिए खेद है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

हथकरघा और विद्युत करघा उद्योग में संकट का समाचार

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : श्रीमान्, मैं वाणिज्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"सूत की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा सूत उपलब्ध न होने के कारण हथकरघा और विद्युत करघा उद्योग में उत्पन्न संकट का सामचार"

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : अध्यक्ष महोदय,

यह बता तो मैं मानता हूं कि विकेन्द्रित क्षेत्र को धागे की भारी कमियों का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति बिजली में भारी कटौती किये जाने का प्रत्यक्ष परिणाम

[प्रो डी० पी० चट्टोपाध्याय]

है जिससे सभी धागा उत्पादक राज्यों के लिए संकट पैदा हो गया है। यह स्थिति और भी अधिक इसलिए बिगड़ गई है कि मुक्त धागा उत्पादक की 33% क्षमता तमिलनाडु में स्थित है जहां कि बिजली में 75% की कटौती लागू है। उत्तर प्रदेश में बिजली में कटौती अब 65% है। उत्पादन में गिरावट की मात्रा का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। परन्तु जिस मूल्य वृद्धि के कारण फरवरी, 1973 में मुक्त धागे का मिलना बहुत कठिन हो गया था, उससे प्रकट है कि मुक्त धागे की प्राप्यता में काफी कमी आने की संभावना है। लगभग गत दो सप्ताह की अवधि में मैं इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करता रहा हूं। मैंने, विभिन्न राज्य सरकारों के मंत्रियों और सूती वस्त्र उद्योग तथा व्यापार के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किये हैं। सभी स्तरों पर इन विचार-विमर्शों में योजना आयोग को भी शामिल किया गया है।

2. यह समस्या चूंकि बहुत ही जटिल किस्म की है अतः इसके ऐसे समाधान नहीं निकल पा रहे हैं जिनसे कि सभी संबंधित राज्यों में विकेन्द्रित क्षेत्र की आवश्यकताओं को सर्वथा पूरा किया जा सके। जो परिस्थितियां हमारे बस से बाहर हैं उनके कारण उत्पादन स्तरों में आई वास्तविक गिरावटों को पूर्णतः सही स्तर पर नहीं लाया जा सकता। उस हद तक, विकेन्द्रित क्षेत्र को कम से कम आगामी चार महीनों के लिए कम माल से काम चलाना पड़गा। तथापि, मैंने निम्नलिखित निर्णय लिय हैं जिससे कि स्थिति यथा-संभव सीमा तक सुधर सके :—

(1) वस्त्र आयुक्त के नामांकित व्यक्तियों के सिवाय व्यापारी वर्ग अथवा और किसी व्यक्ति को बीमों (शक्तिचालित करघों हेतु) के रूप में लघू मात्राओं को छोड़कर धागे की बिक्री करने के संबंध में सूत उत्पादकों पर कानूनी तौर पर रोक लगाई जाएगी। उद्योग ने मुक्त धागे के उत्पादन का 100 प्रतिशत सरकार को देने का जो स्वैच्छिक दायित्व लिया था उसके अनुसरण में ऐसा किया जा रहा है। प्रतिमास 270 लाख कि०ग्रा० का उत्पादन होने की आशा है और इसका वितरण वस्त्र आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

(2) एक कानूनी आदेश के अधीन धागे के सभी विनिर्माताओं को धागे की बिक्री केवल वस्त्र आयुक्त के नामांकित व्यक्तियों को करनी होगी।

(3) सिविल खपत के लिये धागा तैयार करने वालों को ऐसे धागे की जो मात्रा है (हथकरघों के लिए) के रूप में पैक करनी होगी वह 60% से कम नहीं होगी और कोन्स (शक्तिचालित करघों के लिए) के रूप में जो मात्रा पैक करनी होगी वह 30% से कम नहीं होगी आदि। इस संबंध में मिलो को अपेक्षित रीलिंग क्षमताओं को प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा।

(4) जो मिलें हौजरी धागे का उत्पादन व पूर्ति कर रही हैं उनको ऐसा एक कानूनी आदेश के अंतर्गत करते रहना होगा।

(5) एक कानूनी आदेश के अधीन प्रत्येक मिल को विकेन्द्रित क्षेत्र अथवा सिविल खपत के लिए एकक द्वारा दिये जाने वाले धागे के प्रत्येक बंडल पर एकक नाम, धाग का काउंट, और धागे का फैक्टरी से निकलते समय का मूल्य दर्शाना होगा।

(6) एक कानूनी आदेश के अधीन काउंटों की दृष्टि से उत्पादन प्रणाली को दिसम्बर, 1972 की प्रणाली के अनुसार बनाये रखा जाएगा।

(7) कीमतों को निम्न प्रकार से प्रत्येक एकक के लिए कानूनी तौर पर अधिसूचित किया जाएगा :—

(क) 40 एस तथा उससे कम के काउंटों तक दिसम्बर, 1972 की बाजार कीमतों को अपनाया जाएगा। यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछले 8—10

महीनों की तुलना में दिसम्बर, 1972 तक इन काउंटों के धागे में कोई मूल्य वृद्धि नहीं हुई थी ।

(ख) 60 एस तथा उससे ऊपर के काउंटों के संबंध में 1-8-1972 से लागू विनियमित धागा कीमतों के आधार माना जाएगा और निम्नलिखित बातों को भी साथ ही ध्यान में रखा जाएगा :

(1) अगस्त, 1972 से रूई की कीमतों में परिवर्तन ।

(2) श्रम लागतों में वृद्धि ।

(3) बिजली की कटौती के कारण श्रमिकों को देय ले-आफ मुआवजे और अपेक्षाकृत काफी कम उत्पादन पर वर्तमान ऊपरी व्यय के वितरण के रूप में एकक पर अतिरिक्त भार ।

(4) तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में स्थित एककों के संबंध में अपेक्षाकृत नीचे तथा अपेक्षाकृत ऊंचे काउंटों के लिए 6 प्रतिशत की अधिक गुंजाइश दी जाएगी क्योंकि इन दो राज्यों में बिजली की कटौती का अधिक प्रभाव है ।

(5) आयातित रूई पर हाल ही में घोषित 40% आयात शुल्क का प्रभाव ।

(8) धागे का निर्यात विनियमित ढंग से किया जाएगा । जिन संविदाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है उनके संबंध में सुपुर्दगी को जून 1973 के बाद तक विलंबित किया जाएगा । वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के पास ऐसी नई संविदाएं दर्ज कराई जा सकती है जिनकी सुपुर्दगी 1 सितम्बर, 1973 को होनी हों । धागे के निर्यात पर ऊपरी सीमा भी लगाई जा सकती है ।

(9) हथकरघा माल के पक्के निर्यात आदेशों के संबंध में वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद/हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रत्येक संविदा की पड़ताल के पश्चात् विशेष आबंटन किए जाएंगे ।

3. राज्य सरकारों से विशेषत: तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे कताई एककों के लिए अधिक बिजली की व्यवस्था करें जब तक उत्पादन पुनः आरंभ न हो जाए, तब तक भारी कमियों को न टाला ही जा सकता है और न कम ही किया जा सकता है ।

4. तमिलनाडु विधान सभा ने एक संकल्प पारित किया है जिसमें केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है कि उस राज्य के धागे के सम्पूर्ण उत्पादन को उस राज्य में स्थित हथकरघा तथा शक्तिचालित करघा क्षेत्रों को उपलब्ध कराया जाए जिसके अनुसरण में उन्होंने दक्षिणी भारत मिल मालिक संघ के साथ एक करार भी कर लिया है । व्यापक कमी की इस परिस्थिति में वितरण की एक युक्तियुक्त तथा न्यायोचित प्रणाली लागू करनी होगी ।

5. मुझे उद्योग के कुछ क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें आग्रह किया गया है कि दो कारणों से 26 एस से नीचे के काउंटों के धागे को वितरण नियंत्रण के अंतर्गत नहीं लाया जाए । प्रथम, इन काउंटों के धागे में किसी प्रकार की अनुचित कीमत वृद्धि नहीं हुई है, और दूसरे, जिन राज्यों में जहां ये धागे उपयोग में लाए जाते हैं, उनके पास उनको आबंटित मात्राओं को उठाने के लिए कोई अवस्थापना नहीं है । मैंने देखा है कि

[प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय]

1 अगस्त 1972 से प्रवृत्त विनियमन योजना मुख्य रूप से इस कारण विफल हुई कि इस योजना के अंतर्गत ऊंचे काउंटों के मुक्त धागे के केवल 50 प्रतिशत उत्पादन पर ही नियंत्रण था। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि वर्तमान स्थिति में, अपूर्ण कार्यवाही का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और दृढ़ता से यह निश्चय करना होगा कि ऐसी अपूर्ण कार्यवाही नहीं की जाये।

6. धागे के उठाने के संबंध में, मैं शीघ्र ही मुख्य मंत्रियों को मुझे यह बताने के लिए लिख रहा हूं कि क्या वे दस्तावेजों को रिटायर कर सकेंगे, धागे की डिलिवरी ले सकेंगे और उसे अपने राज्यों में वितरित कर सकेंगे। यदि वे इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की सहायता चाहते हैं तो मैं भारतीय कपास निगम को निदेश दूंगा कि वह इस प्रयोजनार्थ संबंध राज्य सरकारों के एकमात्र विक्रय अभिकर्ता के रूप में कार्य करे। मिल क्षेत्र को, उनकी भौगोलिक स्थिति चाहे कुछ भी हो, अब घोषित किए जा रहे उपायों के अनुरूप चलना होगा।

7. इस योजना की सफलता विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग पर निर्भर करती है। अतः मैं सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध कर रहा हूं कि वे ऊपर बताये गए प्रबंधों के सुचारु कार्याचालन का अध्ययन तथा देखभाल करने के लिए सतर्कता समितियां स्थापित करें जिनमें विभिन्न हितों, जैसे उद्योग, मजदूर संघों, हथकरघों, शक्तिचालित करघों, मिल क्षेत्र के प्रतिनिधि, उस क्षेत्र के संसद सदस्य, तथा राज्य विधान सभाओं के सदस्य शामिल हों।

श्री के० एस० चावडा : गत वर्ष रुई की बहुत अच्छी फसल होने के बावजूद भी देश में विशेषकर तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात में, धागे के उत्पादन में, इन राज्यों में बिजली की कमी के कारण रुई के उत्पादन में भारी कमी आई है। मिलें भी कपड़ा बुनने के लिए धागे की खपत में कमी नहीं करती है और धागे के उत्पादन की सारी कमी विकेन्द्रीकृत क्षेत्र अर्थात् हथकरघा और विद्युत करघा उद्योग पर आती है। इन परिस्थितियों में भी सरकार धागे का निर्यात करती है। इसके परिणामस्वरूप धागे के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है और बुनकर इतनी अधिक कीमतों पर धागा खरीदने की स्थिति में नहीं है।

इस कारण देश में 100 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने वाले इस उद्योग में भारी बेरोजगारी उत्पन्न हो गई है।

यह कहा गया है कि तमिलनाडु से अन्य राज्यों को धागा भेजे जाने पर रोक लगाई जायेगी। यदि ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र में धागे की अत्यधिक कमी हो जाएगी। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी?

यदि हथकरघा और विद्युत करघा उद्योग को पर्याप्त मात्रा में धागा उपलब्ध नहीं किया गया तो हथकरघा-वस्त्रों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र अर्थात् हथकरघा और विद्युत करघा उद्योग 80 से 90 लाख लोगों को रोजगार देता है। मैंने जो नीति सम्बन्धि विवरण दिया है उसमें इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है।

दूसरा प्रश्न निर्यात के बारे में है। हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है इसलिये कुल वस्त्र उत्पादों का थोड़ा भाग निर्यात किया जाता है।

मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि धागे का निर्यात करने की अपेक्षा उसे हथकरघा बुनकरों को दिया जाना चाहिये ताकि हथकरघा वस्त्रों का निर्यात किया जा सके।

माननीय सदस्य ने जो अन्य बात तमिलनाडु सरकार की समस्या के बारे में कही वह भी महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु विधानसभा ने एक संकल्प पारित किया है जिसमें केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है कि उस राज्य का समूचा उत्पादन उस राज्य के हथ-करघा और विद्युत करधा उद्योग को ही उपलब्ध कराया जाये परन्तु ये कठिनाइयां उस राज्य की ही नहीं है। यह कठिनाई सर्वत्र है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि बिजली की कमी वाले सभी राज्यों में उत्पादन को समान, अनुपातिक और युक्ति संगत ढंग से वितरित किया जाना चाहिए।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपूर) : इसी विषय पर मंत्री महोदय ने अन्य दिन राज्य सभा में जो विवरण रखा वह इस विवरण से थोड़ा भिन्न है। इस विषय पर ध्यानाकर्षण और प्रश्नों के रूप में कई अवसरों पर चर्चा हुई है और वही रुढ़ीबद्ध उत्तर दिये गये हैं कि यह समिति नियुक्त की गई है, वह समिति नियुक्त की गई है। कपास से लेकर परिष्कृत उत्पाद तक रुई की समूची अर्थव्यवस्था बड़े-बड़े एकाधिकार-गृहों के नियंत्रण में है जिसके फलस्वरुप कपास के मूल्यों में गिरावट आ रही है तो परिष्कृत उत्पादों के मूल्य बढ़ रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से आशा करता हूं कि वह अपने मंत्रीमंडल को सुझाव दें कि वह सूती वस्त्र उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं, उस सूरत में तमिलनाडु या अन्य राज्यों से अलग वक्तव्य नहीं आयेगा। यह एक करोड़ व्यक्तियों का प्रश्न है जो समूचे देश में फैले हुए हैं। क्या मंत्री महोदय सूती वस्त्र उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं?

मंत्री महोदय ने मूल्य-वृद्धि के बारे में उस सदन में दिये अपने वक्तव्य में बताया है कि मूल्य-वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है। मूल्य 50 से 100 प्रतिशत तक बढ़ गये हैं। मंत्री महोदय ऐसे तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे उन्हें कुछ नहीं करना है। कभी-कभी वह राज्य सरकारों को भी दोषी ठहराते हैं कि स्टाक नहीं उठाया गया है। ऐसा कह कर वह बच नहीं सकते।

समूचे देश में इस्पात और कोयला के समान मूल्य की प्रणाली है। क्यों न वही प्रणाली रुई और धागे के मामले में लागू की जाये? पूर्वी क्षेत्र के बुनकरों और तौलिया जैसे मोटे कपड़े बुनने वाले जुलाहों को धागा कठिनाई से मिलता है। उन्हें तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बुनकरों की तुलना में 100 प्रतिशत अधिक मूल्य देना पड़ता है। यदि इस समय सरकार इसके लिए सांविधिक विधान नही ला सकती है तो कम से कम पश्चिम बंगाल और पूर्वी क्षेत्र के बुनकरों को कुछ सहायता दे सकती है। क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि मूल्यों में यह असामान्य वृद्धि क्यों हुई है? इसके लिए सरकार उत्तरदायी है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यदि माननीय सदस्य ने विवरण पढ़ा होता तो उन्हें ज्ञात होगा कि जो योजना हमने सभा के समक्ष रखी है वह गरीब बुनकरों के दु:खों को कम करने के लिए है। माननीय सदस्य ने इस योजना को रूढ़ीबद्ध बताया है। मुझे विश्वास है कि उन्होंने विवरण पढ़ा नहीं है अन्यथा उन्हें ज्ञात होता की यह नई योजना है।

एकाधिकारियों को समर्थन देने का प्रश्न निराधार है। यह योजना पहले आजमाई गई योजना से भिन्न है।

मूल्य-वृद्धि के सम्बन्ध में हमने निर्णय किया है कि पिछले दो महीनों में हुई मूल्य-वृद्धि को दिसम्बर के मुल्य स्तर तक लाया जाये। यह सुनिश्चित करने के लिये समूची योजना बनाई गई है कि जमाखोरी को भूमिका को पूर्णतया समाप्त किया जाये।

[प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय]

माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि मैंने राज्य-सभा में जो कुछ कहा है और यहा जो कुछ कह रहा हूं उसमें असमानता है। असमानता कोई नहीं है यह अन्तर केवल योजन, को ठोस रूप देने के सम्बन्ध में है। यह योजना यहां रखने से पहले हमने हथकरघा विद्युत् करखा मिलों और कार्मिक संघों के साथ बातचीत की है। अत: विवशताओं के अधीन यह युक्तिसंगत और स्वीकार्य योजना है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैंने एक विशिष्ट प्रश्न किया था कि क्या समूचे देश में धागे का समान मूल्य होगा। उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस पर उच्च-शक्ति प्राप्त समिति द्वारा अध्ययन किया जा रहा है ।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : There is nothing new in the statement made by the hon. Minister. Although the hon. Minister has come out with some new schemes, what will be the results of these schemes ? May I know whether the whole production of yarn will be controlled legally or there will be 70 per cent—30 percent control as it is there in the case of sugar ?

Secondly, is he going to give a guarantee that the weavers will get yarn in an easy manner ?

Thirdly, the hon. Minister has said that something would be done to neutralise the increase in the prices of yarn. In the district of Azamgarh, the prices of yarn have gone up by 82 per cent which has resulted in the starvation of weavers. May I know the time by which the scheme will be implemented ?

May I know whether arrangement will be made to guarantee the power supply to powerloom industry in U.P., Punjab and Haryana. Will the production of yarn be increased in the next Five Year Plan so that the weavers are able to get yarn regularly ?

Lastly, may I know whether a Handloom Board will be constituted in which there will be participation by handloom representatives ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : माननीय सदस्य ने पूछा है कि यह योजना कब क्रियान्वित की जायेगी, चूंकि निर्णय कर लिया गया है और योजना बना ली गई है तो आज से इसे क्रियान्वित किया जायेगा ।

विद्युत की कमी के बारे में माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है मुझे भी उनके साथ चिंता है और इसलिये जो विवशताए हैं उनके होते हुए भी हमने योजना बनाई है।

विद्युत् की कमी के बारे में मैं विवरण में कह चुका हूं कि मैं राज्यों में मुख्य मंत्रियों को यह अनुरोध करते हुए पत्र लिखूंगा कि वे बिजली की कमी होते हुए भी सूती वस्त्र उद्योग के कमजोर वर्ग को जितनी बिजली दे सकें, दें।

केन्द्रीय सरकार की एक अन्तर्मंत्रालयीन समिति इस मामले पर विचार कर रही है और कुछ उपाय किये जा रहे हैं।

धागे के वितरण के सम्बन्ध में मैं मुख्य मंत्रियों को लिख रहा हूं कि वे तत्काल यह बतायें कि क्या वे अपने राज्यों में धागे का वितरण कर सकेंगे ? यदि उन्हें सहायता की जरूरत पड़ी तो उसके लिये सरकारी व्यवस्था है।

Shri K. M. Madhukar : Some of the powerloom weavers have applied for importing generating sets. Will any arrangement be made in this regard ?

प्रो॰ डी॰ पी॰ चट्टोपाध्याय : इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देना मेरी मंत्रि-स्तरीय क्षमता के बाहर है ।

श्री आर॰ के॰ सिन्हा (फैजाबाद) : यदि इस उद्योग में संकट आ जाये तो एक करोड़ परिवारों का निर्वाह नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश बिहार, और देश के भिन्न-भिन्न भागों में अधिकांश हरिजन और मुसलमान भुखमरी की हालत में है। यह अच्छी बात है कि मंत्री महोदय ने राज्यों के मंत्रियों और योजना आयोग के साथ बातचीत की है और मुझे विश्वास है कि वह चार महीने की जो सीमा लगाई हुई है उतना समय वह नहीं लगायेंगे। बिजली की कमी का तो एक बहाना मात्र है। यदि मंत्रालय सक्रिय रुप से कार्य करे तो जो आंशिक कमी है, उसे नियंत्रित किया जाना चाहिये ।

मंत्री महोदय को याद होगा कि उनसे पहले जो मंत्री थे उन्हें संसद् के प्रतिनिधियों ने बताया था कि गोदामों में 50 करोड़ रुपय का स्टाक पड़ा था और उसे इसलिये नही बेचा जा सका कि हथकरधा उद्योग के उत्पाद मिलों के उत्पादों के सामने नहीं टिक सकते थे। इस बारे में मंत्रालय क्या कर रहा है ?

जहां हथकरधा उद्योग केन्द्रीकृत है, उन प्रमुख केन्द्रों में मंत्रालय स्पिनिंग मिलें स्थापित करने के प्रश्न की जांच क्यों नहीं करता ? आजमगढ़ और फैजाबाद में, जहां लघु उद्योग हैं, स्पिनिंग मिलें स्थापित की जानी चाहिये। छोटे बुनकरों को, चाहे वे हथकरघा उद्योग के हों अथवा विद्युत करघा उद्योग के, पर्याप्त बैंक ऋण भी उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

यदि सभा में पहले पुनरीक्षित विवरण रखा जाता हो तो इस प्रश्न की अधिक प्रामाणिक और सौदेश्य जांच होती ।

यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि घटिया अथवा गलत किस्म का धागा न बनाया जाये ।

पहले गलत पूर्तियां की जारी थी । चीनी उद्योग को आधा नियंत्रित करना तथा आधा-अनियंत्रित रखना और अब स्वैच्छिक नियंत्रण की व्यवस्था रखना तो ठीक है परन्तु इस स्वैच्छिक नियंत्रण को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिये । धागा-निर्माताओं ने विदेश व्यापार मंत्रालय तथा देश के लाखों बुनकरों के साथ पहले ही बड़ी धोखाघड़ी की है। अब सरकार ने जो क्रातिकारी वक्तव्य दिया है उसकी पूरी तरह जांच करके उसे कड़ाई से क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

19 अप्रैल, 1972 को आयोजित सम्मेलन में बहुत से मंत्री, उत्तर प्रदेश तथा पंजब के मुख्य मंत्री तथा देश के विभिन्न भागों के अधिकारी आये थे। हमें यह बताया गया था कि 24 अप्रैल तक कोई निर्णय कर लिया जायगा। फीर इसे परन्तु जो स्वैच्छिक निर्णय किया गया उसे क्रियान्वित नहीं किया गया है। मेरा कहना है कि यदि इस उद्योग के बारे में तुरन्त ही क़दम नही उठाये गये तो यह उद्योग ध्वस्त हो जायेगा। मंत्री महोदय रसायनों, रंगों तथा कच्चे माल की उपलब्धता के प्रश्न पर विचार करे। अभी बिड़ला बंधुओं का एकाधिकार कायम है तथा कच्चे माल के माध्यम से ही उद्योगों में वृद्धि होती है। इन सब बातों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखकर विचार किया जाना चाहिये। इसके लिये आवश्यक निकाओं तथा समितियों का गठन करना चाहिये ।

प्रो॰ डी॰ पी॰ चट्टोपाध्याय : माननीय सदस्य के सुझाव स्वीकार करने योग्य हैं। फिर भी मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि हम आधे-दिल से कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। हमने सोचा था कि उद्योग के सहयोग से यह स्वैच्छिक योजना काम कर जायेगी। परन्तु इस संदर्भ में मिले कटू अनुभव के बाद हमने एक

[प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय]

विभिन्न योजना बनाई है और उसमें कोई त्रुटि नहीं छोड़ी है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि मूल्यों मे वृद्धि के लिये केवल बिजली की कमी को ही कारण नही माना जा सकता। यह तो इस उद्योग में विद्यमान कुछ चालाख तत्वों के कारण ऐसा हुआ है और हम ऐसी गुंजाईश को समाप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। इन सभी रचनात्मक सुझावों पर ध्यान से विचार किया जायेगा तथा कोई कारगर प्रशासनिक उपाय करते समय इन्हें ध्यान में रखा जायेगा।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये विवरण मे कुछ त्रुटिया हैं। कहा गया है कि इन धागों का प्रयोग हथ करघे में "हैको" के रूप में विद्युत चालित करघो में "बीम्स" के रूप में तथा कपड़ा मिल "कीन्झ" के रूप में करते है। संभवत: मंत्री महोदय किसी भ्रम में पड़ गये हैं।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है है कि वह इस संबंध में उन लोगों से मार्ग दर्शन प्राप्त करे जो अधिक जानकरी रखते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभापटल पर रख जायेंगे एयर इण्डिया के बारे में मंत्री महोदय बाद मे एक वक्तव्य देंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय, विक्रय कर नियम, आयकर अधिकारी सेवा नियम, 1873 आदि

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं श्री के० आर० गणेश की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केंद्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आय) (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 56(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4430/73)

(2) संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन जारी किये गये आयकर अधिकारी (प्रथम श्रेणी) सेवा (बरीयता विनियमन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां०नि० 54(ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4431/73)

(3) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) डाक घर बचत पत्र (संशोधित) नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 116 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय बचत पत्र (चौथा निर्गम) (संशोधन) नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी, 1973, में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 117 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4432/73)

(4) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाक घर बचत बैंक (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 118 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4433/73)

(5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 183 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4434/73)

(6) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धार 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) दिल्ली विक्रय कर (आठवां संशोधन) नियम, 1972 जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 16 अक्तूबर 1972 में अधिसूचना संख्या एफ०4(27)/72 फिन(जी) में प्रकाशित हुए थ ।

(दो) दिल्ली विक्रय कर (पहला संशोधन) नियम, 1973 जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या एफ० 4(68)/72-फिन (जी) प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4435/73)

(7) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 1632, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 1635, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० सां० नि० 499(ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थ तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सां० आ० 769 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित हुआ था तथा सां० आ० 76(ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी, 1973 में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० सां० नि० 10(ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी, 1973 मे प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) सा० सां० नि० 151, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4436/73)

[श्री ए० सी० जार्ज]

(8) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क-नियम, 1944 के अधीन जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 1527, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर, 1972 में में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सां० सां० नि० 484(ङ) और 485(ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० सां० नि० 1567, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० सां० नि० 94, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सां० नि० 148, जो भारत के राजपत्र. दिनांक 17 फरवरी, 1973 मे प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) सा० सां० नि० 149, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यामक ज्ञापन ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4337/73)

नियर्ति (गुणप्रकार निरीत्रंण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटलपर रखता हुं :

(1) निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कपड़ा धोने के साबुन का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 429 में प्रकाशित हूए थे ।

(दो) अभरक निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 431 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अकार्बनिक रसायन निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 432 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कार्बनिक रसायन निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 433 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) अकार्बनिक रंजक निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरीं, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 434 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) पी० बी० सी० चमड़े के कपडे का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 435 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) वाइनिल फिल्म और शीटिंग निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 436 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) मृतिका उत्पाद निर्यात (निरीक्षण) दुसरा संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 437 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) ऊष्मसह ईंटें निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 438 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सेफ्टी ग्लास निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 439 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) कीटनाशी तथा उनकी निर्मित्तियों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 440 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) लिनोलियम निर्यात (गुण–प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 441 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) रोगन तथा सम्बद्ध उत्पादों का निर्यात (गुण–प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973, में अधिसूचना संख्या सां० आ० 442 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) पारेषण लाइन बुर्ज निर्यात (गुण–प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम' 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 443 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) डीजल इंजन निर्यात (गुण–प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 444 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) विद्युत्–चालित पम्पों का निर्यात (गुण–प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 445 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) बिजली के पंखों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 446 में प्रकाशित हुए थे।

(अठ्ठारह) सिलाई मशीनों का निर्यात (गुण–प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 447 में प्रकाशित हुए थे।

[श्री ए० सी० जार्ज]

(उन्नीस) छोटे औजार और हस्त औजार निर्यात (गुण–प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 448 में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) बाइसिकलों का निर्यात (गुण–प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 449 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) इस्पात के ट्रंकों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 450 में प्रकाशित हुए थे।

(बाइस) विस्तारित धातु इस्पात चादरों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 451 में प्रकाशित हुए थे।

(तेइस) स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 452 में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) बिजची केवल और कंडक्टरों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 453 में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) ढ़ला लोहा साइल पाइप और फिटिंग निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 454 में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) ढ़ला लोहा प्रवेश छिद्र ढक्कन और ढांचा निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 455 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्ताइस) मोटार गाड़ियों के पुर्जों, संघटकों और सहायक पुर्जों का निर्यात (गुण–प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 459 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4438/73)

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय चलचित्र निर्यात नियम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1971-72 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरिक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4439/73)

(3) व्यापार विकास प्राधिकार, नई दिल्ली के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी कार्यकरण के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4440/73)

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (अदमोडा) : परमाणु ऊर्जा विभाग–परमाणु शक्ति के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के 129 वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 29 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं 12 मार्च, 1973 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सभा में निम्नलिखित सरकारी कार्य की घोषणा करता हूँ :

(1) आज की कार्य सूची से बचे सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार :

(2) वर्ष 1973-74 के लिये लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) की सभा में मतदान के लिये पेश किया जाना।

(3) कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1973 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1973 पर विचार तथा पास करना।

(4) चर्चा तथा मतदान :–

(एक) वर्ष 1972-73 के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांग (सामान्य)।

(दो) वर्ष 1972-73 के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेल)।

(तीन) वर्ष 1973-74 के लिये अनुदानों की मांगे (रेल)।

(Interruptions)

Mr. Speaker : Every time I have to remind that I would allow only those who send their intimation.

Shri Atal Bihari Vajpayee : How can we know before hand as to what the hon. Minister would say and what should be raised here ?

श्रीपीलू मोदी : हम सप्ताह भर की कार्यवाही का कैसे अनुमान लगा सकते हैं; यही तो अवसर होता है जब सूचना दिये बगैर हमें कुछ भी कहने का अवसर दिया जाये।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : The reports of the committee on scheduled casts and scheduled Tribes have not been discussed here for the last several years. Would you fix up some day next week or during the session for this ? May I also know whether the Government are reconsidering the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Amendment) Bill which lapsed with the dissolution of the last Lok Sabha ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : तीसरे वेतन-आयोग के प्रतिवेदन के बारे में समाचार-पत्रों में छपे समाचारों का सरकार ने खण्डन नहीं किया है। सरकार अपनी कार्यवाही तथा वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति के बारे में एक और वक्तव्य दे। लाखों कर्म चारियों में असन्तोष प्राप्त है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं माननीय सदस्य की बात का समर्थन करता हूं। आयोग के सदस्यों में परस्पर मतभेद के समाचार छपे हैं और यदि प्रतिवेदन सर्वसम्मत नहीं होगा तो क्रियान्वित नहीं होगा। यह मामला केवल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से ही संबद्ध नहीं है बल्की हमारी नौसेना, वायुसेना तथा स्थलसेना के कर्मचारि यों का भी इस से संबंध है। मंत्री महोदय अगले सप्ताह इस बारे में वक्तव्य दें।

मंत्री महोदय अनुच्छेद 31 (ग) को रद्द करने संबंधी अफ़वाह के बारे में भी वक्तव्य दें। इस अफ़वाह के उद्भव तथा इसम अन्तर्गस्त तत्वों की भी जाच पड़ताल की जाये।

श्री एच० एम० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : विधि मंत्री इस संबंध में वक्तव्य देने को तैयार हैं तथा उक्त अफ़वाह का खण्डन करना चाहते हैं। यदि थोडा है तो वह सोमवार को एक वक्तव्य दें अन्यथा यह अफ़वाह कोई बिकट रुपधारण करलेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह अफ़वाह सरकार के उच्च आधिकारियों द्वारा फैलाई जा रही है जो चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय इस अनुच्छद को अवैध घोषित कर दे। विधि मंत्री इस बारे में एक वक्तव्य दें।

श्री पी० के० देव : उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के विषय पर अगले सप्ताह चर्चा होनी चाहिये। इस मामले पर देश-व्यापी असन्तोष फैला हुआ है। दुसरे, उड़ीसा के बजट पास होने के संबंध में राज्यपाल के पद की प्रतिष्ठा की क्षति हुई है तथा इस पद का दुरुपयोग हो रहा है। अतः इस सारे मामले पर अगले सप्ताह चर्चा का अवसर मिलना चाहिए।

श्री के० लकप्पा : मैसूर का प्रतिनिधित्व करने वाले वह बड़े अच्छे राज्यपाल हैं।

श्री वयालार रवि : मैं श्री एच० एन० मुकर्जी तथा श्री एस० एम० बनर्जी की बात का समर्थन करता हूं।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : The problem of weavers is very serious and there should be a discussion on this matter next weak.

Shri Ishak Sambhali (Amroha) : This relates to 5 crore weavers who are almost starving. At least two hours should be allotted immediately in this regard.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The matter relating to making English paper compuslory for Hindi Stenographers in the U.P.S.C. Examination was not made clear that day. The Government are going back on their word as regards Hindi. I request that opportunity should be given to discuss this point.

श्री के० रघुरामैय्या : यहां दिये गये विभिन्न मूल्यवान् सुझावो को मैं संबंधित मंत्रियों तक पहुंचा दूंगा। **(व्यवधान)**

Shri Hukam Chand Kachwai : Last time also he had said so but we have yet to get a reply. He puts off the things so cleverly.

एअर इण्डिया में हड़ताल के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : STRIKE IN AIR INDIA

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन श्री शंकर दयाल सिंह तथा श्री बी० वी० नायक की ओर से एयर इण्डिया में हड़ताल की धमकी संबंधी सूचना मुझे मिली है। मंत्री महोदय ने मुझे बताया हैं कि वह इस बंद में एक वक्तव्य देंगे, नियमों के अनुसार जब मंत्री महोदय वक्तव्य दे रहे हो तो फिर प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। परन्तु उसके बाद यदि आप लोग उचित समझें तो हम विचार कर लेंगे कि किस रुप में उसपर चर्चा की जाये।

Shri Shanker Dayal Singh (Chatra) : I want to have my say within a minute only. Sometimes trifles develop into big problems. A few days earlier, there has been a hot discussion in the Rajya Sabha over ticketless air travel by three stowayas and the hon. Members demanded most strict measures to check such things. As a result thereof the hon. Minister declared the suspension of 15 officers and also an inquiry by a Bombay High Court Judge. I demand that instead of suspension, these officers should be dismissed. May I know why thorough search were not made of these persons when even the members of Parliament are not spared. Strong action should be taken in this matter. The House is with the hon. Minister.

श्री बी० वी० नायक : हमारे यहां लोकतंत्रात्मक विधान है जिसमें हर बात का स्पष्टीकरण किये जाने की व्यवस्था है। मैं यह सामान्य प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या यह भावना सही है कि यही चोरी से बिना टिकट यात्रा करने वाले लोग ही भविष्य में विमानों का अपहरणकर्ता बन जाते हैं ? इस संबंध में व्यापक जांच की जानी चाहिये।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : जब 3 मार्च, 1973 को तीन व्यक्ति, जिनके पास पुर्तगाली पासपोर्ट थे, जिन्हें प्रत्यक्षत: नई दिल्ली में ब्राजील के दुतावास ने जारी किया था, बंबई से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान में बिना पकड़े गये चढ़ने और अपने आप को विमान में छिपा लेने में सफल हो गये तो यह सुरक्षा व्यवस्था भंग की एक अत्यन्त शोचनीय घटना थी। भू-कर्मचारियों (ग्राउंड स्टाफ) ने तीन अन्य व्यक्तियों को विमान पर चढ़ने का प्रयत्न करते हुए पकड़ लिया, और जब उनसे पूछताछ की गयी तो उन्होंने बताया कि एक औरत बिना टिकट के विमान में चढ़ गयी थी। तब तक विमान उड़ान ले चुका था, अत: कमाण्डर को बिना टिकट के यात्री की सूचना दे दी गयी। उसने उत्तर दिया एक नहीं दो औरतें बिना टिकट के थीं और उन्होंने अपने आप को शौचालयों में बंद कर लिया था। कमाण्डर को परामर्श दिया गया कि यदि उन औरतों के पास कोई हथियार नहीं हैं तो विमान को आगे जाने दिया जाए और बिना टिकट के यात्रियों को काहिरा के अधिकारियों को सौंप दिया जाए। काहिरा से एक और संदेश मिला कि विमान पर एक तीसरा यात्री--एक पुरुष--भी बिना टिकट के था।

2. काहिरा के इम्मिग्रेशन प्राधिकारियों ने इन तीनों बिना टिकट के यात्रियों को विमान से उतारने की अनुमति देने से इन्कार कर लिया, अत: उन्हें इस आशय से आग लन्दन ले जाया गया कि वहां से उन्हें वापिस भारत ले आया जायेगा। किन्तु लंदन में ब्रिटिश इम्मिग्रेशन प्राधिकारियों ने उन्हें अपने अधिकार में ले लिया। ऐसा समझा जाता है कि पुर्तगाली दुतावास ने उन्हें वहां से लिसबन ले जाने का प्रबन्ध किया।

3. देश और संसद् के सदस्य सुरक्षा की इस गंभीर चुक से उचित रुप से ही व्यथित हुए, विशेषकर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जब कि विमानों के बलात् अपहरण एवं विभिन्न प्रकार की हिंसात्मक धमकियों की घटनाएं वृद्धि पर हैं। सरकार इस घटना को गंभीर दृष्टि से देखती है, और इस सम्बन्ध में कल निम्न कार्यवाही की गई थी :—

(i) एयर इंडिया ने सांताक्रूज के विमानक्षेत्र प्रबंधक, सभी सातों केबिन कार्मिकों, तथा उड़ान की देखरेख करने वाले ड्यूटी-अफसर और चार यातायात सहायकों को निलंबित कर दिया है। सहायक सुरक्षा अधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया है।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने संबंधित टर्मिनल मैनेजर को निलंबित कर दिया है।

(iii) महाराष्ट्र सरकार से भी अपने संबंधित सुरक्षा कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(iv) इस घटना के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए "कमिशन आफ इंक्वायरीज़ एक्ट" के अंतर्गत बंबई हाई कोर्ट के एक जज की नियुक्ति की जा रही है। उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

4. कल अपराह्ण से एयर इंडिया अधिकारी संगठ और एयर इंडिया के वायु निगम कर्मचारी संघ ने अचानक हड़ताल प्रारंभ कर दी, और वायु निगम कर्मचारी संघ ने इंडियन एयरलाइंस के अपने सदस्यों से भी 12 तारीख से हड़ताल करने को कहा है। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि उनकी यह कार्यवाही नितांत शोचनीय है। किसी को अनुचित तौर पर दंडित किये जाने की संभावना को रोकने के लिये तथा इस क्षोभकारी घटना की समस्त सच्चाई को जानने के लिए ही ताकि एयर इंडिया की विश्व-विख्यात प्रतिष्ठा को कोई ठेस न लगे, हमने इस मामले की जांच करने के लिये बम्बई उच्च न्यायालय के एक वर्तमान जज को नियुक्त किया है तथा इस जांच में उसकी सहायता करने के लिये केन्द्रीय जांच कार्यालय से एक अधिकारी की मांग की है।

5. विमान सेवाओं के रुक जाने से चाहे वह एयर इंडिया मे हो चाहे इंडियन एयरलाइंस में, देश तथा विदेश दोनों ही में यात्री जनता के लिए अत्यधिक असुविधा उत्पन्न हो जाती हैं। इसका न केवल एयरलाइंस पर ही, जोकि पहले ही एक आर्थिक संकट का सामना कर रही है, बल्कि समस्त राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़गा, और यह एक ऐसी हरकत है जिसे हमारा देश जोकि एक बहुत कठिन आर्थिक परिस्थिति से गुज़र रहा है इस समय कि ी ी प्रकार सहन करने की स्थिति में नहीं है। पर्यटक यातायात तथा उसके परिणामस्वरुप विदेशी मुद्रा की आय पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः मुझे विश्वास है कि मैं जब एयर इंडिया के कर्मचारियों से तुरंत ड्यूटी पर जाने का अनुरोध कर रहा हूँ तो मैं सारी सभा की भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूं।

रेल बजट, 1973-74--सामान्य चर्चा

RAILWAY BUDGET 1973-74—GENERAL DISCUSSION

अध्यक्ष महोदय : अब हम रेल बजट पर पुनः चर्चा शुरू करते है।

Shri Mohinder Singh Gill (Ferozepore) : Not a single kilometer railway was laid in Punjab after independence. No new train including Rajdhani Express has been started in Punjab after independence. A Rajdhani Express from Delhi to Punjab should be started immediately.

The railway station of Chandigarh which is one of the beautiful cities of the world, is worst of all. This railway station should be improved and more facilities for passengers should be provided. Railway lines between Ludhiana—Chandigarh, Dinanagar—Kathua and Ferozepur—Patti should also be laid. Similarily, Nangal should also be connected with Talwara via Una.

The Divisional headquarters proposed to be shifted from Ferozepur, should not be shifted from there. The railway crossing bridge at Moga should be constructed as soon as possible. The Flying mail should be made to have two or three minutes stop at Philaur.

Railway Ministry should do justice to Punjab by meetings its railway demands.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : एक विकासशील देश में नई रेल लाईनों के निर्माण तथा छोटी और मिटर गाज लाईनों को बडी लाईनों में बदलने की मांगो का होना, स्वाभाविक ही है। रेल कर्मचारियों के लिये रहने की बेहतर सुविधाओं और अधिक वेतन देने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये।

गुजरात राज्य में तीव्र संचार व्यवस्था के मामले की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आशा है कि अहमदाबाद—दिल्ली की मीटर गाज लाईन को बड़ी गाज लाईन में बदलने का कार्य शीघ्र पूरा किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि अहमदाबाद और बडोदा के बीच विद्युत चालित गाडियां चलाई जायें क्योंकि इससे वहां के औद्योगिक समूहों के विकास में सहायता मिलेगी।

तारापुर और भावनगर के बीच की रेलवे लाइन के निर्माण पर होने वाले काम को पूरा करने के लिये गुजरात सरकार तैयार है। इस लाइन के निर्माण में संकोच नही किया जाना चाहिये।

गुजरात के सबरकंठा जिले में भी रेल सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता है। रेलवे की सबसे बड़ी समस्या यह है कि रेलों में बहुत भीड़ होती है। मंत्री महोदय को तीसरी श्रेणी के यात्रियों की मांगों की ओर ध्यान देना चाहिये क्योंकि तीसरी श्रेणी के यात्रियों से ही सरकार को सबसे अधिक लाभ होता है। सरकार को राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों की संख्या बढ़ानी चाहिये कई गाड़ियों की गति अभी भी बहुत धीमी है। उनकी गति में तेज़ी लायी जानी चाहिये।

श्री एस० एम० सिद्दय्या (चामराजनगर) : नई रेल लाइनों के निर्माण की समस्या के प्रति रेल मंत्री ने नई नीति अपनायी है। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि जहां तक नई रेल लाइनों के बिछाने का सम्बन्ध है, पिछड़े क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री ने जब महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था तो वहाँ चार नई रेल लाइनों के निर्माण की अनुमति दी। यह एक अच्छी बात है। मैसूर में भी कई क्षेत्रों पर, सूखे का कुप्रभाव पड़ा है। मसूर सरकार ने भी कई नई रेल लाइनों के निर्माण की सिफारिश की है। एक महत्वपूर्ण रेल लाइन अर्थात् सत्यमंगला चामराजा नगर रेल लाइन पिछले 81 वर्षो से निलंबित पड़ी हुई है। मद्रास तथा मैसूर सरकार इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इस रेल लाइन के निर्माण की सिफारिशें करती रही है। यह केवल 61 मील लम्बी रेल लाइन के निर्माण का प्रश्न है। यदि इस रेल लाइन का निर्माण कर दिया जाय तो इससे माल तथा यात्री यातायात में काफी सीमा तक वृद्धि होगी। अतः इस रेल लाईन का निर्माण-कार्य यथा संभव शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिये।

मैसूर जिला औद्योगिक दृष्टि से सदैव पिछड़ा हुआ जिला रहा है। वहां की औद्योगिक प्रगति के लिये बैंगलौर से चमराजानगर तक की छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में शीघ्रता से बदला जाना चाहिये।

मैसूर सरकार ने मिराज-हुबली-ह्रोस्पेट लाइन शोलापुर-हुबली लाईन बेलरी-गुलबर्गा लाईन, मिरज-गुलबर्गा लाईन तथा कोदती-रेचूर लाईनों को बड़ी लाईनों में बदलने की भी सिफारिश की है, क्योंकि यह एक सूखाग्रस्त क्षत्र है। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि लोगों को रोजगार प्रदान करने हेतु इन लाईनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कार्य आरम्भ किया जाये।

जहां तक मैसूर कर्मशाला (वर्कशाप) के विस्तार का सम्बन्ध है, यह मामला रेलवे वोर्ड के विचाराधिन काफी समय से निलम्बित पडा है। यद्यपि इसके लिये कुछ राशि स्वीकृत की

गयी थी तथापि निर्माण कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है। मंत्री महोदय को इस ओर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिये और सुनिश्चित करना चाहिये कि कर्मशाला का विस्तार शीघ्र आरम्भ किया जाए।

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : विश्व भर में भारतीय रेलवे के किराये भाड़े सब से कम है। रेलों के संचालन की लागत में वृद्धि हुई है और वस्तुओं की कीमतें अत्याधिक बढ़ी हैं। अतः यह कहना कि रेलों का अधिकांश व्यय रेल कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन पर होता है, गलत है। जब हम रेल कर्मचारियों को मिलने वाली सभी सुविधाओं की तुलना अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लगे कर्मचारियों की सुविधाओं से करते हैं तो देखते हैं कि उन्हें सब से कम सुविधाएं उपलब्ध है और सबसे कम वेतन मिलता है।

रेलों की वित्त व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिये उन रेलों से लाभांश नहीं लेना चाहिये जो कुछ समय से लाभ न कमा रही हों।

माल डिब्बों की कमी के बारे में बहुत शोर मच रहा है। इन माल डिब्बों को जानबूझकर कुछ व्यक्ति रोक लेते हैं और गोदाम की भांति उसका प्रयोग किया जाता है। रेल मंत्री को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि माल डिब्बों को रोकने वालों से नाम मात्र का विलम्ब शुल्क लेने के स्थान पर उतना भाड़ा लेना चाहिये जितना एक मात्र डिब्बे से उस समय के भीतर आय होनी थी यदि उसे रोका न जाता।

कुछ सदस्यों ने कार्मिक संघों के कार्यों की आलोचना की है। उन्होंने यहां तक कहा है कि मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ अप्रभावी हो गये हैं। सम्भवतः वह कार्मिक संघ के प्रभाव का अर्थ हड़तालें कराना और प्रदर्शन कराना लगाते हैं। यह बात उचित नहीं है।

रेल सेवा आयोग का गठन अवश्य किया जाना चाहिये। बिहार के सभी दलों के संसद सदस्यों ने इसकी बार बार मांग की है। यह आयोग पटना या दानापुर में स्थापित किया जाना चाहिये। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देकर समस्या को हल करना चाहिये।

बिहार से होकर जाने वाली डीलक्स गाड़ी उस क्षेत्र के लोगों की बहुत सेवा कर रही है। सप्ताह में दो बार के स्थान पर उसे पटना के रास्ते तीन बार चलाना चाहिये।

श्री पट्टाभिराम राव (राजामुद्री) : क्षेत्र और जनसंख्या के हिसाब से आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का सब से बड़ा राज्य है। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में नये नये उद्योग लगाने और नागार्जुन, पोचनपाद और श्री सेलम जैसी मुख्य परियोजनाओं के कार्य में प्रगति के फलस्वरूप यात्रियों और वस्तुओं के यातायात में हाल ही के वर्षों में अत्यन्त वृद्धि हुई है। अतः और नई लाइनें बिछाने तथा वर्तमान मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने की आवश्यकता है।

यह खेदजनक है कि हावड़ा-हैदराबाद और हैदराबाद-मद्रास जैसे लम्बे रास्तों पर भी गाड़ियां डीजल इंजनों के बगैर चलाई जाती हैं। उनका शीघ्र डीजलीकरण होना चाहिए। 43 डाउन और 44 अप गाड़ियां क्रमशः 8 घंटे 20 मिनट और 19 घंटों में 697 किलोमीटर दूरी तय करनी है। यह दूरी अत्यधिक हैं। इसे कम करने के उपाय करने चाहिये तथा यदि सम्भव हो उनमें डीजल इंजनों की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त यह गाड़ी शीघ्र चलायी जाये ताकि उसके बाद मद्रास से चलने वाली हावड़ा मेल में भीड़ भाड़ कम हो सके।

नई दिल्ली और हैदराबाद के बीच चलने वाली दक्षिण एक्सप्रेस को सम्भव स्थान पर पहुंचने में लगभग 36 घंटे लगते हैं। इसके चलने के समय को थोड़ा पहले करके और कम से कम स्थानों पर रोक कर समय की बचत की जा सकती है।

विशाखापट्टनम और बम्बई के बीच इस समय कोई गाड़ी नही चलती। हैदराबाद के रास्ते यहां भी एक तेज़ गाड़ी चलायी जानी चाहिये और इस में डीज़ल इंजन लगाया जाना चाहिये।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : यह बजट सामान्य बजटों की भांति ही है और रेल प्रशासन अथवा सरकार की प्रगतिवादी नीति का इससे कोई पता नही चलता है। इससे देश की अर्थ व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। माल भाड़े में वृद्धि से सामान्य कीमतों में भी वृद्धि होगी।

भावनगर-तारापुर लाईन बिछाने में बहुत ही विलम्ब हुआ है। यह परियोजना न केवल गुजरात राज्य के लिये महत्वपूर्ण है वरन सारे देश के लिए लाभकारी है क्योंकि इससे देश के पूर्वी भाग का सम्बन्ध पश्चिमी भाग से जुड़ जायेगा। यह परियोजना आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी है। अतः उसे कार्यान्वित किया जाना चाहिये। गुजरात राज्य के सभी मुख्य नगरों जैसे अहमदाबाद, बड़ौदा, भावनगर, राजकोट आदि के वाणिज्य संगठनों द्वारा इस परियोजना के कार्यान्वयन की मांग की जाती रही है। रेल मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं रेल मंत्री द्वारा पेश की गयी मांगों का समर्थन करता हूं। बजट भाषण में दर्शित रेलवे की उपलब्धियां सचमुच सराहनीय हैं लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो रेलों के बिछाये जाने की प्रतिक्षा कर रहे हैं। इन में से कुछ क्षेत्र सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं।

रक्षा मंत्रालय के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन में एक ऐसा रहस्य का उद्घाटन किया गया है जिसे पढ़कर उत्तर-पश्चिम भारत के संसद सदस्य बड़े हैरान हुए है। इसमें कहा गया है कि हमारा सैन्य संचालन दुर्भेद्य नही था और जिसके परिणाम स्वरूप हमें हानि हुई। इसी संदर्भ में उत्तर-पश्चिम भारत के 33 संसद सदस्य पहले प्रधान मंत्री और बाद में रक्षा तथा रेल मंत्री से भी मिले थे तथा उनसे कहा था कि संचार व्यवस्था की दूसरी रेलवे लाईन जो अम्बाला को नंगल और तलवाड़ाके रास्ते से पठानकोट तक जाए जल्दी और अवश्य बिछाया जाए और इस लाईन को नंगल जैम-तलवाड़ा लाईन से भी मिला दिया जाए।

मुझे प्रसन्नता है कि रेल मंत्री ने इस लाईन के सम्बन्ध में सर्वेक्षण प्रारम्भ करा दिया है और आशा है कि सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त होते ही कार्य शुरू हो जाएगा। मैं नही जानता कि रिपोर्ट क्या होगी परन्तु देश का विकास और उसकी रक्षा मुख्य बात है। यह देखा गया है कि जब भी युद्ध होता है उत्तर-पश्चिम भारत को ही अधिक नुकसान होता है। जम्मू, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और गुजरात आदि सीमावर्ती क्षेत्र है इसी कारण वहां युद्ध की स्थिति बनी रहती है। अतः इन क्षेत्रों के विकास और रक्षा की ओर तुरंत और विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

रक्षा संचार की लाईन सीमा से सम्बन्ध होनी चाहिए। हमने जिस लाईन को बनाने का सुझाव दिया है वह इसी प्रकारकी एक लाईन है और विभिन्न राज्यों के 10 सदस्ययों ने इसका समर्थन किया है।

1970 तक संसद सदस्यों की 16 क्षेत्रीय समितियाँ क्षेत्रीय प्रबंधको से परामर्श करने के लिए गठित की गई थी लेकिन अब इनकी संख्या घटा कर रेलों की संख्या के बराबर यानि 9 कर दी गई है। मेरा अनुरोध है कि इनकी संख्या पुनः 16 तक देनी चाहिए क्योंकि कम समितियों में सदस्यों की संख्या अधिक हो जाती है और प्रत्येक सदस्य को अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्राप्त नही होता है। यदि अच्छी तरह मामले पर चर्चा न हो तो समितियां बनाने का क्या लाभ।

[प्रो० नारायण चन्द पराशर]

हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध के जल में वृद्धि होने से एक रेल लाईन पानी में डूबने लगी है जिसे बंद किया जा रहा है। रेल मंत्री को चाहिए कि इसके साथसाथ नई लाईन के निर्माण के लिए तीन पारियों में काम शुरू करा दे ताकि ये काम शीघ्र खत्म हो जाये। जब तक दिल्ली से होशियारपुर होकर जालंधर तक एक सीधी मेल गाडी नहीं चलाए जाती तब तक काश्मीर मेल के साथ एक प्रथम श्रेणी का डिब्बा और जोड़ा जाना चाहिए और इस समय चल रहे तीसरे दर्जे के कोच को गाड़ी TO4 जे०एच० के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ताकि यात्रियों को स्टेशन पर प्रतीक्षा न करनी पड़े।

रेल बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन में 1971 के भारत-पाक युद्ध में उल्लेखनीय कार्य करने वाले रेल कर्मचारियों का उल्लेख है जिन्होंने शौर्य चक्र, वीर चक्र और पद्मश्री प्राप्त की है। ऐसा उल्लेख करते समय उन कर्मचारियों के नाम भी लिखे जाने चाहिए।

रेलों के सम्बन्ध में एक खेदजनक बात यह भी है कि रेलवे के अन्तर्गत तीन इन्टरमीडिएट कॉलेज हैं। 50 हाईस्कूल और हायर सकैण्डरी स्कूल हैं परन्तु एक भी डिग्री या स्नातकोत्तर कॉलेज नहीं है। मंत्री महोदय को चाहिए कि अगले वर्ष के दौरान कम से कम एक डिग्री कालेज और विज्ञान की शिक्षा का कालेज अवश्य खोलें ताकि रेल कर्मचारियों के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

Shri Genda Singh (Padrauna) : Mr. deputy speaker, Sir the matter which I want to raise concerns not only me but crores of people. The bridge on Bari Gandak broke down in 1924 and it was left unrepaired by British people as a venegance against the people of U.P. and Bihar. It has not been reconstructed since them.

District Champaran laid the foundations of independence but it has suffered the most by not complection of the said bridge. This project will cost less than Rs. crore. This bridge will connect U.P. and Bihar and Nepal and will also be benefitted by it. Therefore this bridge should be reconstructed as early as possible.

Shri Ram Bhagat Paswan (Rosera) : First of all I want to congratulate the hon. Railway Minister for presenting this railway budget, which is based on socialist pattern. Railway is the backbone of the country. Maximum funds should be allocated for the development of railways in the country.

No development work regarding laying down new railway lines have so far been undertaken in the backward areas of North Bihar. No doubt some new stations have been constructed on old railway lines but now a single new line has been introduced. Railway line is needed badly there. I appreciate that a decision to lay down a new railway line from Hasanpur to Sakri and Jhanjharpur to Lokha Bazar has recently been taken. The work in regard to it should be undertaken at the earliest because the people of north Bihar are suffering a lot due to famine. It will help in providing employment to people in this famine prone area.

Work in regard to conversion of a narrow gauge from Samastipur to Jainejapur should be immediately started.

Baidyanathdham is a centre of pilgrimage for Hindus. A direct train should be provided from Smastipur to Baidyanathdham so that pilgrims may have some convenience.

Rosera has now become a sub-divisional town and all trains should halt there. Punctuality of trains should be improved in North Eastern and Eastern Railways. Arrangements should be made that assistance of R.P.F. could be utilised by station masters in times of emergency and accidents.

Bungling and injustice in the matter of recruitment of Harijan candidates in Class II and IV services in railways should also be removed. The bridge on ganga at Patna which is under construction, should be constructed as rail-*cum*-road bridge.

I also demand that a railway service commission should be set up in Bihar. A station should be erected at Simarighat to facilitate the passengers coming from long distance. It was said in the consultative committee that the station will be constructed near the ghat but so far it has not been erected.

श्री धामनकर (भिवंडी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेलवे बजट का समर्थन करता हूं। रेल मंत्री ने केवल दो सप्ताहों के भीतर बजट को तयार किया है इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। बजट का अपना ही दृष्टिकोण है पहले कुछ रेलवे लाईनों की घोषणा के सम्बन्ध गलतफहमी थी पर सदन में उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य से यह गलतफहमी अब दूर हो गई है देश के किसी भी भाग में यदि रेलवेलाईन बिछाई जाती है तो इस सभा का प्रत्येक सदस्य उसका स्वागत करेगा।

माल परिवहन की भाड़ा आय प्रतिवर्ष कम होती जा रही है। इसके लिए दो कारण है। एक तो मालडिब्बों की कमी है, दूसरे मालडिब्बों के आबंटन में गड़बड़ी।

रेलवे वर्कशापों में मालडिब्बों के उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए। कई ऐसी ग़ैर सरकारी कम्पनियां भी हैं जो इन मालडिब्बों का उत्पादन करती है।

किन्तु इन सभी संस्थाओं के उत्पादन में प्रति वर्ष कमी हो रही है। ऐसा केवल इस्पात की कमी के कारण नहीं हो रहा है। मैं इस संबंध में एक उदाहरण देता हूं। अम्बरनाथ में एक के० टी० स्टील उद्योग है। वहां पर पिछले वर्ष हड़ताल हुई थी। मज़दूर अपनी देय राशि की मांग कर रहे थे जो कि उन्हें नहीं दी गई थी और जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी हुई। कई लोगों की जानें गई और मालडिब्बों के उत्पादन में गिरावट आ गई। यदि सरकार इस संस्था का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकती है तो उसे इसका सरकारीकरण कर देना चाहिए।

पांचवी पंचवर्षिय योजना में रेलवे ने उपरि पुल के निर्माण के लिए 50 करोड़ रूपये की मांग की है। यदि तत्काल ही उपरि पुल बनाना संभव नही है तो जहां जहां रैलवे में विद्युतीकरण पूरा हो गया है वहां सामान्य फांटकों के साथ स्वंचालित फाटक लगाए जाने चाहिए। अम्बरनाथ और शहीद में लगाए गए स्वचालित फाटकों से काफी राहत मिली है। बम्बई से कारजट और कासरा तथा चर्चगेट से वापी तक सभी रेलवे फाटकों पर स्वचालित फाटक लगाए जाने चाहिए।

विना टिकट यात्रा से रेलवे को बहुत राजस्व की हानि हो रही है। इस संबंध में कडा दण्ड देने पर कभी विचार नही किया गया है। मेरा सुझाव है कि लम्बे फासले वाली गाडियों के हरेक डिब्बे में एक कंडक्टर गार्ड होना चाहिए ताकि किरायों में की जाने वाली चोरी से बचा जा सके।

तृतीय श्रेणी के किराए में यदि 15 किलोमीटर की बजाय 30 किलोमीटर तक छूट दी जाय तो इससे उपनगरीय यात्रियों को राहत मिलेगी। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के उपनगरों के यात्री प्रतिदिन रेल सेवाओं का प्रयोग कार्यालय जानेहेतु करते है। यह यात्री प्रतिदिन 30–40 मील का सफर इसलिए तय नही करते है कि उन्हें सफर का शौक है परन्तु इसलिए करते है कि शहर में आवास की सुविधा उपलब्ध नही है और इसलिए उन्हें उपनगरों में रहना पड़ता है। स्थानीय गाड़ियों में अधिक भीड़-भाड़ को दूर करने के लिए इन गाडियों में बसवारी डिब्बे होने चाहिए।

बम्बई और पूना के बीच चलने वाली "डेक्कन क्वीन" में सभी सोटों का आरक्षण करने का जो प्रस्ताव रखा गया है उसका स्वागत है। किन्तु व्यापार या कार्यालय के लिए बम्बई पूना के बीच यात्रा करने वाले सीज़न टिकट धारकों को कोई परेशानी नही होनी चाहिए पहले की तरह इनके लिए दो डिब्बे आरक्षित होने चाहिए और कोई अतिरिक्त शुल्क उनसे नही लिया जाना चाहिए।

Shri N. K. Sinha (Muzafarpur) : I congratulate the hon. Minister for taking over the portfolio of Ministry of railways. I hope by his wisdom and fore-sightedness he will be able to do away the shortcomings of this department.

[Shri N. K. Sinha]

An hon. Member has said that there is no imaginativeness in this railway budget. In this context I would like to draw the attention of the hon. Member to page 17 of the railway budget. It says:

> "The principle that transportation infra-structure must evolve along the pattern determined by pre-existing economic viability needs to be modified to the extent that very often the creation of infra structure themselves lead to additional demand and increased commercial prospects. In selected areas the calculus of short term economic returns must yield place to the long term benefits through a policy of deliberate developmental expenditure".

Has such a thing ever been mentioned by any ex-railway Ministers ? If every rise in taxes is criticised here it will not be fair because railways have to work under great difficulties.

There is capital at large amounting to Rs. 3,380 crores in the Railways and it has increased three times during the last twenty years whereas the rate of dividend has also increased four times. The Railways, being the largest public undertaking has to bear a social burden and offer certain facilities even though they have to incur a loss of Rs. 130 crores Nevertheless no freight on foodgrains or salt or the fare of suburban railway has been increased.

It is true that there is scope for improvement of operational efficiency in Railways. A cell has been set up for that purpose and it has started its work.

Members of Railway Board are being criticised a lot. These officers do have their position in the world because countries like Zambia and others seek expertise from us for the development of railways in their respective countries.

It is not correct to say that our factories have not achieved production targets. The Integral coach factory at Perambur has achieved the target. We are today exporting wagons and electrical engines. Railways should be congratulated for this. If our workers are demoralised in such a way it will not do any good.

Railways have created their capacity for transportation of goods accordingly to the demand placed by other Ministries but it remains unutilised because they do not fulfil their commitment. It is no fault of the railways. An hon. Member has asked why do the Railways want to increase their capacity. It is obvious that during fifth five year plan trade will certainly expand and to meet the increasing trade Railways must increase their capacity.

The target for the completion of samastipur—Barabanki line should be strictly adhered to.

We will be able to provide irrigation facilities to twenty nine lakh acres of land on completion of Gandak scheme, The proposal for laying down railway line from Hajipur to Sugoli should be earnestly implemented.

Shri Ambesh (Ferozabad) : Mr. Deputy speaker, Sir I rise to suport the railway budget. Railways have always been the target of public resentment for any reason with the result they always suffer heavy passes.

Third class passengers has to face many difficulties in railway travel. There is overcrowding in trains. Wagons are not available to businessmen.

Several fast trains like Rajdhani Express have been introduced for a very small number of passengers. Lot of expenditure has been incurred for modernisation of tracks for the trains which has only 6 coaches for passengers. It would have been better if trains with large number of bogies worked have been introduced which could have carried a larger number of passengers.

Every year freights are increased to enable the railways to carry more goods. It is said that they will carry this year about 95 lakhs of tonnes of goods but it appears that they will not be able to carry more than 50 lakhs of tonnes. wagons are being misused and all sorts of

malpractices are being followed in the movement of wagons. Wagons should not be detained longer than required and they should be unloaded at the earliest in order to more further. P.W.I. and I.O.W. take lot of time in unloading the wagons. Therefore the shortcomings in the system should be removed as early as possible.

It is said that false indents are made for the supply of wagons. I don't deny it and it is being done only due to the fact that wagons are not available. Businessmen are facing lot of inconvenieces. They think if they will write for 10 wagons they will be able to get two only. Agra supplies pulses and oil, but due to the shortage of wagons these necessary things are also not being transported to the other parts of the country with the result people are suffering.

The expenditure on the repair of coaches has been increasing every year. It has risen from Rs. 298 crores in 1971-72 to Rs. 364 crores in 1973-74. One cannot understand how there can be a rise 20 percent when the number of wagons and engines is not increasing of new lines are being laid down.

There is no need of full time Railway advisers in foreign countries when our imports have dwindled from 80 percent to 10 percent. Lakhs of rupees are spent on survey work for conversion of gauge. It will be better if new lines are laid down instead of converting narrow gauge into broad gauge.

Shri Panna Lal Barupal (Gangaa Nagar) : Mr. Deputy Speaker, Sir I also rise to support this Railway Budget and I am thankful to you that you have given me chance to express my views on the subject.

Shri Lal 'j' Bhai : Sir there is no quoram !

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है। अब कोरम गया।

Shri Panna Lal Barupal : It is quite true that there is shortage of wagons because of which the regular supply of essential commodities is being hampered. My area has been badly affected by famine and shortage of wagons is causing lot of inconvenince in transportation of food grains. The Minister should pay attention towards this matter.

Essential amenities like shed, drinking water, latirines etc. are not provided at Sarai Rohilla stations. Arrangement should be made to provide these fasilities.

When Bikaner State railway was merged in the Indian railway, then Maharaja Ganga Singh's railway workshop was also taken over and an agreement was made that in regard to the appointments in workshop people of Bikaner will be given preference, now I wish that in this workshop local people should be recruited as Class IV employees. If it can undertake the work of manufacturing small components, it can provide employment to the people of Bikaner.

Railway level crossing should properly be manned. The conditions of the harijan and Tribal people is the same after twenty-five years of independence. Not a single harijan is C.P.O. or engineer. Harijans should be given proper representation in railway service.

Since there is shortage of time I finish with the words that corruption in the Railway should be eliminated.

Shri Umed Singh Rathia (Raigarh) : I rise to support the Railway Budget. In Madhya Pradesh Korba is a very large centre for generation of electricity and therefore a railway line should be laid connecting Korba with Ranchi via Dharmajaygarh and Jaspur Tehsil which has large deposits of Thorium, Urium, gold and other minerals. The railway line is Surguja district should be connected with Nagpur Howrah line at Raigarh via Ambikapur, Sitapur, Pathagaon and Lelunga. This will help the poor cultivators and workers of this drought stricken area.

Shri Sadhu Ram : Railway Budget proposals are a welcome measure.

Nothing has so far been done in regard to several representations to halt De-luxe train at Phaghwara in the district of Jullundur.

I have requested several times that Kashmir Mail should halt at Phaguwara while coming from Pathankot. Delux should also stop there. About 12 lakhs persons will be benefitted from it.

I had also written for bringing improvement in the Beas station. I raised this matter in the consultative committee also. But nothing has been done in this regard so far.

About six thousand people have to go to Jullundur or Ludhiana for earning their livilihood from Phittaur. Flying Mail should stop here. If in any case it is not possible to halt this Mail here same alternative arrangements should be made. Thousands of students have to go to Jullundur to attend their colleges. Some new trains should also be introduced for Raho stations. Chandigarh should be brought on the main rail line. Rohar should be linked by rail with chandigarh. If new lines are laid in Punjab, Rajasthan or Haryana I am sure it will help us in an military operation against Pakistan. There should be no increase in the Third Class Fare upto fifty miles. Justice should be done to the scheduled caste employees who are in the service of the railways. Vacancies reserved for them and not filled up.

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : I rise to supoprt the railway budget. The Bundelkhand area, which is a backward area, is being ignored. We have been demanding railway line from Tikamgarh to Ratna via Chhatarpur and Panna. timber, fish and vegetables are found in abandance in this area. Deposits of Mangenese one have also found in this area recently. I would request the hon. Railway Minister to pay some attention to this area also.

One express train should be introduced between Jhansi and Allahabad. One Express train hould also be introduced between Lucknow and Bombay. Taj Express should be extended upto Jhansi so that people desirous of visiting Khajurao may get the bus from Jhansi in the morning. Dakshni Express should stop at Lahitpur. Some sections of the railway workshop, Jhansi have been shifted to Bombay. They should be brought back to Jhansi.

We have been constantly receiving complaints about the discrimination being meted upto scheduled caste's people in regard to the promotion. The hon. Minister should see that no injustice is done to there people so far as promotion is concerned. A separate Service commision for Bihar should be set. Examination centre should be set up at different places and candidate from there different centres should be selected.

श्री आर० एन० बर्मन (बलूरघाट) : बलूरघाट से बरास्ता गजल, मालदा तक रेल लाइन बिछाई जानी चाहिए। यह मांग बहुत समय से की जा रही है। इस बारे में आश्वासन भी दिया गया था परन्तु सरकार ने इसे क्रियान्वित नहीं किया है। सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया है परन्तु मैं नहीं जानता कि यह सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा होगा। मुझे आशा है कि वर्तमान रेल मंत्री इस बारे में कुछ कार्यवाही करेंगे। मेरा क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और इसमें अधिकतर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग ही रहते हैं। मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र में रेल लाइन बिछाने के कार्य को वरीयता दी जाये।

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं आपका आभारी हूं ....

उपाध्यक्ष महोदय : वह सोमवार को अपना भाषण जारी रखें।

संविधान (संशोधन) विधेयक—जारी

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुबन्ध 19,22 आदि का संशोधन)

अध्यक्ष महोदय : श्री ए० के० गोपालन द्वारा 23 फरवरी, 1973 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : ऐसा लगता है कि श्री गोपालन ने यह विचार जनसंघ दल से लिया है क्योंकि सर्वप्रथम जनसंघ ने ही यह मांग की थी कि मत देने की आयु को 21 से घटा कर 18 वर्ष किया जाये। यह मांग भी जनसंघ ने की थी कि लोगों को कार्य करने तथा जीविका अर्जित करने का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए मैं श्री गोपालन को बधाई देता हूं।

Shri Laljibhai (Udipi) : Sir There is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई गई है। अब कोरम है। माननीय सदस्य भाषण जारी रखें।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : ऐसा लगता है कि श्री गोपालन ने कांग्रेस से भी कुछ विचार लिए हैं। कांग्रेस दल सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करने पर विचार कर रही है। भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून पहले ही बनाया जा चुका है। शहरी संपत्ति की सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी विधेयक भी शीघ्र ही लाया जायेगा। श्री गोपालन ने दसवीं निःशुल्क शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा तथा समान कार्य के लिए समान वेतन आदि सुविधाएं दिये जाने की मांग की है। कांग्रेस सरकार इस पद पर पहले ही अग्रेसर है। यदि श्री गोपालन के संशोधन को स्वीकार कर लिया जाता है तो समूची भारत सरकार एक समाजकल्याण विभाग बन जायेगा। श्री गोपालन ने यह भी कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को पिस्तौल तथा राइफिल जैसे हथियार दिये जाने चाहिए। मैं नहीं जानता कि इस मांग से उनका उद्देश्य क्या है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आंध्र और तमिलनाडु में 1949-1952 के बीच क्या कुछ हुआ है और नक्सलवादियों ने क्या कुछ किया है। इससे समाज-विरोधी तत्वों को ही लाभ होगा। जहांतक सरदारों द्वारा अपने पास तलवार रखने का सम्बन्ध है उनको उनके गुरु से अनुशासन में रहने का प्रशिक्षण मिला हुआ है। इससे पूर्व कि लोगों को हथियार दिये जायें उन्हें अनुशासन में रहने का प्रशिक्षण देना होगा। कांग्रेस सरकार गरीब लोगों को भूमि देने के लिए वचनबद्ध है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : इस बारे में श्री गोपालन द्वारा 9 जुलाई 1971 को नोटिस दिया गया था और विधेयक 5 अगस्त 1971 को पुनरस्थापित किया गया था। इसके बाद संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान का 25 वां संशोधन पारीत किया गया और 20 अप्रैल 1972 को यह कानून बन गया। माननीय प्रास्ताविक ने इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लेख नहीं किया है। अपने विधेयक के माध्यम से वह अनुच्छेद 19 और 31 में कुछ संशोधन करने चाहते हैं। माननीय सदस्य ने अपने विधेयक में जो कारण बताये है उन्हीं कारणों से 25वां संशोधन पास किया गया था। यह कारण हैं सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करना, उत्पादन साधनों का सरकारी-करण तथा महत्वपूर्ण उद्योग का राष्ट्रीयकरण। अतः माननीय सदस्य ने अपने विधेयक में जिन उद्देश्यों का उल्लेख किया है उनकी पूर्ति बहुत हद तक संविधान के 25 वें संशोधन से हो जाती है।

विधेयक के खण्ड 3 में वह अनुच्छेद 39,41 और 43 अनुच्छेद में दिये गये निदेशक सिद्धान्तों को मूल अधिकारों के अध्याय में लाना चाहते हैं; ऐसा होने से उन अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मे-दारी हो जायेगी। इस से सरकार पर वित्तीय बोझ भी बढ़ जायेगा। वह एक अन्य अनुच्छेद 19क जोड़ना

[श्री नीतिराज सिंह चौधरी]

चाहते हैं। इससे वह 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने वालों को काम का अधिकार तथा निर्वाह मजूरी देना चाहते हैं तथा बेरोजगारी, वृद्धा अवस्था, बीमारी, असमर्थतता के मामलों में सहायता देना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि संविधान के अनुच्छेद 41 में इस प्रकार व्यवस्था है। परन्तु ऐसा सरकार को अपनी अधिक क्षमता को देखते हुए ही करने को कहा गया है। अतः यदि माननीय सदस्य की बात को स्वीकार कर लिया जाता है तो उनकी व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी हो जायेगी। इससे सरकार का वित्तीय बोझ बढ़ जायेगा।

जहांतक काम के अधिकार तथा निर्वाह मजूरी का सम्बन्ध है इस मामले पर सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। देश में धीरे धीरे रोजगार के अवसर बढ़ाये जा रहे हैं।

1971 के जनगणना के अनुसार देश में 60 वर्ष से अधिक की आयु वालों की संख्या 3,26,92,765 थी। यदि माननीय सदस्य के प्रस्ताव को मान लिया जाये तो लगभग एक करोड़ व्यक्तियों को वृद्धा अवस्था पेंशन देनी पड़ेगी। इसका अर्थ है 365 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय। अब प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऐसा करना सम्भव है? कुछ राज्य पहले ही यह पेंशन दे रहे हैं। यह राज्य विषय है। कुछ राज्यों ने पेंशन देना आरम्भ कर दिया है।

माननीय सदस्य चाहते हैं कि हायर सैकेन्डरी तक निःशुल्क शिक्षा दी जाये और शिक्षा के विषय को मूल अधिकारों में शामिल किया जाये। आंध्र प्रदेश में लड़कों के लिए दसवीं श्रेणी तक तथा लड़कियों के लिए 12वीं श्रेणी तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। इसी प्रकार बिहार में लड़कों के लिए 7 वीं तथा लड़कियों के लिए 8 वीं श्रेणी तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। हरियाणा में 8वीं श्रेणी तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। मैसूर तथा महाराष्ट्र में भी कुछ हद तक बच्चों के लिए निःशुल्क की व्यवस्था है।

इस समय 540,00,000 विद्यार्थी, प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा पाते हैं। अतः इन सब को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है 1980-81 तक 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का हमारा लक्ष्य है।

जहां तक निःशुल्क चिकित्सा सहायता देने का प्रश्न है मेरा निवेदन है कि यह एक राज्य विषय है। इस समय अस्पतालों में 269,400 बिस्तरों की व्यवस्था है। हम प्रति हजार दो बिस्तरों की व्यवस्था करने के प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमें 12 लाख बिस्तरों की आवश्यकता होगी।

जहां तक समान कार्य के लिए समान वेतन को मानने का प्रश्न है हम पहले ही अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की इस सम्बन्धी सिफारिश को स्वीकार कर चुके है। इसके अनुसार समान कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा महिलाओं को समान मजूरी दी जायेगी। इस सिद्धान्त को 1951 में स्वीकार किया गया था।

विधेयक का मुख्य उद्देश्य प्रस्तावित अनुच्छेद 19 क के उपखण्ड (7) में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को हथियार रखने का अधिकार होना चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि यह अधिकार तभी दिया जा सकता है जबकि प्रत्येक व्यक्ति हथियार रखने की स्थिति में हो। यदि अभी इस बात को स्वीकार कर लिया जाता है तो अमीर लोग तो यह हथियार खरीद लेंगे परन्तु गरीब लोग ऐसा नहीं कर सकेंगे। अभी देश की स्थिति में भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः इस निर्णय पर पुनःविचार करने का कोई कारण नही है।

माननीय सदस्य अनुच्छेद 22 को भी समाप्त करना चाहते है जिससे सरकार के पास निवारक निरोध के अधिकार न रहें। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि देश में समाज-विरोधी तत्व गड़बड़ उत्पन्न करते रहे हैं और विधि व्यवस्था को बनाये रखना कठिन हो जाता है। अतः भविष्य में ऐसी बात न हो इसके लिए इस उपबन्ध का बने रहना आवश्यक है। यह ठीक है कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

सरकार इन सभी बातों को देखते हुए श्री गोपालन द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकती ।

उपाध्यक्ष महोदय : लाबी खाली कराई जाये प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

लोकसभा में यह विभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided

पक्ष में	15	Ayes 25
विपक्ष में	72	Noes 72

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव को अपेक्षित बहुमत नहीं मिला ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived

मृत्यु दण्ड उत्सादन विधेयक

ABOLITION OF CAPITAL PUNISHMENT BILL

श्री नरेंद्र कुमार सांघी (जालौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मृत्यु दण्ड के उत्सादन का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस मामले पर लोगों के मन क्षुब्ध हैं और वर्तमान समाज को देखते हुए हमें मृत्यु दण्ड को खत्म करना चाहिए ।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
SHRI K. N. TIWARY *in the chair*]

यूरोप के तथा अन्य महाद्वीपों के अन्य देशों में मृत्यु दण्ड को पहले ही समाप्त किया जा चुका है । हमारे देश में भी इस मामले पर बहुत समय से चर्चा चल रही है । 1931 में पुरानी विधान सभा में इस मामले को श्री गया प्रसाद सिंह ने उठाया था । इस से पहले बिहार में रोहतात का एक मामला हुआ था जिसमें पांच व्यक्तियों को मृत्यु दण्ड दिया गया था । बाद में पता लगा कि इन व्यक्तियों का कोई दोष नहीं था । अतः इसी कारण से श्री गया प्रसाद सिंह ने 1931 में यह मामला पुरानी विधान सभा में उठाया था ।

1958 में श्री पृथवी राज कपूर ने राज्य सभा में एक संकल्प प्रस्तुत किया था जिसे वादविवाद के पश्चात वापस ले लिया गया था । 1961 में श्रीमती सावित्री निगम द्वारा इसी आशय का एक संकल्प प्रस्तुत किया गया था । यह अस्वीकृत हो गया था । 1962 में श्री रघुनाथ सिंह ने लोक सभा में इस आशय का एक संकल्प प्रस्तुत किया था । चर्चा के बाद यह मामला विधि आयोग को सौंपा गया था । इस आयोग का प्रतिवेदन 1967 में प्राप्त हुआ था ।

श्री शंकरराव सावंत (कोलाबा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह मामला भारतीय दण्ड संहिता विधेयक के संयुक्त समिति के विचाराधीन है । अतः इस पर यहां चर्चा करना आवश्यक है ।

सभापति महोदय : इस में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री नरेंद्र कुमार सांघी : प्रतिवेदन में कहा गया है कि भारत की परिस्थितियों तथा देश में नैतिकता के स्तर तथा शिक्षा में भेदभाव तथा विधि व्यवस्था को बनाये रखने की अत्यधिक आवश्यकता को देखते हुए अभी मृत्यु दण्ड समाप्त नहीं किया जा सकता। यह सारा विचार सामाजिक असमानता पर आधारित है। आयोग के विचार में गरीब लोगों द्वारा ही अपराध किये जाने की सम्भावना है। क्या गरीबों को यह दण्ड देते रहना ठीक होगा? क्या इसी कारण मृत्युदण्ड समाप्त नहीं किया जा रहा। अनेक छोटे देशों ने मृत्यु दण्ड खत्म कर दिया है। यदि किसी छोटे देश के लिए इस को समाप्त करना अच्छा है तो ऐसा करना बड़े देश के लिए भी अच्छा है।

यह भी कहा गया है कि विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए भी इस दण्ड को समाप्त नहीं किया जा सकता। मेरे विचार में यह तर्क वैध नहीं है। ऐसा लगता है कि यह तर्क देते समय साधारण व्यक्ति के दृष्टिकोण को समक्ष नहीं रखा गया है।

समय की मांग है कि मृत्युदण्ड को समाप्त किया जाये। किसी व्यक्ति की हत्या करना एक घृणित अपराध है। मेरे विचार से उस व्यक्ति को फांसी की सजा देना उससे भी घृणित अपराध है। क्या समाज को इसका अधिकार है? ऐसे भी मामले सामने आये है, जब लोगो को बिना किसी अपराध के मृत्यु दण्ड दिया गया है।

कुछ लोगों ने मृत्यु दण्ड की वकालत की है उनका कहना है कि मृत्यु दण्ड लोगों के दिमाग में भय उत्पन्न करना है, जो उन्हें अपराध करने से रोकता है।

भारत के लोगों की अहिंसावादी प्रवृत्ति है। हमारा देश बुद्ध, गांधी और सम्राट अशोक का देश है। हमने हमेशा अहिंसावादी रुख अपनाया है।

अनेक देशों जैसे लैगजमवर्ग, बेल्जियम, पुर्तगाल, नीदरलैंड, इटली, नार्वे, स्वीडन, डेनमार्ग, स्वीटजरलैंड और ब्रिटेन (प्रयोगात्मक रूप में) में मृत्यु दण्ड समाप्त कर दिया गया है। लेकिन अब 1969 में ब्रिटेन में भी मृत्यु दण्ड अन्तिम रुप से समाप्त कर दिया गया है।

हमने समयानुसार संविधान में संशोधन किया है। हमें मृत्यु दण्ड को भी समयानुसार समाप्त करना चाहिये।

भारत में आज आधुनिक प्रवृति अपराधियों में सुधार करने की है। आज हम अपनी जेलों की दशा में सुधार कर रहे हैं।

अधिकांश हत्याएं पहले से सोच विचार कर नहीं की जाती। वे जोश में आकर की जाती है। सामाजीक परिस्थितियों से तंग आकर लोग हत्याएं करते हैं। अतः यह सरकार की जिम्मेवारी है कि वह अपराधी अथवा हत्यारे को मृत्यु दण्ड दिलवाने की बजाये उसमें सुधार करे। मृत्यु दण्ड के कारण उसके परिवार के सदस्य मुसीबत में पड़ जायेंगे। अब समय आ गया है, जब हमें इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

जहां तक सम्भव होता है किसी भी मामले में न्यायाधीश अपराधियों को फांसी की सजा नहीं देना चाहते। अधिकांश मामलों में वे फांसी की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर देते हैं। यदि किसी अपराधी को फांसी की सजा दी भी जाती है तो वह उच्च न्यायालय में अपील करने पर आजीवन कारावास में बदल जाती है। अतः हमारा यह अनुभव है कि कोई भी व्यक्ति, चाह वह न्यायाधीश हो, वकील हो अथवा राज्यपाल या राष्ट्रपति, यह नहीं चाहता कि किसी अपराधी को फांसी की सजा दी जाये।

वर्ष 1968 में 225 व्यक्तियों को मृत्यु दण्ड दिया गया जिसमें से 154 व्यक्तियों की सजा राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा कम कर दी गई।

वर्ष 1969 में दया की 7 याचिकाएं थीं जो सभी स्वीकार कर ली गई और फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया।

इन परिस्थितियों में मृत्यु दण्ड को समाप्त करने में क्या हर्ज है। सरकार अपराधी को 14 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष का कारावास दे सकती है।

दस्यु तहसीलदार सिंह का सारे मध्य प्रदेश में आतंक था। वह बहुत कुख्यात डाकू था। उसने अनेक हत्याएं की थी। उसने सब प्रकार की बर्बरता से काम लिया था। लेकिन अन्त में उसे आजीवन कारावास दिया गया। मध्य प्रदेश में बहुत से डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया है। मुझे पूरी आशा है कि उन्हें आजीवन कारावास दिया जायेगा। यद्यपि कानून में संशोधन नहीं किया जा रहा है। अतः अब मृत्यु दण्ड के बारे में पुनः विचार किया जाना चाहिए।

जिस किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति और राज्यपाल से सम्बन्ध होता है, वह सजा को कम कराने में सफल हो जाता है। लेकिन उस गरीब व्यक्ति का क्या होता है जिसके पास धन नहीं है और जो दया याचिका भेजने में भी समर्थ नहीं है।

प्रधान मंत्री ने भी इस मामले को विवादास्पद बताया है। इस विषय पर इस सभा में चार बार चर्चा हो चुकी है। [अनेक देशों ने इस पथ का अनुकरण किया है और यदि हम भी एसा करें तो कोई हानि नहीं।

ब्रिटेन में जब मृत्यु दण्ड समाप्त किया गया था तो संसद में इस विषय पर चर्चा करते समय कहा गया था "कि हम पांच वर्ष तक इस मामले का परीक्षण करेंगे" और 1969 में इस विषय पर पूर्नविचार करके स्वतंत्र मतदान द्वारा मृत्यु दण्ड समाप्त कर दिया गया। स्वतंत्रता की 25वी वर्ष गांठ पर मृत्यु दण्ड समाप्त कर हमें यह विशेष सुधार करना चाहिये।

हाल ही में भारतीय दण्ड संहिता और भारतीय अपराध प्रक्रिया संहिता में मृत्यु दण्ड के बारे में संशोधन किये गये है। जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को मृत्यु दण्ड देने के लिये कारण बताना अनिवार्य होगा। यदि कोई न्यायाधीश इसका कारण नहीं बताता, तो मृत्यु दण्ड गैर-संवैधानिक होगा।

गांधी जी ने 19 मार्च, 1937 को 'हरिजन' में लिखा था कि "मैं मृत्यु दण्ड को अहिंसा के विरूद्ध मानता हूं"। अतः एक हत्यारे को सुधार गृह में भेजा जाना चाहिये जिससे उसे सुधरने का अवसर मिल सकें।

यह एक सामाजिक विषय है। जब हम डाकुओं की समस्या पर भिन्न दृष्टि कोण से विचार कर सकते हैं या भारतीय दण्ड संहिता में परिवर्तन किया जा सकता है तो मुझे आशा है कि सभा इस विधेयक पर गम्भीरता से विचार करेगी और इस विधेयक को पारित करेगी।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि मृत्यु दण्ड उत्सादन विधेयक पर विचार किया जाये"

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"विधेयक पर 1 अक्तबर, 1973 तक राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाये"

सभापति महोदय : यह संशोधन सभा के सम्मुख है।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। जब हम समाजवाद की बातें करते हैं, तो हमें मृत्यु दण्ड को समाप्त करना चाहिये। इससे हमारी गरिमा बढ़ेगी।

हमें यह जानना चाहिये कि मनुष्य जन्म से ही अपराधी नहीं होता। परिस्थितियां उसे अपराधी बना देती हैं। हमारे देश में निर्धनता, बेरोजगारी और ऊंचे मूल्य है जिसके कारण असंतोष फैला हुआ है और इसके परिणामस्वरूप आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। इन परिस्थितियों में परिवर्तन कर लोगों को जीने का अधिकार देना चाहिये जिससे वे सुख से रह सकें और किसी व्यक्ति को भी अपराधी बनने के लिये मजबूर न होना पड़े।

इस बात को ध्यान, मे रखते हुए हमें मृत्यु दण्ड समाप्त कर देना चाहिये।

Shri R. R. Sharma (Banda) : No country should have the right to take anybody's life. In the modern age we should adopt the policy of reforming the criminals. A murderer should be kept in prison for a long time instead of giving him capital punishment. I am of the view that crime is like a disease and the Government should find out the reasons behind a particular crime.

In many countries of the world capital punishment has been abolished and they felt no difficulty in it. Many of the important jurists have recommended to go away with the capital punishment. I will request the Government to accept shri Sanghi's Bill and abolish Capital Punishment.

Shri M. C. Daga : I am of the view that the present Bill should be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon. We should try to know the reaction of the public in this regard.

The Law Commission has considered this matter and has stated in its report that in case capital punishment is abolished, no fear will remain in the mind of the murderer. The commission has further stated that the Capital Punishment should continue till the society is not fully Civilized. It has also stated that some countries have to reimpose capital punishment after abolishing it.

Today the man is not God fearing. Formerly, if a man committed suicide he used to repent afterwards. We should seriously think before taking any step in this direction. We should decide the cases on merits in which death punishment should be given and the cases in which death punishment should be abolished. We should not think that we are taking a revolutionary decision.

The judges award capital punishment after careful consideration. It is only awarded in exceptional cases. Therefore, we should consider this point very carefully, before taking any decision in this respect. We should not take any decision in haste. We should not take immediate decision that the capital punishment should be abolished, (**interruptions**).

Shri Vasant Sathe (Akola) : It is true that most of the murders are not pre-determined. They are done under provocation. They should not be given death punishment. But there are persons who commit murders in cold blood. They have no right to live in the society and they should be given capital punishment. Some people by removing fishplates put thousands of people's life in danger. It is a very serious offence and those people have no right to live in the Society (**interruptions**) The people who play with the life of others by adulteration have no right to live in the Society. So I am of the view that capital punishment should be abolished in cases where a murder has been committed without predetermination but it should not be abolished in case where it has been predeteremined.

***श्री ई० आर० कृष्णन** (सलेम): विधेयक के पक्ष में यह दलील दी गई है कि अनेक देशों में मृत्यु दण्ड समाप्त कर दिया गया है। लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि अनेक देशों ने मृत्यु दण्ड फिर से लागू कर दिया है। श्री सांधी का दूसरा तर्क यह है कि यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दण्ड दे दिया जाता है, तो उसको सुधारने का अवसर हाथ से निकल जाता है। जिस मनुष्य ने हत्या की हो उसे सुधारना कैसा ? इसी सभा में श्री नेहरू ने कहा था कि "कालाबाजार करने वाले व्यक्तियों को फांसी पर लटका दिया जाना चाहिये।"

वास्तव में हत्यारे को दी जाने वाली फांसी की सजा दूसरे ऐसे ही व्यक्ति के लिये एक चेतावनी का काम करेगी। इससे लोगों के मन में कुछ भय बना रहेगा जो उन्हें ऐसे जघन्य अपराध करने से रोकेगा।

इंग्लैंड में मृत्यु दण्ड समाप्त करने का अभियान 1750 में आरम्भ हुआ था और इस सम्बन्ध में हाऊस आफ कामन्स द्वारा 4 दिसम्बर, 1964 को एक अधिनियम पास किया गया था। अनेक देशों में मृत्यु दण्ड समाप्त हो गयी है लेकिन देश की सुरक्षा के विरूद्ध कार्य करने वालों को अभी भी मृत्यु दण्ड दिया जाता है।

भारतीय दंड संहिता के उपबन्धों के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी अपराधों, हत्या और डकैती तथा हत्या के मामलों में मृत्यु दंड दिया जाता है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस बात पर कई बार जोर दिया था कि भारतीय दंड संहिता में इस प्रकार संशोधन किया जाना चाहिये कि चोर बाजारी करने वालों, काला धन रखनेवालों और कर अपवंचनों को, जो वस्तुतः राष्ट्र के खिलाफ अपराध करते हैं, मृत्यु दंड दिया जा सके। प्रस्तुत विधेयक के प्रस्तावक का तर्क यह है कि हमारे देश में महात्मा बुद्ध जैसे महान नेताओं का जन्म हुआ और उन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसा दर्शन का भी उल्लेख किया है वस्तुतः हमें राष्ट्रीय सुरक्षा, और अनजान जनता के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों को धार्मिकता के साथ सम्बन्ध नहीं करना चाहिये। हमें इस मामले पर ठंडे दिल से और मानवीय आधार पर विचार करना चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि इस विधेयक को इस सभा की प्रवर समिति के पास भेजना चाहिये, जहां इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया जाये।

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया (मंजरी): मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। प्रस्तावक महोदय विधि आयोग द्वारा दिये गये तर्कों का खण्डन नहीं कर सके हैं। प्रस्ताव का एक तर्क यह है कि कुछ न्यायाधीश मृत्यु दंड देने में गलती कर जाते हैं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि मृत्यु दंड देना ही बन्द कर दिया जाये। इस सम्बन्ध में भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया जा सकता है। विधि आयोग का मुख्य तक यह है कि मृत्यु दंड निवारक दंड है। प्रस्तावक के मन में मृत्यु दंड प्राप्त करने वाले व्यक्ति के आश्रितों के लिये दया की भावना है परन्तु क्या उन्होंने यह भी सोचा है कि किस व्यक्ति की हत्या की जाती है उस के आश्रितों कीक्या हालत होती है ? उनका कहना है कि निवारक दंड का कोई प्रभाव नहीं है। मेरे विचार में यदि मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया, तो हत्या के मामलों की संख्या और बढ़ जायेगी। लोगों का डर समाप्त हो जायेगा। विधि आयोग ने इस मामले पर कई महीनों तक विचार विमर्श किया है और वह एक निष्कर्ष पर पहुंचा है। अतः यह सभा आधा घण्टा या एक घण्टा चर्चा करके किसी नये निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकती। इस लिये मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस विधेयक को वापस ले लेंगे।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मेरे विचार में जो माननीय सदस्य मृत्यदंड के पक्ष में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, वे मन ही मन में इस बात से सहमत हैं कि अन्ततोगत्वा मृत्यु दंड समाप्त करना ही चाहिये परन्तु उनके विचार में अभी उसको समाप्त करने का समय उपयुक्त नहीं है। इसलिये प्रश्न यह नहीं है कि मृत्यु दंड अच्छा है या बुरा बल्कि प्रश्न यह है कि इसको अभी समाप्त कर दिया जाये अथवा कुछ समय तक प्रतीक्षा की जाये।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised Hindi version of English translation of speech delivered in Tamil.

[श्री पी० जी० मावलंकर]

कुछ माननीय सदस्यों ने तर्क दिया है कि जब तक हमारे समाज का नैतिक स्तर ऊंचा न हो जाये, इस प्रकार का जोखिम कैसे लिया जा सकता है ? यह तर्क वैसा ही है जैसे यह कहा जाय कि जब तक लोकतंत्रीय समाज की स्थापना नहीं हो जाती तब तक लोकतंत्रीय सरकार नहीं बनाई जा सकती । अतः यह तर्क निरर्थक है । जब हमने अपने सामने एक आदर्श रखा है तो हमें उस दिशा में चलते रहना चाहिये । चाहे लोग इस समय हमारे साथ न चलें, फिर भी हमें पूरे विश्वास के साथ इस दिशा में चलते रहना चाहिये । अन्ततोगत्वा हमारे समाज में सुधार हो जायेगा और वे अच्छे नागरिक बन जायेंगे । हम जन्म से स्वतंत्र हैं और सरकार को हमारी जान लेने का कोई अधिकार नहीं है । मृत्यु दंड के पक्ष में और विपक्ष में प्रबल तर्क दिये गये हैं तथापि वे मृत्यु दंड को समाप्त करने के अधिक पक्ष में हैं । प्रश्न यह है कि क्या हमें इस बात का पूर्ण विश्वास हो सकता है कि जिस व्यक्ति को हम मृत्यु दंड दे रहे हैं, वह मृत्यु दंड देने के ही योग्य है ? क्या इस बात का निर्णय करने में 0.01 प्रतिशत भी गलती होने की सम्भावना है ? यदि हाँ, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उसको क्यों फांसी दी जाये ?

विभिन्न देशों में दंड देने के उपायों में सुधार किया जाता रहा है। पहले छोटे छोटे अपराधों के लिये भी मृत्यु दंड दे दिया जाता था। परन्तु अब उस प्रकार सोचा भी नहीं जा सकता । अब मानवीय पहलू पर अधिक विचार किया जाता है । अतः मेरा सुझाव यह है कि जिन व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया जाता है उन्हें भी जीवन में सुधार करने का अवसर दिया जाना चाहिये । यदि इस मामले पर, जिसका जीवन के साथ सम्बन्ध है, भावनात्मक ढंग से विचार किया जाये, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है । यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे मृत्यु दंड न देकर आजीवन कारावास का दंड दिया जा सकता है । मृत्यु दंड का केवल एक ही लाभ है और वह यह कि हमें इस बात का संतोष होता है कि एक व्यक्ति को, जिसने समाज के किसी दूसरे व्यक्ति की जान ली थी, मार दिया गया है । परन्तु इसका अर्थ केवल बदला लिया जाना है । यदि हम बदले की भावना को प्रश्रय देते हैं तो हमने संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से क्या प्रगति की है ? हम चाहते हैं कि अपराधी से बदला न लिया जाय बल्कि उसे अपने जीवन में सुधार करने का अवसर दिया जायें । अतः सरकार को अपना विधेयक प्रस्तुत करके मृत्यु दंड की व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिये ।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : I oppose this Bill. We should not adopt sentimental approach in this matter. The mover has soft corner for the children of the murder but what about the children of the person who has been killed? The example of decoits of Madhya Pradesh has been quoted. But we should keep in view the circumstances in which they have surrendered. If we took to their crimes, there would be nothing wrong if they are hanged. But they surrendered on the plea that they should be given a chance to reform themselves. So Government have agreed to it. It has been argued that death penalty has been abolished in other countries but they have overlooked one vital point that 95 percent of their people are educated, whereas in our country only 23 percent are educated. Most of the people are not aware of the provisions of the law and unless the criminals are punished, there is no other alternative. We cannot ignore the practical aspect of the question. So many murderers are committed inspite of the provision of capital punishment but if this punishmentit abolished then there will be Chaos. Therefore, we should not only retain this measure but make it more stringent so that murders are not committed. It has been said that State has no right to take away the life of a person but then he should also behave and respect his fellow citizen and should not kill others. The State has to protect the life of the people. It a person kills a fellow citizen, the State cannot pardon him. Moreover, capital punishment has deterrent effect. In view of this we should continue to have the provision of capital punishment,

Shri Amar Nath Vidyalankar (Chandigarh) : It has been argued that capita punishment should be retained. One of the arguments was that since the accused has killed somebody, he should also be killed which amounts to taking revenge. Second argument is that the culprit should be hanged to teach a lesson to others also.

I feel that our society is advance is against taking any revenge. In so far as question of teaching a lesson is concerned the person, who has been hanged cannot be taught a lesson. Moverover, it will not be advisable to take away the life of a person for teaching a lesson to others. The people have started realising human values and their responsibility is more than in the past. Deterrent punishments cannot reduce the number of crimes. In my view the person who hatches a conspiracy and endangers the security of the country should be awarded capital punishment and more else.

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : इस विषय पर चर्चा को देखते हुए मेरा विचार यह है कि यह मामला विवादास्पद है और इस पर जनता की राय भी लेनी चाहिये । विधि का यह सिद्धांत है कि चाहे अनेक अपराधी सजा से बच जाये परन्तु किसी निर्दोष व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिये । यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता है, जिसके बारे में बाद में पता चलता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया था तो उस व्यक्ति की किसी प्रकार भी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती । अत: मृत्यु दंड देने से पूर्व हमे काफ़ी सोचविचार करना चाहिय । समाज शास्त्रियों का कहना है कि अपराध करना एक रोग है । कोई भी व्यक्ति अपराध करने के आशय से या प्रयोजन से जन्म नही लेता है । व्यक्तीपर समाज के वातावरण का प्रभाव पड़ता है । अब जेलों में दंड देने की बजाय सुधार कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । जो लोग अपराध करते हैं, वे दंड दिये जाने से नहीं डरते और नही वे इस कारण से अपराध करना बन्द कर देते हैं । जेब काटना अपराध है परन्तु सैकड़ों लोग कानून की परवाह न करके यह अपराध करते हैं । इसका कारण यह है कि उनका मन रुग्ण है । उनकी विचारशक्ति क्षीण हो चुकी है । इसी प्रकार मृत्यु दंड की व्यवस्था के बावजूद हर साल सैकड़ों लोगों की हत्या की जाती है । उन्हें पता है कि उन्हें मृत्यु दंड मिलेगा परन्तु वह उससे भी नहीं डरते क्योंकि उनके सोचने का ढंग बदल चुका है और वे इस योग के शिकार हो चुके हैं ।. मेरे विचार में इस विवादास्पद विषय के बारे में हमें जनता की राय ले लेनी चाहिये । अत: इस सम्बन्ध में श्री मूल चन्द डागा का संशोधन स्वीकार कर लिया जाना चाहिये ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता । यह विधेयक दंड संहिता में संशोधन के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है बल्कि इसमें यह कहा गया है कि किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिये । देश में न्यायालय के अतिरिक्त एक सैनिक न्यायाधिकरण भी है, जो गोली मार देने का आदेश दे सकता है । यदि न्यायालय मृत्युदंड न दे और सैनिक न्यायाधिकरण अर्थात कोर्टमार्शल गोली मार देने का आदेश दे सके तो यह स्थिति परस्पर विरोधी होगी । दूसरी बात यह है कि क्या किसी भी अपराध के लिये मृत्युदंड की व्यवस्था नहीं होनी चाहिये । इस बात में भी यह स्वीकार किया गया है कि अपराध तो किया गया है, भले ही उसे मृत्यु दंड न दिया जाये । यह तर्क दिया गया है कि न्याय करने में गलती हो सकती है परन्तु प्रश्न यह है कि क्या मृत्युदंड देने की बजाय आजीवन कारावास का दंड देने से वह गलती नहीं होगी ? गलती तो सज़ा देने में कही भी हो सकती है । जैसे जैसे समाज का विकास होता है कोई ऐसे अपराध भी किये जा सकते हैं जिसके लिये इसी प्रकार का कठोर दंड देना पड़े । यह सम्भव है कि समाज अधिक जागरूक हो जाये और यह मांग करने लगे कि ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिये जो समाज में असुरक्षा की स्थिति पैदा करता है । अत: मृत्यु दंड को केवल हत्या के मामलों तक सीमित कर देना भी ठीक नहीं है । अत: मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि किसी भी अपराध के लिये मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिये । यदि मैं 100 व्यक्तियों की हत्या कर देता हूँ तो क्या मुझे मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिये ? यह कोई तर्क नहीं है । समाज व्यक्ति की सुरक्षा

[श्री सी० एम० स्टीफन]

करेगा, अपराधी की नहीं । हम जीओ और जीने दो के सिद्धांत के समर्थक हैं । यदि कोई व्यक्ति दूसरे को जीने नहीं देता तो उसको भी जीने का कोई अधिकार नहीं है । इसमें कोई गलत बात नहीं है । प्रश्न यह है कि उस व्यक्ति के बारे में समाज की क्या प्रतिक्रिया होगी जो निर्बाध रूप से सड़कों पर लोगों की हत्या कर देता है? समाज की प्रतिक्रिया बहुत ख़तरनाक होगी । एक सुव्यवस्थित समाज अव्यवस्थित हो जायेगा । यह मामला केवल हत्या करने तक ही सीमित नहीं क्योंकि यदि कोई व्यक्ति समाज की प्रत्येक वस्तु को नष्ट करने लगता है, तो शायद समाज यह निर्णय करे कि उस व्यक्ति की जीवनलीला समाप्त कर दी जाये । अत: यह तर्क उचित नहीं है कि चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी अपराध करे, उसको मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिये । इस प्रकार की व्यवस्था स्वीकार्य नहीं हो सकती अत: मैं इस विधेयक को विरोध करता हूँ ।

Shri Teja Singh Swatantra (Sangrur) : While supporting the bill, I want to place threc points to substantiate the efforts to abolish the capital punishment. Socail economic system plays a great part in the origin of crimes. If the authority, who are responsible for law and order, cannot give social justice then crime will go on. Character building should go on alongwith nation building. The activities of criminals are not God ordained. It is the Socio economic system which compels them to commit crimes.

Secondly, I would like to say that logical historical method should be applied. If the capital punishment has proved deterrent then it should be continued otherwise there is no point in retaining it. Through character building we can remove the Capital punishment

Thirdly, our judicial system is not dependable and it is not perfect. It has failed in giving justice to the needy. With these points I would like to say that Capital punishment should be given in a very few and exceptional cases, like heinous crimes.

Shri Ramji Ram (Akbarpur) : There is no doubt that capital punishment is a blot in this civilized society and we should find out solution of it. There are some crimes which are committed by men on account of unavoidable compulsion. Have sociologists ever examined this aspect? You say that capital punishment should not be abolished then those judges or people should be hanged who are responsible for hanging innocent people and those who sell adulterated items. If you are going to abolish the Capital punishment then such system should be brought up under which these thing may not happen.

श्री बी० के० दासचौधरी (कुच-बिहार) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ जिसका उद्देश्य फांसी की सजा समाप्त करना है, हालांकि यह विधेयक अपने रूप में मामूली सा दिखता है परन्तु इसका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, कानून का उल्लंघन करने वाले को अपराधी कहा जाता है तथा उसे दंड दिया जाता है, गंभीर अपराधों में उसे फांसी भी दी जाती है। विधेयक का उद्देश्य फांसी की इस सजा को समाप्त करना है, अपराधी समाज का सदस्य होता है और कानून उसकी सुविधा के लिए बनाये जाते हैं, दूसरी बात, कानूनों को समय समय पर बदला जाता है, प्रत्येक देश का कानून अलग अलग होता है। यह समाज का दायित्व है कि वह व्यक्ति को समाज में स्वयं को समायोजन करने में सक्षम बनाए यदि कोई व्यक्ति विशेष अपने आपको कानून के अनुसार नहीं ढाल सकता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कानून को बदला जाए अपितु उसे इस कार्य में मदद देने के लिए समाज को आगे आना चाहिए। इस बात को देखते हुए सरकार अथना समाज का यह दायित्व नहीं है कि वह इस स्थिति में व्यक्ति विशेष की जाने ले ले ।

जीवन अमूल्य होता है, आत्महत्या करने वाला दंड का भागी बनता है क्योंकि वह जीवित रहकर समाज के लिए कुछ भलाई का कार्य कर सकता था। दंड हमेशा सुधारवादी होना चाहिए न कि प्रतिशोकात्मक। यदि किसी व्यक्ति को अपने आपको सुधारने का अवसर नहीं दिया जाता है या समाज उसे ऐसा कार्य करने में सहायता करने के लिए आगे भी आता है तो यह राज्य या सरकार का दोष है, हमें यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इस शब्दों के साथ मुझे आशा है कि सरकार विधेयक का समर्थन करेगी।

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० निवास मिर्धा) : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और विवादास्पद विषय है। फांसी की सजा समाप्त करने संबंधी विषय पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, प्रश्न यह उठाया गया है कि यदि समाज जीवन नहीं दे सकता है तो उसे जीवन लेने का क्या अधिकार है, इसके उत्तर में एक अन्य माननीय सदस्य ने कहा है कि चूंकि इंसान समाज में जन्म लेता है इसलिए समाज का जीवन पर अधिकार है। यह केवल दार्शनिक विचार नहीं है अपितु समस्या पर चर्चा करने के लिए संबद्ध विषय है।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अगली बार अपना भाषण जारी रखें।

हरियाणा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप*

CHARGES AGAINST HARYANA CHIEF MINISTER

सभापति महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा का विषय लेंगे। श्री श्यामनंदन मिश्र।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : हरियाणा क मुख्य मंत्री के विरुद्ध जांच की मांग सभी पक्षों ने की है, वह एक साधन संपन्न मुख्य मंत्री है तथा किसी भी तरह अपने को बचा सकते हैं, वे प्रधान मंत्री के बहुत निकट हैं।

श्री बंसी लाल प्रेस और जनतान्त्रिक अधिकारों के विरोधी हैं इसलिए उनके राज्य को घोर भ्रष्टाचारपूर्ण राज्य का नाम दिया गया है। 121 संसद् सदस्यों ने मांग की है कि इन आरोपों की जांच करने के लिए जांच आयोग बिठाया जाये, ऐसी घटना ऐसे मामलों में अभूतपूर्ण है, हरियाणा विधान सभा के तत्कालिन अध्यक्ष ने मुख्य मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं, य अध्यक्ष विपक्षी दल के नहीं अपितु सत्तारुढ दल के सदस्य है, इस मामले में एक विशेष बात यह है जहां अन्य मामलो में निपटान यथाशीघ्र होता है वहां इसमें निर्णय लेने में अत्यधिक विलंब किया जा रहा है।

इस मामले में सबसे अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि केन्द्रीय मंत्री इस मामले को रफा दफा कर रहे है जबकि यह अभी विचाराधीन है, क्या उनके लिए ऐसा करना उचित है ? हरियाणा के अध्यक्ष ने एक बार कहा था कि हरियाणा में लोकतंत्र को मजाक का विषय बना दिया गया है क्योंकि विधान सभा की कार्यवाही केवल पांच दिन चलती है, इसी तरह वहां लोक सेवा आयोग जैसे लोकतंत्र संस्थाओं का कोई महत्व नहीं रहा है।

हरियाणा के मुख्य मंत्री ने हरियाणा के किसानों को लूटा है और इस प्रकार रक्षा मंत्रालय के नियमों तथा कानूनों का उल्लंघन किया गया है, प्रधान मंत्री के नाम पर यह ब्लैकमेल किया जा रहा है इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा रही है।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : आप उन्हें बोलने की अनुमति कैसे दे रहेहै ? वे प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहे है।

---

*आध के घंटे की चर्चा

†Half-an hour Discussion

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आप इसका स्वयं निर्णय कीजिए कि क्यों नहीं जांच आयोग स्थापित किया जाना चाहिए, जब केवल दो विधायकों ने अकाली सरकार के विरुद्ध ज्ञापन दिया था तब शीघ्र ही जांच आयोग की नियुक्ति की गई थी, इस मामले में, जबकि तथ्यपूर्ण ब्यौरा दिया गया है, तब क्यों नहीं मांग को स्वीकार किया जा रहा है? क्या यह भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं है? वस्तुत: जांच आयोग बिठाने में जो विलम्ब किया जा रहा है, उसका उपयोग साक्ष्य को नष्ट करने तथा उसे अपने अनुकुल गढने में किया जायेगा।

तत्कालिन स्वास्थ्य मंत्री श्री उमा शंकर दीक्षित ने फरवरी 1972 और अक्तूबर, 1972 को अपने सार्वजनिक वक्तव्य में सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने से पूर्व ही मुख्य मंत्री बंसी लाल को दोषमुक्त करने की घोषणा की थी। क्या यह बात इस तथ्य को सिद्ध नहीं करती थी कि सरकार ने इस संबंध में पहले ही निर्णय ले रखा था और बाद का निर्णय केवल एक विधियुक्त घोषणा थी।

मैं भूमि के अधिग्रहण के मामले में बरती गई अनियमितताओं के बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या यह सच नहीं है कि हरिणाया के महाधिवक्ता ने 19 मार्च, 1971 को उच्च न्यायालय में कहा था कि 24 फरवरी, 1971 की अधिसूचना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहित नहीं की जाएगी और 24 मार्च, 1971 को वापिसी अधिसूचना का नोटिस गजट में प्रकाशित हुआ था? क्या यह भी सच नहीं है कि 24 मार्च, को उसी भूमि को अधिग्रहित करने हेतु एक नई अधिसूचना जारी की गई थी? यदि ऐसा है तो क्या यह उच्च न्यायालय को धोखा देने वाली बात नहीं है?

मेरी सूचना यह है कि धारा 6 के अंतर्गत नोटिस 23 जून को जारी किया गया था और वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, बागवानी विभाग आदि ने धारा 9 के अंतर्गत निरीक्षण सत्यापन तथा आकलन का कार्य 10 जुलाई अर्थात्, 16 दिनों के अंदर पूरा कर लिया गया था। क्या सरकार समझती है कि इतने कम समय के अंदर इतना बड़ा कार्य पूरा हो सकता है? क्या सरकार की यह नीति नहीं है कि उद्योगों की स्थापना पिछड़े क्षेत्रों, अनुत्पादक भूमि में की जानी चाहिए? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच नहीं है कि अधिग्रहित की गई भूमि के आस-पास के किसानों को जो मूल्य चुकाया गया था वह संबंधित भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित किसानों से तीन से चार गुना अधिक है? यह एक गंभीर आरोप है। क्या यह सच नहीं है कि प्रतिक्षा अधिनियम होने के बावजूद भी भूमि अधिग्रहित की गई थी? क्या यह भी सच नहीं है कि कुछ सैनिक अधिकारियों ने इस मामले में अपना विरोध प्रकट किया था। यह सबसे अधिक आपत्तिजनक बात है कि जब कि राज्य बिजली बोर्ड के सौदेबाजी के मामले में हुए कदाचारों की जांच चल रही है, सरकार नें मुख्यमंत्री श्री बंसीलाल को दोषमुक्त कर दिया है।

यह कहा गया है कि इन आरोपों की जाँच प्रधान मंत्री के चार सदस्यों ने की थी, मैं पुछना चाहता हूँ कि यह कानूनी स्वरूप होने के नाते अटर्नी जनरल को क्यों नहीं भेजा, पहले इस तरह के मामले अटर्नी जनरल से सौंपा गए थे। परन्तु इस मामले में जांच करने का कार्य चार केन्द्रीय मंत्रियों को सौंपा गया था जो कि केवल प्रधान मंत्री को प्रसन्न करेंगें, मैं प्रधानमंत्री की ईमानदारी पर संदह नहीं कर रहा हूं परन्तु मरा कहना यह है कि प्रधान मंत्री को एक निष्पक्ष जांच आयोग नियुक्त करके अपनी ईमानदारी का परिचय देना चाहिए।

Shri Mukhtiar Singh Malik (Rohatak) : I want to know whether as per allegations mentioned in the memorandum, is it not correct that the case of smuggling against Shri Bansi Lal was not registered in Loharu State and the same was dropped on the intervention of the Centre? Is it not a fact that the Chief Minister of Haryana organises public meetings to win the M.L.A. of opposition parties to their side in the name of handling over him the

garland containing twenty thousand rupees, which he receives by the people to by a car. May I know is it not correct that the S.P. of Hissar was humiliated by the Chief Minister as he refused to withdraw a case.. (*interruption*). The Chief Minister is ill-tempered and indecent and he abuses even the M.L.As.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : May I know the criteria of instituting enquiry of corruption charges against the Minister or Chief Minister. The case of charges against the Chief Minister were handed over to the Sub-Committee of the Cabinet. If the same procedure is adopted in the case of non-Congress Ministires then will they be happy of charge the Government that discrimination is being done in their case. May I know whether it is not a fact that before the Constitution of Dave Commission, charges levelled by two M.L.As of Punjab were not sent to the Akalis Ministers? Is it not a fact that Dave Commission was set up in record time? How the Centre will decide the prima facie case against the Chief Minister of Tamilnadu? The report of Santhanam Committee was overlooked by the Government. May I know whether the Chief Minister of Haryana was asked to submit explanation on every items of the memorandum? If so then the findings of the Sub-Committee and explanations of the Chief Minister will be laid on the table of the House.

May I know whether it is a fact that enquiry is not being done against the Chief Minister of Haryana because of Maruti issue... (*interruption*). If the Government thinks that the charges are baseless then why they not institute Enquiry Commission so that doubts may be removed.

श्री के० लकप्पा : देश में भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाते हैं। मैं मानता हूँ कि सार्वजनिक जीवन तथा प्रशासन भ्रष्टाचार रहित होने चाहिए, किन्हीं व्यक्ति विशेष पर लगाये गये आरोप उन सदस्यों की भारी संख्या से प्रभावित नहीं होती है जो ज्ञापन में हस्ताक्षर करते हैं। मेरे विचार में ये कोई आरोप नहीं है अपितु राजनितिक वैमनस्य से प्रेरित बातें हैं, उनका कहना है कि सरकार दोहरा मानदण्ड अपना रही है, मैं जानना चाहता हूँ कि श्री निजलिंगप्पा तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध लगाये आरोपों के मामलों में वही मापदंड अपनाया गया था और यदि हाँ तो वे क्या हैं .... (**व्यवधान**)

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० निवास मिर्धा): मैं माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए वक्तव्यों के बारे मे कुछ स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, श्री श्यामनन्दन मिश्र ने अजीब तरीक से अपने विचार अभिव्यक्त किये है। उन्होंने पूछा था कि इस मामले में अत्याधिक विलम्ब के क्या कारण है जबकि पंजाब के मामले में जांच कार्यवाही तीन महीने के अन्दर करने का आदेश दिया गया था। पंजाब के मामले में वही प्रक्रिया अपनाई गई जो सबके मामले में अपनाई जाती है, प्रक्रिया यह है कि आरोपों को मुख्य मंत्री के पास उनकी टिप्पणी के लिए भेजा जाता है, उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरान्त निर्णय लिया जाता है। चूंकि अकाली मंत्री तथा श्री निजलिंगप्पा पदासीन नहीं थे अतएव उनका मामला राज्य सरकारों को सौंप दिया गया था। राज्य सरकारों से प्राप्त उत्तर से उनके विरुद्ध मामला नहीं बनता था, अतएव ज्ञापनों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस कार्य में पक्षपात की कोई बात नहीं है।

जहां तक ज्ञापन को मंत्रियों की समिति को सौंपने का प्रश्न है, यह प्रक्रिया पहले से चलती आ रही है। 1964 में उड़ीसा में श्री बीरेन मित्र, श्री बीजू पटनायक तथा अन्य मंत्रीयों, मैसूर के मुख्य मंत्री श्री निजलिंगप्पा तथा अन्य मंत्रियों, बिहार के मुख्य मंत्री श्री के० बी० सहाय तथा अन्य मंत्रियों के मामलों में यही प्रक्रिया अपनाई जाती रही है। अतएव इस मामले में जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह कोई नई बात नहीं है।

[श्री एम० निवास मिर्धा]

जहां तक भूमि अधिग्रहण के नोटिस का प्रश्न है, मे इसके बारे मैं अधिक कुछ नहीं कह सकता यदि मुआवजा कम दिया गया है, तो यह न्यायालय का मामला है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र ने कहा है कि मुख्य मंत्री को दोषमुक्त कर दिया गया है जबकि नियंत्रक तथा महा लेखापरीक्षक इस मामले की जांच कर रहा है, वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है श्री भगवत दयाल शर्मा को लिखे गये पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार ने सभी आरोपों को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को जाँच हेतु भेज दिया है उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। मैं श्री मुखीयार सिंह मलिक द्वारा, उठाये गये प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा, जहां तक श्री अटल बिहारी बाजपेयी के प्रश्न का संबंध है, हमने एक उप समिति की स्थापना की है, जैसा कि हमेशा होता आया है, उन्होंने पूछा है कि यदि हम यही प्रक्रिया गैर कांग्रेसी मुख्य मंत्री के मामले में अपनाये तो क्या इससे भ्रांति उत्पन्न हो सकती है, इस संबंध में आयोग की नियुक्ति के लिए कानून बना हुआ है, इस कानून के अनुसार आयोग स्थापित करने से पूर्व सरकार को अपने आप को संतुष्ट करना पड़ता है कि क्या कोई मामला बनता है, यदि मामला बनता है तब आयोग की नियुक्ति की जाती है अन्यथा नहीं, यदि हमें किन्हीं मामलों में संदेह होता है तो अटर्नी–जनरल से सलाह–मशविरा किया जाता है।

इसके पश्चात् लोकसभा सोमवार, 12 मार्च 1973/21 फाल्गुन, 1894(शक) के 11.00 बजे म०पु० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then a jdurned till Eleven of the clock on Monday, March 2, 1973/ Phalguna 21, 1894 (saka).

GIPN—S5—2 LSS/73—7-6-73—490

PARLIAMENT LIBRARY

Call No 346
D7 V.2 Acc. No.

Author .... Jelf E. A.

Title Where to find your Law

Division No. R/L Reg. No. Br.	Issued on	Borrower's Signature	Returned on